(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का नौवां दिवस [संख्या : 4

मंगलवार,

14 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मांग

लोक सभा में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में आज जो प्रश्नकाल चालू किया जा रहा है, इस प्रश्नकाल को स्थगित करके जिस तरह से इस देश में आज का दिन एक काले दिन के रूप में मनाया जाना चाहिये, क्यों ? आरक्षण, महिला आरक्षण का तो मैं विरोध नहीं करता लेकिन जिस आधार के ऊपर उस आरक्षण बिल को इस देश की लोक सभा में पेश किया जा रहा है, उसमें न तो एस.सी. का रिजर्वेशन है, न एस.टी. का, न ओ.बी.सी. का, न माइनोरिटी के लोगों का, न किसान वर्ग के किसी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह केवल उच्च वर्ग के लोगों का षड्‌यंत्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि इस प्रश्नकाल को स्थगित करके ——

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री हरिसिंह (महुआ)

श्री मदन मोहन : इस प्रश्नकाल को स्थगित करके सदन में चर्चा करायी जाए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रश्न संख्या 113.

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह मामला चलता रहा तो इस देश में जो गरीब तबके की औरतें हैं, उनको कभी भी इस देश में प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधान सभा में इस बिल के ऊपर चर्चा की जाए, जो कि आज लोक सभा में पेश हो रहा है। उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए।

श्री मदन मोहन : उन गरीब लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, विराजिए। यह प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य, यह प्रश्नकाल है, आप विराजिए।

श्री मदन मोहन : नहीं प्रश्न काल स्थगित कीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : भारतीय जनता पार्टी की यह छवि है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : बी.जे.पी. विरोध कर रही है क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बी.जे.पी. के विधायक हैं.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : यह गलत क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : गरीब तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह गलत विरोध कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय जनता पार्टी भी विरोधी हो गयी क्या महिला आरक्षण के मामले में ? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : महिला आरक्षण का बिल तो बी.जे.पी. की तरफ से रखा गया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : महिला आरक्षण में मामले में बी.जे.पी. विरोध कर रही है। आज आप इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान) महिलाओं को आरक्षण देना चाहिये, आप विरोध कर रहे हैं, इस बात का। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बी.जे.पी. विरोध कर रही है। दिल्ली में कह रही है कि समर्थन कर रही है, यहां पर विरोध कर रही है। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी की विरोधी....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिये, ये भारतीय जनता पार्टी वाले आज इस बात का विरोध कर रहे हैं,.... (व्यवधान) शर्म आनी चाहिये।

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी वाले ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी पार्टी की नीति स्पष्ट है, हम समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : कांग्रेसी भी साम्प्रदायिक लोग हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो प्रारूप है वह ज्यों का त्यों माना जाए, यह हमारी नीति है। हमारी नीति स्पष्ट है। कांग्रेस की नीति स्पष्ट है। कांग्रेस समर्थन कर रही है और बी.जे.पी. वाले विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन मोहन : भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, विराज जाएं।

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसके ऊपर चर्चा करायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, आप विराज जाएं।

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले समय तय करें, इसके ऊपर और चर्चा करायी जाए इस सदन में।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ने पंचायती राज में आरक्षण किया था। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह आपकी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। (व्यवधान) कांग्रेस की नीति स्पष्ट है।

श्री रामस्वरूप मीणा : पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण किया था और अब भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिये, हम इस बात का समर्थन करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी वाले जो विरोध करते हैं, इनको जनता देख लेगी, इस बात के लिये। आप महिला.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राज्य सभा की नजमा हेपतुल्ला उप सभापति हैं, हमने तो हमारी शीर्ष पार्टी, हमारे दल की अध्यक्ष भी महिला है। हमारे दल की तो अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष महोदय, महिला है।

श्री रामस्वरूप मीणा : महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, इसका आप आज विरोध कर रहे हैं, इससे शर्म की बात क्या होगी। आज महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिये। (व्यवधान) राज्य में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, विराजिए।

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसके ऊपर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री मदन मोहन : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन मोहन : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाएं।

श्री मदन मोहन : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, आप विराजें। आप बार बार...

श्री मदन मोहन : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बार बार आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री मदन मोहन : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री मदन मोहन : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, विराजिए आप।

श्री मदन मोहन : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार आसन की अवहेलना कर रहे हैं, आप विराज जाएं।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारूंगा।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री महोदय।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री मदन मोहन : xxx

श्री परसादीलाल मीणा : xxx

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप बैठो तो सही, मेरा प्रश्न आ गया।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री शैलेन्द्र जोशी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाएं, माननीय सदस्य।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन मोहन, आप विराज जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा : xxx

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन मोहन, आप विराजिए। विराज जाएं आप। आप बैठिये।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : xxx

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाएं।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मुझे विवश होकर अगला कदम उठाना पड़ेगा। आप बैठिये। आप विराजिए।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। बैठ जाएं आप।

श्री मदन मोहन : xxx

सदस्य का निष्कासन

माननीय सदस्य श्री मदन मोहन (खैरथल) का सदन से निष्कासन

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन मोहन, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन मोहन : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बार-बार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन से बाहर जाइये। मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि माननीय सदस्य को सदन से बाहर किया जाए।

(श्री मदन मोहन (खैरथल), माननीय सदस्य का निष्कासन)

श्री हरिसिंह (महुआ), प्रश्न संख्या 113.

तारांकित प्रश्नोत्तर

गोपालपुरा बांध (सवाईमाधोपुर) का भूमि प्रकरण

113. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील सवाईमाधोपुर, उप तहसील चौथ का बरवाड़ा में बांध गोपालपुरा में पेटे खसरा नम्बर-40 रकबा 159 बीघा सिवाय चक भूमि है ? यदि हां, तो जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी की नकल सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का कोई खातेदार है ? यदि हां, तो कौन है ?

(3) क्या बांध गोपालपुरा पेटे की उक्त भूमि को विवादित मानकर पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा मु. नं. 10/87 अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता का वाद उप जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो वाद पत्र एवं न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति सदन मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी, हां। ग्राम टापुर, तहसील सवाईमाधोपुर, उप तहसील चौथ का बरवाड़ा के अधीन खसरा नम्बर 40 क्षेत्रफल 960 बीघा 06 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन तालाब राजकीय भूमि है, न कि 159 बीघा। नकल जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी की प्रति संलग्न है।

(2) राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि का कोई खातेदार नहीं है।

(3) जी, हां। इस्तगासा एवं नकल निर्णय की छाया प्रति संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछूं, उससे पहले आप मुझे थोड़ा समय देंगे, मैं एक मिनट में थोड़ी सी पृष्ठभूमि अर्ज करना चाहता हूं। (व्यवधान) इस जमीन के सिलसिले में, यह जमीन है___ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल में पृष्ठभूमि नहीं हुआ करती है।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं। गैर मुमकिन सिवाय चक तालाबी जमीन है। और इस पर थानेदार ने इस्तगासा पेश किया 145 के तहत काश्त के लिये। इसमें यह था कि ठाकुर साहब, पूर्व ठाकुर साहब स्वर्गीय श्री शिव प्रकाश सिंह जी ठिकाना शिवाड़, उन्होंने किन्हीं काश्तकारों को जमीन बता दी, सात-आठ को। दूसरी पार्टी जो उन्होंने बनायी, वह कह रही थी कि हमको यह जमीन रानी साहिब ने बांटे पर उठायी है। आधे बांटे पर। इनमें विवाद हुआ, फसल काटने पर, इस्तगासा पेश हुआ। उसमें थानेदार कहता है कि यह ठाकुर साहब की पुश्तैनी जमीन है, 159 बीघा और यह उन्होंने बांटे पर उठा दी, उसके बाद में एफ.आई.आर. में रानी साहब का नाम आया। सात वर्ष तक रानी साहब चुप्पी साधे रहीं। 1994 में जब यह मंत्रिमण्डल में आयीं तब इन्होंने इसका एक फैसला कराया। एक शपथ- पत्र दिया कि मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। यह जमीन ठाकुर साहब शिव प्रकाश सिंह जी की है। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं मंत्रिमण्डल का एक सदस्य सरकारी भूमि को अपने पति की भूमि बताए और निरन्तर उस पर अपना कब्जा बनाए रखे। (व्यवधान) यही मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो प्रश्न किया है, सुनिए आप (व्यवधान) पहले आप सुनिए मेरी बात। जो आपने प्रश्न 1 से 3 तक किए उनका उत्तर आपको प्राप्त हो गया है?

श्री हरिसिंह (महुआ) : जी, हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर क्या प्रश्न चाहते हैं ? कोई हो तो पूछिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं यही तो पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिए न आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह यही है, यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि सात साल तक मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने चुप्पी साध ली।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे पूछिए, क्या यह सही है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, वही तो मैं पूछ रहा हूं, साहब। मैं यही पूछ रहा हूं अब उस पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दूंगा। राजस्व मंत्रीजी, क्या यह सही है कि इसके निर्णय के मुताबिक जो इस्तगासा थानेदार ने पेश किया उसमें इस जमीन को शिवाड़ के स्वर्गीय ठाकुर साहब शिव प्रकाश सिंह जी की पुश्तैनी जमीन होना बतलाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर एक।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नम्बर एक। दूसरा, क्या यह सही है कि 1994 में मंत्रिमंडल में आज जो सदस्य पर्यटन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक शपथ पत्र एसडीएम. के सामने पेश किया कि यह जमीन ठाकुर साहब शिव प्रकाश सिंह जी की है ? क्या यह सही है कि थानेदार ने अपने इस्तगासा के पैरा नम्बर-दो में पार्टी नम्बर दो के हवाले से यह पेश किया है

(श्री हरिसिंह)

एसडीएम. के यहां कि पार्टी नम्बर दो यह कहती है कि यह जमीन रानी साहिबा ने उनको आधे बांटे पर उठायी ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सप्लीमैंट्री पूछी है वह राजस्व विभाग से सम्बन्धित नहीं है। यह धारा 145 सी.आरपी.सी. के तहत इस्तगासा हुआ है। विधि मंत्रीजी या गृह मंत्रीजी से प्रश्न पूछते तो इसका उत्तर देते। मैंने जो तथ्य हैं, वहीं बताए हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सम्बन्धित नहीं है तो मैंने इस्तगासे की नकल मांगी और आपने पेश कर दी है। मंत्रीजी, अब यह कैसे पता चल गया कि आपके विभाग से सम्बन्धित नहीं है। मैंने इस्तगासे की नकल मांगी, आपने दी है। आपने एफ.आई.आर. की नकल दी है। क्या आपसे सम्बन्धित यह तो है कि गैर-मुमकिन सिवाय चक जमीन क्या किसी की पुश्तैनी जमीन हो सकती है ? आप यह जवाब दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री परसादी लाल जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : जवाब तो दिलवाइए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसका जवाब आ जाने दो साहब। (व्यवधान) गरीब आदमी एक-एक बीघा जमीन के लिए तरसता है (व्यवधान) 169 बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा किए बैठे हैं, सरकार उनको कब्जे से बाहर नहीं कर रही है और उससे नाजायज लाभ अर्जित कर रही हैं। यह है प्रश्न इसका जवाब दिलवाइए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका जवाब दिलवाइए।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमैंट्री हैं ।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर विधान सभा का क्या मतलब है ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अंदर हमारे पूरक प्रश्न हैं, इतनी जल्दी क्यों समाप्त कर रहे हैं आप ?

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा सप्लीमेंट्री है। क्या यह जमीन सिवाय चक है और मंत्री महोदय ने इसको सरकारी जमीन माना है तो अतिक्रमियों के खिलाफ 91 में कार्यवाही क्यों नहीं की गयी और जब इसकी रिसीवरी खतम की, एसडीओ. ने यह फैसला दिया था कि जमाशुदा राशि, जो सात वर्ष तक उस नीलामी की जमा हुई, जमाशुदा राशि उन्हें वाद खर्चा ठाकुर शिव प्रकाश सिंह जी को क्यों दी गयी ? जब सरकारी जमीन है और उसके खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही नहीं की। जमा हुई राशि भी ठाकुर साहब को क्यों दी ?

(8)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिए। राजस्व मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अतिक्रमियों के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही की गयी और जुर्माना भी किया गया। वैसे इस प्रश्न में पहले नहीं पूछा गया।

श्री परसादीलाल मीणा : फिर पैसा वापस क्यों दिया, यह बताइए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनिए तो सही। (व्यवधान) आप सुनें तो सही।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सवंत् 2052 में 4,467 रुपये अतिक्रमी के विरुद्ध जुर्माना किया गया। इससे पहले भी संवत् 2040 और 2041 में 10,216 रुपए जुर्माना किया गया। यह तालाबी पेटा है, जब भी तालाब खाली होता है तभी इसमें काश्त होती है। जब काश्त होती है तो धारा 91 के मुकदमे बकायदा दर्ज होते हैं, जुर्माना होता है और बेदखली होती है।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि काश्त करने वाले लोगों को जमीन अलाटमेंट नहीं की गयी ? तालाबी भूमि पर ठाकुर साहब का अतिक्रमण क्यों माना गया ? इतनी जमीन को एक परिवार या एक आदमी दबाकर रखे। हजारों किसान बेघर हो रहे हों। आप उस जमीन का आगे अलाटमेंट करने का विचार रखतें हैं या नहीं रखते ? (व्यवधान) गैर-मुमकिन होती है, तालाबी पेटा होती है, कैसे नहीं होती, सब जगह होती है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। आपस में बात न करें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप अलॉटमेंट तालाबी भूमि का करने का विचार रखते हैं कि नहीं ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, 1985 में इस तालाब पेटा की जितनी जमीन खाली हुई थी, आबंटन का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें अड़ोस-पड़ोस से पांच पंचायतें लगती हैं और टौंक जिले की सीमा लगती है तो टौंक जिले के भील लोग भी वहां पर आ जाते हैं। काश्त के लिए, आबंटन के लिए वह भी आ जाते हैं तो इसमें काफी झगड़ा हुआ। इस कारण आबंटन बन्द करना पड़ा और उसके बाद में आबंटन की प्रक्रिया हम नहीं कर पाये। अतिक्रमी केवल एक परिवार ही नहीं, अतिक्रमियों की सूची बहुत लम्बी है और उन पर जुर्माना होता है। जब भी यह तालाब खाली होता है, काश्त होती है, उन पर जुर्माना होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर पर्याप्त है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक प्रश्न। सरकारी स्तर पर जब गड़बड़ियां हो..... (व्यवधान) हम गुजारिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष-जी, राजस्व मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि टौंक जिले की सीमा इससे लगी हुई है और गोपालपुरा का जो बंध है उसके अन्दर सवाईमाधोपुर के काश्तकार ही खेती नहीं करते बल्कि हमारे टौंक जिले की निवाई तहसील के काश्तकार भी उसमें खेती करते हैं। महापुरा और खड़ोली में, दोनों के अंदर वहां काश्तकार हैं और इधर बहड़ के और जैरभूल्दा के काश्तकार हैं। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चौथ के बरवाड़े का प्रश्न है। आपसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। विराजिए।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने स्वीकार किया है इस बात को कि टौंक जिले की सीमा से यह जुड़ा हुआ है। और चूंकि यह मेरे क्षेत्र से अड़ा हुआ है और हर साल झगड़े-फसाद होते हैं इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरी बात तो सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन है कि हमारे हर साल जो झगड़े होते हैं । उसके अंदर मर्डर तक हो गये, कत्ल तक हो गए और हर साल झगड़े होते हैं। उनको बचाने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए क्या टौंक और सवाईमाधोपुर के कलक्टर को बिठाकर और हमेशा के लिए उन जमीनों की तयपाई कराने का विचार रखते हैं ताकि इतनी हमारी निवाई की है, इतनी सवाईमाधोपुर की है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जाएं। माननीय सदस्य, विराज जाएं। माननीय सदस्य, आप बैठें तो सही। कृपया विराज जाएं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी ने जो मुझे नकल दी है उसका अन्तिम पैरा आप गौर करें। कार्यवाही तहत दफा 145 जाप्ता फौजदारी ड्राप की जाती है व विवादित भूमि की कुर्की से बागुजाश्त किया जाता है। रिसीवर अतिरिक्त तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को तहरीर जारी हो कि वह विवादित कुर्की से बागुजाश्त कर कब्जा पार्टी नम्बर तीन श्री शिव प्रकाश सिंह को संभलावें, 169 बीघा आगे जमीन किसके कब्जे में है, यह बताइए आप।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि अदालत के फैसले के बारे में किसी तरह का कमेंट्स करने का मुझे अधिकार नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अदालत का फैसला है तो अदालत के फैसले से सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह चाहती है कि गरीबों को दी जाने वाली जमीन जागीरदारों को___ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री परसादीलाल जी। कृपया अब बिराजें। आपके सवाल का पूरा जवाब आ गया। अब आप विराज जाएं। माननीय सदस्य, श्री परसादीलाल जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह शोषण है। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य अधिकारों का दुरुपयोग करके इस प्रकार के नाजायज कब्जा जमीन पर किए हुए बैठा है। यह मेरा आरोप है। जमीन को आप इनके कब्जे से बाहर करवाइए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है.

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई नहीं। श्री परसादीलाल जी, मैं आगे नाम पुकारूं। आप बोलिए।

श्री मोहनलाल मोदी : अदालत के फैसले के लिए सरकार ने कोई अपील की क्या ? (व्यवधान)

पंचायत समिति लालसोट की इन्दिरा आवास योजना

114. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1997-98 में पंचायत समिति लालसोट (दौसा) में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा में चयनित व्यक्तियों का कितना-कितना लक्ष्य ग्राम पंचायतवार निर्धारित किया गया था ? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति लालसोट द्वारा जारी की गयी इन्दिरा आवास की सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दौसा जिले की पंचायत समितियों द्वारा इन्दिरा आवास योजना के स्वीकृत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) वर्ष 1997-98 में पंचायत समिति लालसोट (दौसा) में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा में चयनित व्यक्तियों को ग्राम पंचायतवार लक्ष्य का विवरण परिशिष्ट - "अ" पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति लालसोट द्वारा जारी की गयी इन्दिरा आवासों की स्वीकृति की सूची परिशिष्ट -"ब" पर संलग्न है।

(3) दौसा जिले की पंचायत समिति महुआ को छोड़कर शेष चार पंचायत समितियों द्वारा इन्दिरा आवास स्वीकृति के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गयी। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने का मुख्य कारण पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों द्वारा वांछित रुचि नहीं लेना है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अपने

(श्री परसादीलाल मीणा)

जवाब में माना कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने का कारण पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की रुचि नहीं लेना है। माननीय मंत्रीजी, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि पंचायत समितियों ने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की। क्या-क्या लक्ष्य थे, पंचायत समितिवार कितने लक्ष्यों की उन्होंने स्वीकृतियां जारी की, कितने इन्दिरा आवासों का निर्माण हुआ ? क्या यह सही है कि पहले इन्दिरा आवासों की स्वीकृति डी.आर.डी.ए. के मार्फत होती थी ? तब लक्ष्यों की पूर्ति होती थी तो इन लक्ष्यों की पूर्ति निर्धारित समय के अनुसार हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला दौसा के अन्दर पंचायत समिति अनुसार लक्ष्य इस प्रकार आबंटन किये गये थे दौसा - 257 के लक्ष्य थे 219 की स्वीकृति जारी की गयी, लालसोट 232 के लक्ष्य थे 200 की स्वीकृति जारी की गयी, महुआ 198 के लक्ष्य थे 203 की स्वीकृति जारी की गयी, बांदीकुई 257 थे 217 की स्वीकृति जारी की गयी, सिकराय 198 के लक्ष्य थे 137 की स्वीकृत जारी की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा इनकी स्वीकृति जारी की जाती थी। समय-समय पर कई माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पर एक जगह अधिकार केन्द्रित रहते हैं इसलिए ग्रामीण विकास को और गति देने के लिए और अधिकारों को नीचे के स्तर तक देने के लिए पंचायत स्तर तक इसके अधिकार दिये गये। अब यह 19.12.1997 को ही अधिकार दिये गये हैं। यह अधिकार दिये हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो जब कोई नये अधिकार दिये जाते हैं, राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उनको नीचे के स्तर तक सक्षम किया जाए। इनकी तरह नहीं था कि सारे अधिकार यहां केन्द्रित रखते और नीचे के लोगों को अधिकार नहीं देते और छोटे से छोटे काम के लिए भी उनको जयपुर भागना पड़ता था। लेकिन चूंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबी की रेखा पर जीवनयापन करने वालों की पूरी मदद करना चाहती है और यह चाहती है कि प्रदेश की आम जनता के अधिकार के लिये जयपुर नहीं आना पड़े, जिला स्तर पर भी नहीं आना पड़े बल्कि पंचायत स्तर पर ही उसका कार्य हो। तो चार या पांच माह पहले उनको अधिकार दिये गये। इस बात की हमेशा ध्यान रखा जाता है, अब इस बात की भी मानीटरिंग चालू कर दी गयी है कि पंचायत समिति और पंचायत स्तर पर भी इन लक्ष्यों की पूर्ति तीव्र गति से हो। लक्ष्यों की पूर्ति में भी कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। 92 प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हो चुकी है। यह जिला विकास अभिकरण के पास कार्य था तब भी इतने प्रतिशत तक लक्ष्यों की पूर्ति होती थी।

(श्री अनंग कुमार जैन)

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रति वर्ष इन्दिरा आवास योजना स्वीकृत होती है। इन्दिरा आवास योजना का कार्य चलता रहता है। जितनी योजना एक वर्ष में पूरी हो जाती है और जो नये साल की स्वीकृतियां जारी की जाती है, तो फिर पिछले साल की जो अधूरी रहती हैं वे अगले साल में कम्प्लीट हो जाती है, तो उनका पैसा अगले साल डिस्बर्समेंट कर दिया जाता है। इसलिए इसमें लक्ष्यों में कहीं कमी नहीं रही है और माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए ही राज्य सरकार ने इन अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया है और पंचायत समिति और पंचायत स्तर तक के अधिकारियों को दिया गया है।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों की लापरवाही के कारण चार पंचायत समितियों में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई। मंत्री महोदय, क्या आपने ग्राम पंचायतवार लक्ष्य आबंटित कर दिये ? डी. आर. डी. ए. जारी कर देती है, आप जे. आर. वाई. की तरह क्यों नहीं यह राशि ग्राम पंचायतों को ही सीधे डी. आर. डी. ए. से ट्रांसफर करते, ग्राम पंचायतों को ही क्यों नहीं अधिकार देते कि वे ही स्वीकृतियां जारी करें ? पंचायत समिति को आप इसमें बीच में क्यों डाल रहे हैं ? पंचायत समितियों में सरपंचों के साथ जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी माना है, आप पंचायतों को ही क्यों नहीं अधिकार देते कि उन्हीं को ये जे. आर. वाई. की तरह पैसा ट्रांसफर कर दें ? वो ही इनका निर्माण कराये, जिसको भी देना हो वो ही इसकी स्वीकृति जारी करें, इसमें आपको क्या एतराज है ? जिससे आपका कार्य डिले नहीं हो, पंचायत समितियों के भरोसे नहीं रहे। किसी ग्राम पंचायत को चार दे दी तो आप चार का पैसा ट्रासफर कर दो, किसी को दस दी तो दस का कर दो। आप बीच में क्यों पंचायत समिति का रोड़ा अटका रहे हैं ? आप सीधे ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं जे. आर. वाई. की तरह पैसा ट्रासफर करते ? इस संदर्भ में जब आप अधिकार दी दे रहे हैं तो सीधे ग्राम पंचायत एग्जीक्युटिव बॉडी को क्यों नहीं देते ? बीच में आप पंचायत समिति का रोड़ा क्यों अटकाते हैं ? आप सीधे ग्राम पंचायतों को दीजिए।

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी विनम्र निवेदन किया कि राज्य सरकार सत्ता को नीचे तक पहुंचाना चाहती है, अधिकारों को पंचायत स्तर तक देना चाहती है और वो दे दिये।

अब माननीय सदस्य के दोनों स्टेटमेंट कन्क्रटेशन हैं। पहले तो माननीय सदस्य इस बात पर दबाव डाल रहे थे कि पंचायत समिति और पंचायत को अधिकार देने से जिला ग्रामीण अभिकरण तो लक्ष्य पूरा करते थे-

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, ग्राम पंचायतों के लिए नहीं कहा ।

श्री अनंग कुमार जैन : अब जब मैंने यह कहा कि वहां भी 90-92 प्रतिशत लक्ष्य पूरे होते थे अब भी 90-92 प्रतिशत लक्ष्य पूरे होते और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार बराबर मानीटरिंग करती है। यह अधिकार दिये मुश्किल से 6 माह हुए हैं। अब 6 माह के अन्दर अधिकार स्थानान्तरित किये हैं, और उनके अन्दर जो लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है और जो आबंटित लक्ष्य है बहुत द्रुत गति से पूर्ण हों इसलिए राज्य सरकार मानीटरिंग भी कर रही है। पैसे की कहीं जिला ग्रामीण अभिकरण की तरफ से रोक नहीं है। पंचायत समिति से जिस प्रकार ग्राम पंचायत लक्ष्य आबंटित करती है, स्वीकृति जारी करती है उसके पैसे का डिस्बर्समैंट इमिजिएट हो जाता है। इसलिए माननीय सदस्य को जो शंका है वह शंका दिमाग से निकाल दें। राज्य सरकार तो चाहती है कि इन्दिरा आवास वाले व्यक्तियों को निश्चित रूप से समय पर पैसा भी मिले, उनके मकान भी कम्प्लीट हों और माननीय सदस्य भी इसमें कोई बात हो तो सहयोग करें। इसके अलावा भी माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहेंगे तो राज्य सरकार खुले दिल से उन पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान। नैक्स्ट।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है, माननीय सदस्य। आपने जो पूछा उससे भी ज्यादा उत्तर दे दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : एक सप्लीमेंट्री पूंछूंगा। उत्तर ज्यादा दे दिया इसके लिए धन्यवाद।

मेरा इसमें दूसरा सप्लीमेंट्री है कि क्या पंचायत समिति लालसोट ने 50 या 45 इन्दिरा आवासों की स्वीकृति 31 मार्च को की और डी. आर. डी. ए. ने उसको मानने से मना कर दिया ?

प्रश्न संख्या - 115

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। श्री अर्जुनदास मदान । (अनुपस्थिति)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पूछिये ।

राजस्थान काआपरेटिव डेयरी फैडरेशन का हानि प्रकरण

116. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) (**श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) के स्थान पर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) राजस्थान काआपरेटिव डेयरी फैडरेशन का नेशनल डेयरी डवलप्मेंट बोर्ड को प्रबन्ध चार्ज सुपुर्द किये जाते वक्त कुल कितनी राशि का घाटा हुआ था और

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नेशनल डेयरी डवलपमैंट बोर्ड को चार्ज सुपूर्द किये जाने के बाद से अब तक कुल कितनी राशि का घाटा हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि नेशनल डेयरी डवलपमैंट बोर्ड को राजस्थान काआपरेटिव डेयरी फैडरेशन का पूरा प्रबन्धन सौंपें जाने के सम्बन्ध में अनुबंधन का प्रदेश के जिला दुग्ध उत्पादक संघों द्वारा विरोध किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकारी इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, डेयरी (श्री नसरू खां) : (1) राजस्थान काआपरेटिव डेयरी फैडरेशन के प्रबन्ध का चार्ज एन. डी. डी. बी. को सुपुर्द किये जाते वक्त 31.3.1992 तक आर. सी. डी. एफ. का घाटा 60 करोड़ 21 लाख रुपये था। एन. डी. डी. बी. को प्रबन्धन सौंपने के बाद से अब तक अर्थात 01.04.1992 से 31.03.1997 तक की अवधि का घाटा 47 करोड़ 84 लाख रुपये हो चुका है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक संघों द्वारा उठाये गये समस्त बिदुंओं पर विचार कर उचित निर्णय लेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी शायद अपना जवाब खुद ही नहीं पढ़ पाये। 60 करोड़ का घाटा बता दिया इन्होंने 1992 के पहले जबकि यह लिखा हुआ 6 करोड़ 21 लाख है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एन. डी. डी. बी. ने आर. सी. डी. एफ. के प्रबन्ध को पिछले 6 वर्षों से एक अनौपचारिक समझौते के तहत अपने हाथ में रख रखा है। घाटा आपने बता ही दिया, 1992 के पहले तो घाटा था 6 करोड़ 21 लाख और जब एन. डी. डी. बी. ने प्रबन्ध अपने हाथ में लिया तो घाटा हो गया 47 करोड़ 84 लाख। हमारे मुख्य मंत्रीजी कुरियन को यहां पर लेकर आये...

श्री उपाध्यक्ष. : लगता है आप तैयार होकर नहीं आये हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं पूरा तैयार होकर आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप प्रश्न कीजिए न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी तैयारी तो सुनो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मैकअप में ही समय बिता दिया इन्होंने ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप यह बताओ फिर मैं कैसे तैयार होकर आऊं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आप का नहीं है न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई तलवार लेकर आऊं या साफा-वाफा बांध कर आऊं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो एवजी है, एवजी।

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाल मूल रूप से आपका नहीं है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मूल रूप से मेरा नहीं है लेकिन मैं इसको बना लूंगा, आप देखों तो सही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो मैकअप में ही समय बरबाद कर दिया इन्होंने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक काआपरेटिव संस्था में हस्तक्षेप कर जो आपकी सरकार ने सहकारिता आन्दोलन के विरोधी कार्य किया, यह बताने का कष्ट करें कि एन. डी. डी. बी. ने अपने हाथ में प्रबन्ध लेने के बाद किस-किस साल में दूध के, छाछ के, मक्खन के और घी के दाम बढ़ाये ?

दूसरा निवेदन आप से मैं यह करना चाहता हूं कि एक शिकायत हुई थी कोटा की डेयरी के प्रबन्ध के बाबत।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : आपको तो इसकी जानकारी नहीं है जो आप बोल रहे हो।

श्री नसरू खां : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वह यह है कि घाटा कितना हुआ है, प्रश्न यह नहीं है कि जो आप कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सुन लें। मंत्री महोदय, सुन लें पहले ...(व्यवधान)...

श्री नसरू खां : आप यह तो पूछ रहे हैं घाटा कितना हुआ है ? ...(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरा सवाल सुन लीजिये उसके बाद जवाब देना।

श्री नसरू खां : आप तो घाटे की बता रहे हैं, आप इसकी बात ही नहीं कर रहे। आप कभी कोटा को घुमा रहे हो, कभी अलवर को घुमा रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्रीजी को आप समझाओ, उपाध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री नसरू खां : आपने घाटे का पूछा है घाटे का जवाब दे रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसे ही मंत्री बनाने थे क्या ?

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी, आप होम वर्क कर के आया करो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं । मंत्री महोदय, पहले आप सुन लें फिर जवाब दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां। अब आई न बात समझ में ...(व्यवधान)... बड़ी मुश्किल से मिलता है, मंत्री पद। इसको समझो क्या होता है मंत्री पद ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी, वह नहीं माननीय मंत्री महोदय हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मदन दिलावरजी, आपको तो बाद में निपट लूंगा पहले उनसे निपट लेने दो।

श्री मदन दिलावर : थोड़ा सा होम वर्क कर के आया करो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब अगर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो अनौपचारिक समझौते के तहत 1992 के बाद के पूरे 50 करोड़ के घाटे को राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। सरकार की क्या तैयारी है ? एक अजीबोगरीब स्थिति में सरकार आ चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, न तो उगलते बनता है और न निगलते बनता है। लगातार छह साल से, 1992 से लेकर आज तक, एक अनौपचारिक समझौते के तहत काम चल रहा है। समझौता पूरा हुआ नहीं है और न दस्तखत हो पा रहे हैं। यह भी पक्का नहीं है कि एन. डी. डी. बी. ही इस पर काबिज रहेगी या आर. सी. डी. एफ. के पक्ष में जाएगी। मतलब बिलकुल अंधकारमय स्थिति है। दिन प्रतिदिन घाटा इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि यह सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही है। यह एन. डी. डी. बी. मैप जो है, राजस्थान की सरकार के ही नहीं बल्कि यहां के जितने भी जिला दुग्ध उत्पादक संघ है और जितनी भी को-आपरेटिव संस्थाएं हैं, उनको मारने की एक योजना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानता चाहता हूं कि इस बात में आखिरी फैसला आप कब तक कर लेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि .. (व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह जी और पूछ लें इसमें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जो आपसी सहमति से समझौता हुआ है, क्या उन्होंने उसको पढ़ लिया है और पढ़ लिया है, तो उसमें क्या यह प्रावधान है कि जो घाटा आपने 60 करोड़ का बताया है तो पहले था और 47 करोड़ का अब हो गया है, वह 17 साल में हुआ था या पांच साल में हो गया है ? इस घाटे को, जिस दिन हाथ में ली थी उसके तीन साल में इस 60 करोड़ के घाटे को एन. डी. डी. बी. है, वह चुकाएगी, उसने नहीं चुकाया और उसके बाद यह शर्त थी कि प्रतिवर्ष जो घाटा होगा वह भी एन. डी. डी. बी. चुकाएगी। वह भी उसने नहीं चुकाया और यह 100 करोड़ पर आ गया और देनदारियों का हाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज क्या देनदारी है ? 112 करोड़ रुपये की देनदारी है आपकी, आर. सी. डी. एफ. की और जब एन. डी. डी. बी. ने इसको लिया था इसको तब क्या थी ? केवल 12 करोड़ थी। तो इन सब बातों के ऊपर, क्योंकि आप नये मंत्री बने हैं, अर्जुन सिंह जी यहां बैठे हैं, कई मर्तबा यह सवाल उठा है। आप यह बताइये कि इस तरह की जो शर्तों लगी थीं और जिन शर्तों के ऊपर उसको दिया था, उन शर्तों के अनुसार वह घाटा एन. डी.डी. बी. वाले क्यों नहीं दे रहे हैं ?

और दूसरा जो भाग है, उसमें आपने कहा है कि कुछ बिन्दु हैं, विभाग के वे बिन्दु क्या हैं और उन पर आप निर्णय क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 1992 से काफी समय से आर. सी. डी. एफ. लगातार घाटे में चल रही थी और एक ऐसी स्थिति आ गयी थी कि उस समय उसको और चलाया जाता तो शायद इसको बन्द करने की नौबत आ जाती। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय एन. डी. डी. बी. से मौखिक समझौता हुआ था और समझौता होने के बाद यह काम एन. डी. डी. बी. को सुपुर्द कर दिया गया। आर. सी. डी. एफ. के जितने भी संघ थे, उनका संचालन वह कर रहे थे। शुरु के दो सालों में लगातार घाटा हुआ जिसको मैं स्वयं स्वीकार करता हूं लेकिन धीरे-धीरे उसमें सुधार हुआ। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहूंगा कि कुछ आंकड़े हैं, 1992 में हम जो दूध प्रतिदिन एकत्रित करते थे, तीन लाख लीटर के करीब था, अब हम 6 लाख 60 हजार लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित करते हैं और इस साल तो हमने हमारी जो कैपेसिटी थी नौ लाख लीटर की पूरे राजस्थान में, हमने उसको भी पार कर दिया है। अब हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्लांटों को और बढ़ाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से 1992 में हमारी जो सी. डी. सप्लाई थी, लगभग 1 लाख 40 हजार थी। अब वह 3 लाख 45 हजार हैं। इसी प्रकार से उस समय हम काश्तकारों को जो बीज वितरण करते थे, 1670 क्विंटल था। अब पिछले साल 2905 क्विंटल हुआ। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : सवाल क्या है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सुनें पहले। माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं पहले मंत्रीजी का जवाब सुनें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब तो दिलवायें आप। जवाब तो रेलेवेंट दो कम से कम । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो भी कह रहे हैं वह आप सुन लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो भी कहें सुन लें ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, सुन लें (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जब बरसात होती है, गायें गर्भवती होती हैं मरुस्थल के अन्दर। नौ महीने बाद में दूध अपने आप बढ़ जाता है। आप इसमें _ (व्यवधान). इन्होंने जाकर क्या किया_ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप पूरा जवाब तो सुनिये, साहब।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे पहले सुन लें और उसके बाद जैसा चाहें मुझे प्रश्न करें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

इसी प्रकार से पहले 1992 में सिर्फ चार संघ ही प्राफिट में थे। पिछले साल नौ संघ प्राफिट में आये और इस साल 13 संघ। अब मात्र तीन संघ ऐसे हैं उनमें घाटा कम हुआ है।

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पशु आहार केन्द्र थे। जहां पर हमारी फैक्ट्रियां हैं। वे भी घाटे में चल रही थीं। अब चारों ही लाभ में चल रही हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि एन. डी. डी. बी. के आने के बाद क्या हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि उस मौखिक समझौते में यह भी चीज दर्शायी गयी थी कि जो पूर्व का घाटा है वह डेप्रिसिएशन को घटाकर इंटरेस्ट को घटाकर आधा राजस्थान सरकार देगी ओर आधा एन. डी. डी. बी. देगी। उसके तहत लगभग नौ करोड़ रुपये एन. डी. डी. बी. ने दे दिये हैं उस पुराने घाटे की एवज में और आठ करोड़ रुपये राजस्थान सरकार ने भी दे दिये हैं। यही नहीं हमारे जो संघ है, जो लगातार घाटे की स्थिति में थे, जो अपने ऊपर ऋण लिये हुए थे वह देने की स्थिति में नहीं थे लेकिन पिछले साल लगभग आठ करोड़ रुपये उनका लोन था, उसका रिपेमेंट किया। इस साल दो करोड़ का और उन्होंने रिपेमेंट किया और यही नहीं जयपुर डेयरी, जिसने अपने प्लान्ट का एक्सटेंशन किया अपने स्वयं के कर्मचारियों से और अपने स्वयं के पैसे से और यह चीज बतायी कि हमारे में भी कमी नहीं है। बिना किसी से ब्याज लेकर यह काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस साल लगभग 3 करोड़ 45 लाख के आसपास में हम हैं। तो जो पहले की स्थिति थी, धीरे-धीरे अब सुधर रही है और अब तो करीब 16 संघ जो घाटे में चल रहे थे उनमें से चार 92 में लाभ में थे, अब 13 लाभ में हैं। इस साल तो लाभ हुआ हैं। आशा यही करते हैं कि आने वाले समय में जो यह हमारे सहकारी आन्दोलन में आर. सी. डी. एफ. को जिस सोच से बनाया था जो करीब-करीब खतम होने जा रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, ये बार-बार कहते हैं कि सहकारिता आन्दोलन के विपरीत काम किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारिता मंत्रीजी भी यहां पर विराजमान हैं। पहले हमारे जितने भी संघ घाटे में थे...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई सवाल का जवाब है क्या? यह तो अच्छा-खासा भाषण है। आप रोकते तो हो नहीं। सवाल का जवाब तो दिलवाओ आप। रेलेवेंट बात करवाइये। मंत्री महोदय बड़ी चौपड़ पर भाषण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : सुनते तो हैं नहीं आप। आप उत्तर तो चाहते नहीं है + + + (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : मैनेजमैंट का काम है। यह मैनेजमैंट अच्छा... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी जो माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां पर पैसों की कमी थी। पिछले साल आठ करोड़ रुपये हमने मदर डेयरी से बिना ब्याज के संघों को दिये ताकि वे ज्यादा से ज्यादा दूध परचेज कर लें। मैं कहना चाहूंगा कि

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)
पिछले सालों में जहां हम काश्तकारों को दूध के पेटे 45 करोड़ रुपये देते थे, पिछले साल हमने 192 करोड़ रुपये डायरेक्ट काश्तकारों को दिये हैं जो कि काश्तकारों को फायदा ही हैं, नुकसान नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है माननीय सदस्य। श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमैन्ट्री हैं अभी तो मेरा ही सवाल बाकी है साहब।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जवाब तो दे रहे हैं। (व्यवधान)...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। मिस गाइड किया है पूरे हाउस को। यह, एन.डी.डी.बी. अपने घर से क्या लगाती है? विदेशों से जो सहायता मिलती है उसमें से अपना काटकर इधर देती है और वह भी पूरा देती नहीं है। और दूध बढ़ा है तो दूध तो गायें गर्भवती ज्यादा होती है। अच्छी नस्ल .. (व्यवधान).

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : आप मानते हैं, माननीय सदस्य, कि विभाग ने अच्छा काम किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है। पशु आहार की व्यवस्था की गयी हैं। उससे हुआ है गर्भधारण और दूध की बढ़ोत्तरी। यह सरकार ने कोशिश की है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप जानते ही नहीं हो। ताखड़ी तोलो ताखड़ी। (व्यवधान) बेकार की बात कर रहे हो आप। आपको मालूम ही नहीं है कि गाय की पूंछ किधर है और गाय का सींग किधर है यह भी मालूम नहीं है आपको तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आप तो बनिये हो। ये विश्नोई हैं। ये दूध के व्यापारी हैं आपको क्या लेना-देना ? ताखड़ी तोलो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : गाय के कितने थन होते हैं बताओ ? (व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहे माननीय सदस्य, सुनें। विश्नोई साहब को टाइम दिया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एन. डी. डी. बी. की पंचायती यह है कि अन्तरराष्ट्रीय सहायता जो आती है उसको यह देते हैं। इनका खुद का तो एक टका है नहीं और उसके बलबूते पर यह पंचायती करना चाहते हैं। आप मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि अब दूध इतना बढ़ गया। 1985 में आपको मालूम है कि हमारी कैपेसिटी 6 या 7 लाख लीटर थी और हमको दो छोलीडे रखनी पड़ती थी, क्योंकि दूध ज्यादा आता

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

था। बरसात अच्छी होती है तो उस साल गायें गर्भवती रह जाती है नौ महीने बाद में ब्याहती है तो दूध ज्यादा आ जाता है तो इसमें आपके और उनके कौनसे कार्यक्रम हैं? आपने सब बंद कर दिये। आप तो जानते हो जितने भी पशु सुधार के कार्यक्रम थे वह सब आपने बंद कर दिये। मदद इन्होंने काश्तकारों को कुछ दी नहीं और एक ही षडयंत्र है ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसानों की दूध की कीमत पशुपालकों की कम करके यह सब इस डेयरी को चलाना चाहते हैं। उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। समझौता ऐसा करना चाहते हैं कि कीमत कम दें काश्तकार को, घर से कुछ लगे नहीं और यह समझौता हो जाए। क्या फायदा है इनसे? यह पैसे देते हैं, पैसे इनके पास एक कौड़ी नहीं है। यह सब अन्तरराष्ट्रीय मदद आती है तो कुरियन साहब की शक्ल देखकर मदद नहीं देते हैं, भारत सरकार को मदद देते हैं। तो उसमें इनकी क्या है। आप मिसगाइड कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब के मुताबिक हमारा दूध का कलैक्शन बढ़ गया, स्वीकार किया और हमारे जो डेयरी के दूध सहित दूसरे प्रोडक्शंस हैं उनकी सबकी कीमतें बढ़ गयीं, सवायी-ड्योढी हो गयी। उसके बाद में भी यह घाटे में क्यों जा रहा है यह कारण समझ में नहीं आ रहा है जबकि किसानों को आप बहुत कम रेट दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, घाटे में नहीं है यही तो मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पर्याप्त उत्तर दे दिया। आप बिराजें। श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा सवाल है। यह सवाल तो मेरा है ... (व्यवधान) ऐसे कैसे होगा। नहीं नहीं मेरा सवाल है। मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि राजस्थान में जितने भी यंत्र, जितने भी डेयरी संयत्र लगे हुए हैं, आज आवश्यकता इस बात की है कि माडर्नाइजेशन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से सवाल है। श्री जितेन्द्र जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो इस बारे में, उन सयंत्रों के माडर्नाइजेशन के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। मंत्री महोदय आप बिराजें।

खाले बनाने की कार्य पद्धति

117. **डा. जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में पूर्व प्रचलित "लेबर रेट" पर खाले बनाने की पद्धति के स्थान पर "थ्रू रेट" पद्धति लागू की गयी ? यदि हां, तो "थ्रू रेट" पद्धति के द्वारा कार्य करने की स्वीकृति किस स्तर के अधिकारी की अनुशंसा पर, किस अधिकारी द्वारा दी गयी ? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) "थ्रू रेट" पद्धति द्वारा वर्ष 1992-93 से 1994-95 में कौन-कौनसे खेत में कितने कितने खालों का निर्माण कराया गया ?

(3) "थ्रू रेट" पद्धति द्वारा कराये गये कार्यों पर कितनी लागत आयी तथा इस पद्धति पर कार्य करने पर "लेबर रेट" द्वारा आने वाली लागत में कितनी बचत हुई ? संख्या विवरण खाले वार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या "थ्रू रेट" पद्धति द्वारा कार्य कराना अभी भी चालू है ? यदि नहीं, तो इस पद्धति को कब, क्यों बंद किया गया।

राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास (श्री रामप्रताप कासनियां) : (1) जी, हां। आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के स्थाई आदेश संख्या 2 दिनांक 9.9.1993 के द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि भविष्य में समस्त निर्माण कार्य केवल "थ्रू रेट" पद्धति पर ही करवाये जाएगे। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-1)

(2) वर्ष 1992-93 से 1994-95 की अवधि में 90 चकों में खालों का निर्माण "थ्रू रेट" पद्धति द्वारा करवाया गया था। इन 90 चकों की सूची परिशिष्ट- 2 पर संलग्न है।

(3) इन 90 चकों में "थ्रू रेट" पद्धति द्वारा खालों का निर्माण करवाने पर कुल लागत 1,405.95 लाख रुपये आयी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : करोड़ में बता दो।

श्री रामप्रताप कासनियां : 1 करोड़, 405 लाख 95 हजार।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप उत्तर दीजिए पूरा।

श्री रामप्रताप कासनियां : खालेवाइज व्यय का विवरण परिशिष्ट-2 में दर्शाया गया है। यह आकलन करना व्यावहारिक नहीं है कि यदि इन खालों का निर्माण "लबर रेट" पद्धति पर करवाया जाता तो प्रत्येक खाले का कितना व्यय होता।

(4) जैसलमेर जोन में खालों का निर्माण "लेबर रेट" पद्धति द्वारा करवाया जा रहा है जबकि स्टेज प्रथम तथा स्टेज द्वितीय के बीकानेर जोन में अभी भी खालों का निर्माण आंशिक रूप से "थ्रू रेट" पद्धति द्वारा करवाया जा रहा है। माह जुलाई, 1996 के पश्चात् "थ्रू रेट" पद्धति द्वारा निर्मित किये जाने वाले खालों के लिए भी सीमेंट विभाग द्वारा ही ठेकेदारों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(प्रति एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरिसिंह (महुआ) : कितने करोड़ हुए? (व्यवधान) मंत्री जी कितने करोड़ हुए? मुख्य मंत्री जी ने कैसे मंत्री बना दिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता । माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता। कृपया आप व्यवधान न डालें बीच बीच में। बार बार बोल रहे हैं आप लोग सत्ता पक्ष की ओर से। वेरी सोरी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन माननीय मंत्री जी से पूछता हूं। सिर्फ आधा मिनट आपसे सीधा निवेदन करना चाहता हूं। पहले यह काम खाले बनाने का, किसानों को पानी पहुंचाने के लिए लेबर रेट पर होता था। लेबर रेट का मतलब यह होता था कि ठेकेदार के मार्फत मजदूर काम करेंगे और सामान सीमेंट, कोयले की सप्लाई गवर्नमैंट खुद करती थी। बड़ी फैक्ट्रियों से डायरेक्ट सीमेंट आती थी वह ठेकेदार को दे दी जाती थी, जो लेबर का काम करता था। यह कहलाता था लेबर रेट पर।

उसके बाद कमिश्नर साहब ने आर्डर दिये कि थ्रू रेट कर दिया जाए। थ्रू रेट का अभिप्राय था कि सीमेंट, कोयला जो भी खरीदना है वह भी ठेकेदार ही खरीदें। ठेकेदार ही मजदूर ले और वह ही सीधा काम कराए। इसमें गड़बड़ क्यों हुई, क्या हुई मैं आपसे निवेदन करूं फिर मैं तीन-चार सवाल सीधे पूछूंगा उनसे कि लेबर रेट में कमीशन का काम पांच-चार लाख का होता है तो कम कमीशन बना। सीमेंट, कोयला वगैरह खरीद कर पचास लाख का बिल बना तो ठेकेदार का बड़ा बिल बना इसलिए अफसरों का कमीशन ज्यादा बढ़ा। सीधा कम्पनी से यदि आता है माल कोयला और गवर्नमैंट की सप्लाई से गवर्नमैंट को इसमें कुछ मिलता नहीं था। ठेकेदार सस्ता, घटिया माल खरीद कर के कहीं से कमीशन दे देता था। इससे इसके अन्दर यह घपला हुआ है।

दूसरा, इसी में एजी. आफिस ने भी आब्जक्शन किये हैं और कई लाख का घोटाला इसमें हुआ है। हम लोगों ने शिकायतें भी की थी, उनकी जांच भी चल रही है। जांच पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह इसका बैकग्राउंड है। अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी आपने जो लेबर रेट के ऊपर से हटाकर के थ्रू रेट किया तो यह क्यों किया ? कमिश्नर ने जो आर्डर्स किये वह लेबर रेट पर क्यों किये और इसमें हमने पूछा है

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलिये आप, नम्बर-1, अब आगे चलिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, नम्बर-1 कम्पलीट तो कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं-नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा, नये-नये मंत्री बने हैं। प्रश्न नम्बर एक यह है मेरा कि आपने लेबर रेट के बजाय थ्रू रेट क्यों

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

किया और करने से क्या लाभ हुआ ? आपने जो थ्रू रेट किया है, हमने आपसे पूछा है कि थ्रू रेट पर और लेबर रेट में कितना अन्तर रह जाता है ? उसमें पैसे ज्यादा खर्च हुए या कम हुए, इस बात का आपने जवाब यह दिया है कि इसका आकलन करने की आवश्यकता नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। क्यों नहीं है ? एक प्रश्न का पहले जवाब दे दें फिर दूसरा प्रश्न करूंगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन आयुक्त ने यह स्टेट के हित में निर्णय लिया कि लेबर रेट के अन्दर यह जो निर्माण कार्य करवाये जाते थे उनमें अधिकतर राशि जो है वह ईट में, सीमेंट में अन्य निर्माण सामग्री में पैसा ब्लाक हो जाता था। इस कारण से उन्होंने थ्रू रेट पर यह काम करवाने का जो निर्णय लिया इसमें कोई बदनीयती नहीं थी ना कोई कमीशन की बात थी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपके विभाग के अफसरों ने इस पर टिप्पणी की है कि थ्रू रेट पर मत कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले माननीय सदस्य, आप उत्तर सुनें।

श्री रामप्रताप कासनियां : यह बात बिलकुल सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सिस्टम को टुकड़ों में लागू करना चाहिए था। एकदम "थ्रू रेट" पर करने के बजाय अलग अलग डिवीजन वाइज करवाना चाहिए था। क्योंकि थ्रू रेट के अन्दर जैसे उदाहरण के तौर पर जैसलमेर के अन्दर थ्रू रेट पर खाले नहीं बनाये जा सकते, क्योंकि वहां पर ईंट भट्टे नहीं हैं। चाहे कोई प्राइवेट ठेकेदार हो, चाहे सरकार बनाये तो स्वयं के भट्टे लगाकर ही वहां बनाये इसलिए यह थ्रू रेट पद्धति जैसलमेर में कामयाब नहीं हो सकती और थ्रू रेट पद्धति के पीछे जो तत्कालीन आयुक्त का निर्णय था उसके पीछे यह भी सोच थी कि कर्मचारियों की, इंजीनियर्स की अनावश्क रूप से ईट भट्टा निर्माण करने पर भी वहां नियुक्ति होती थी। ईंटों की देखरेख करने के लिये भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी, तो अनावश्यक रूप से कर्मचारियों की जो एक फौज लगती थी उसमें भी कमी करने का उद्देश्य था। महज यह कह देना कि सारा कमीशन के लिये किया है मैं इस बात को सही नहीं मानता। निर्णय करने में चूक हुई है। यह चूक जरूर हुई है कि यह काम टुकड़ों में एक्सपेरिमेंट करके करना चाहिये था।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएं कि अब इनका क्या विचार है ? अब क्या करने जा रहे हैं ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने तो इस घपले के बाद थ्रू रेट को जस्टिफाई कर दिया लेकिन क्या यह सही है कि थ्रू रेट के आदेश कमिश्नर द्वारा किये जाने के बाद विभाग के इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर तक ने इस बात

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

के लिए लिखकर दिया है कि थ्रू रेट नहीं किया जाना चाहिये ? क्या यह सही है कि थ्रू रेट किये जाने से आपके टार्गेट वार्षिक रूप से पूरे नहीं हुए और टार्गेट पूरे नहीं हुए ? क्या यह भी सही है कि किसानों को समय पर पानी नहीं मिला और गवर्नमेंट आफ इंडिया का असिसटेंस भी आपको टाइम पर नहीं मिला ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है ।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, थ्रू रेट पद्धति जब लागू की गयी उस समय विभाग के पास जो सामग्री स्टॉक में पड़ी थी उस सामग्री का उपयोग करने के लिये लेबर रेट पर भी कार्य करवाये गये। पूर्णतः थ्रू रेट पर कार्य नहीं करवाये गये, लेबर रेट पर भी काम हुआ है। क्योंकि जो सामग्री स्टॉक में थी उसका उपयोग करने के लिये लेवर रेट पर भी ...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैंने यह नहीं पूछा है। आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है स्पेसिफिक, मैंने आप जो कह रहे हैं वह नहीं पूछा है। मैंने पूछा है क्या यह सही है कि आपके विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर और कुछ एस. ई. ने वापस यह लिखा कि थ्रू रेट नहीं करना चाहिये ? क्या यह सही है कि इसके कारण से टाइमली आपके खालों का निर्माण नहीं होने के कारण न तो आपको गवर्नमैंट आफ इंडिया का असिसटेंस मिल पाया और न ही किसानों को समय पर पानी मिल पाया ? ईयरली टारगेंट इसके कारण से पूरे नहीं हो सके। ईंटों के भट्टे चालू नहीं किये जा सके, क्या सह सही है ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है ।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना वाजिब नहीं है कि काश्तकारों का नुकसान हुआ। जिस जगह पर यह खाले बन रहे थे, पहले से विभाग ने खाले बनाकर छोड़ दिये। काश्तकार वहीं सैट हुए नहीं, काश्त करने वाला कोई था नहीं...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : क्या यह सही है टार्गेट टाइम पर पूरे नहीं हुए जिसके कारण असिसटेंस भी नहीं मिला और पानी भी नहीं मिला और आपके एडिशनल चीफ इंजीनियरी ने यह कहा भी है कि आप थ्रू रेट मत करिये, इससे टाइमली नहीं हो सकता ? मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं और मुझे स्पेसिफिकली जवाब दिला दीजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तत्कालीन आयुक्त की यह भी सोच थी कि जहां काश्तकार सैट नहीं हैं, जहां काश्त करने वाला नहीं है, खालों का निर्माण करके छोड़ दिया और वह खाले काश्तकार आए नहीं उससे पहले ही टूट कर खुर्द-बुर्द हो गये तो बिना सार संभाल के मकान भी नहीं रह सकता, तो खाले कैसे रह

(25)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सकते हैं। वहां कोई किसान ही देखभाल करने वाला नहीं है और लोस होना यह कहना सही नहीं है। इसमें कोई लोस नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिलती है वह राज्य सरकार पचास प्रतिशत के हिसाब से जितना काम करवाती है उस अनुपात में केन्द्र सरकार पचास प्रतिशत राशि उपलब्ध करवाती है। यह कहना कि इसमें नुकसान हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। आंकड़ों के हिसाब से मैंने अध्ययन किया है कि पंचवर्षीय योजना के हिसाब से दो लाख हैक्टेयर का टार्गेट था उसमें 1.98 लक्ष्य की पूर्ति कर ली गयी है। यह कहना भी उचित नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछ क्या रहा हूं, यह जवाब क्या दे रहे हैं। आप समझ लीजिये फिर उनसे पूछ लीजिये मैंने क्या कहा है ?

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय ..(व्यवधान) एक मिनट, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो आपको इतना ही याद दिलाना चाहता हूं माननीय चन्दन मलजी बैद साहब पूर्व मंत्री रहे हैं और जैसलमेर जिले के देवास से मिट्टी ले जाकर ईंट बनाने की कार्यवाही हुई थी। आप इस सदन में थे, मैं तो बाहर बैठकर सुनता था। देवास का यह सेंड्स स्केंडल, यह स्केंडल बहुत लम्बा चौड़ा हुआ था। यह भी एक एक्सपीरिएंस है और पास्ट एक्सपीरिएंस सूरतगढ़ में जो कोल खरीदा था लाखों का..

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं क्या ? माननीय सदस्य, मंत्री नहीं हैं आप इस विभाग के।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं मंत्री के हिसाब से नहीं, मैं तो एक आपके सहयोगी के हिसाब से कह रहा हूं। (व्यवधान) सुधार करने में प्रयास किया है..(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सैकण्ड सप्लीमेंट्री स्पेसिफिक यह था आप समझ लें। मंत्री महोदय ने जो कहा है उसके बारे में मैंने पूछा है कि इन्होंने थ्रू रेट को जस्टिफाई किया है। मैंने स्पेसिफिक पूछा सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स और एडिशनल चीफ इंजीनियर ने क्या आपको यह लिखा है कि थ्रू रेट पद्धति लागू नहीं करनी चाहिये। थ्रू रेट पद्धति लागू करने से क्या इयरली टार्गेट पूरे नहीं हुए हैं और उससे टाइमली जितना पानी जितने पीरियड को जितना किसानों को पहुंचना चाहिये था, क्या यह नहीं पहुंचा है? सैकण्ड सप्लीमेंट्री यह था।

श्री उपाध्यक्ष : इंटरनल है विभाग के अन्दर किस अधिकारी ने क्या लिखा है यह बताने के लिये मंत्री महोदय बाध्य नहीं हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मेरा अधिकार है। 14 करोड़ की स्कीम का घपला हुआ है। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सुनने के अधिकारी हैं विभाग ने क्या सुझाव दिया है (व्यवधान) सुनने के अधिकारी हैं हम।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इनके अधिकारी कहते हैं कि थ्रू रेट मत करिये और यह कहते हैं थ्रू रेट करेंगे तो सामने आ जाएगी स्थिति जो भी है और फिर सुनिये तीसरा, आखिरी सवाल इसमें और ले लीजिये कि हमने शिकायत की, आडिट ने आब्जेक्शन किये, जांच नहीं हो रही है। यह बता दीजिए सीनियर आई.ए.एस. अफसर के खिलाफ आप जांच किससे करवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं। श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट आ रहा है। दूसरा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट आ रहा है। पांच मिनट का समय है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मेरे अधिकार में तीन सवाल हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकार में तीन सप्लीमेंट्री है।

राज्य के पर्यटन स्थलों का चयन

118. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिये राजस्थान राज्य के गढ़ों को चयनित किया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से गढ़ हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गढ़ों के स्वामियों को कितनी-कितनी राशि सहायता व ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी ? उक्त गढ़ों में गत तीन वर्षों में ठहरे हुए पर्यटकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी , नहीं। अपितु हेरिटेज होटल योजना के तहत राज्य में स्थित पुराने गढ़, किले, हवेलियां जो कि 75 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और यदि उनके मालिक इन्हें हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उन्हें हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर पर्यटकों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

(2) पर्यटन विकास हेतु स्टेट केपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, 1993 एवं डीजल जनरेटिंग सैट क्रय सहायकी मंजूरी विनिमय, 1994 के तहत हेरिटेज होटलों को सब्सिड़ी स्वीकृत करने का प्रावधान है, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है। पर्यटन विभाग में हेरिटेज होटलों को ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है। हेरिटेज होटलों में ठहरे पर्यटकों का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, 14 करोड़ की स्कीम का घपला है। लाखों रुपये इसमें अधिकारी लोग खा गये हैं और मंत्रीजी इसमें क्या कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब जवाब दिलाओ इसका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलाएं। यह मंत्रीजी पहले बहुत बोलते थे अब जवाब दीजिए इसका तब पता लगेगा। अब दो जवाब।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, तीन सप्लीमेंट्री का मेरा अधिकार है और मैं चेयर से न्याय चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। आप बिराज जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते हैं क्या ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे हैं। साइडट्रेक कर रहे हैं मेरे सवाल के जवाब को। मेरे तीन सप्लीमेंट्री मैंने स्पेसिफिक पूछे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : जवाब दिलवाइये साहब इसका।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : 14 करोड़ का मामला है। सीनियर आफिसर्स इनवाल्व हैं।(व्यवधान) आडिट पैरा बन गया है और उसके बाद जांच नहीं हो रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलवाइये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया। अब आप बिराज जाएं। मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया। बिराजें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : राजस्थान की जनता का 14 करोड़ रुपये का हिसाब चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपने हिसाब नहीं दिलाया, मेरे अधिकार का उपयोग करने से आपने मुझे रोका तो राजस्थान की जनता के साथ आपका भी न्याय नहीं होगा। क्लियरकट गबन का मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, क्लियरकट गबन का मामला है। (व्यवधान) सवाल आगे निकल गया लेकिन तीन सप्लीमेंट्री का अधिकार है मेरा।

श्री रामस्वरूप मीणा : गबन का मामला है जवाब दिलाइये। गबन का मामला है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे गबन के मामले में आप प्रोटेक्ट करेंगे। मेरा अधिकार तीन सप्लीमेंट्री का है, वह मैंने पूछा है। मेरे तीन सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं दिलवा सकते आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग देहात के रहने वाले लोग, शहरों के रहने वाले लोग... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हाउस में व्यवस्था...(व्यवधान) मेरा सवाल तो सुन

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

लें साहब (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड क्लासेज के रहने वाले लोग जिनकी झोपड़ी और टूटे-फूटे मकान हैं (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, 14 करोड़ का मामला है। अधिकारी इसमें इनवाल्व हैं (व्यवधान) कहां जाए राजस्थान की जनता ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : उनके लिये कोई योजना तैयार कर दें तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी लेकिन अफसोस की बात है कि इस सरकार ने (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में प्रावधान है.

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नियमों में, उपाध्यक्ष महोदय, तीन सप्लीमेंट्री का अधिकार है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माध्यम से आइये आप। अब आप बिराजें। बनवारीलालजी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नियमों में प्रावधान तीन सप्लीमेंट्री का अधिकार भी है जो आप देना नहीं चाहते। 14 करोड़ के घपले को आप अंधेरे में रखना चाहते हैं। चेयर से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। आधे घंटे की चर्चा का आश्वासन दे दीजिए आप मुझे।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां अनेक समस्याएं राजस्थान में खडी हैं जिनके निदान की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये थी, वह नहीं करके हेरिटेज होटलों की व्यवस्था की है। इसके अन्दर जो जवाब मंत्रीजी ने दिया है उसमें 30 होटलों के नाम लिखे हैं इन्होंने और जो इनसे सब्सिडी ली है वह कुल मिलाकर तीन स्थान हैं खींवसर फोर्ट, बीजापुर, लक्ष्मी विलास। जबकि व्यवस्था यह होनी चाहिये थी यहां पर हमारी पेयजल समस्या का समाधान होता, हमारी सड़कों की समस्या का समाधान होता, हमारी बिजली की समस्या का समाधान होता और अनेक समस्याएं हैं जो सुलझायी जाती। वह नहीं करके इन फोर्टस् की तरफ आपकी निगाह गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी की रहवरी के अन्दर यह सामन्तवाद को पुनर्जीवित करने की एक व्यवस्था थी। अब 30 हेरिटेज होटलें जो बनाये गये हैं उनके अन्दर आप बताइये क्या ऐसे इन्सेंटिव्ज थे जिसकी वजह से यह होटलें खड़ी हुई हैं और जिनके अन्दर काम हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। बिराजें, भाषण नहीं होगा। बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सवाल तो करूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भाटी साहब। बनवारी लालजी, बिराजें आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक मिनट, मेरा सवाल तो सुन लें आप।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको आदेश दिया है आप बिराज जाएं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैं कुछ इन्सेंटिव हैं_

श्री उपाध्यक्ष : आप आदेशों की अवहेलना न करें। भाटी साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने हेरिटेज पालिसी लागू की है और हेरिटेज के तहत आपने खींवसर फोर्ट को एड दे दी। लेकिन जो हेरिटेज डैफिनेशन में आते नहीं हैं उनको आपने रिकाग्निशन कैसे दे दी और उनको एड क्यों मिल रही है ? मतलब आपके हेरिटेज की डैफिनेशन में आने के लिए प्रावधान है कि फलानें-फलानें साल तक की पुरानी बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर उसके नीचे है जैसा कि महारानी बाग है। आपने उसको परमीशन कैसे दे दी_(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अब आप बिराजें मैं जवाब दे देती हूं टाइम पूरा हो जाएगा, आपका भी जवाब अभी दे देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे रहीं हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : यह जो हेरिटेज होटल्स के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, यह बिलकुल गलत है कि एक ही जाति के लोगों को यह मदद की जा रही है। यह अभी आपने जैसा बताया है कि खींवसर (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : और कौन-कौनसी जातियों की मदद की जा रही है ? (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अभी बताते हैं, बताते हैं सब (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सुनें। व्यवधान नहीं बनवारी लालजी।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : यह किसी को ... (व्यवधान) हेरिटेज होटल्स खाली एक टूरिज्म प्रावधान है और हमने हेरिटेज होटल्स की स्कीम बनायी है, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे, उनके रहने के व्यवस्था नहीं करेंगे तो आपके क्षेत्र में टूरिस्ट आएंगे ही नहीं और रहने की व्यवस्था करने के लिए अगर होटलें बनाते हैं तो एक पांच सितारा होटल को ढ़ाई साल लगते हैं। हमारे पास मात्र पांच साल थे प्रूव करने के लिए और यहां पर आप गरीबों का गुणगान गाते हैं कि गरीबी हटाओ लेकिन आप गरीबी हटाना नहीं चाहते। हमने गरीबी हटाने का साधन यह किया है कि हेरिटेज होटल्स सब गांवों में हैं (व्यवधान) और गांवों में रोजगार उपलब्ध करवाया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : गरीबी आ गयी है ......

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : लोगों को इसके माध्यम से (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह ठाकुर डवलपमैंट कॉरपोरेशन बना दिया आपने इसको।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह राजस्थान ठाकुर डवलपमैंट कॉरपोरेशन बना...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : हेरिटेज के नाम पर अनुसूचित जाति...(व्यवधान) चुनाव किया है ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने राजस्थान ठाकुर डवलपमैंट कारपोरेशन बना दिया आरटीडीसी. को...(व्यवधान) सामन्तों को बढ़ावा दे दिया। राजस्थान में एक जाति के सामन्तों को बढ़ावा दे दिया...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने किलों को बन्द करवाया है किलों को...(व्यवधान) किले ठीक कराते...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आर. टी. डी. सी. का मतलब है - राजस्थान ठाकुर डवलपमैंट कारपोरेशन... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पीने के लिये पानी नहीं है और लाइट नहीं है, चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है...(व्यवधान) और यह हेरिटेज की व्यवस्था कर रहे हैं। हेरिटेज होटलों में गरीब बैठते हैं उनको...(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : गाने बजाने वालों को ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान ठाकुर डवलपमैंट कारपोरेशन बना दिया आपने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराज जायें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : गांवों में हेरिटेज होटलों के होने से रोजगार के साधन बने हैं लोगों के ...।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके पास भी गरीबी आ गयी ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : रोजगार मिला है इससे ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान ठाकुर डवलपमैंट कॉरपोरेशन ...(व्यवधान) सामंतों...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने एड दिलवा दी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती कमला : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्रीमती कमला : XXX

श्रीमती बीना काक : XXX

श्रीमती कमला : XXX

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। माननीय सदस्य आसन पैरों पर।

श्रीमती कमला : (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, शैलेन्द्र जी, कृपया विराज जाएं।

श्रीमती बीना काक : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि ...

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री नरपत सिंह राजवी : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। मेरी व्यवस्था सुनिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : भाटी साहब, आसन पैरों पर है। आप बिराजें। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट - 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा विभाग से कार्य का विकेन्द्रीकरण

115. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर से मान्यता प्राप्त ग्रान्ट इन एड तथा व्याख्याताओं की नियुक्ति और स्थानान्तरण के कार्य उप निदेशक, शिक्षा को विभिन्न सम्भागों में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस महत्वपूर्ण निर्णय हेतु महामहिम राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री की स्वीकृति ली गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि देशी रियासतों के एकीकरण के समय बीकानेर में उक्त शिक्षा निदेशालय रखने का निर्णय किया गया था ?

(3) क्या राज्य में अन्य निदेशालयों में भी अधिकारों का ऐसा विकेन्द्रीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार कर इस निर्णय को कब तक वापस लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त आदेश राज्य सरकार के स्थाई आदेशों के अनुसार सक्षम प्रशासनिक अनुमोदन के बाद ही जारी किये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) प्रत्येक विभाग/निदेशालय अपने आकार, कार्यभार, प्रशासनिक व्यवस्थाओं आदि को दृष्टिगत रखकर शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के आदेश पृथक से जारी करने के लिये अधिकृत है। इस विषय में शिक्षा विभाग के परिस्थितियों की तुलना अन्य विभाग से नहीं की जा सकती। विकेन्द्रीकरण के सुविचारित निर्णय जनहित में लिये गये हैं एवं इन्हें वापस लेने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला करौली में सैनिक, कल्याण कार्यालय का सृजन

148. **श्री हंसराम गुर्जर** (करौली) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला करौली में सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुसार 7500 पूर्व सैनिक समुदाय की जनसंख्या से ऊपर ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने का प्रावधान है जबकि करौली में निर्धारित संख्या में पूर्व सैनिक नहीं है।

राज्य अन्वेषण ब्यूरो में लंबित प्रकरण

149. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो के पास काफी प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौन कौनसे ? मामले दर्ज होने की तारीख एवं नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ प्रकरण ऐसे भी है, जिनकी जांच पूर्ण कर चालान की स्वीकृति के लिये राज्य सरकार को भिजवा दिया गया और वह सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौन-कौन से प्रकरण कब-कब भेजे गये ? मुकदमों के नम्बरों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 1997 से अब तक कौन-कौन से मामलों का अदालतों में चालान पेश किया गया ? इनमें कौन-कौन मुल्जिम हैं तथा उनका क्या-क्या अपराध है और कौन-कौन से न्यायालय में कब चालान पेश किये गये ?

(4) क्या सरकार चालान की स्वीकृति में इतनी देरी को उचित मानती है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो शीघ्र स्वीकृति देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां वांछित विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) दिनांक 1.1.97 से अब तक 151 मामलों के चालान अदालतों में पेश किये गये हैं। इन मामलों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। प्रकरण का अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध

(मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो))

आरोप प्रमाणित पाये जाने पर राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों को दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं जिन पर राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा अनुसंधान अधिकारी को पत्रावली सहित बुलाकर अनुसंधान के समय लिये गये मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण/अवलोकन किया जाता है। तदोपरान्त ही प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा अभियोजन स्वीकृति देने या नहीं देने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। फिर भी समय-समय पर अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारीगण को जल्दी स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला भीलवाड़ा के पटवार सर्कलों का पुनर्गठन

150. **श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार पटवार सर्कलों का भी पुनर्गठन किया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या भीलवाड़ा जिले सहित राज्य में पंचायत पुनर्गठन के बाद से ही एक पंचायत के गांवों को चार-चार, पांच-पांच पटवार सर्कलों में बांट रखा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक पंचायत के अनुसार पटवार मंडलों की व्यवस्था कर देगी ?

(3) क्या भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने उक्तानुसार पटवार मंडलों (सर्कलों) के पुनर्गठन हेतु राजस्व मण्डल को प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसरण में पटवार सर्कलों का भी पुनर्गठन किया गया है, परन्तु प्रशासनिक सुधार समिति भनोत कमेटी की सिफारिश संख्या 2:8 व 2:9 के अनुसरण में पटवार मण्डलों का पुनर्गठन किया जा रहा है। सन् 2000 तक 700 नये पटवार वृत्तों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी, नहीं। भनोत कमेटी की सिफारिश के अनुसार नये पटवार सर्कलों के सृजन के कारण पटवार मण्डलों के पुनर्गठन के प्रस्तावों में यह ध्यान रखा गया है कि जहां तक संभव हो पंचायत एवं पटवार मण्डल सह-सीमान्त हो। जिला कलक्टरों से इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव मंगवाये गये जिसके फलस्वरूप पटवार

(राजस्व मंत्री)

पुनर्गठन के प्रस्तावों में एक पंचायत में एक से अधिक पटवार मण्डल सृजित किये गये हैं या एक पटवार मण्डल में एक से अधिक पंचायतों को सम्मिलित किया गया है, जिसके कारण पूरी की पूरी पंचायत या पटवार मण्डल सह-सीमान्त रहे।

(3) जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने भनोत कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उनके पत्र क्रमांक 64900-11 दिनांक 1.2.97 के द्वारा पटवार मण्डल के पुनर्गठन के प्रस्ताव मण्डल को भिजवाये गये। राज्य सरकार ने जिला कलक्टर के प्रस्तावानुसार मण्डल की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए क्रमांक : प. 9 (28) राज/ग्रुप-1/97 दिनांक 22.5.97 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है।

ठिकाना छत्तरगढ़ (बीकानेर) की भूदान-भूमि की मिल्कियत

151. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि भूदान में दी गई कृषि भूमि 1,42,393 बीघा छत्तरगढ़ ठिकाने की थी व ठिकानेदानर की खुदकाश्त भूमि नहीं थी ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि जागीरी उन्मूलन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार की मिल्कियत हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त भूमि को दान में देने का अधिकार ठिकानेदार को कैसे हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थिति पर पुनः विचार करेगी ताकि महाजन रेंज विस्थापितों के लिये भूमि उपलब्धि के मार्ग सुगम हो सकें ?

उत्तर

जी, हां। ग्राम छत्तरगढ़ की 1,41,587.12 बीघा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार ठिकाना छत्तरगढ़ की थी तथा यह भूमि ठिकानेदार की खुदकाश्त नहीं थी बल्कि ग्राम छत्तरगढ़ मिसल बन्दोबस्त संवत् 2009 के अनुसार कैप्टन महाराजा अमरसिंह जी मौसूफ के खाते में 1,41,587.12 बीघा आराजी मकबूजा मजरूर भूमि दर्ज थी। महाराजा अमरसिंह जी ने बहैसियत जागीरदार छत्तरगढ़ की उक्त भूमि राजस्थान भू-दान यज्ञ बोर्ड को दान में देने हेतु दिनांक 19.8.53 को दान पत्र पर हस्ताक्षर किये। चूंकि ठिकाना छत्तरगढ़ दिनांक 1.7.1954 से खालसा किया गया था। अतः जागीर खालसा से पूर्व ठिकानेदार को तथाकथित जागीर भूमि में से दान देने के अधिकार थे। यह भूमि वर्तमान में भी भू-दान बोर्ड के नाम अंकित है तथा भूमि की व्यवस्था भू-दान बोर्ड द्वारा की जा रही है।

सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) में नवीन तहसील का सृजन

152 श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि सीमलवाड़ा तहसील में 60 पंचायतें होने के कारण बहुत बड़ी तहसील बन गयी है ? क्या उसका विभाजन कर एक और नई तहसील बनाये जाने के अभ्यावेदन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान तहसील सीमलवाड़ा का विभाजन कर नई तहसील स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण विचार किया जाना संभव नहीं है।

जिला करौली में नवीन ए. सी. एम. कोर्ट का सृजन

153. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार जिला करौली की तहसील टोडाभीम एवं नादौती में नई तहसीलें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक ?

(2) क्या सरकार टोडाभीम क्षेत्र के नादौती तहसील मुख्यालय पर ए. सी. एम. कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील टोडाभीम व नादौती में नई तहसील स्थापित करने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सहायक कलक्टर, सपोटरा कैम्प करौली का तहसील नादौती मुख्यालय पर सप्ताह में प्रत्येक शुक्रवार को कैम्प कोर्ट रखे जाने हेतु आदेश दिनांक 5.5.98 को जारी किया है।

श्रीमाधोपुर (सीकर) का सीमाज्ञान प्रकरण

154. डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

गत पांच वर्षों में तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में किस-किस स्तर से कितने प्रकरणों में सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश किस-किस कर्मचारी को दिये गये एवं उन आदेशों की पालना कब-कब की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत पांच वर्षों में तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में भिन्न-भिन्न स्तरों से 738 प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराने के

(राजस्व मंत्री)

प्राप्त हुए। इन सभी प्रार्थना पत्रों पर सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराने के आदेश सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षकों को दिये गये। संलग्न सूची में गिरदावर क्षेत्रवार प्रार्थना-पत्रों का ब्यौरा एवं पालना करने की तिथियां अंकित हैं। कुल 197 प्रार्थना-पत्रों में पालना की गई है। शेष रहे प्रार्थना पत्रों पर पालना कर रिपोर्ट पेश करने हेतु सम्बन्धित गिरदावरों को लिखा जा रहा है तथा पालना न कराने के बारे में उनका स्पष्टीकरण भी लेने के निर्देश कलक्टर एवं सम्बन्धित तहसीलदार को दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महलां (दूदू) में आबंटित भूमि का अवैध बेचान

155. **श्री बाबूलाल (दूदू)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम महलां (दूदू) में मैसर्स सुपर स्पन इण्डिया लि. को उद्योग लगाने हेतु भूमि आबंटित की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी कब, किसके द्वारा एवं किस दर पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्योग द्वारा विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत कर भूमि को सस्ती दर पर क्रय की गयी थी ? क्या जिसकी पुष्टि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से हुई है ? उक्त प्रकरण में राजकोष को कितनी हानि हुई ? विवरण मय तहसीलदार की रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग द्वारा अवैध रूप से प्राप्त की गई भूमि को किसी अन्य फर्म/व्यक्ति के नाम से नियम विरुद्ध स्थानान्तरित भी किया गया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि, किस तिथि को एवं किसके आदेश/नियम के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरण में राजकोष को हुई हानि के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों एवं उक्त उद्यमी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम महलां (दूदू) में मैसर्स सुपर स्पन इण्डिया लि. को उद्योग लगाने हेतु 105 बीघा भूमि उद्योग (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प. 4 (8) उद्योग/1/94 दि. 20.6.94 द्वारा की गयी है तथा जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश क्रमांक आर-18बी (21) 93/आई/6105 दिनांक 1.7.94 द्वारा रुपये 20,000/- प्रति बीघा की दर से भूमि की कीमत निर्धारित की गई थी। कम्पनी द्वारा समय पर भूमि को देय

(राजस्व मंत्री)

कीमत जमा नहीं करवाये जाने पर उद्योग विभाग की सहमति से उक्त राशि में 15 प्रतिशत राशि बढ़ाकर भूमि की कीमत कम्पनी से वसूली की गयी है।

(2) जी नहीं। भूमि की कीमत के बारे में तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट दिनांक 20.1.94 के अनुसार भूमि की कीमत रुपये 20,000/- प्रति बीघा बतायी गयी थी तथा पुनः तहसीलदार दूदू द्वारा दिनांक 16.2.96 को प्रेषित रिपोर्ट में भूमि की कीमत रुपये 38,000/- से 50,000/- प्रति बीघा बताने से भूमि की कीमत का मामला जांच का विषय हो गया है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर जांच करवा ली गयी है। फिर भी राज्य स्तर पर मामले का परीक्षण किया जा रहा है। तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट दिनांक 20.1.94 तथा 16.2.96 की फोटोप्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, नहीं।

(4) भूमि की कीमत कम अथवा सही लिये जाने से राजकोष को हानि हुई अथवा नहीं के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर परीक्षण/जांच की जा रही है। जांच के परिणाम अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव होगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम जहांगीरपुर के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

156. **श्री हंसराम गुर्जर (करौली) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ग्राम जहांगीरपुर की ढाणी रत्तीपुरा, खूबपुरा को राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जिला सीकर में देवस्थान विभाग की भूमि का विक्रय

157. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सीकर जिले में किन-किन मंदिरों के अधीन किस-किस किस्म की कितनी भूमि है ? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुजारियों (सेवायतों) द्वारा किन-किन मंदिरों के अधीन कितनी-कितनी भूमि को बेच कर या खुर्द-बुर्द किया गया है ? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम सीहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर के मन्दिर श्री सीतारामजी के अधीन कितनी भूमि किस किस्म की कब से है ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम सीहोड़ी में मंदिर श्री सीतारामजी की भूमि को सेवायत (पुजारी) द्वारा बेचा गया है ? यदि

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

हां, तो कब, कितनी भूमि एवं किसे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में कुल मंदिर 1338 हैं जिनकी कुल भूमि 8109.43 हैक्टेयर है जिसमें से चाही भूमि 1496.45 हैक्टेयर बारानी 6405.72 हैक्टेयर, गेमु. 207.26 हैक्टेयर है। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" पर हैं।

(2) पुजारियों द्वारा कुल मंदिर 175 की 1311.72 हैक्टेयर भूमि को बेचकर खुर्द-बुर्द किया गया है जिनका विवरण विधान सभा क्षेत्रवार परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम सिहोड़ी के मंदिर श्री सीतारामजी के नाम संवत् 2019 की जमाबन्दी के अनुसार 335 बीघा 12 बिस्वा याने 84.88 हैक्टेयर भूमि अधिकार जागीरदार की हैसियत से दर्ज थी जिसमें से 88 बीघा 10 बिस्वा (22.40) हैक्टेयर भूमि मंदिर की खुदकाश्त में थी। वर्तमान में मंदिर श्री सीताराम जी के नाम खुदकाश्त में 30.97 है. भूमि है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) पुजारी ने मंदिर श्री सीताराम जी ग्राम सिहोड़ी के गत खसरा नम्बर 1,2,3,6,7 रकबा 32 बीघा बारानी दोयम को द्वारका प्रसाद, बोदूराम, मालीराम, रामावतार पिसरान ओंकारमल निवासी ढाबावाली हिस्सा बराबर व खसरा नम्बर 583 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 584 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा बारानी भूमि को मोहरा लाल पुत्र नून्दाराम ब्राह्मण को विक्रय किया था उक्त दोनों प्रकरणों का रेफरेंस किया गया जो स्वीकार होने पर भूमि मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज हो चुका है।

(5) मंदिर श्री सीताराम जी की भूमि से सम्बन्धित कोई शिकायत विभाग में प्राप्त होना नहीं पायी जाती।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले के वन-विकास कार्य

158. **श्री बनवारी लाल (निवाई) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों से सरकार वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार

(39)

(श्री बनवारी लाल)

वनों के विकास पर धन खर्च कर रही है ? यदि हां, तो कौनसी योजना पर ?

(3) गत तीन वर्षों में टौंक जिले में किस-किस योजना के अन्तर्गत क्या क्या कार्य कितनी राशि से करवाये हैं विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वनों का संरक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से गत वर्षों में राज्य सरकार ने जन भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयत्नों के अन्तर्गत 2210 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया है। वन अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु सघन वन क्षेत्रों में वनकर्मियों को वायरलैस सैट तथा अस्त्र उपलब्ध कराये हैं। इनके अतिरिक्त विभाग में 18 उडनदस्तों का गठन कर वनों की सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं।

(2) राज्य में वन विकास हेतु संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण (परिशिष्ट-क) संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में टौंक जिले में विभाग द्वारा विभिन्न वन विकास योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये कार्य एवं उन पर हुए व्यय का विवरण (परिशिष्ट-ख) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

जिलिया (मकराना) में बांध निर्माण प्रकरण

159. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम जिलाया में भू-संरक्षण विभाग द्वारा बांध का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो कब और उक्त बांध पर कितनी राशि व्यय की गयी।

(2) क्या यह सही है कि बांध निर्माण में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सामग्री काम में न ली जाकर घटिया सामग्री काम में ली गयी जिसके कारण बांध उसी बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया था ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन कर्मी जिम्मेदार है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध को दुबारा बनाया गया था, जो पहले से काफी नीचे रह गया है जिससे ग्राम को खतरा पैदा हो गया है ?

(4) क्या सरकार उक्त निर्माण की जांच करवाकर पुनः बांध को सही स्थान पर बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम जिलिया में जलग्रहण क्षेत्र में निम्न दो बांध (एनीकट) का निर्माण करवाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं : -

(6)

(कृषि मंत्री)

	निर्माण वर्ष	व्यय राशि रु. लाख
1. जिलिया जलग्रहण क्षेत्र के झीलिया ग्राम क्षेत्र में अवधि गांव से एक किलोमीटर पूर्व में एनीकट का निर्माण	1995-96 1996-97	4.11
2. जिलिया जलग्रहण क्षेत्र के काकोट ग्राम के नाले पर एनीकट का निर्माण	1995-96	रु. लाख 4.96

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) एनीकट सही स्थान पर बना हुआ है इसलिए पुनः निर्माण एवं जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

कुचामन सिटी के प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य

160. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या कृषि मंत्री यह बनाते की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति कुचामनसिटी की गत दो वर्षों की आय/व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कृषि मण्डी समिति द्वारा सड़क के कितने प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं और स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण है? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से सम्पर्क सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो मण्डी समिति को आय में से कितनी प्रतिशत राशि उक्त सड़कों पर खर्च करने का विचार है विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 व 1997-98 की आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	आय	व्यय (राशि लाख रु. में)			
		संस्थापन	निर्माण	अन्य	योग
1996-97	90.39	28.41	16.37	17.77	62.55
1997-98	83.35	25.12	55.97	19.18	100.27

(2) प्राप्त सड़कों के प्रस्तावों/कार्यवाही का विवरण

क्र. सं. नाम वर्ष	सड़क का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति नहीं होने के कारण
1. 1996-97	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	–	–
2. 1997-98	1. पाचंवा से इन्डोली	11.6.98	–
	2. बेसरोली सम्पर्क सड़क	–	मण्डी समिति से प्राथमिकता प्लान की सूचना चाही गई है।

(कृषि मंत्री)

(3) जी, हां। किसानों को अधिक सुविधाएं दिये जाने की दृष्टि से मण्डी समितियां अपनी आय में से सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराती है। राज्य सरकार की नीति दिनांक 11.3.96 के अनुसार मण्डी समिति की कुल आय में से संस्थापन एवं अन्य अपरिहार्य व्यय को घटाने के पश्चात शेष रही राशि का 60 प्रतिशत भाग सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त नीति अनुसार मण्डी समिति कुचामनसिटी के पास वर्ष 1998-99 में कुल आय में से संस्थापन एवं अन्य अपरिहार्य व्यय घटाने के पश्चात 66.13 लाख रुपये की अनुमानित बचत राशि शेष रहती है जिसके 60 प्रतिशत अर्थात 39.68 लाख की राशि सम्पर्क सड़क के निर्माण पर व्यय की जा सकती है।

करौली में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय का सृजन

161. **श्री हंसराम गुर्जर (करौली)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

क्या सरकार जिला करौली में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। विधान सभा में पूर्ण बजट पारित होने के उपरान्त पद सृजित होंगे। इसके पश्चात् की कार्यालय खोलने सम्बन्धी कार्यवाही सम्भव होगी।

सचिव, कृषि उपज मण्डी पावटा के विरुद्ध जांच प्रकरण

162. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि पावटा मण्डी के गेट नं. 1 व 2 के बाहर की सरकारी जमीन मण्डी सचिव ने बेच दी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डी सचिव ने अपने दामाद के नाम उक्त क्षेत्र में दो दुकानें भी आबंटित करा ली है ?

(3) क्या यह सही है कि पावटा फल मण्डी में कोल्ड स्टोरेज के लिए किसी व्यक्ति को एक भू-खण्ड दिया गया है ? यदि हां, तो भू-खण्ड कितना बड़ा, किस दर से कितनी राशि का दिया गया ?

(4) क्या इस भू-खण्ड पर कोल्ड स्टोरेज बना दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों व कितने समय में यह कार्य पूरा किया जाना था ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। पावटा गौण मण्डी प्रांगण में कोल्ड स्टोरेज हेतु कोई भू-खण्ड आबंटन नहीं किया गया है ।

(कृषि मंत्री)

(4) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला रोजगार कार्यालय श्री गंगानगर में पंजीकृत बेरोजगार

163. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्री गंगानगर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) वर्ष 1996 से जून, 1998 तक जिला रोजगार कार्यालय श्री गंगानगर में कितने बेरोजगारों के नाम पंजीकृत किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या वर्तमान में सरकार द्वारा जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्तियां करने का विचार किया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 (जनवरी) से 1998 (जून) तक जिला रोजगार कार्यालय श्री गंगानगर द्वारा 12327 बेराजगार आशार्थियों के नाम पंजीकृत किये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार है : -

	1996	1997	1998 (जून)
सैकण्डरी से कम	1972	916	1116
सैकण्डरी/सी. मा.	1241	1657	446
हायर / सैकण्डरी	1049	1173	344
स्नातक	1034	1125	185
अधिस्नातक	26	36	7
योग	5322	4907	2098 = 12327

(2) उक्त अवधि में रोजगार कार्यालय के माध्यम से 836 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है : -

	1996	1997	1998 (जून)
सैकण्डरी से कम	45	113	34
सैकण्डरी	14	67	75
हायर/सैकण्डरी	18	52	42
स्नातक	228	140	6
अधिस्नातक	1	1	-
योग	306	373	157 = 836

(3) राज्य सरकारने आज्ञा क्रमांक प.9(2) श्रनि/90 दिनांक 1.9.93 द्वारा समस्त राजकीय कार्यालयों, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र व अर्द्ध शासकीय संस्थानों में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु रोजगार कार्यालय से सम्प्रेषित सुची प्राप्त कर चयन करने का प्रावधान कर रखा है ।

जिला भीलवाड़ा के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

164. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

सरकार भीलवाड़ा जिले के किन-किन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार प्रतिवर्ष अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मापदण्ड के तहत गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नति करती है। भीलवाड़ा जिले के विद्यालयों के इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रस्तावों पर भी अन्य प्रस्तावों के साथ उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत, निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने हेतु गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जायेगा।

जिला झुंझुनूं में साक्षरता कार्यक्रम का मूल्यांकन

165. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या झुंझुनूं जिले में चलाये गये सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का कभी मूल्यांकन हुआ है ? यदि हां, तो कब तक कमेटी के कौन-कौन सदस्य थे ?

(2) मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत साक्षर पाये गये और जिले के कुल कितने व्यक्ति इस कार्यक्रम के परिणामवरूप साक्षर हुये ?

(3) उक्त कार्यक्रम पर मार्च, 1998 तक कुल कितनी राशि खर्च की गयी और प्रति साक्षर व्यक्ति कितना रुपया खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) जी, हां। बाह्य मूल्यांकन हुआ है। यह मूल्यांकन दिनांक 25.7.97 से 8.8.97 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा नियुक्त संस्था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा किया गया। मूल्यांकन दल के निम्न सदस्य थे : -

1 डा अंजलि गांधी-संयोजक 2 मनोज झां 3 नीलम सुखरमानी 4 मोहम्मद नदीम 5 राजबाला सागर 6 किशन गोस्वामी 7 सुमन शेखावत 8 अकील अहमद 9 राजेश सक्सैना 10 करणीसिंह 11 मीनाक्षी शर्मा 12 मनीला शर्मा 13 वन्दना कुलश्रेष्ठ 14 सुनीता जैन 15 फूल सिंह यादव 16 विक्रम यादव 17 विपिन नोटियाल 18 नगेन्द्र सिंह 19 मोहम्मद युनूस 20 रविन्द्र सिंह।

(2) मूल्यांकन के फलस्वरूप सर्वेक्षित निरक्षरों में से 36.7 प्रतिशत व्यक्ति साक्षरता के मानदण्डों के अनुसार सफल पाये गये। मई 1998 तक 1,44,337 व्यक्तियों ने तृतीय प्राइमर, 1,58,944 व्यक्तियों ने द्वितीय प्राइार एवं 1,72,074 व्यक्तियों ने प्रथम प्राईमर पूरी की है ।

(*शिक्षा मंत्री)

(3) इस कार्यक्रम पर मार्च 98 तक कुल व्यय 1,09,64,159/- रु. हुआ है। प्रति साक्षर 76.24 रु. व्यय हुआ। तृतीय प्राइमर पूर्ण करने वाले व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कई ऐसे व्यक्ति भी नवसाक्षर की योग्यता अर्जित कर लेते हैं जिन्होंने केवल दूसरी प्रवेशिका ही पूर्ण की है।

राजकीय बालिका विद्यालय अजमेर शहर में अध्यापकों का पदस्थापन

166. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994 से दिसम्बर, 1997 तक राजकीय बालिका विद्यालय अजमेर शहर में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापिकाओं के कुल कितने पद स्वीकृत थे? उनमें से कितनी अध्यापिकाएं कार्यरत थीं, कितनी अध्यापिकाओं का अजमेर शहर में और कितनी का शहर के बाहर स्थानान्तरण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिशेष पदों (पद के अभाव में) पर भी स्थानान्तरण किये गये ? यदि हां, तो अधिशेष पदों की अध्यापिकाओं के वेतन की व्यवस्था किस प्रकार की गई ?

(3) क्या अधिशेष पदों पर पदस्थापित अध्यापिकाओं को मकान किराया भत्ता शहर के मानदण्डानुसार दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किसको और क्यों, इसमें कौन अधिकारी दोषी है और सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 से दिसम्बर 1997 तक अजमेर शहर में स्वीकृत पद व इसके विरूद्ध कार्यरत शिक्षक, अजमेर शहर में एवं अजमेर शहर से बाहर स्थानान्तरित शिक्षकों सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। अधिशेष पदों पर पदस्थापित अध्यापिकाओं की वेतन व्यवस्था पदस्थापित स्थान से ही की गयी।

(3) जी, हां। इस समस्त प्रकरण की जांच उप निदेशक (माध्यमिक) अजमेर द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

विधान सभा क्षेत्र मकराना में शिक्षा कर्मी योजना प्रकरण

167. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में अब तक कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को बन्द कर शिक्षा कर्मी योजना के तहत चालू किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शिक्षाकर्मी योजना में प्राथमिक विद्यालयों को चयन करने की प्रक्रिया क्या है तथा इसमें शिक्षकों की योग्यता क्या है, इन्हें कितना वेतन दिया जाता है एवं चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपाराम)

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कुचामन सिटी के प्राथमिक विद्यालय केरपुरा में प्राथमिक विद्यालय को बन्द कर शिक्षाकर्मी योजना में चालू किया था ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त शाला का न्यायालय में वाद प्रस्तुत हुआ और न्यायालय में उक्त वाद को खारिज कर दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या उक्त शाला में पंचायती राज का अध्यापक लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? न्यायालय के फैसले की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के निम्नांकित तीन प्राथमिक विद्यालयों को बन्द नहीं किया जाकर उन्हें शिक्षाकर्मी योजना में अधिग्रहण किया गया है।

क्र.सं.	**पंचायत समिति**	**प्राथमिक वि. का नाम**
1	कुचामन सिटी	रूपपुरा
2	कुचामन सिटी	केरपुरा (रसाल)
3	कुचामन सिटी	पालड़ी (मण्डावरा)

(2) पंचायत समिति से समस्याग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर चयन प्रक्रिया की जाती है। प्रायः निम्नांकित को समस्याग्रस्त विद्यालय की श्रेणी में लिया जाता है :–

1- दूरस्थ क्षेत्र के ऐसे विद्यालय जहां पर विद्यालय नियमित समय पर नहीं खुलते हो,

2- विद्यालय में बालक-बालिकाओं की उपस्थिति, ठहराव एवं शैक्षिक स्तर कम हो,

3- बालिकाओं का नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव नाममात्र ही हो,

4- ग्रामवासी इस परियोजना को स्वीकारते हों,

5- पंचायत समिति ऐसे विद्यालयों को योजना के अन्तर्गत देने को तैयार हो, चयन हेतु तिथियों का निर्धारण कर पंचायत समिति को सूचित किया जाता है, पंचायत समिति के द्वारा संबंधित ग्रामों में चयन कार्यक्रम की सूचना भिजवायी जाती है, जिससे सभी पढ़े लिखे युवक/नवयुवतियां (बहुएं) चयन के दिन उपस्थिति रह सकें। चयन दल में निम्नांकित सदस्य होते हैं :–

1 प्रधान या उसके द्वारा मनोनीत जन-प्रतिनिधि।

2 विकास अधिकारी या उसका प्रतिनिधि।

3 शिक्षाकर्मी बोर्ड/संदर्भ इकाई कार्यालय के प्रतिनिधि।

4 महिला प्रतिनिधि (यदि उक्त सदस्यों में कोई महिला न हो तो)

5 शिक्षाकर्मी परियोजनान्तर्गत उसी पंचायत समिति से जुड़ी हुई स्वैच्छिक संस्था का प्रतिनिधि (यदि हो)

चयन दल द्वारा प्राथमिक विद्यालय समस्याग्रस्त होने की सार्थकता की जानकारी की जाती है तथा ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी जाती है।

शिक्षाकर्मी परियोजना में शिक्षकों का

(शिक्षा मंत्री)

चयन नहीं किया जाता है, वरन् विद्यालय परिक्षेत्र के पढ़े लिखे नवयुवक/नवयुवतियां (बहुएं) का चयन शिक्षाकर्मी के रूप में किया जाता है। उसके चयन के आधार निम्नलिखित है : –

1 - न्यूनतम योग्यता

(अ) पुरुष आशार्थी कक्षा-8 उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ब) महिला आशार्थी कक्षा-5 उत्तीर्ण होनी चाहिए।

2- विद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाला हो।

3- इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षमताएं देखी जाती हैं : –

(अ) मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति।

(ब) गणित, भाषा व पर्यावरण विषय का बुनियादी ज्ञान।

(स) गांव गांव में उसकी प्रतिष्ठा।

(द) परियोजना की दृष्टि से उसका व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण।

(य) स्वेच्छा से समाज में कार्य करने का उत्तरदायित्व को स्वीकार कर सम्पन्न करने की क्षमता।

(र) गांव वालों का उसके प्रति विश्वास।

इसके लिए निश्चित प्रक्रिया बनी हुई है। परियोजना में चयनित शिक्षाकर्मी को स्वैच्छिक सेवा कार्य स्वीकृति दिए जाने के पश्चात 1800 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। जिसमें वह दिवस में विद्यालय में कार्य करता है तथा सांय/रात्रि को पढ़ने वालों की सुविधानुसार 2 घण्टे की प्रहर पाठशाला चलाता है।

(3) जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय केरपुरा (रसाल) को बन्द नहीं किया गया। वरन् उसे शिक्षाकर्मी परियोजना में अधिग्रहण किया गया था। केरपुरा में शिक्षाकर्मी परियोजना दिनांक 15.02.97 से प्रारम्भ की गई थी।

(4) जी हां। शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय केरपुरा को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन हेतु शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा पत्र क्रमांक शिकबा/जय/ फा-कुचामन/ 97/7889-94 दिनांक 20.04.98 जारी किया गया। इसके विरुद्ध शिक्षाकर्मी विद्यालय केरपुरा (रसाल) के शिक्षाकर्मियों ने न्यायालय सिविल जज (क,ख) कुचामन सिटी में वाद दायर कर दिया। न्यायालय प्रकरण में स्टे हो जाने के कारण विकास अधिकारी द्वारा उक्त शिक्षाकर्मी विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय में नहीं बदला जा सका।

सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, कुचामन सिटी के द्वारा दिनांक 18.05.98 को उक्त वाद को अस्वीकार कर दिया गया।

(5) जी, नहीं। न्यायालय के निर्णयानुसार पुनः विकास अधिकारी कुचामन को आदेश की पालना हेतु लिखा किन्तु इसी दौरान सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिंस्ट्रेट प्रथम वर्ग, कुचामन सिटी के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थिगणों के द्वारा अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश परबतसर में अपील की गई है। अब माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

कामां (भरतपुर) क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

168. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री तैयब हुसैन)

भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र के किस-किस प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों को सरकार क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? अब तक कौन-कौन से विद्यालय क्रमोन्नत कर दिये गये हैं ?

उत्तर

राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मापदण्ड एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करती है। इस वित्तीय वर्ष में भी प्राप्त प्रस्तावों पर तथा भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र के विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्तावों पर भी उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने हेतु गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा। भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में संचालित सभी श्रेणी के विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट - 4 देखें)

श्रीमाधोपुर (सीकर) में ए.डी.जे. न्यायालय का सृजन

169. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) प्रदेश में किस-किस स्तर के नये न्यायालय कहां-कहां खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में कहां-कहां पर कौन-कौन से न्यायालय नये खोलने के प्रस्ताव किस-किस स्तर से सरकार को प्राप्त हुये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर (सीकर) में नया ए.डी.जे. न्यायालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(4) क्या सरकार श्रीमाधोपुर (सीकर) में नया ए.डी.जे. न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रदेश में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोले जाने वाले स्थानों की सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर है।

(2) सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर है।

(3) जी हां। दिनांक 31-12-94 से राज्य सरकार के पास श्रीमाधोपुर जिला सीकर में ए.डी.जे. न्यायालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) जी, नहीं। श्रीमाधोपुर क्षेत्र के प्रकरणों की संख्या अल्प होने के कारण वहां नया ए.डी.जे. न्यायालय खोलना अभी सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या - 170

(स्थगित)

माही नहर सागवाड़ा का निर्माण प्रकरण

171. **श्री भीखाभाई** (सागवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माही नहर, सागवाड़ा के निर्माण पर वर्ष 1993 से जून, 1998 तक कितनी राशि व्यय हुई है ? वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस नहर परियोजना का राजस्थान योजना विभाग एवं योजना आयोग भारत सरकार से अनुमोदन नहीं करवाया गया है ? यदि हां तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ?

(3) वर्ष 1993 से जून, 1998 तक लोडीसर बांध (डूंगरपुर) मारगिया महुड़ा बांध भे.के. नाका का बांध पर कितना-कितना खर्चा कब-कब किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जगपुरा (जिला बांसवाड़ा) से बोरेश्वर (जिला डूंगरपुर) के बीच में माही नहर को माही नदी के साई पर निर्माण करने में अब तक कितना खर्चा हो चुका है ? वर्तमान में कार्य बन्द होने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माही परियोजना के अन्तर्गत, माही सागवाड़ा नहर के निर्माण पर वर्ष 1993 से आज तक जो राशि निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है : -

क्र.सं.	वर्ष	मिट्टी कार्यों पर व्यय लाखों में	पक्के कार्यों पर व्यय लाखों में	साईफन कार्य पर व्यय लाखों में	कुल व्यय लाखों में
1.	1993-94	120.67	-	78.91	199.58
2.	1994-95	207.19	-	27.13	234.32
3.	1995-96	15.61	16.23	13.76	45.60
4.	1996-97	-	82.24	19.56	101.80
5.	1997-98	-	124.35	37.83	162.18
6.	1998-99	0.17	16.63	-	16.80
कुल योग		343.64	239.45	177.19	760.28

(2) माही सागवाड़ा नहर का निर्माण माही परियोजना के अन्तर्गत ही करवाया जा रहा है इसलिए माही सागवाड़ा नहर को अलग परियोजना मानकर स्वीकृत नहीं करवाया जाना है। माही परियोजना का संशोधित प्रशासनिक तकमीना तैयार कर योजना आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिसमें कुछ आक्षेप प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आक्षेपों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है व्यक्तिगत रूप से कोई जिम्मेदार नहीं है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) वर्ष 1993 से लेकर आज तक विभिन्न मदों लोडीसर बांध मारगिया महूड़ा बांध एवं भेका नाका बांध पर वर्षवार व्यय निम्नानुसार है : -

वर्ष	लोडीसर	मारगिया	भें.का नाका
1993-94	11.22 लाख	11.84 लाख	7.52 लाख
1994-95	9.71 लाख	12.03 लाख	5.45 लाख
1995-96	20.22 लाख	6.40 लाख	5.11 लाख
1996-97	44.12 लाख	14.80 लाख	9.19 लाख
1997-98	-	-	0.79 लाख
1998-99	-	-	-
कुल योग :	85.27 लाख	48.67 लाख	28.06 लाख

(4) माही साइफन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिस पर अब तक 326.00 लाख रुपया व्यय हुआ है।

नवीन घोषित राजस्व गांवों का विद्युतीकरण

172. श्री **कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार वर्ष 1990 से मार्च, 1998 तक नये घोषित अविद्युतीकृत राजस्व गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि जिन गांवों को एक या दो किलोमीटर की विद्युत लाइन लगाने से विद्युतीकृत किया जा सकता उनके प्रस्ताव मंगाये गये हैं ? यदि हां, तो इनकी स्वीकृति कब तक कर इन्हें विद्युतीकृत कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। विद्युतीकृत ग्राम से पृथक होकर बने नये राजस्व ग्रामों को विद्युतीकृत मानते हुये इनमें मांग होने पर विद्युत तंत्र का विस्तार कर नियमानुसार कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान पहले से ही किया हुआ है।

(2) जी, हां। वर्ष 1998-99 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में साध्य पाये जाने वाले आबाद ग्रामों को उपलब्ध वित्तीय प्रावधान अनुसार वर्ष 1998-99 के विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय साधनों की उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृति जारी की जाएगी।

ट्रांसफार्मर्स के जलने के कारणों का सर्वे

173. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य विद्युत मण्डल ने इस प्रकार

(श्री शिवनाथ सिंह)

का कोई सर्वे करवाया है कि कितने ट्रांसफार्मर मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण जले हैं और कितने विद्युत बोर्ड अधिनियम व नियमों के प्रावधानों का पूरा पालन नहीं होने के कारण जले हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विद्युत मण्डल हर वर्ष जले हुये ट्रांसफार्मरों का विवरण तैयार करता है, जिसके विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1997-98 में 21209 ट्रांसफार्मर जले हैं। इनमें से 2333 ट्रांसफार्मर मैन्यूफैक्चर्ड डिफेक्ट के कारण जले हैं। अन्य ट्रांसफार्मर जो जले हैं उनके जलने के कई कारण हैं जो मुख्यतया प्राकृतिक आपदाओं जैसे आंधी, तूफान व बाढ़ इत्यादि हैं। कुछ ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं द्वारा अपने स्वीकृत भार से अधिक विद्युत का उपभोग करने के कारण व सिंगल फेसिंग के दौरान ऐसे उपकरण लगाकर 3 फेस सप्लाई बनाकर विद्युत का उपभोग करने के कारण व कुछ ट्रान्सफार्मर अत्याधिक पुराने हो जाने तथा निर्धारित समयावधि (जीवनकाल) पूर्ण होने के कारण भी खराब हो जाते हैं। सामान्यतया ट्रांसफार्मर विद्युत अधिनियम व नियमों के प्रावधानों का पूरा-पूरा पालन करते हुए लगाए जाते हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर्स की सूची वृत्तवार परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

उदयपुर में विद्युत चोरी के प्रकरण

174. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) उदयपुर में कुल कितने विद्युत उपभोक्ता हैं तथा इस समय कितनी विद्युत प्रतिदिन खपत हो रही हैं ?

(2) गत दो वर्षों में विद्युत मण्डल के द्वारा उदयपुर में बिजली चोरी के कुल कितने मामले पकड़े गये और उनसे मण्डल को कितनी प्राप्ति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर अथवा आस पास के क्षेत्र में अवैध विद्युत कनेक्शन हैं ? यदि हां, तो मण्डल ने इस सम्बन्ध में कब-कब, क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उदयपुर शहर में बिजली की अनियमित आपूर्ति के क्या कारण है और इस संबंध में सुधार हेतु मण्डल ने क्या प्रयत्न किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में कुल 78495 उपभोक्ता हैं। वर्तमान में औसतन 6.27 लाख यूनिट प्रतिदिन खपत हो रही है।

(2) उदयपुर शहर में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में विद्युत चोरों के क्रमशः

(ऊर्जा मंत्री)

187 व 269 मामले पकड़े गये, जिसके फलस्वरूप किये गये राजस्व निर्धारण का विवरण निम्न प्रकार है : –

वर्ष	विद्युत चोरी के मामले	राजस्व निर्धारण
1996-97	187	7.05 लाख
1997-98	269	20.99 लाख

(3) उदयपुर शहर व आस पास के क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शनों की नियमित जांच की जाती है तथा निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले अवैध विद्युत कनेक्शनों से आंकलन कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार की गई जांच के दौरान अवैध विद्युत कनेक्शनों से वर्ष 1996-97 में 6.35 लाख व वर्ष 1997-98 में 12.19 लाख की राशि वसूल की गई।

(4) विद्युत की अनियमित खपत, उपलब्धि में अचानक कमी/अधिकता के कारण विद्युत सप्लाई में कभी-कभी उतार-चढ़ाव आ सकता है। उदयपुर शहर में उतार चढ़ाव को रोकने तथा विद्युत वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु दो नये 33 के.वी. सब-स्टेशनों का निर्माण कर चालू कर दिये गये हैं तथा निकट भविष्य में हास्पिटल व सब-सिटी सेंटर में भी नये सब स्टेशन बनाने का प्रावधान है।

जिला भीलवाड़ा में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

175.**श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या भीलवाड़ा में चल पशु चिकित्सालय की यूनिट को समाप्त कर चिकित्सालय स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर आदेश कब तक हो जायेंगे ? प्राप्त प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) राज्य में वर्ष 1998-99 में कितने पशु चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है ?

(3) भीलवाड़ा जिले में कितने पशु चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में कार्यरत चल पशु चिकित्सा इकाई को पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र में परिवर्तित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

(2) राज्य में वर्ष 1998-99 में नये 25 पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान रखा है।

(3) भीलवाड़ा जिले में पशु चिकित्सालय/उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर बजट स्वीकृति के उपरान्त विचार किया जाएगा।

पशुपालन विकास निगम का गठन

176. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्थान राज्य पशु पालन विकास निगम का गठन किया है ? यदि हां, तो कब तथा इसका पंजीयन कब हुआ ? पंजीयन प्रमाण पत्र व पंजीकृत विधान, नियम व उप नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम के गठन का उद्देश्य क्या है तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रारंभिक तौर पर सरकार द्वारा कितनी राशि निगम को उपलब्ध कराई गई ?

(3) निगम के संचालन के लिये बनाई गई समिति में कौन-कौन पदाधिकारी व सदस्य हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। जिसका पंजीयन दिनांक 25 मार्च, 97 को किया गया। पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीकृत विधान नियम व उप नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) बोर्ड का मुख्य उद्देश्य पशुधन की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। प्रारम्भिक तौर पर बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा 21.17 लाख रुपये की राशि दी गई है एवं केन्द्र सरकार से 435 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है।

(3) बोर्ड के संचालन हेतु प्रारम्भिक रूप से निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है :–

1.	सचिव पशुपालन विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य
3.	प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ	स.सचिव
4.	उपसचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक (मानीटरिंग)पपा	सदस्य
6.	सहायक निदेशक (योजना) पपा	सदस्य

इसके अतिरिक्त बोर्ड के नियमों के नियम 4.1 के अन्तर्गत अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जानी शेष है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

टोडाभीम में डेयरी का संचालन प्रकरण

177. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में स्वीकृत दूध डेयरी चालू नहीं करवाई गयी है ? यदि हां, तो अब कब तक चालू करा दी जायेगी ?

उत्तर

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की मार्च, 1998 तक कुल पंजीकृत 18 दुग्ध समितियों में से 14 चालू थी। पिछले 16 वर्षों में प्रायः प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में 3-4 माह गंगापुर अवशीतन केन्द्र की सभी गतिविधियां बन्द रहती थी, परन्तु इस वर्ष संघ के विशेष प्रयासों से गर्मी के मौसम में भी दुग्ध संकलन चालू रखा गया एवं टोडाभीम क्षेत्र की 10 समितियां माह अप्रेल, 98 से भी अब तक लगातार चालू है।

बरसात शुरू होने पर लगभग 15 जुलाई से सभी समितियां चालू कर दी जायेगी।

करौली में सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय का सृजन

178. **श्री हंसराम गुर्जर** (करौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार जिला करौली में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्था कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

विद्युत मण्डल में हिन्दी भाषा का उपयोग प्रकरण

179. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राज भाषा हिन्दी में कार्य करने के निर्देश सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों/ निगमों/बोर्डों/ मण्डलों को दिये हुए हैं ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र अंग्रेजी भाषा में जारी किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में राज भाषा नियम लागू है ? यदि हां, तो उपभोक्ताओं से पत्राचार अंग्रेजी भाषा में करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस संबंध में मण्डल को निर्देश जारी करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं। अधिकांश राजकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र आदि हिन्दी भाषा में जारी किये जाते हैं। अथवा स्वरूप सचिवालय व

(भाषा मंत्री)

तकनीकी प्रकृति के कुछ विभागों द्वारा तकनीकी कारणों व अंग्रेजी कम्प्यूटर के कारण कुछ परिपत्र आदि अंग्रेजी में प्रसारित किये जाते हैं। भविष्य में कोई भी परिपत्र अंग्रेजी में जारी नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।

(3) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भी प्रदेश की राजभाषा हिन्दी की नीति के अनुसरण में हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। इसकी अनुपालना में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने अपने यहां के प्रायः सभी कार्यों के लिये राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के आदेश प्रसारित किये हैं। कम्प्यूटरीकरण (अंग्रेजी) के कारण विद्युत मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं से संबंधित कार्य अंग्रेजी में होने लगा है। विद्युत मण्डल को आदेश क्रमांक 1088-1588 दिनांक 1.5.98 को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये गये हैं कि वे भी अपने यहां अंग्रेजी कम्प्यूटरों को हिन्दी में कार्य करने में सक्षम बना ले। इससे भविष्य में कार्य हिन्दी में होने की पूर्ण संभावना है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला झुन्झुनूं में पर्यटन विकास के विचाराधीन प्रस्ताव

180. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) एवं **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत तीन वर्षों में जिला झुन्झुनूं में पर्यटन विकास हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव जिला स्तर से विभिन्न एजेन्सियों द्वारा राज्य सरकार को भेजे गये हैं तथा अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

वर्षवार जिला झुन्झुनूं में पर्यटन विकास हेतु जिला स्तर की विभिन्न एजेन्सियों से भेजे गये प्रस्ताव एवं उनके सम्बन्ध में हुई प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 1995-96

I- खेतड़ी महल, झुन्झुनूं के संरक्षण कार्य हेतु महल का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव सहायक निदेशक, पर्यटन, झुन्झुनूं से आया है। झुन्झुनूं जिले में पर्यटन विकास हेतु वर्ष 1998-99 में रु. 30.00 लाख के वित्तीय प्रावधान में खेतड़ी किले के संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है।

II- नगरपालिका मण्डल, खेतड़ी में भोपालगढ़ किला, बाघोरगढ़ किला, पन्नालाल शाह तालाब आदि के विकास के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

III - जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से किरोड़ी के विकास हेतु रु. 143.60 लाख के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। किरोड़ी के विकास हेतु वर्ष 1995-96, 1997-98 एवं

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

1998-99 में क्रमशः रु. 40.00 लाख, 30.13 लाख, 35.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिनमें से अब तक रु. 38.17 लाख पीने के पानी की सुविधा एवं सड़क निर्माण पर ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं द्वारा व्यय किये जा चुके हैं।

वर्ष 1996-97

वर्ष के दौरान जिला स्तर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

वर्ष 1997-98

जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से जिले में पर्यटन विकास हेतु पन्नालाल शाह तालाब, भोपालगढ़ किला, रामकृष्ण मिशन (फतेह विलास पैलेस स्थित), रघुनाथ व बटियानी मंदिर, स्वर्ण जयंती पार्क, अजीत सागर बांध एवं खेतड़ी उप खण्ड विकास हेतु रु. 3.18 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

कामां (भरतपुर) में यात्रियों हेतु आवश्यक सुविधाएं

181 **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि कामां ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा में आता है और यहां प्रतिवर्ष परिक्रमा हेतु तीर्थ यात्री आते हैं? उक्त यात्रियों की सुविधा हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या उपाय किये गये हैं? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। कामां ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा में आता है और यहां प्रतिवर्ष परिक्रमा हेतु तीर्थ यात्री आते हैं।

कामां ब्रज की परिक्रमा में तीर्थ यात्रियों के लिये जिला प्रशासन द्वारा ही कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।

कानरपुरा (जयपुर) का आंगनबाड़ी केन्द्र भवन

182. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमका थाना) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन का अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब सरकार उक्त भवन निर्माण कार्य कब शुरू कराकर पूर्ण करा देगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन बनाया जाना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) जी, हां। अभी तक उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया क्योंकि उक्त स्थान पर वर्तमान में भवन निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद को हस्तान्तरण

183. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी किया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषदों के अधीन किया जावे ? यदि हां, तो कब तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि देश के किसी राज्य ने ऐसा करके उक्त अभिकरणों को जिला परिषदों के सुपुर्द किया है ? यदि हां, तो किस-किस राज्य सरकार ने कब-कब ? राजस्थान में अब तक उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने के क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषदों को सौंपने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। भारत सरकार के पत्र संख्या आर 20016/2/94-एग्रावि (1), दिनांक 6.11.95 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 25.4.97 की प्रतियां संलग्न है।

विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य मंत्रिमण्डल के समक्ष ज्ञापन दिनांक 16.1.96 प्रस्तुत किया जाकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल की आज्ञा चाही गयी इस पर राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा 15/96, दिनांक 17.1.96 द्वारा प्रस्ताव आगामी बैठक में रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है। प्रकरण मंत्रिमण्डल के विचाराधीन रहने की अवधि में ही भारत सरकार का पत्र दि. 25.4.97 प्राप्त हुआ, जिसकी रोशनी में ज्ञापन संशोधित किया गया एवं ज्ञापन क्रमांक प 16 (5) वियो/6/95 दिनांक 8.7.97 मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 7.8.97 में निर्णय लिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा इस विषय पर विचार हेतु मुख्य मंत्रियों की समिति का गठन करने की घोषणा की गयी है। अतः समिति की अभिशंस प्राप्त होने तक इसकी प्रतीक्षा कर ली जावे।

(2) मुख्य मंत्रियों की समिति की अभिशंसा अब तक प्राप्त नहीं हुई है। अधिकांश राज्यों ने उक्त निर्देशों के अनुसार

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

पुनर्गठन नहीं किया है। किस-किस राज्य सरकार ने कब अनुपालना की इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रकरण राज्य मंत्रिमण्डल में लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्य मंत्रियों की समिति की अभिशंसा प्राप्त करने के पश्चात् निर्णयार्थ रखा जाएगा।

(3) जैसा कि प्रश्न के भाग -2 के उत्तर में उल्लिखित है, इस बाबत निर्णय मुख्य मंत्रियों की समिति की अभिशंसा के बाद ही लिया जायेगा।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या - 184

(स्थगित)

बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन में अनियमितता प्रकरण

185. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)** : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान द्वारा एक मार्च, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक किस-किस के नवीन पंजीयन/सूचीबद्ध एवं नवीनीकरण/स्थाईकरण किये गये हैं ? नाम, पता, योग्यता, आवेदन प्राप्ति तिथि एवं शुल्क जमा करने का दिनांक, पंजीयन संख्या एवं पंजीयक दिनांक, प्रेषण दिनांक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में किये गये पंजीयन उनकी योग्यता के सत्यापन कराकर, उनसे निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर वरीयतानुसार किये गये हैं और क्या उनकी योग्यताएं केन्द्रीय परिषद से मान्यता प्राप्त हैं ?

(3) क्या उक्त अवधि में किये गये पंजीयनों में अनेक गंभीर अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? उसके लिये कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या यह भी सही है कि तथाकथित जिन अनियमितताओं के कारण उक्त बोर्ड के 9 पूर्व अधिकारी एवं 4 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया उसी प्रकार के कार्य उक्त अवधि में भी किये गये हैं ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी को अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया और उसे ही बोर्ड कर्मचारियों का विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त क्यों किया गया ?

(5) क्या उक्त अवधि के पंजीयनों में की गई अनियमितताओं की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस से तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवीन पंजीयन/सूचीबद्ध का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी, नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाए। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : –

(1) श्री शैलेन्द्र जोशी एवं 15 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में शिक्षा विभाग के अधीन चल रहे सैकण्डरी, मिडल एवं प्राइमरी स्कूलों में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में नील गायों की बढ़ती आबादी एवं उनके द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गैर सरकारी अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को लम्बे समय से वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री शिवनाथ सिंह एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर तथा झुंझुनूं जिलों में चेजा पत्थर एवं बजरी पर वसूले जा रहे सेल्स टैक्स में विसंगति होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र जमा कराने एवं साक्षात्कार हेतु बाड़मेर, चित्तौड़ एवं भीलवाड़ा जिलों में अन्य जिलों से गये अभ्यर्थियों के साथ वहां के निवासियों द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है : –

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाएं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए वर्ष 1996-97 से प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश में दो माह के लिए माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पी.एम.टी./पी.ई.टी. की कोचिंग कराई जाती है जिसमें 20 से 40 विद्यार्थी लाभ उठाते हैं। अधिक शिक्षार्थी उपलब्ध होने पर वर्ष 1996-97 में कक्षाएं डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा मुख्यालयों पर स्थानीय महाविद्यालयों की सहायता से भी चलाई गयी थी। वर्ष 1996-97 में ड्रापर्स के लिए 6 माह की अवधि का पी.एम.टी./पी.ई.टी. कोचिंग पाठ्यक्रम माह सितम्बर से चलाया जाना प्रस्तावित है, इसमें 20 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदारशहर कस्बे में उचित मूल्य की आबंटित दुकानों में राशन का वितरण शुरू करवाने के संबंध में।

(2) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के बाजारों में एक, दो एवं पांच के नोट व सिक्कों की भारी किल्लत एवं नयी करेन्सी के हो रहे ब्लैक को रोके जाने के सम्बन्ध में। वैसे यह राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(3) श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र खण्डेला की कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की तहसील सुजानगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में पहल परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों में अनुबन्ध पर लगे कर्मचारियों को नियमित किए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना तहसील के गच्छीपुरा को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(8) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की सड़कों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की पूर्व लूणकरणसर तहसील के कतिपय गांवों के नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने की दृष्टि से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर परियोजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री भीमसेन चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान की गैर सरकारी संस्थाओं, अनुदानित संस्थाओं के शिक्षकों के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हजारों शिक्षक गैर सरकारी अनुदानित संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, उनको माह अप्रेल से लेकर अब तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं। पांचवें वेतन आयोग के अनुसार उनके वेतन व भत्तों की विसंगतियों दूर नहीं की गयी है इसलिए राज्य सरकार का ध्यान मैंने आकर्षित करने के लिए और उन शिक्षकों की दयनीय स्थिति उजागर करने के लिए मैंने यह अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इन शिक्षकों के बारे में जो वेतन और भत्ते हैं, तत्काल उनको, अनुदानित सस्थाओं को मुहैय्या कराने की व्यवस्था करेगी, यह राज्य सरकार से मैं अपेक्षा रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, एक मिनट में बात कह दूंगा।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, उनका ध्यान आकर्षित किया है। (व्यवधान) कुछ सजेशन दें अपना।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस राज में विधायकों का कद इतना छोटा समझा जाता है कि विधायकनगर या अन्य जगह से बस में आने वाले माननीय सदस्य जो विधान सभा आते हैं, उनकी गाड़ी में होर्न तक नहीं है, गाड़ियों की हालत खराब है, ठीक-ठाक गाड़िया नहीं है और गाड़ी में होर्न तक नहीं है जिससे माननीय सदस्यों को सूचना नहीं मिलती है कि गाड़ी आ रही है कि जा रही है, कल मैं स्वयं रह गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले सुनें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गाड़ियों की हालत बिलकुल बेकार कर रखी है। (व्यवधान)..।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस सरकार को होर्न की जरूरत ही नहीं है, यह तो वैसे ही दुर्घटनाग्रस्त है.(व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, यह मामला माननीय सदस्य मेरे सचिवालय से सम्बन्धित है, आप मेरे चैम्बर में आएं, बातचीत करेंगे, व्यवस्था करेंगे, ठीक करेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में जवाब दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता।

श्री भीमसेन चौधरी : कोई रिएक्शन तो दे अपना।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री भीमसेन चौधरी : शिक्षा मंत्री जी अपना रिएक्शन तो दें । रिएक्शन तो बताएं अपना।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी, शिरोधार्य है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यदि उसमें थोड़ा सुधार हो सकता हो, यह गम्भीर मामला है और सरकार से इसका यदि आप जवाब मांग लें और इसकी इन्फोर्मेशन आ जाए उसके बाद में कुछ करने का हो तो उचित रहेगा। मैं आपसे निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो, तो फिर दूसरा आपने आदेश दिया वह पालना करूंगा मैं, यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : इतनी परेशानी आम आदमी को है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यह पूरे राजस्थान पर लागू है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मामला बहुत गम्भीर है लेकिन पांच-पांच माननीय सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं इसलिए इसकी गम्भीरता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : इसकी गम्भीरता को विचारिए, पांच-पांच माननीय सदस्य इसमें पीड़ित है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : चैम्बर में हम मिले थे और आपको अवगत कराया था कि यह बड़ा गम्भीर मामला है, राज्य सरकार से आप जानकारी करके इसके ऊपर व्यवस्था दें। मान्यवर, व्यवस्था आपने यह दे दी कि आप दो-दो मिनट बोल ले। आपके

(श्री रामनारायण चौधरी)

पास जानकारी हो कि मामला क्या है, आप मंगवाओं तो सही, जानकारी तो मंगवाओ। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आपके निर्णय को स्वीकार्य करते हुए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार ने ठेकेदारों के मार्फत जनता के धन को लुटा दिया और लुटा रही है, डाकुओं को दे रही है, डाकू इन दी गार्ब ऑफ जेंटलमैन भी लुटा रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, 12 प्रतिशत का गैप है।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, किसान बालू रेत लेकर आता है उसके ऊपर आप 10 रुपये टन वसूल करते हैं। आप देखें, कहां सैल टैक्स टनों पर वसूल होता है।

श्री उपाध्यक्ष : मोहनलालजी मोदी साहब, बिराजें आप, बहुत पुराने हो गये, बिराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : कहीं देखा नहीं, सैल टैक्स आप टनों पर वसूल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं राज्य सरकार से इसकी जानकारी मंगवा रहा हूं, बिराजें। श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। आपका नाम नहीं है। गोविन्द सिंहजी का है। मैंने गोविन्द सिंहजी को पुकारा है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर प्रवृत्ति जो पनप रही है जिलों की, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विगत दिनों पंचायत और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में दूसरे जिलों के जो व्यक्ति, परीक्षार्थी दूसरे जिलों में गये, उन जिलों में उनके साथ मारपीट हुई और उनको खाने-पीने की कोई भी वस्तु देने के लिए मना कर दिया। मैं मेघवाल साहब से भी कहना चाहूंगा कि पुलिस ने भी स्थानीय लोगों की मदद की और बाहर से जो लोग गये, वे राजस्थान के ही थे, लेकिन बाहर के जिलों से आए थे, उनके साथ जो ज्यादती हुई उसके सम्बन्ध में न तो कोई एफ. आई. आर. दर्ज की गयी और न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रवृत्ति को पनपने दिया गया तो राजस्थान में बंटवारे की मांग उठने लगेगी, हर जिला कहेगा कि मुझे अपना अलग राज्य बना दो, इसको रोकना चाहिए। मैंने यह प्रस्ताव रखा था, बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन आपने उसको जानकारी के लिए भी नहीं भेजा, इसका मुझे दुःख है।

(63)

श्री उपाध्यक्ष : सारे सदन ने सुन लिया, सरकार ने सुन लिया,,श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रक्रिया के नियम 295 मान्यवर, एक मिनट। माननीय गोविन्द सिंहजी, गुर्जर साहब ने जो प्रश्न उठाया है, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। झुंझुनूं जिले से, सीकर जिले से, चूरू जिले से, इन जिलों से हमारे यहां के लड़के और लड़कियां बाड़मेर, चित्तौड़ और जालौर इन जिलों में इन्टरव्यू देने के लिए गए। लड़कियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उनके कपड़े फाड़ दिये, उनके कागजात सब फाड़ दिए, जो डाकुमेंट थे वे सब छीन लिए, होटलों से निकाल-निकाल कर उनको पीटा, लड़कियों को बेइज्जत किया और राजस्थान सरकार की पुलिस देखती रही, उसने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। पुलिस बल उन लोगों की मदद कर रहा था जो उनको बेइज्जत कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्लिप दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : वह अभी नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप व्यवस्था दीजिए। मैं आपको याद दिला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जीरो आवर है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आधा मिनट में आपको रिक्वेस्ट कर दूंगा। जीरो ऑवर से सम्बन्धित ही मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों माननीय सदस्य, लालसोट से आने वाले और मेरे द्वारा कैलाश सैनी हत्याकाण्ड, दौसा के सिलसिले में आपने आसन से एक व्यवस्था दी थी और माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि आप नाम बता दो उससे जांच करवा लेते हैं। मैं और परसादीलालजी, दोनों आपके चैम्बर में मिले। आपने पत्र लिखा, हमने आपको नाम बता दिया था सम्बन्धित अधिकारी का, डी.आई. जी. रामजीवनजी मीणा से इसकी जांच करवा ली जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके स्पष्ट आदेश और हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद में भी— (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया चैम्बर में पधारें, मैं इनकी जानकारी कर लूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आज तक इस जांच को डी.आई.जी. को नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मैंने इस सदन में कहा था कि आपके चैम्बर में नाम सुझा दें और वह नाम यहां से सुझाव होकर भी आ गया। जिस अधिकारी का नाम दिया, उसने लिखित में कहा कि मेरी इधर रिश्तेदारियां हैं, मेरे ऊपर दबाब पड़ने की गुंजाइश है इसलिए इस प्रकरण में मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि यह अनुसंधान करूं। इस कारण वह अनुसंधान फिर से सी.आई.डी., सी.बी. में ही है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उसने मना कर दिया तो आप हमसे और नाम पूछ लेते। (व्यवधान) यह तो कोई बात नहीं होती है, यूं हाथ हिला दें, इतने गम्भीर मामले पर यूं हाथ हिला दें। यह बात आसन के, मेरे और आपके बीच में थी। (व्यवधान) क्या इस बात की जानकारी आपने आसन को दी ? प्रश्न तो मैंने उठाया, आप इस फाइल पर फिर गोलमाल करना चाह रहे हैं। आप इस बात को फिर गोलमाल करना चाह रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह तो डिफ्यूज ही कर दिया सारे मामले को।

श्री परसादीलाल मीणा : आप मामले को दबाने में लगे हुए है बराबर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप दबाने में लगे हैं तथ्य को, आपने आसन को सूचना क्यों नहीं दी गृह मंत्रीजी ?

श्री परसादीलाल मीणा : आपको सूचना देनी चाहिए थी। आपका कर्तव्य था, आपकी ड्यूटी थी कि नहीं, कि आसन को सूचना दें।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान नहीं, बिराजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि इसको गंभीरता से लें। साढ़े तीन-चार महीने हो गये, फाइल वहां की वहां पड़ी है, बिलकुल प्रोग्रेस नहीं है। हाउस में यह मामला फिर दुबारा नहीं आना चाहिए। आपने जिम्मेदारी ली थी कि आप नाम ले दो, हम उस अधिकारी से जांच करा देंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उसके पास फाइल गयी ही नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : दूसरे अधिकारी का नाम बता देते आप। आप बता दो नाम। हम जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ते हैं। निष्पक्ष अधिकारी से आप जांच करा दो आपके ऊपर छोड़ते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमने डी.आई.जी. से जांच मांगी और डी.एस.पी. को जांच दे रहे हैं। तमाशा हो रहा है।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने दबाव दे दिया। वह इन्कार कर गये। डी.आई.जी. के ऊपर होम मिनिस्टर साहब ने दबाव दे दिया और वे दबाव में आ गए।

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार कैलाश सैनी हत्याकाण्ड के मामले को जान-बूझकर दबाना चाहती है। गृह मंत्रीजी को मैंने कहा था कि आप व्यक्तिगत रूचि लेकर कैलाश सैनी के हत्यारे को नहीं पकड़वा रहे हैं। आपकी पार्टी से सम्बन्धित लोग हैं इसलिए आप मामले को दबाना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप आसन से व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)...

श्री परसादीलाल मीणा : मामले को सी.बी.आई. को रैफर करा दिया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बी.जे.पी. के लोगों को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्री जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बात सुनें। (व्यवधान) आप बात सुनें। (व्यवधान) शैलेंन्द्र जी विराजें। गृह मंत्री महोदय को भी चैम्बर में बुला लेंगे, आप भी पधारें, इसमें कोई न कोई बात कर लेंगे। भंवरलाल जी शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से एक वर्ष पूर्व राशन की दुकानों का आबंटन सरदार शहर में हो गया, उनकी अमानत राशि जमा करा दी...

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ लिखकर लाए हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : वो ही पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : लिखा है वही पढ़ें, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ पढूंगा, कुछ अकल से भी बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़िये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल भी हमने शून्यकाल के लिए आपको लिखकर दिया था, आज भी लिखकर दिया है। आपने आश्वासन दिया था कि मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा इंतजार करिए आप।

सरदारशहर कस्बे में खाद्य सामग्री का वितरण

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सरदारशहर कस्बे में दिनांक 21.6.97 को जिला कमेटी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन कर दिया था। राज्य सरकार के बने नियमों के अनुसार जिन डीलर्स को दुकानों का आबंटन हुआ, उनके द्वारा अमानत राशि चालान द्वारा दिनांक 1.7.97 को बैंक में जमा करा दी गयी थी, परन्तु अभी तक वहां समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उक्त आबंटन से सम्बन्धित पत्रावलियों - राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने जयपुर मंगवा ली है एवं अभी तक इन पत्रावलियों का कोई निस्तारण नहीं किया गया है। अब ये पत्रावलियां बिना वजह और बिना किसी कारण से जयपुर में पड़ी हुई हैं। अगर इनमें कोई अनियमितता हुई और नियम विरुद्ध आबंटन हुआ तो एक वर्ष तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? इससे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सरकार की , विभाग की एवं मंत्री जी की अक्षमता स्पष्ट रूप से झलकती है। विधिसम्मत बैठक बुलाकर नियमानुसार आबंटन किया गया है। वहां की स्थानीय जनता को उन वार्डों से जो सुविधा उपलब्ध कराई गयी थी वह उपलब्ध नहीं कराकर दूसरे वार्डों से राशन लाना पड़ता है। यह सरकार की बहुत ही बेरुखी एवं आम आदमी की तकलीफ नहीं समझने वाली कार्यवाही है।

अतः आपके माध्यम से नियम 295 के तहत अनुरोध है कि सरदारशहर कस्बे में जो डीलर्स की नियुक्ति हुई थी उनकी पत्रावली तुरन्त भिजवाई जाकर उन वार्डों में राशन के वितरण का कार्य शुरू करवाने का कष्ट करें। चूंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ मामला है, अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु खाद्य विभाग को निर्देशित कर जन समस्या को हल किये जाने का कष्ट करें।

प्रदेश में छोटे नोट व सिक्कों की किल्लत

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल बाजार में 1, 2, 5, रुपये के नोट व सिक्कों की खुली रेजगारी की भारी किल्लत से आम जनता परेशान है। बाजार में सामान खरीदने पर सामान नहीं देते, खुले पैसे दे जब सामान देंगे जिससे रिक्शा, टेम्पो, सब्जी मण्डी, पंसारी, दवाई, पान वाले की दुकान आदि में भारी परेशानी जनता को उठानी पड़ती है। कई बार सुनने, देखने में आता है। बाजार में 15 प्रतिशत देते हैं तो नये नोट व सिक्के मिल जाते हैं। क्या बाजार में करेंन्सी को रोकना अपराध नहीं है ? यदि है तो सरकारी करेंन्सी की ब्लैक को रोके जिससे जनता को राहत मिले।

इसमें मेरा सुझाव है कि आम जनता को बैंकों में छोटे करेंसी नोट और सिक्के आसानी से मिले इसके लिए क्या सरकार मोबाइल डाकघर की तरह मोबाइल काउण्टर बाजारों में चलाकर जनता को छोटी करेंसी उपलब्ध कराने का विचार करती है ? विचार करे ताकि जनता को राहत मिले। छोटे नोट नहीं मिलते उसके कारण जनता को भारी परेशानी होती है। नोट फट जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। इस सदन से इस सवाल का उत्तर नहीं आएगा। अब आप विराजें। श्री महादेव सिंह।

खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के तहत मैं

(श्री महादेव सिंह)
खण्डेला विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

खण्डेला निर्वाचन क्षेत्र की निम्नांकित सड़कों की ऐसी दुर्गति हो रही है कि इनमें तीन-तीन, चार-चार फीट के गड्ढ़े पड़े हुए हैं। इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। जनता भारी परेशान है। सरकार को व सम्बन्धित अधिकारियों को बार-बार निवेदन किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मान्यवर, ये सड़कें निम्न हैं : –

श्रीमाधोपुर से खण्डेला तक, खण्डेला से कांवट तक, कांवट से प्रितमपुरी, कांवट से गुहाला वाया चला, खण्डेला से पलसाना, खण्डेला से कोटड़ी लुहारवास, खण्डेला से गुरारा, रींगस से दादिया वाया कोटड़ी धायलान, चौमूं पुरोहितान से आभावास, सती मोड़ से नरसिंहपुरी, श्रीमाधोपुर से पलसाना वाया जाजोद गोविन्दपुरा।

महोदय, गत 4-5 वर्षों में खण्डेला विधान सभा क्षेत्र की एक भी सड़क पर कोई मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया है। इससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है एवं नित्य प्रति दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं।

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान जनहित के इस मुद्दे की ओर आकर्षित कर तत्काल इस संबंध में कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम नाई।

सुजानगढ़ (चूरू) के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य एवं संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 12 पंचायत सुजानगढ़ तहसील की हैं। कुल मिलाकर डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र काफी बड़ा है जो इस विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें से एक में भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूरे अध्यापक नहीं हैं। किसी विद्यालय में एक है, किसी में दो व किसी में तीन हैं। इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, विद्यालय में पूरे अध्यापक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैंने इस विषय में शिक्षा मंत्री जी से बार-बार सम्पर्क करके यह निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की पूर्ति करायी जाए ताकि अध्यापन कार्य चालू हो सके। इस विषय में मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था, उसका भी आज तक कोई असर नहीं हुआ है, अब पुनः प्रश्न लगा रहा हूं। शिक्षा मंत्रीजी इस पर अवश्य गौर करके व्यवस्था करने का श्रम करेंगे।

(श्री किशनाराम नाई)

उदाहरण के तौर पर ग्राम जोगलसरा तहसील सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में माध्यमिक विद्यालय में वर्षों से एक ही अध्यापक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल मिर्धा।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में पथ परिवहन निगम की बसें

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत राज्य के यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना का मुख्यालय डेगाना जंक्शन है तथा इस कस्बे की आबादी लगभग 20 हजार है तथा इसके आसपास के तीस-चालीस गांवों और कस्बों की करीब 1.50 लाख की जनसंख्या है तथा तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय और रेलवे का जंक्शन होते हुए भी यहां पर आज तक पथ परिवहन की कोई बस संचालित नहीं की जा रही है जिससे यात्रियों को भारी असुविधा एवं मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस स्टेशन से आसपास के हजारों यात्रियों का आवागमन प्रतिदिन होता है। यहां से प्रतिदिन सैकड़ों प्राइवेट बसों का संचालन होता है जो नियमानुसार एवं समय से कभी नहीं चलायी जाती, यात्रियों को बसों में ऊपर-नीचे भर दिया जाता है, लगेज आदि का मनमाना किराया वसूल किया जाता है और गन्तव्य स्थान पर बसें कभी समय पर नहीं पहुंच पाती है जिससे यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तथा अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है। प्राइवेट बसों वाले मनमानी करते हैं। उनके परिचालकों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा लगेज ले जाने में मनमानी करतें हैं जिससे इस क्षेत्र के ग्रामीण यात्रियों में आक्रोश है।

डेगाना से कई महत्वपूर्ण ग्रामों की किलोमीटर में दूरी निम्न प्रकार है : -

डेगाना से भैरून्दा	30 किलोमीटर
डेगाना से खाटू बड़ी	32 किलोमीटर
डेगाना से कुचेरा	41 किलोमीटर
डेगाना से तरनाऊ	40 किलोमीटर
डेगाना से मेड़तासिटी	48 किलोमीटर
डेगाना से हरसौर	25 किलोमीटर
डेगाना से अजमेर	68 किलोमीटर
डेगाना से नागौर	80 किलोमीटर

डेगाना के आसपास की इस परिधि में कोई रोडवेज की बसें संचालित नहीं की जा रही हैं। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय परिवहन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि डेगाना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन शीघ्र शुरू कराकर क्षेत्र की ग्रामीण जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी ।

डूंगरपुर जिले में पहल परियोजना के विभिन्न अनुबन्धित कर्मचारियों का स्थायीकरण

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एंव प्रक्रिया के नियम 295 के तहत डूंगरपुर जिले में पहल परियोजना के विभिन्न अनुबन्धित कर्मचारियों के बारे में ध्यानाकर्षित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपूर जिले में पहल परियोजना (सीडा) का कार्यक्रम चल रहा है। इस विभाग से मेडबन्दी पंचायत समितियों के तालाब, तालाबों की पक्की नहरें, एनीकट्स, वृक्षारोपण आदि कार्य चलाये जा रहे हैं। इससे विभाग में उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 1992 से विभिन्न कर्मचारियों को अनुबन्ध पर रखा गया है और आज तक इन्हीं कर्मचारियों से उक्त विकास के कार्य चलाये जा रहे हैं। इन कर्मचारियों को, जो 1992 से निरन्तर कार्यरत हैं, स्थायी करने हेतु उप शासन सचिव महोदय, जनजाति विकास विभाग के पत्र पहल 97-98 दिनांक 28.4.98 एवं 12.5.98 व अतिरिक्त आयुक्त महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर का पत्र क्रमांक 8587-9790 दिनांक 18.5.98 व अनुभाग अधिकारी, अभाव अभियोग, मुख्य मंत्री सचिवालय के पत्र क्रमांक मु.मं. 310310 दिनांक 18.4.98 द्वारा परियोजना निदेशक पहल परियोजना, डूंगरपुर से इन कर्मचारियों को नियमित करने हेतु जवाब मांगा गया था लेकिन निदेशक पहल पीरयोजना, डूंगरपुर ने इन कर्मचारियों को कम करने का प्रस्ताव दिया है जबकि दिनांक 23.5.98 को समन्वय समिति की बैठक जो आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें समस्त उपस्थित सदस्यों ने कर्मचारियों को कम करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी, लेकिन समन्वय समिति के इस प्रस्ताव को बिलकुल ही निकाल दिया है। इससे विभाग के जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनमें कई कर्मचारी ओवरएज हो रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए और विभिन विभागों में समायोजित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

गच्छीपुरा (मकराना) में उप तहसील का गठन

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, गच्छीपुरा को उप तहसील बनाने बाबत राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, गच्छीपुरा मकराना तहसील का महत्वपूर्ण बांका पट्टी का केन्द्र स्थान है। यहां रेलवे स्टेशन, बड़ी कृषि उपज मण्डी, सैकण्डरी स्कूल, पैट्रोल पम्प

(श्री राकेश मेघवाल)

तथा टेलीफोन एक्सचेंज व जलदाय विभाग एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय हैं। यहां बसों का आवागमन चारों ओर से है व केन्द्र स्थल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधाएं भी हैं। यह पंचायत मुख्यालय है।

यहां सिंचित भूमि है जिससे सरकार को अच्छी राजस्व आमदनी है। यहां उप तहसील बनना प्रस्तावित है। जिसमें पटवार सर्कल एवं राजस्व निरीक्षक सर्कल है। प्रशासनिक दृष्टि से इसे उप तहसील बनाना राज्य हित में है। उप खण्ड अधिकारी महोदय, परबतसर एवं जिला कलक्टर महोदय, नागौर द्वारा भी इसकी अभिशंसा की गयी है। भनोत कमेटी ने जो मापदण्ड निर्धारितकिये हैं उसके आधार पर भी यहां उप तहसील बनना जरूरी है। राज्य सरकार ने भी अपने बजट भाषण में नयी उप तहसीलें बनाने का प्रावधान किया है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 की ओर ध्यान करवा कर अनुरोध है कि गच्छीपुरा को शीघ्रता से शीघ्र उप तहसील बनाया जाय। गच्छीपुरा को इस बजट में उप तहसील बनाने के लिए सम्मिलित किया जाए और गच्छीपुरा जो बांका पट्टी का बैकवर्ड इलाका है जहां से तहसील मुख्यालय 50 किलोमीटर दूर है जिससे किसानों को आने-जाने में भारी परेशानी होती है। सब प्रक्रिया नियमानुसार पूरी हो गयी है इसलिए इसको उप तहसील बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

जहाजपुर क्षेत्र में सड़कों की दयनीय स्थिति

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में इन 8-10 सालों में कोई सड़कें नहीं बनीं और जो सड़के हैं उनकी हालत के सम्बन्ध में आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक विभाग की निष्क्रियता एवं अनदेखी के कारण सड़कों की दयनीय स्थिति पर विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सड़कों के नाम इस प्रकार है -

1. शाहपुरा से जहाजपुर सड़क
2. कोटड़ी से पंडेर
3. जहाजपुर से शक्करगढ़
4. जहाजपुर से घाटा रानी
5. ईटून्दा से देवाका खेड़ा
6. पंड़ेर सावर रोड
7. कूचलवाड़ा कलां देवली रोड
8. जहाजपुर से मेडिया सड़क, बूंदी सीमा तक
9. मांडलगढ़ जहाजपुर सड़क

(श्री रतनलाल ताम्बी)

10. शक्करपुरा-जामोली भरणीकलां

11. विहाड़ा अजमेर सीमा सड़क

उक्त सड़कों की दयनीय हालत है, गहरे खड्डे पड़े हुए हैं। गत सितम्बर के बाद सड़कों की मरम्मत के आपके आदेश क्रियान्वित आज तक नहीं हुए हैं। क्षत-विक्षत सड़कों की दयनीय स्थिति इतनी कभी नहीं रही जैसी इन सड़कों की हो रही है। 8-10 वर्षों से इन सड़कों की मरम्मत नहीं करना किसी भी कल्याणकारी सरकार की कर्तव्यहीनता की पराकाष्ठा है। अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये निर्माण मंत्री जी कर्तव्यपरायणता के दायित्व को स्मरण रखें। सड़कों की गम्भीर स्थिति की दुरावस्था से जन-जन को अथाह कष्ट हो रहा है। सड़कों पर बड़े-बड़े खड्डे हो रहे हैं जिससे आये दिन घटनाएं हो रही हैं। रास्ते जाम हो रहे हैं, गाडियां फंसी रहती है, हालात बदतर हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कल और आज की वर्षा से शाहपुरा-जहाजपुर रोड आज भी बन्द है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी। कृपया विराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : बाकी है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा हो गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां हो गया ? इन सड़कों को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुधार, मरम्मत संधारण की जाकर समूचे विधान सभा क्षेत्र की अन्य प्रमुख तथा अन्य सड़कों को ठीक करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

लूणकरणसर (बीकानेर) तहसील के अकालग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न समस्या के समाधान हेतु विशेष उल्लेख के माध्यम से मुख्य मंत्री (सिंचाई मंत्री) का ध्यान आकर्षित करता हूं :–

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के दिशा-निर्देशों के अनुसार नागरिकों के पोषाहार स्तर को उन्नत करने एवं जीवन स्तर सुधारने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना कर्तव्य माना गया है।

बीकानेर जिले की पूर्व लूणकरणसर तहसील की ग्राम पंचायतें यथा महादेव वाली, अजीतमाना, राजासर भाटियान, केला, मकड़ासर, खियेरा, खोखराना व धीरेरा हंसेरा, कालू, नाथनाना व पूर्व बीकानेर तहसील वर्तमान में पूगल तहसील की मोतीगढ़, करणीसर भाटियान, जालवाली व कालासर ग्राम पंचायतों के नागरिकों का जीवन स्तर अत्यंत निम्न है। यहां आमतौर पर कम वर्षा होती है। अकालग्रस्त रहते हैं। इस कारण

(श्री भीमसेन चौधरी)

यहां के नागरिकों के कच्चे मकान व झोंपड़े हैं। दो वक्त सूखी रोटी मिलना भी कठिन है। ऐसे क्षेत्र के नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन स्तर सुधारने के लिए क्रमशः इंदिरा गांधी नहर के आरडी. 507 से उपरोक्त नौ ग्राम पंचायतों के लिए एवं इंदिरा गांधी नहर की आरडी. 625(एल) की चार ग्राम पंचायतों एवं कंवरसेन नहर की आरडी. 301(l) से उपरोक्त तीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में लिफ्ट नहर की योजना स्वीकृत की जाए। उपरोक्त योजनाओं के लिए सर्वे कराया जाए। उपरोक्त क्षेत्रों में भारत सरकार की जी.एस.आई. सर्वे के अनुसार प्रथम दोनों योजनाओं के 25 फीट से 125 फीट व अंतिम योजनाओं के लिए 10 फीट से 30 फीट के बीच लिफ्ट लगाकर सिंचाई सुविधा प्रदान करके इन नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने का सरकार के पास कोई साधन नहीं है। अतः इन नागरिकों के लिए जीवन स्तर सुधारने हेतु राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करके इनकी क्रियान्विति के तत्काल कदम उठाने हेतु ध्यानाकर्षित करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं कृषि मंत्रीजी, दोनों का ही सामूहिक रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान्, इन दिनों राजस्थान के आम उपभोक्ता के रोजमर्रा की खाद्य सामग्री इत्यादि के दाम आकाशीय ऊंचाई पर चले जाने से गहरी चिन्ता की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमान् गेहूं, चावल, चाय, खाद्य तेल के दामों में वृद्धि से ही उपभोक्ता परेशान नहीं है बल्कि इन दिनों में सब्जियों के दाम भी आकाश को छू जाने से आलू और प्याज, जो जन साधारण की सब्जी का साधन है, वह करीब 12-14 रुपये किलो हो गया है और टमाटर 40 रुपये किलो और अन्य सब्जियां 12 से 20 रुपये किलो हो गयी है। ऐसी स्थिति में ये सब साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो गयी हैं। यही नहीं, वनस्पति घी, दूध-

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किसानों को कमाने दो, मुश्किल से तो यह मौका मिला है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यही तो दुःख की बात है, मैं आपको बताऊंगा। श्रीमान् मेरा निवेदन है कि वनस्पति घी और दूध से बने उत्पादित पदार्थ, तिलहन इत्यादि के दामों में भी काफी वृद्धि हो गयी है। इसके अतिरिक्त दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्ण रूप से ठप्प

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हो गई है। केन्द्र व राज्य सरकार निष्क्रिय है। उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुओं की उचित व्यवस्था नहीं हो रही है। आज भी सब्जी उत्पादकों के खेत से सब्जी तीन रुपये, चार रुपये, छह रुपये किलो निकलती है लेकिन बिचौलियों के लाभ कमाने के कारण एक कृत्रिम अभाव पैदा हो गया है मंडियों में किन्तु कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा उनकी वितरण व्यवस्था सही नहीं होने से एवं मुनाफाखोर एवं कालाबाजारी के कारण से कृत्रिम महंगाई डवलप हो गयी है कृषि मंडी समिति में और सब्जी मंडी समिति में जिसमें कि कृषि मंडी टैक्स लेती है और उनका कोई नियंत्रण नही रहा है। ये कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, इन पर नियंत्रण रखें। मेरा आपसे अंत में अनुरोध है कि आप खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री तथा कृषि मंत्री महोदय को निर्देशित करें कि आम व्यक्ति के खाद्य पदार्थ की वस्तु, यदि प्याज और आलू 12-15 रुपये किलो में नसीब होगा तो लोग क्या खाएंगे ? दूध और दूध से बने प्रोडक्ट महंगे हो गये हैं। इसके अलावा खाद्य तेल, इडिबल आयल, वे तो 55-60 रुपये किलो बढ़ गये हैं। ऐसी स्थिति में आप तत्काल इनको निर्देशित करें कि जो बिचौलिये हैं, जो मुनाफाखोरी करते हैं, ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं, उन पर नियंत्रण करें और सब्जी मंडी में यह जो कृत्रिम अभाव है, इसका विनाश हो, इसको एकदम से रोका जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : आप तो वैसे ही कर सकते हैं। आप तो वैसे ही कर लीजिए। मैं तैयार हूं आपकी हाजिरी में। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, नहीं, बारां जिले की किशनगंज तहसील मुख्यालय पर एक प्रतिष्ठित पत्रकार टीकम चन्द दुबे के साथ थानेदार, किशनगंज और थाने के सिपाही थे, उनके द्वारा उसको कई प्रकार की यातनाएं दी गयीं । गृह मंत्री महोदय, किस्सा यह था कि टीकम चन्द दुबे की भतीजी के साथ, कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ अश्लील हरकत की। इस पर उसने गांव के प्रतिष्ठित लोगों को बीच में डालकर उनको समझाने की कोशिश की और उसका नतीजा यह निकला कि उन असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट भी की और उक्त पत्रकार के पिता के साथ मारपीट ही नहीं की बल्कि थानेदार से मिलकर उनके खिलाफ 307 का एक झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया। नतीजा यह निकला कि पत्रकार

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

टीकम चन्द को और उनके पिता, दोनों को हवालात में डाल दिया गया। रात को दो बजे उनको उठाकर अलग-अलग किया गया, दोनों एक ही जगह थे, लेकिन उनको अलग अलग किया गया और टीकम चन्द कान्त को थाना, किशनगंज (व्यवधान) सोरी, सोरी... + + +

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और टीकम चन्द दुबे को

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य ने यह जो असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है, उसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो-जो संसदीय हो, वह आप बता दो। + + + को + + + नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वर्चुअली नंगा करके ...(व्यवधान) उन पर पान के पीक थूंके गये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : कमाल कर दिया आपने। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जर्दे की पीक थूंके गये, और उनको जूते और चप्पलों से मारा गया और हर तरह की यातना पूरी रात उनको दी गयी। मेरा आपसे निवेदन है, इस मामले की जांच कराई जाए, यह एक प्रतिष्ठित पत्रकार का मामला है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पास यह इन्क्वायरी रिपोर्ट है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : है ?

एक माननीय सदस्य : यह तैयार होकर आये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने इन्क्वायरी करवा ली क्या ? कुछ निकला क्या साहब उसमें, क्या एक्शन लिया, जरा आप बता दें। (व्यवधान)

नहीं, वह तो आ जाएगा। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, गृह मंत्रीजी अगर इसमें कुछ बोलें तो ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : 295 का जवाब देना जरूरी नहीं है। (व्यवधान) न 50 है, न 295 है, न 131 है, यह तो और ही कुछ है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यह 295 नहीं है। यह तो जीरो-आवर है। यह तो जीरो आवर में उठाया है, 295 में उठाया भी नहीं और चूंकि आप कागज-वागज निकालकर ऐसे तैयार दिख रहे थे, मैंने सोचा कि भई, जवाब देंगे इसलिए जवाब भी मांग रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह मेरे से बात कर लें, मेरे पास इन्क्वायरी रिपोर्ट है, आप देख लें। (व्यवधान) इसमें कुछ कमी हो तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये, सुनिये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आपसे यह निवेदन है कि अगर इस मामले में आप कुछ बोल दें कि क्या-क्या कार्यवाही हुई तो बहुत अच्छा रहेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो गृह मंत्रीजी आपसे दोस्ती का लिहाज रखकर पूछ रहे हैं। इनको पता थोड़े ही था कि आप इस तरह का व्यवहार करोगे। (व्यवधान) यह थोड़ा दोस्ती का लिहाज तो करो।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो इन्क्वायरी रिपोर्ट भी इनको समर्पित कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि एक पत्रकार की पिटाई का मामला है, उनको यातनाएं दी गयी, उसको नंगा करके बुरी तरह से मारा गया जूते और चप्पलों से, उस पर थूंका गया और गृह मंत्रीजी इतने गम्भीर भी नहीं है इस बात पर। आप मेरे चैम्बर में आइये, वहां आइये, वहां आइये, यह पत्रकार का मामला है आपको कम से कम सदन को अवगत कराना चाहिए कि इस मामले में आपके विभाग ने क्या किया और करने जा रहे हैं उस थानेदार के खिलाफ, उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने उनको यातनाएं दीं। आप मजाक में ले रहे हैं इस बात को।

श्रीमती कमला : वैसे जनरली जीरो आवर में जो कहा जाता है उसका जवाब देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है लेकिन सब्जैक्ट के मेरिट्स को देखते हुए, उसकी नेचर को देखते हुए कभी-कभी मंत्रीगण उसका जवाब भी दे सकता है और देते रहे हैं, इसलिए आप भी इसमें दे दें तो कोई एतराज की बात नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ...और आपने कागज इस तरीके से उसमें से निकाला जिस तरीके से मैं समझा कि आप जवाब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, उठाने का जो तरीका है, उससे तो मैं भिन्न राय रखता हूं लेकिन जो तथ्य उन्होंने बताये हैं, पत्रकार के साथ जो घटना बीती और उसकी बीती की कहानी में अगर सच्चाई है तो मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। इस जीरो आवर के अन्दर आप कोई बाध्य तो नहीं कर सकते लेकिन आप निर्देश सरकार को दे सकते हैं कि इस मामले की जांच की जाए और जांच करने के बाद में आपको जानकारी दे। यह गम्भीर मामला है, क्योंकि...

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय हमेशा उत्तर देते हैं लेकिन आज यह कैसे कंजूसी बरत रहे हैं, समझ में नहीं आता। कोई भी मामला उठा और आप ने भी देखा है, यह हमेशा उत्तर देते हैं और संतोषप्रद उत्तर देते

(श्री हरजीराम बुरडक)

हैं लेकिन आज कैसे जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता।

श्री राजेन्द्र पारीक : कागजात उनके पास पड़े हुए हैं और ऐसे गम्भीर मामले में जिसमें पूरा प्रेस का मामला जुड़ा हुआ है, तत्काल जवाब दिया जाना चाहिए। न केवल जवाब, उनको निर्देशित करें बल्कि आदेश भी दे सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय रामनारायण जी ने जो सुझाव दिया है, मैं इससे सहमत हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय को सारे तथ्य बता दूंगा। आपने जिस गम्भीरता से यह प्रश्न उठाया है, उसी गम्भीरता से मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपको सारी जानकारी दे दूंगा। आप यह जानकारी उन तक पहुंचा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरतसिंह। (अनुपस्थित) श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे टोडाभीम के अन्दर एक घाटी है जिसको जैमटी की घाटी भी बोलते हैं, टोडाभीम की घाटी भी बोलते हैं, आप भी वहां पर कई बार पधारे हैं। उसके अन्दर दो मोड़ आते हैं, एक मोड़ इतना खतरनाक है जहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब तक चालीस मौतें दुर्घटनाओं से वहां हो चुकी हैं, उसी जगह पर। अभी हाल ही की बात है कि राजस्थान रोडवेज की एक बस जो वहां होकर गुजर रही थी, उसी मोड़ पर जाकर उसके ब्रेक फेल हुए और वह सीधी पांच सौ फीट नीचे घाटी से जाकर गिरी। पांच सौ फीट नीचे जाकर गहरे खड्डे में वह बस गिरी जिसके कारण तत्काल वहां पर चार-पांच आदमियों की मौत हो गयी और कई गम्भीर रूप से घायल हो गये। ऐसी घटनाएं आये दिन होती रहती हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया उस घाटी में इस प्रकार के लोहे के खम्भे लगवा दिये जाए ताकि कोई भी चीज जाकर उससे टकराये तो कम से कम उस पांच सौ फीट गहरे खड्डे में तो नहीं जाए और भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं वह कम से कम रुक जाए। पहले भी मैंने उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में निवेदन किया था लेकिन सरकार ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है। इसमें लाखों रुपयों का नुकसान सरकार को भी हुआ है, परिवहन मंत्री हैं उनको भी नुकसान हुआ है। ऐसी खटारा बसें हमारे यहां लगा रखी हैं जिनसे भी आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं, न तो उनमें ब्रेक है न उनके कोई गियर सही होते हैं, जिससे हमेशा उनसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, वह सरकार

(श्री रामस्वरूप मीणा)

को तत्काल इस बात के लिए पाबंद करें कि यह जो इस प्रकार से मौतें हो रही हैं, इन घटनाओं से जो रोजाना आदमी मर रहे हैं, कृपया आप वहां पर इस प्रकार के खम्भे लगवा दें, लोहे के ताकि लोग मरने से बच जाएं और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं न हों। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रावत। (अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह (महुआ) : पांच सौ फीट की बजाय सौ फीट पर ही गिर जाए ऐसी कोई व्यवस्था हो।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी, सदस्य विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम याचक हैं ही नहीं।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं,

पाली के वार्ड संख्या 16 में जल निकासी बाबत

(1) जिला पाली के वार्ड संख्या 16 मंडियां में जल निकासी बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

पंचायत समिति रोहट (पाली) में दुधिया ग्राम के पास पेयजल उपलब्ध कराने बाबत

(2) जिला पाली पंचायत समिति रोहट में चोंच, चौकीदारों की ढाणी दूधिया ग्राम के पास पेयजल उपलब्ध कराने बाबत। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

छत्तरगढ़ (बीकानेर) में नई राजस्व तहसील

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तरगढ़ जिला बीकानेर में नई राजस्व तहसील स्वीकृत करने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सदन में उपस्थापित करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरतसिंह।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी को ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज से एक सप्ताह पूर्व झालावाड़ जिले के उप जिला प्रमुख करण सिंहजी की मंगधार में शाम के साढ़े पांच बजे करीब चार लोगों ने, जो घात लगाकर एक दुकान में बैठे थे, उन्होंने उप जिला प्रमुख की हत्या कर दी। माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे सम्बन्धित है।

(श्री भरतसिंह)
आज से एक हफ्ता पहले झालावाड़ के उप जिला प्रमुख करण सिंहजी की हत्या चार लोगों ने कर दी और हत्या के बाद हत्यारे जिस मोटर साइकल पर करण सिंहजी आ रहे थे उसी मोटर साइकल को लेकर भागे। यह घटना घटी उसके दस मिनट के अन्दर ही इसकी सूचना मोटर साइकल पर सवार जो व्यक्ति करण सिंहजी के साथ था, उसने पुलिस थाने पर दी। हत्यारे हत्या करके कस्बे में पुलिस थाने की ओर ही गये। उन्होंने चार मोटर साइकल पलटी। बाजार में ऐलान करते गये कि हम करण सिंह को मार चुके हैं, उसकी हत्या कर दी, वह वहां पड़ा हुआ है। घटना के दस मिनट बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट थी और हत्यारे चार मोटर साइकल पलट कर सुनेल मध्य प्रदेश की सीमा की तरफ भागे। वहां एक टेम्पो-ट्रक खड़ी हुई थी उसमें बैठ कर वे फरार हो गये। मैं परसों चौमेला गया था और वहां से गंगधार गया था। जो बात सामने आती है, गंगधार में दिन दहाड़े हत्या होना अब कोई नई घटना नहीं है। यह आम बात हो गयी है कि वहां पर जब हत्या होती है, आपराधिक गतिविधियों में लगे लोग बाग खुले आम दिन दहाड़े हत्या करते हैं और लोगों का कहना यह है कि यह सब कार्यवाही जब तक पुलिस से मिलीभगत नहीं होती, सम्भव नहीं है। करण सिंहजी का स्वयं का आपराधिक रिकार्ड रहा है, उन्होंने खुद ने दिन दहाड़े हत्या की है। मैं यहां पर करण सिंहजी की पैरवी करने नहीं आया। मैं जिस बात पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह बात यह है कि जिस क्षेत्र की यह घटना है वहां पर आम आदमी आतंक के साये में रह रहा है। जिन लोगों ने हत्या की है, वह सुनियोजित रूप से वहां पर छिप कर बैठे थे। करण सिंह से इलाका आतंकित था और जिन लोगों ने उसकी हत्या की है उनसे भी इलाका आतंकित है। उनका चले जाना, उनका नहीं पकड़े जाना, पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिह्न है, क्योंकि यह कहा गया है कि करण सिंह ने जब चन्द्र सिंह प्रधान की हत्या की थी वह पुलिस के संरक्षण में दिन दहाड़े की थी। उस क्षेत्र में हर चौथा व्यक्ति स्मैक के धंधे में लगा हुआ है। स्मैक में जो आदमी लगा हुआ है, पुलिस को व्यापक रूप से पैसा भी दिया जाता है तब स्मैक के धन्धे होते हैं। मध्य प्रदेश से लगी हुई सीमा है। उस सीमा में हत्या करके हत्यारे इस प्रकार चले जाएं तो वहां किस आतंक के साये के अन्दर वह लोग बाग जी रहे होंगे ? करण सिंह की हत्या की जो घटना घटी है उसकी एक दहशत है उस इलाके के अन्दर। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सात दिन में हत्यारे नहीं पकड़े गये। हो सकता है सात माह में भी

(श्री भरतसिंह)

नहीं पकड़े जायें, प्रश्न यह है कि उन लोगों को विश्वास तो हो कि पुलिस पकड़ने में इन्टरेस्टेड है। आज आपकी पुलिस की, जो प्रशासन की व्यवस्था है उस पर प्रश्नचिन्ह है। कम से कम इतना विश्वास तो पैदा करें कि जो वहां पुलिस की व्यवस्था है वह मुलजिमों को पकड़ने में इन्टरस्टेड है, उनको संरक्षण प्रदान करने में नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खानपुर से आने वाले माननीय विधायक ने यह घटना होने के दूसरे दिन या तीसरे दिन भी मेरे से चर्चा की थी और मैंने इस बात का उनको विश्वास दिलाया था कि यह जिस तरह की स्थिति उन्होंने बताई, गैंगवार भी है, प्रतिशोध भी है, यह जो मारे गये हैं श्री करणसिंहजी, इनका भी जिस तरह का इतिहास आपने बताया, जो स्थिति है और मैंने उसी रोज हमारे डी. जी. पी. साहब से इस बात की चर्चा की कि यह पकड़े जाने चाहिए और मुझको जो कल तक सूचना मिली है कि पहचान करने की स्थिति में वह आ गये हैं और चार मोटर साइकल एक के बाद एक बदलते हुए भाग गये हैं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द हत्यारों तक पुलिस पहुंचेगी और इस पर डी. जी. पी. को विशेष तौर से निगाह रखने के निर्देश दिये गये हैं कि वह सारी तफतीश को अपनी निगरानी में रखें और हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें ताकि वहां पर जिस तरह का भी भय का वातावरण पैदा हो रहा है उसमें कमी आये।

आय-व्ययक, 1998-99 पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट 1998-99 पर वाद-विवाद में कल चर्चा हो रही थी। आज मैं फिर प्रारम्भ कर रहा हूं। सबसे पहले...

श्री उपाध्यक्ष : कुछ अंश रह गये थे आपको बोलने, वह बोलिये। प्रारम्भ तो कल कर दिया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हां, अधूरा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप तो प्रारम्भ कर रहे हो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान से लाटरी बंद की। गरीबों की और आम साधारण नागरिकों की, जो निचले तबके के आय वर्ग के हैं उनका जिस प्रकार से शोषण हो रहा था उनकी तरफ ध्यान देकर इस बजट में जो लाटरी बंद की उसके लिए भी राजस्थान के निचले तबके और गरीब लोगों की तरफ से

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ-साथ स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को जो बजट में सम्मान दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता सेनानियों को जो सात सौ रुपये पेंशन थी उसको एक हजार रुपये किया उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ-साथ सैनिक परिवार कल्याण, द्वितीय युद्ध में भाग लेने वाले सभी सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को जो पेंशन के रूप में सौ रुपये दिये जाते थे उसकी जगह एक सौ पच्चीस रुपये किया है, 300 रुपये किया है उसके लिये उनकी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग कई बार शहर में आंगनबाड़ी केन्द्रों को देखने जाते हैं तो आंगनबाड़ी केन्द्र केवल पेपर्स में या तनख्वाह उठाने के लिए और सामान इश्यू कराने के लिए ही ये आंगनबाड़ी केन्द्र वास्तव में चलते हैं लेकिन इनको व्यावहारिक रूप में लाने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन केन्द्रों के निर्माण के लिए बजट में 202 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जो एक करोड़ पन्द्रह लाख पांच हजार रुपये दिये उसके लिए धन्यवाद।

(13.02)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

इससे एक व्यावहारिक बात आएगी कि जो आंगनबाड़ी केन्द्र केवल कागजों में चल रहे हैं वे फिल्ड में चलेंगे क्योंकि उनकी भी एक समस्या है। बड़े-बड़े शहरों में स्थान नहीं मिलते हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं लेकिन स्थान नहीं मिलते हैं और किराये के कमरों में जो आंगनबाड़ी चलाते हैं वे अपने घर पर ही इसको शो करती है लेकिन इसकी वजह से निश्चित रूप से इसको फायदा मिलेगा।

इसके साथ-साथ जनजाति क्षेत्र में चार आवासीय विद्यालय खोलने का जो निर्णय इस बजट में है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आबूरोड़, कोटडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, शाहबाद ...

श्री हरजीराम बुरड़क : जब आपने कल सारा टाइम धन्यवाद में लिया और आज भी धन्यवाद। यह सारा धन्यवाद एक साथ दे दो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : होलसेल में।

श्री सभापति : कल आप बहुत बोले थे। आप समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अधूरा रह गया था साहब। इसके साथ-साथ मेरे अजमेर जिले के हवाई अड्डे के बारे में जो चर्चा थी......

श्री परसादीलाल मीणा : हो गयी बात कल हवाई अड्डे की। रिपिटिशन नहीं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री किशन गोपाल कोगटा : वह अधूरी रह गयी थी। इसको दुबारा मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि कल यह बात अधूरी रह गयी थी। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री जब अजमेर पधारे थे तब उन्होंने दो करोड़ रुपये स्वीकृत करने की बात कही थी

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

पर जमीन का जहां तक मामला था, माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार की ओर से चाह रहा था कि इस बजट में अजमेर हवाई अड्डे के लिए कुछ प्रावधान होगा पर इसमें कुछ प्रावधान नहीं हुआ इसके कारण हम अजमेर जिले वालों को बहुत निराशा हुई है अतः मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री को कहना चाहूंगा कि कल जब जवाब दें तो अजमेर के हवाई अड्डे के लिए कुछ न कुछ राशि स्वीकृत करें जिससे आने वाले 786 में उर्स पर निश्चित रूप से वहां आने वाले जो जायरीन हैं उनको इसका फायदा मिले। इसके साथ-साथ वहां समस्या जमीन की भी है। जमीन के लिए प्रशासन को धारा -6 की अगर स्वीकृति के लिए आदेश दे दें या राज्य सरकार उस जमीन को एक्वायर कर लें जो प्राइवेट जमीन है, तो यह समस्या दूर हो जायेगी।

इसके साथ-साथ ब्यावर जिले के बारे में कल भी बोला था लेकिन...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : बस एक मेरे क्षेत्र की बात कह कर समाप्त करूंगा। एक अजमेर जिले में आठ म्यूनिसपैलिटी हैं, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर और विजयनगर। माननीय सभापति महोदय, सात म्युनिसिपल एरिया में तो बीसलपुर का पानी है - केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, किशनगढ़, अजमेर, पुष्कर और ब्यावर केवल विजयनगर-गुलाबपुरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पानी की किल्लत होते हुए भी वहां यह योजना लागू नहीं की। हमारे इस विधान सभा क्षेत्र की यह विशेषता रही है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है उसी पार्टी का विधायक यहां से जीतता है, जो विधायक जीतता है उसी की पार्टी की सत्ता होती है।

पिछले 40 साल से कांग्रेस के राज में भी वहां के विधायक भी कांग्रेस के रहे। विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया गुलाबपुरा क्षेत्र की पानी की समस्या है उसको हल करने के लिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और वित्त मंत्री जी को कहूंगा कि यहां के पीने के पानी की प्रोब्लम है उसको दूर करने के लिए बीसलपुर योजना से विजयनगर को जोड़ने की वे घोषणा करें। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सब समस्याओं का समाधान हो गया।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर राजस्थान के आय-व्ययक पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा राजस्थान के चालू वित्तीय वर्ष के बारे में और गत वर्ष के बजट के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने जो हमें सामग्री उपलब्ध करवाई है उसको देखने

(श्री रामनारायण चौधरी)

के बाद यह पता नहीं होता कि गत वर्ष जो धनराशि हमने राजस्थान सरकार को दी थी, जो बजट हमने पास किया था, उस बजट की परफोर्मेंस का इस बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, दूसरे देशों में परफोर्मेंस बजट भी बजट के साथ पेश किया जाता है। उससे पता चलता है कि गत वर्ष जो धन राज्य सरकार को दिया था वह उसने किस प्रकार से खर्च किया है और कितनी उपलब्धियां उसने हासिल की है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में वित्त मंत्री जी ने जो खाका राजस्थान का खींचा है वह बहुत ही शोचनीय है। घाटे का बजट है, घाटे के बजट के बारे में मैं उलाहना नहीं देता हूं। अच्छी सरकारें जो होती हैं उनके बजट घाटे में रहते हैं, सरप्लस में उनके बजट नहीं रहते हैं। सरप्लस का बजट बनिये का बजट होता है। सरकार जो हितकारी बजट पेश करती है उनको घाटा दिखाना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है लेकिन.... (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : निष्क्रिय बनिये का होता है सरप्लस का बजट, अच्छे बनिये का ऐसा नहीं होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमें जो जानकारी दी है मंत्री महोदय ने कि रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है, इसका विवरण दिया है कि एक रुपया कैसे आता है। 7 पैसा राज्य के आबकारी शुल्क से, 3 पैसा टैक्सेशन ऑन व्हीकल्स, 4 पैसा आदर्श टैक्सेज, 9 पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू, 17 पैसा सैन्ट्रल टैक्सेज, 10 पैसा ग्रांट-इन-एड, 24 पैसा इंटरनल बोरोइंग्स, 12 पैसा सैन्ट्रल लोन्स और 14 पैसा बिक्री कर से इनको प्राप्त होता है। रुपया जाता कहां है यह उन्होंने दर्शाया है कि 14 पैसा इंट्रेस्ट पैमेन्ट पर देते हैं, 13 पैसा रीपैमेन्ट ऑफ इन्टरनल डेट, 50 पैसा नॉन प्लान एक्सपैंडीचर पर, 18 पैसा प्लान एक्सपैंडीचर पर और 5 पैसा सैन्ट्रल स्पोंन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर जाता है, ये उन्होंने हमें जानकारी दी है।

मान्यवर, रुपये का सदुपयोग हो, जनता उसको महसूस करे कि हमारे लिए कुछ हो रहा है और जनता को इस बात का संतोष हो, आम मतदाता को, आम जनता को, करदाता नहीं, आम जनता को यह महसूस हो कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, हमारे से ले रही है उसका सदुपयोग हो रहा है। मान्यवर, आज स्थिति यह हो गयी कि आप किसी भी क्षेत्र में नज़र डालकर देख लीजिये कहीं भी संतोष नाम की चीज नहीं है। राज्य सरकार के किसी भी काम से प्रदेश के किसी भी वर्ग में, प्रदेश के किसी भी नागरिक ने, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बिराजे हुए हैं यहां मैं उनसे कन्फेशन नहीं कराऊंगा, उनको करना भी नहीं चाहिए

(श्री रामनारायण चौधरी)

लेकिन यह भी अपने घर पर शांतिपूर्वक जब खाना खाकर लेटें तो छाती पर हाथ रखकर ये सोचें कि आज इस प्रदेश के अन्दर क्या हालत है, क्या स्थिति है ? क्या आप यह महसूस नहीं करते है कि इसमें भारी सुधार की आवश्यकता है ? क्या आप यह महसूस नहीं करते कि सुधारने की तरफ कोई प्रयत्न नहीं हो रहे है ?

सबसे पहले मान्यवर, किसी भी देश में शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप समाज का निर्माण कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आज शिक्षा को लीजिए, मान्यवर, गांवों के अन्दर क्या स्थिति है, पंचायतों में जो प्राइमरी शिक्षा है, उसकी क्या स्थिति है, उच्च प्राथमिक पाठशालाओं की क्या स्थिति है, सैकण्डरी स्कूलों की क्या स्थिति है और क्या पोजिशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की।

प्राथमिक शालाओं के अन्दर आज आप देख लीजिए कहीं भी जाकर, गांवों में प्राइमरी स्कूल में पांच कक्षाओं के पढ़ाने की व्यवस्था है। मंत्री महोदय कल कह रहे थे कि एक अध्यापक था उसकी जगह हमने दो कर दिये। गांवों में आपने पांच कक्षाओं को पढ़ाने के लिये दो अध्यापक किये लेकिन जयपुर शहर में पांच कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आपने पांच और छह अध्यापक दे रखे हैं। एक हैड मास्टर और प्रत्येक क्लास के लिये एक टीचर आपने दिया है। अगर संख्या ज्यादा होगी तो उस हिसाब से ज्यादा होंगे। यह भेदभाव, गांव का और शहर का यह हर शहर में है। जयपुर में ही नहीं चूरू में भी है, झुन्झुनूं में भी, सरदारशहर में भी है, हर शहर में है। जहां शहरों में प्राइमरी स्कूल चलती हैं वहां हर क्लास में एक अध्यापक और गांवों में सिर्फ दो अध्यापक और बाकी अधिकांश स्कूलों में एक अध्यापक। जहां दो अध्यापक हैं वहां अध्यापकों ने समझौता कर रखा है कि 15 दिन वह आएगा, 15 दिन दूसरा आएगा और जो दूरदराज के गांव हैं उनमें अपने हिसाब से आते हैं। दो अध्यापक दूर दराज के गांवों में कहीं भी नहीं जा रहे। मान्यवर, अपर प्राइमरी मिडल स्कूल की पोजिशन आप देख लीजिए कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने हौसला करके, हिम्मत करके आठवीं कक्षा का अबकी बार बोर्ड बैठाया। बोर्ड का रिजल्ट आपके सामने आया। पांच परसैंट , छह परसेंट और कई स्कूलों का जीरो परसेंट, यह रिजल्ट आया। आप यह देख सकते हैं कि आज प्रदेश की शिक्षा की क्या स्थिति है। यही स्थिति आज कालेज की है। यूनिवर्सिटी और कालेज में शिकायत यह होती है कि लड़के आते नहीं है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि लड़के किसके पास आये। लेक्चरार और प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज

(श्री रामनारायण चौधरी)

और कालेज में नियमित रूप से जाएं तो लड़के भी आएंगे और पढ़ाने वाले ही नहीं है, तो लड़के किसके पास जाएंगे ?

आप देखिए कि पंचायती राज को सुदृढ़ीकरण करने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था की थी उस संवैधानिक व्यवस्था का क्या मखौल हुआ है। आज जो धनराशि पंचायती राज संस्थाओं के मार्फत खर्च की जानी चाहिये थी, जिला परिषद पंचायत समितियों और पंचायतों के पास जो धनराशि होनी चाहिये थी, खर्च करने का अधिकार उनको होना चाहिए था वह सारा पैसा आज आप डी.आर.डी.ए. को दे रहे हो। डी.आर.डी.ए. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक नोमिनेटेड रजिस्टर्ड बॉडी है, जिसका पूरा संचालन सरकार की तरफ से होता है। केन्द्र सरकार के आदेश हैं कि डी.आर.डी.ए. के जितने फंक्शंस हैं वह जिला परिषदों को दे दिये जाए। ऐसे आदेश हुए एक साल हो गया लेकिन राजस्थान सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हीं डी.आर.डी.ए. को चला रहे हैं। आज आपने बहुत जोर-शोर से जिला आयोजन समितियों का गठन करवाया, जिला परिषदों के चुनाव करवाये। चुनाव लड़ा लोगों ने, बहुत हौसले से लड़ा। लेकिन निकला क्या ? जिला आयोजन समितियों के पास भी कोई काम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया। उनसे कोई योजना नहीं बनायी गयी। उसके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। वह सब डिफक्ट पड़ी हैं।

जिला परिषद डिफक्ट है। पंचायत समितियों के पास कोई काम नहीं है। डी.आर.डी.ए. जिला कलक्टर पैसा अलॉट कर देता है, इंडिविजुअल काम की मंजूरी वह भेजते हैं और जे.आर.वाई. कुछ काम सीधे पंचायतों में चले जाते हैं, बाकी सेंक्शन पंचायत समितियों में चली जाती है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी और जेई.एन. की देख-रेख में वह काम होते हैं। यह पोपुलर इन्वाल्वमैंट इन स्कीम्स पंचायती राज में इनका कोई महत्व नहीं है। जिला परिषद, पंचायत और पंचायत समिति में कहीं कोई इन्वाल्वमैंट नहीं है, कहीं इनका कोई श्रेय नहीं है। पंचायती राज में आपने 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं का, ओ.बी.सी. का, एस.टी. और एस.सी. का संवैधानिक व्यवस्था के तहत किया लेकिन यह हो जाने के बाद तीन साल हो गये, आज तक आपने इस बात की व्यवस्था नहीं की कि पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, कैसे जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि उनका इन्वाल्वमैंट पंचायती राज संस्थाओं में हो। मान्यवर, जो महिलाएं पंचायतों में, पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में चुनकर आयी हैं, आज अधिकांश महिलाएं पंचायत समितियों में और पंचायतों

(श्री रामनारायण चौधरी)

में सरपंचों के प्रोक्सी उनके हसबैण्ड, उनके फादर-इन-ला, उनक देवर, कहीं उनके जेठ और कहीं सास यह लोग उनको लेकर नहीं आते, खुद ही आते हैं। कई महिलाएं जो सरपंच और पंच हैं उनका अभी तक घूंघट नहीं हटा। आपके यहां मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जहां, झुन्झुनूं जिले में इतनी महिला शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है वहां भी महिलाएं घूंघट निकालकर आती हैं। आपसे बात करते हुए आपकी तरफ घूंघट कर लेंगी दूसरी आंख इधर से खुली रखेंगी। इन हालात को बदलने के लिये राजस्थान सरकार ने तीन साल में कुछ नहीं किया। न किसी को प्रशिक्षण दिया, न किसी को इस लायक बनाया, न उनको कोई फंड्स दिये। इनको डिफक्ट करके पंचायती राज को बदनाम कर रखा है। लास्ट में यह कहना चाहते हैं कि पंचायती राज इस देश के लिये फिट नहीं है, यह असफल हो गया है, यह व्यवस्था खतम होने लायक है।

मान्यवर, प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कुछ वर्णन करने लायक ऐसी स्थिति है कि 15 जून को पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले पर इस बात का धरना दिया गया था कि कानून और व्यवस्था में सुधार किया जाए। जिलों में जो अव्यवस्थाएं, डकैतियां, स्मगलिंग, मर्डर्स, रेप्स, एट्रोसिटिज...

श्री महावीर प्रसाद जैन : साढ़े चार साल में एक धरना भी नहीं दिया था। अब चुनाव आ गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जो हो रही हैं उनके खिलाफ पूरे राजस्थान भर में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियों दी थीं, मेमोरेन्डम दिये थे, कि राज्यपाल के पास हमारे मेमोरेन्डम पहुंचाए जाएं पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मान्यवर, जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया तो कानून और व्यवस्था के संबंध में 15 तारीख को जो गिरफ्तारियां हुई थीं पूरे राजस्थान में, उसका उल्लेख इस बजट में कुछ होना चाहिये था। सभापति जी, आप गौर कीजिये, हमारे इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह जी भाटी पर जोधपुर में कातिलाना हमला हुआ। उस कातिलाना हमले में किसी की गिरफ्तारी नहीं, किसी पर मुकदमा नहीं। आप अंदाज लगाइये इस प्रदेश के ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या कांग्रेस की यही नीति है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर हमला किया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं मेरी बात कह रहा हूं, आपका नम्बर आये जब आप कह देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो यही तो पूछ रहा हूं कि क्या हमारी यही नीति है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ट ट्राइस के लोगों पर हमला किया जाए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एम.एल.ए. बनने से प्रिविलेज हो गया।

श्री सभापति : मुझे आदेश देना पड़ेगा कि मुख्य सचेतक जब भी बोले तो अंकित नहीं किया जाए। मजबूर होकर बोलना पड़ेगा और जब तक मैं नहीं कहूं तब तक अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं ऐसी स्थिति नहीं आने दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य की बात नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी बात कह रहा हूं, मेरे इधर के पक्ष की बात कह रहा हूं। राजस्थान में जो हो रहा है, वह मैं कह रहा हूं।

मान्यवर, इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री भाटी साहब पर कातिलाना हमला हुआ। अभी हमारे झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री भरतसिंह जी ने झालावाड़ के जिला प्रमुख की निर्मम हत्या का जिक्र किया। उन्होंने ही जिक्र नहीं किया, अखबारों में भी आया है। इस प्रकार की हत्याएं झालावाड़ जिले में ही नहीं हुई, इस प्रकार के कातिलाने हमले, जैसे नरेन्द्र सिंह जी पर हुए वह सिर्फ उन पर ही नहीं हुए, हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के समर्थकों पर, हरिजनों पर और महिलाओं पर हुए हैं और हो रहे हैं। जिनका वर्णन हमने जो मेमोरेन्डम दिया था उसमें किया है, पर उसका इस बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मान्यवर, आज जिले में स्मगलिंग करने वाले, अफीम, डोडा पोस्त, दारू आदि के धन्धे करने वाले माफिया लोगों का राज इस प्रदेश में हो रहा है। वित्त मंत्री महोदय ने अभी सीकर और झुन्झुनूं जिले का बजरी और दूसरे सामान का ठेका जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स की रेट 12 परसेंट है लेकिन इन्होंने टनों के ऊपर टैक्स लगा दिया है। 10 रुपया टन, 10 रुपया टन के आधार पर ठेका दिया है। ठेके देने वाला सरकार का पोषक है और इसमें बड़ा भारी घपला है। ठेके नगरपालिकाओं को भी दिये जाते थे लेकिन नगरपालिकाओं की रेट के आधार पर ही वह ठेके होते थे। जो चुंगी की रेट है उस चुंगी की रेट को ठेकेदार घटा नहीं सकता था, लेकिन वित्त मंत्री महोदय ने जो ठेके दिये हैं सैल्स टैक्स के सीकर और झुंझुनूं में उसकी रेट को ही बदल दिया। 12 परसेंट अधिक से अधिक आप चार्ज कर सकते हैं शिड्यूल दी हुई है, उसको आपने 10 रुपये टन के हिसाब से ठेका दिया। लाखों रुपये की लूट, यह दिन-दहाड़े लूट, इस प्रकार के स्केण्डल्स हो रहे हैं।

मान्यवर, प्रदेश में न्याय और व्यवस्था के सम्बन्ध में कल बांदीकुई से आने वाले

(श्री रामनारायण चौधरी)

माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे थे तो, सभापति महोदय, बीच में टोक दिया कि आप न्याय व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं कर सकते। मान्यवर, न्याय व्यवस्था के बारे में जिक्र हम किसी मुकदमे का नहीं करेंगे, किसी जज के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करेंगे लेकिन आम व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है, रेवेन्यू कोर्ट्स की व्यवस्था है उसका ध्यान यदि हम आज के दिन भी सरकार का आकर्षित नहीं करेंगे, तो फिर हमें वह कौन सा मौका मिलता है। आज जुडिशियल कोर्टस, स्टेट के रेवैन्यू कोर्टस, सर्विस ट्रिब्यूनल्स और दूसरी जगहों पर कितने लिटिगेंट्स के आवेदन, उनके मुकदमे पैंडिंग हैं। जुडिशियल कोर्टस, रेवेन्यू कोर्टस और दूसरी ट्रिब्यूनल्स में किस प्रकार से इन मामलों का जल्दी निपटारा हो, राज्य सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। आप कहेंगे कि यह तो अदालत पर निर्भर करता है। अदालत को भी सजग, सतर्क और सचेत रखने के लिए व्यवस्था है। प्राइवेट लिटिगेंट्स के लिए उनके स्वयं के वकील हैं और सरकार की तरफ से देखने के लिए हर मामले पर सरकार के उसमें एडवोकेट्स लगे हुए हैं। उनका यह काम है कि अदालतें ठीक समय पर लगें, ठीक समय पर उनकी सुनवाई हो और लोगों के साथ में इंसाफ हो। इंसाफ का मतलब मेरा यह नहीं है कि वे लोग जजमैंट लिखाएं, यदि उनका डिस्पोजल जल्दी होता है, जल्दी फैसला होता है तो वह भी एक बड़ा इंसाफ है। वे लोग इस बात की कोई चेष्टा नहीं करते। सरकारी वकील में और प्राइवेट वकील के अन्दर कोई फर्क नहीं रह गया है। मैं कहता हूं सरकार के जितने भी वकील हैं वे सारे के सारे प्राइवेट वकीलों से मिले हुए हैं, उधर से भी फीस लेते हैं, सरकार से भी फीस लेते हैं, दोनों तरफ से, दोनों हाथों से वे लूट रहे हैं जब कि उनका फर्ज यह है कि वे अदालत को अवगत कराएं, अदालत को सहयोग दें, अदालत को इंसाफ तक पहुंचने के अन्दर मदद करे। यह प्रयत्न नहीं होकर जितने सरकारी वकील लगे हुए हैं अदालतों के अन्दर, वे दोनों पक्षों से लूट रहे हैं, अदालत को कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। सरकार ने इस तरफ देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है।

मान्यवर, बिजली की व्यवस्था इस प्रदेश में बहुत बिगड़ी हुई है। 25 हजार कनेक्शन आप प्रति वर्ष जो आवेदनकर्ता लोग हैं उनको मैरिट के आधार पर "फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे" के आधार पर उनको अलाटमेंट करते हैं। यह 25 हजार का कोटा आपने किसी भी वर्ष में पूरा नहीं किया। नर्सरी स्कीम के अन्दर गांव वालों ने जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

पैसा दिया है उसके आधार पर आपने बिजली के कनेक्शन की संख्या मिलाकर यहां पेश की है। अगर आप यह बताते कि इतने नर्सरी के हैं, इतने सरकार की तरफ से हैं तो आपको पता चल जाता। नर्सरी के अन्दर रेट 12 हजार रुपये पर पोल पर काश्तकार को कनेक्शन देते हैं। मान्यवर, कुछ जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए कि एक पोल पर कितनी कीमत आप लेते हैं। आप कहीं भी अपने मन को नहीं रोक रहे हैं। एक हजार रुपये पोल की कीमत है और आप चार्ज उनसे कर रहे हैं 12 हजार रुपये और फिर जो निर्णय हुआ है बिजली बोर्ड में वह यह हुआ था कि जिस एरिया के अन्दर, जिस क्षेत्र में नर्सरी के कनेक्शंस हैं, कलस्टर्स स्कीम हैं, वह नर्सरी का पैसा उस क्षेत्र के अन्दर ही बिजली की लाइनों को स्ट्रेंथन करने में, वहां के बिजली स्टेशनों को, वहां के ट्रांसफार्मर्स को और वहां की स्थिति को सुधारने के लिए वह पैसा खर्च किया जाएगा लेकिन वह धन वहां नहीं खर्च करके बिजली बोर्ड के अधिकारी और राजस्थान की पोलिटिकल लीडरशिप उस पैसे का फायदा उठाकर दूसरी जगह पर अपनी वाहवाही लूटने के लिए खर्च कर रहे हैं और अपने रिकार्ड में यह दिखा रहे हैं कि हम बिजली का एक्पेंशन कर रहे हैं परन्तु यह सारा नर्सरी स्कीम का पैसा जो है वहीं खर्च होना चाहिए, उसी क्षेत्र में होना चाहिए, यह व्यवस्था है पर बिजली बोर्ड के लोग उसको वहीं नहीं करके अपने मनमाने ढंग से खर्च करवा रहे हैं। मान्यवर, जिस देश में और प्रदेश में —

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अपनी राय तो बताओ नर्सरी के बारे में ?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी कौन से मामले में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राय बताओ नर्सरी के बारे में ?

श्री रामनारायण चौधरी : नर्सरी के बारे में आम राय यह है कि नर्सरी स्कीम बन्द कर दी जाए, नम्बर वन। लेकिन अगर कोई आदमी अपना पैसा देकर लेता है तो आप उसके अन्दर लूट क्यों मचा रहे हैं ? अगर उसके खर्चा आता है दो हजार रुपये पर पोल—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक्चुअल कास्ट कर दें, खरीददार खुद ले आएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, एक्चुअल कास्ट कर दो। आप कह रहे हो नर्सरी में दे दो क्या दिक्कत है। यह बाद में बात करेंगे, अपन आगे क्यों बढ़ें ? अपन आगे मत बढ़ो। वह बात बाद की है। जितने कनेक्शन आप दे सकते हैं और जितना खर्चा आपको कनेक्शन देने में आता है, जितना खर्चा आप कर रहे हैं, जितना खर्चा

(श्री रामनारायण चौधरी)

आप जो स्वयं लेना चाहे, नर्सरी में समझो, उसका नाम नर्सरी क्यों रखी, उसको सैल्फ फाइनेंस कर दो, स्वपोषित योजना कर दो, इसमें वही लो जो एक्चुअल कास्ट है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : इसमें एक बात है। यह जो नर्सरी के कनेक्शन से गरीब को दिये जाने वाले दो कनेक्शनों का अपन को अगर धन मिल जाता है तो क्या इस रूप में यह फायदेमंद होगी या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके बजट में आने 25 हजार कनेक्शन की व्यवस्था की है या 30 हजार। आप ऑन फण्ड्स, गवर्नमैंट फण्ड्स से कनेक्शन देना चाहते हैं, उनका ओवर एण्ड अबव वह तो आप पूर्ति कीजिए। उसके बाद में ओवर एण्ड अबव, कोई स्वपोषित योजना में लेना चाहते हैं, तो स्वपोषित में उतना ही लीजिए जितना एक्चुअल एक्सपैंडीचर उसमें आता है। लूट मत मचाइये, विरोध है वह लूट का ही हो रहा है वरना लोग देने को तैयार हैं, देते हैं लेकिन आप लूट रहे हैं, बता रहे हैं वह तो एक्चुअल आपका बजटेड एक्सपैण्डीचर है। वह आप खर्च नहीं कर रहे हैं। पिछली बार आपने 25 हजार का रखा था, 25 हजार

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दिये नहीं, कनेक्शन और नर्सरी के अन्दर लोगों को लूटना शुरू कर दिया इसलिये इससे लोगों की नाराजगी बढ़ गयी।

मान्यवर, मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी और माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, आप लोग जिन-जिन विभागों के इंचार्ज हैं, आपने अपने बजट में परिसम्पत्तियों के निर्माण की बात कही है। आपकी परिसम्पत्तियां बन रही हैं लेकिन जितना आपने अंदाज लगा रखा है उसका 50 प्रतिशत भी सही नहीं है। सरकार के अधिकारियों ने उन सबका ओवर एस्टीमेट करके आपको राजी करने के लिये और खुद को बचाने के लिये दिखाया है। जहां पर सड़क है ही नहीं उस सड़क को आपने परिसम्पत्ति में कर रखा है और उस परिसम्पत्ति की क्या वैल्यू है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जिस परिसम्पत्ति की देखभाल, उसकी सालाना रिपेयर, उसकी रोजमर्रा की लुक आफ्टर अगर नहीं है, वह परिसम्पत्ति कितने दिन रहेगी। आज आपकी सरकारी परिसम्पत्तियां हैं, पहले हर साल रिपेयर होती थी, परिसम्पत्तियों की देखभाल होती थी। मान्यवर, आप तो बिराजते नहीं है, सर्कट हाउस में रहते हैं। हम विधायक क्वार्टर्स में रहते हैं और उसका किराया देते हैं। तीन-तीन साल हो गये आज उनकी रिपेयर हुए।

श्री सभापति : आ गया मैं 13-बी में, वहां कुछ नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आ गये तो अब आपको पता चल जायेगा कि क्या स्थिति है।

श्री सभापति : पता पड़ गया है, कुछ नहीं है वहां।

श्री रामनारायण चौधरी : अब आप खुद समझते हैं कि उन परिसम्पत्तियों की कैसी देखभाल कर रखी है। यानि तीन-तीन साल हो गये, कोई मरम्मत नहीं, खड्डे क्वार्टरों में पड़ गये, चूहे घुस रहे हैं, जहरीले जानवर उनमें से निकल रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। हम उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि हमें बजट में राज्य सरकार ने पैसा दिया ही नहीं है। मान्यवर, क्वार्टरों की मरम्मत नहीं होती है, सड़कों की मरम्मत नहीं होती, सड़कों को देखने वाला नहीं है, तो ये परिसम्पत्तियां किस काम आएंगी, मुझे बता दीजिए। परिसम्पत्तियों को तो आप बेचने में लगे हुए हैं। जो स्टेट गैराज था, वहां आपने गणपति प्लाजा बना दिया। वह अरबों रुपयों की सम्पत्ति थी, आपने करोड़ों में बेच दी। किसी जमाने में डाक्टर हेलिस, जयपुर स्टेट हिज-हाइनेस के पर्सनल डाक्टर रहते थे, वह अरबों रुपये की सम्पत्ति है, मान्यवर, जिसको इन्होंने करोड़ों में बेच दिया। जितनी भी परिसम्पत्तियां इस प्रदेश की हैं उन परिसम्पत्तियों की आज लुक आफ्टर करने की बात तो दूर रही, उनको बढ़ाने की बात तो दूर रही आप उनको कौड़ियों के भाव, आधे भाव बेचने के अन्दर लगे हुए हैं। आपने मिट्टी डालकर के ग्रेवल रोड़ बना दी, वह क्या परिसम्पत्ति बनी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, वह तो आपके एरिये के अन्दर और मेरे एरिये में तो जेठ और बैसाख के महीने में सारी पर मिट्टी पर चढ़ गयी। अब अगर उसको परिसम्पत्ति आपको रखना है, तो जितने पैसे लगे हैं उतने उस मिट्टी को हटवाने में लगाओ वरना तो परिसम्पत्ति आपकी खतम हो गयी। तो यह जो लेखा-जोखा हमें प्रस्तुत किया है और जो आपने भ्रमजाल, मैंने तो कहा था कि यह भ्रमजाल है, एक माननीय सदस्य ने तीसरी बार कहा कि यह भ्रमजाल नहीं, यह मक्कड़जाल है, तो यह बजट आंकड़ों का भ्रमजाल है। आपने इनको तरतीब से रखकर के पढ़कर सुना दिया। अच्छी ड्राफटिंग है, सब बातें सही हैं लेकिन वास्तविकता है कि प्रदेश की प्रगति जिस मामले में होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रही है।

आज आपने तीन कॉलेज लड़कियों के खोलने की घोषणा की है। मान्यवर, इस राजस्थान के अन्दर अगर कहीं एजुकेशन लड़कियों की या किसी की भी अच्छी है तो पहले आपके अजमेर जिले में है और आज अगर लड़कियों की और एजुकेशन की डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं बहुतायत है तो झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट नम्बर वन है। झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट

(श्री रामनारायण चौधरी)

टोटल 85 प्रतिशत गांवों के अन्दर है और लड़कियों की सारी एजुकेशन गांवों के अन्दर है। आज वहां एक भी गवर्नमेंट कॉलेज झुंझनूं में हैडक्वार्टर पर या जिले के किसी भी भाग में, किसी भी गांव में, किसी शहर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी हॉस्टल नहीं है और न ही इस बजट के अन्दर आपने कोई प्रोविजन रखा है। क्यों ? ऐसी झुंझुनूं जिले से आपकी क्या नाराजगी है ? पूर्व जन्म की कोई नाराजगी हो तो बात दूसरी है अन्यथा कोई नाराजगी मुझे नजर नहीं आती।

मान्यवर, आज तकलीफ देखिये। हमारे जिले के लड़के और लड़कियां मैरिट के आधार पर दूसरे जिले में एप्लाई करते हैं। दूसरे जिलों के लड़कों को प्रिफरेंस मिले उसके लिये आपने बोनस अंक निर्धारित कर रखें हैं। यह भी उनको दे दीजिए। वह बोनस अंक मिल जाने के बाद अगर कोई जगह बचती है तो आप झुंझुनूं, सीकर, भरतपुर, चूरू इन जिलों के लड़कों और लड़कियों का अगर नम्बर आ जाता है नौकरी में कहीं, किसी स्कूल में, तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन अबकी बार जिस प्रकार का तांडव नृत्य, जो धांधली हमारे जिले की सीकर, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर, उसमें कुछ भाग चूरू का भी था, लड़के और लड़कियां, इनको बाड़मेर, जालौर और चित्तौड़ में, राजवी साहब के वहां, इनकी देखरेख में जो तांडव नृत्य हुआ, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिये, लड़कियों के और लड़कों के सर्टिफिकेट खींचकर, छीनकर जला दिये, फाड़कर फैंक दिये। उनके रिकार्ड, जो टु कापियां बनायी हुई थीं, वह सब छीन लिये और होटलों से पीट-पीट कर उनको निकाल दिया। जहां वे खाना खा रहे थे वहां से उठा लिया, पीट कर निकाल दिया। लाकर बसों में बैठा दिया, रेल में बैठा दिया। + + + बसों में बैठ गये, रेल में बैठ गये दूसरे स्टेशन से उतरकर वहां से जीप करके सीधे वहां पहुंचे, तब जाकर के वे अपने फार्म दे सके। क्यों? बाड़मेर, जालौर और चित्तौड़ क्या राजस्थान के हिस्से नहीं हैं ? सीकर और झुंझुनूं अलवर और भरतपुर क्या राजस्थान के हिस्से नहीं हैं ? उनसे भी आप इस तरह का भेदभाव करें और होम मिनिस्टर साहब की पुलिस ने इन आने वाले लड़के और लड़कियों की, किसी का केस रजिस्टर नहीं किया। पुलिस ने कोई प्रोटैक्शन नहीं दी, बल्कि उन्हीं का साथ दिया, अधिकारियों ने उन्हीं का साथ दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, एक प्रदेश के अन्दर इतना बड़ा भेदभाव आज आप बढ़ा रहे हो। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भंवरलालजी, आपको तो बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि आपकी तो कांस्टीट्यूएंसी हवामहल है। आप तो इसी में + + + बने रहोगे। आपको तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना नहीं है। लेकिन भाभड़ा साहब को तो रतनगढ़ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। डीडवाना से भी लड़ेंगे तो गांवों में जाना पड़ेगा। रतनगढ़ से लड़ेंगे तो अकेले रतनगढ़ के वोट नहीं है। गांवों में जाना पड़ेगा। यह स्थिति आप क्यों बनाना चाहते हैं कि एक जिले का दूसरे जिले में नहीं जाएगा। फिर बाद में यह होगा कि शहर का गांव में नहीं जाएगा, गांव का शहर में नहीं आएगा। यह भेदभाव आप मत फैलने दीजिए। कानून और व्यवस्था की स्थिति को आप सम्भालिये। राजस्थान के अन्दर जो सौहाद्र था उस सौहाद्र और परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को आप बिगड़ने मत दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव अपने रखे हैं, मान्यवर, मैं इस बात को समाप्त करता हूं और यह जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है, इसमें जो इन्होंने जिस तरह से कल्पना की है कि वह रिजल्ट यह नहीं ला सकेंगे, क्यों नहीं ला सकेंगे कि इनकी जो परफार्मेंस है, मान्यवर, एक मिनट में मैं खतम करता हूं। आप चश्मा उठाकर देखने लगे हैं, इसलिए मैं भयभीत हो रहा हूं।

श्री सभापति : मैं तो आपको 10 मिनट से निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : चश्मा उठाकर के ऊपर से देखो या नीचे से देखो, तो आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर के एंगल से। मैं दो मिनट में खतम करूंगा।

इनकी परफार्मेंस अच्छी नहीं है। न इन्होंने कोई पुलिस की व्यवस्था में सुधार के कोई प्रस्ताव दिये हैं और न शिक्षा किस प्रकार से आगे बढ़े, इसके कुछ सुझाव दिये हैं, न इसमें कोई प्रोग्राम रखा है। राजस्थान के लोगों को इस बजट को देखने पर भारी निराशा हुई है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द जी कान्त।

श्री रमाकान्त शर्मा : नाम तो मेरा होना चाहिए, साहब।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, 1998-99 के बजट भाषण पर सामान्य वाद-विवाद चल रहा है। कल कांग्रेस के बजट विश्लेषक माननीय चन्दनमलजी बैद ने कई प्रकार से इस बजट

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

को जन-विरोधी, किसान-विरोधी प्रमाणित करने की कोशिश की। वह छद्म आंकड़े भी प्रस्तुत किये जो सामान्यतया इस बजट के अन्दर कहीं उद्‌भव नहीं होते। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि यह पलायनवादी बजट है। हालांकि पलायनवादी का मतलब उनका भागते-भागते लोगों का बजट, यह कहने का तात्पर्य था। लेकिन पलायनवादी शब्द, मेरे ख्याल से इस मामले में उपयुक्त शब्द नहीं है। अब भागकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी कहां। भारतीय जनता पार्टी वर्षों से जनसंघ के रूप में लगातार राजस्थान की राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिये जब कभी भी विरोध में भी बैठी तो भी उसने या उसके नेता ने बराबर राजस्थान की बहबूदी के लिये, उसके विकास के लिये प्रश्न उठाये, संघर्ष किया है, जनता को प्रेरित किया है इसलिए भारतीय जनता पार्टी भागकर के जा रही है, हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि यह बजट भागती सरकार का नहीं, भावी भाजपा की सरकार का है, यह कहा जा सकता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मुंह धो लो, उल्टी गिनती शुरू हो गयी।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, यह आलोचना की गयी कि करों के अन्दर जो पचास करोड़ की राहत दी है, वह चुनावी बजट होने के नाते दी है। सभापति महोदय, 1991 से लगाकर के आज 1998 तक के सारे बजट उठाकर देख लीजिये। हमने प्रत्येक बजट में इन करों के अन्दर राहत दी है। प्रत्येक बजट के अन्दर करों को हमने घटाया है और उसके उपरान्त कर वसूली जो हुई है, वह पहले के वर्षों से हमेशा अधिक होती रही है। कर घटाने के बाद में भी कर वसूली अधिक। सभापति महोदय, इस राज्य के अन्दर वित्तीय प्रबन्धन के लिये कल उन्होंने कहा था कि यह किसने प्रशंसा कर दी आपकी ? वित्तीय प्रबन्धन का पहला सबूत, करों की दर घटा दी जाय लेकिन फिर भी करों की वसूली अधिक हो यह वित्तीय प्रबन्धन का पहला सबूत है।

सभापति महोदय, वित्तीय प्रबन्धन की प्रशंसा करने के लिये उनको याद होगा, प्रणव मुखर्जी जब प्रशंसा करके गये, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व, प्रधानमंत्रियों ने राजस्थान के वित्तीय प्रबन्धन की प्रशंसा की। राष्ट्रपति महोदय ने प्रशंसा की, राज्यपाल महोदय ने प्रशंसा की और रिजर्व बैंक के गवर्नर तक ने इसकी प्रशंसा की। इसलिए यह आरोप कि वित्तीय प्रबन्धन राजस्थान की सरकार का ठीक नहीं है, यह इन सारी चीजों से समाप्त हो जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : गनर्वर को आलोचना करने का अधिकार है क्या आपकी सरकार का ? वे सही बात कह सकते हैं क्या ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट, घुंघरे जरूर उन्होंने पांवों के अन्दर बांध लिये, खनखना रहे हैं। अगले चुनाव के अन्दर से सीधे हम शायद इस तरफ नहीं होकर इस तरफ आ जाएंगे लेकिन जनता बहुत समझदार है। बहुत सारे प्रश्न इनके लिये बाकी हैं। जिनको मैं बाद में थोड़ा सा कहूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : अब तो चिड़िया चुग गयी खेत, फायदा क्या है ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति इस बात को याद करती रहेगी कि हिन्दुस्तान के अन्दर पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति को पंचायतों और पंचायत समितियों, स्वायत्तशासी संस्थानों के अन्दर अगर किसी ने रिजर्वेशन किया, आरक्षण दिया तो वह पहला राज्य राजस्थान है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह भारत सरकार ने अमेंडमेंट करके किया है।

श्री टीकमचन्द कान्त : भारत सरकार ने तो, पहले हमने यहां कानून बनाया, भारत सरकार ने तो .... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्यों अपना ढिंढोरा पीटते हो ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी।

श्री टीकमचन्द कान्त : भारत सरकार के लिये तो हमने जूठन छोड़ी थी। पहले यहां प्रारम्भ कर लिया था।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरजीराम बुरडक : दिल्ली में क्या कर दिया था फिर ?

श्री टीकमचन्द कान्त : किसान को याद है, उसकी बिगोड़ी माफ हुई है। किसान को वह समय भी याद है, जिस समय कांग्रेस विरोधी सरकार जब 1990 में आयी थी तो हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। दस हजार तक के कर्जे माफ किये थे और आज गंगानगर, आदि जगहों को वह किसान भी यह मानकर चल रहे हैं कि जो वर्षों से खालों का ऋण हमारे ऊपर बाकी था उसको माफ इस राजस्थान की वर्तमान सरकार ने किया है। राजस्व मंत्री जी भैरोसिंहजी शेखावत से पूछ-पूछकर के कि वे कौनसे नियम और कानून जो किसान को तंग किये हुए रखते हैं, उनका सरलीकरण कैसे किया जाए, वे सतत् उस कार्य के अन्दर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान की बहबूदी को ही इस प्रदेश की बहबूदी माना है। किसान अगर यहां का समृद्ध होगा तो यह प्रदेश समृद्ध होगा, किसान की प्रगति होगी तो इस प्रदेश की प्रगति होगी, किसान का विकास होगा तो इस प्रदेश का विकास होगा और इस तरीके से सम्बन्धित जब भी हमने बजट पेश किया, प्रति वर्ष, इससे सम्बन्धित व्यय हमारा बढ़ता गया। मैं आंकड़े दूंगा।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सभापति महोदय, चुंगी माफी की आलोचना की। यह सत्य है कि स्वायत्तशासी संस्थाएं, जो नगरपालिकाएं आदि हैं, उनके स्वयं के पोषण के लिये चुंगी एक ठीक उपाय था लेकिन आज गतिशील जमाना है, इस चुंगी के नाम से रुकने वाला सारा यातायात, इस चुंगी के नाम पर रुकने वाला सारा परिवहन, इस चुंगी के नाम पर रुकने वाली सारी माल-ढुलाई और इस सबका अगर हम हिसाब लगाते चले जाएं तो व्यय में वह भारी पड़ रहा है। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा वित्त मंत्री महोदय को कि उन्होंने उस मांग को, जो वर्षों से लम्बित थी और यह भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तब चुंगी समाप्त करेंगे और हमने चुंगी समाप्त की। हां, यह जरूर बात है, यह कल का प्रश्न था कि 280 करोड़ रुपये आप कहां से लाओगे। लेकिन हमने पिछले आठ वर्षों में यह साबित कर दिया है कि जो हमने धारणा कर ली एक बार पोलिटिकल इच्छा शक्ति की बात है, जो हमने एक बार धारण कर लिया, एक बार इच्छा बना ली, उसकी पूर्ति हम करेंगे, करके रहेंगे और कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अन्दर हमारे को और कुछ कहने की आवश्यता नहीं रहती, हम शायद इसके अन्दर सक्षम हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह जोश नहीं रहा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : घाटे की बजट की बार बार आलोचना होती है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : शायद मैं इसलिए खड़ा हूं। घाटे के बजट की बार बार आलोचना होती है। उसकी लाभ, हानियां, कई प्रकार की बातें होती हैं लेकिन इस बार कांग्रेस का कोई भी माननीय सदस्य, विपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य अब तक यह नहीं बोला कि इस बार का बजट घाटे का नहीं मुनाफे का है, उसमें अधिशेष है, 46 लाख रुपये का। इस बात की प्रशंसा आपने नहीं की, आपको करनी चाहिये। मुझे लगता है कि रचनात्मक विरोध की बात आप कहते हैं लेकिन आपकी बातों के अन्दर मात्र विरोध करने के लिये विरोध होता है, रचनात्मक विरोध की आपकी भूमिका नहीं है।

श्री सभापति : बैठे-बैठे बात मत कीजिए, प्लीज। आप बैठिये प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, इस बात से कैसे इन्कार किया जा सकता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ की थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना बारह हजार करोड़ की। राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने के लिये यह आवश्यक था कि इस योजना के आकार में यह परिवर्तन होता और अब 1990-91 से

(श्री टीकमचन्द कान्त)

चलकर जो योजना का आकार हमारा बढ़ा, उस योजना के आकर के बढ़ने के कारण आज हम जो कह रहे हैं कि राजस्थान को जिस स्थिति पर लाये हैं।

कल बड़ी मजाक हुई थी, आज छठे नम्बर पर नहीं है हम एक नम्बर पर जा रहे हैं। आज हम इस स्थिति में आ गये हैं कि देश के छह विकसित या अग्रणी राज्यों के अन्दर हमारा नम्बर आ गया है वरना हम बारहवें नम्बर पर थे। सभापति महोदय, इसका उदाहरण माननीय वित्त मंत्री के भाषण के अंदर उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि इसके कारण क्या स्थिति हुई। उन गौरवपूर्ण आंकड़ों को वापस इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् यह तुलनात्मक आंकड़ें जो इन्होंने प्रस्तुत किए हैं उन्हें पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 1,716 रुपये थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में जाते हुए वह 2,247 रुपये हो गयी। कैसे नकारा जा सकता है ? किस प्रकार कांग्रेस कह सकती है कि विकास नहीं हुआ ? यह आंकड़ें स्वयं बोल रहे हैं। प्रति व्यक्ति विनियोजन देखिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 876 रुपये था और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह 2,613 रुपये हो गया, लगभग तीन गुना खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन 77 लाख टन था सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर 103 लाख टन हुआ। तिलहन का औसत वार्षिक उत्पादन सातवीं पंचवर्षीय योजना में 13 लाख टन और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 30 लाख टन था।

कपास की गांठों का औसत वार्षिक उत्पादन 6 लाख गांठें सातवीं पंचवर्षीय योजना में, 11 लाख गांठें आठवीं पंचवर्षीय योजना में।

रासायनिक खाद की खपत 28 लाख टन सातवीं पंचवर्षीय योजना में और आठवीं पंचवर्षीय योजना में जाते हुए 61 लाख टन हो गयी। फव्वारा सिंचाई पद्धति 3100 हैक्टेयर था और आज है 74 हजार हैक्टेयर में।

सभापति महोदय, कुओं का विद्युतीकरण। बड़ी मांग थी, बहुत बार आलोचनाएं कीं। गांवों तक में भी यह सन्देश पहुंचाने की कोशिश की कि हमारे यहां विद्युत आपूर्ति बराबर नहीं है। विद्युत का मामला खराब हो गया है। लेकिन यह आंकड़ें बोलते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर कुल कुओं का विद्युतीकरण किया गया था उनकी संख्या थी 79,838 और आठवीं पंचवर्षीय योजना में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भैरोंसिंह शेखावत की सरकार और उसके अन्दर निकलता है

(श्री टीकमचन्द कान्त)

1,22,000। क्या ये आंकड़ें हमारे प्रगति के और हमारे विकास के द्योतक नहीं है ? क्या यह दर्शाते नहीं है ? अब जहां यूनिट के मामले के अन्दर उपभोक्ताओं को बिजली की उत्तमता और उपलब्धता का जहां तक मामला है, सभापति महोदय, 30 मिलियन यूनिट सातवीं पंचवर्षीय योजना में और आठवीं पंचवर्षीय योजना में पांच वर्ष के अन्दर बिलकुल दुगुना यानि 61 मिलियन यूनिट। यह याद रखने लायक आंकड़े हैं और अगर सच्चाई है तो जनता में जाकर बताइए। इन आॅकड़ों को बताइए एक बार...

श्री अमराराम (धोद) : आप तो इतना बता दें कि अभी गांवों को कितनी बिजली की सप्लाई है और जितनी आज सप्लाई है, आज से 50 साल में कभी राजस्थान में हुई है, आप बताओ ?

श्री टीकमचन्द कान्त : इसके लिए बिजली मंत्रीजी को रिजर्व कर रखा है। मैं तो आपको बजट के अन्दर से उपलब्ध आंकड़ों के बता रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय अमराराम जी, प्लीज सिट डाउन। आर्डर प्लीज (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : हां, तो कल चन्दनमल जी का भी वही मायाजाल था और हमारा तो मायाजाल नहीं है, हमारा तो प्रमाण है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप भी मायाजाल कर रहे हो।

श्री अमराराम (धोद) : **प्रमाण ही तो** पूछ रहा हूं।

श्री टीकमचन्द कान्त : **अब उसको** छोड़ें वह हमारे अंदर की **बात है।** (व्यवधान) वह हमारे अंदर की **बात है।**

श्री सभापति : **आर्डर प्लीज।** (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : **और संख्या बढ़** जाती तो न मालूम क्या कहते। (व्यवधान)

श्री सभापति : **प्लीज, प्लीज कैरी** ऑन। कैरी ऑन, जल्दी कीजिए। **आपकी** पार्टी के और सदस्यों का **भी समय है।**

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : राम-राम समझे कैरी ऑन को।

श्री टीकमचन्द कान्त : अच्छा, अंग्रेजी पढ़े हो।

श्री सभापति : प्लीज-प्लीज। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : इन्हीं विकास के सतत् प्रयासों के कारण राज्य का **सकल** उत्पाद बढ़ा है प्रचलित कीमतों में **जो वर्ष** 1992-93 में 26,457 करोड़ रुपये **था वह** बढ़कर 1997-98 में त्वरित **अनुमानों के** अनुसार 52,482 करोड़ रुपये हो गया।

सभापति महोदय, 1991-92 में **शिक्षा,** स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, **सफाई,** कृषि, ऊर्जा और सड़कों पर कुल **व्यय** 2,513.36 करोड़ रुपये था वह **चालू वर्ष** में 6,905.66 करोड़ रुपये हो **गया। कहां** तो 2,513.36 करोड़ रुपये **और चालू वर्ष** में 6905.66 करोड़ रुपये, यह **प्रावधान है।**

(श्री टीकम चन्द कान्त)

सभापति महोदय, उन आंकड़ों को जो इस बजट के अन्दर प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें एक बार में पुनः चाहूंगा इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करूं और उन आंकड़ों में शिक्षा के अन्दर 1991-92 के अन्दर वास्तविक व्यय जो हमारा 894.59 करोड़ रुपये था, वह 1998-99 के अन्दर 2,992.49 करोड़ रुपये हुआ।

श्री परसादीलाल मीणा : वह तो सारा पढ़ लिया। सबके पास है यह जानकारी।

श्री टीकमचन्द कान्त : इसी प्रकार से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए 300.36 करोड़ रुपये था वह बढ़कर 747.53 करोड़ रुपये हो गया। जलापूर्ति, सफाई, कृषि, सिंचाई, उर्जा और सड़कें इन सबमें बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, कितनी बार कहना पड़ेगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, उद्योग और खनिज के क्षेत्र में 1991-92 की तुलना में 1998-99 में दोगुने व्यय का प्रावधान है। ग्रामीण विकास और विषयक क्षेत्र कार्यक्रमों में 1991-92 की तुलना के अन्दर ढाई गुना अधिक व्यय हुआ है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना...

श्री सभापति : वह तो आप कर रहे हैं शुरू से ही। प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं चाहता हूं समाज कल्याण के लिए बोलूं। सोशल सर्विसेज का ज्यादा महतव है। जिस बजट में सोशल सर्विसेज के लिए अधिक व्यय हो वह बजट ज्यादा कल्याणकारी माना जाता है। जिन सरकारों ने अपने बजट के अन्दर प्रति वर्ष वृद्धि सामाजिक सेवाओं के व्यय के अन्दर की हो, उस बजट को हम जनहितकारी, गरीबों का हितकारी मानते हैं और यह आंकड़े जो प्रस्तुत हैं जिन्हें मैं 1994-95 से लेकर 1997-98 व 1998-99 तक के प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। उसमें सामाजिक सेवाओं पर भी हमारी वृद्धि प्रति वर्ष इस व्यय के अन्दर हुई है अतः यह साबित करता है कि यह जो हमारा बजट है वह गरीबों का बजट है, लोक-कल्याणकारी बजट है, सामान्य जनता का बजट है।

सभापति महोदय, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के अन्दर 1994-95 के अन्दर जब हमारे पास में 1,45,227.64 रुपये का व्यय था वह 1995-96 में बढ़ा, 1996-97 में बढ़ा, 1997-98 में बढ़ा और 1998-99 में जाते हुए 2,96,771.26 हो गया। सभापति महोदय, इतनी वृद्धि हुई है। चिकित्सा आर स्वास्थ्य के अन्दर 4686.94 व्यय जो 1994-95 में था, राजस्व व्यय, एक्सपेंडीचर आन सोशल सर्विसेज, वहां 1995-96 में बढ़ा, 1996-97 में बढ़ा, 1997-98 में बढ़ा और 1998-99 में वह 79,370.89 बढ़ गया। सभापति महोदय, इसको एक उछाल कह सकते हैं, इसको एक

(श्री टीकमचन्द कान्त)

छलांग कह सकते हैं। हमने कहीं भी किसी भी वर्ष में किसी भी कारणवश उसको घटने नहीं दिया।

सभापति महोदय, जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास 32,230.35 लाख 1994-95 में था, वह बढ़ते-बढ़ते आज 1998-99 के अन्दर लगभग दोगुना 61,952.04 हो गया।

सभापति महोदय, इसी प्रकार श्रम एवं श्रम कल्याण 1994-95 में 1892.82 लाख था वह 1995-96-97 में बढ़ते-बढ़ते 1998-99 के बजट के अन्दर 3662.90 हो गया। यह भी दोगुना हो गया, सभापति महोदय।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण। 1994-95 के अन्दर हमने 6253.09 व्यय किया था वह बढ़ते-बढ़ते आज 1998-99 के अन्दर 9323.36 हो गया डेढ़ गुना हो गया।

समाज कल्याण, पोषाहार एवं प्राकृतिक विपदाओं से राहत जो 19,839.06 1994-95 में था वह व्यय बढ़ते-बढ़ते आज 1998-99 के बजट के अन्दर 34,235.70 हो गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, इस प्रकार यह सारे आंकड़ें, यह बताते हैं कि यह बजट जो इस बार प्रस्तुत किया गया है यह गरीबां का बजट है, यह गांव का बजट है, यह जनहितकारी बजट है, यह राजस्थान के विकास का बजट है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ही समाज कल्याण विभाग की बातों को आपके सामने रखे बिना शायद मेरा भाषण अधूरा रहेगा इसे मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय, 1979 के अन्दर विशिष्ट संगठन योजना प्रारम्भ की थी, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का अर्थ यह था कि अनुसूचित जाति, उनकी बस्तियां, उनकी प्रजा, उस जनता के लिये प्रत्येक विभाग में से एक प्रतिशत, एक विशेष प्रतिशत प्रवाह उनके लिए जारी रखा जाए जिसके कारण प्रत्येक विभाग उस जनता के समक्ष रख कर के, उनकी उन्नति के लिये कार्य करे। उस समय 1989-90 में उसके प्रवाह पर दृष्टि जाती है तो मात्र 637.96 करोड़ था और यह सारा का सारा, सम्पूर्ण विभागों के अन्दर से 16 प्रतिशत जो अनुसूचित जाति के लिये कार्य में आना चाहिए था उसका मात्र यह प्रवाह था पूरे बजट के अन्दर। सभापति महोदय, आज मैं आपको आंकड़ें दूंगा, 1997-98 तक में वह प्रवाह 2672 करोड़ रुपये हो गया।

सभापति महोदय, शैक्षणिक विकास हेतु समाज कल्याण विभाग के 554 छात्रावास चल रहे हैं और 1998-99 के अन्दर हमने 50 और नये छात्रावस चलाएंगे और जितने भी छात्रावास किराये के अन्दर चल रहे थे

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उनकी जगह 116 नये भवनों का हमने निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया है और इस प्रकार से अनुसूचित जाति के, जनजाति के जो भी बाल उन छात्रावासों में पढ़ते हैं उनके लिए सरकारी भवन नये सिरे से, अच्छे ढंग से, नया नक्शा बनवा कर के बनवाने प्रारम्भ कर दिये हैं, बना लिये हैं। जर्मन सहायता से 120 करोड़ की लागत से 12 आवासीय विद्यालय हमने बनाने का निर्णय लिया है।

सभापति महोदय, अगर इस वर्ष की थोड़ी सी संभाल कर ली जाए तो क्या परिणाम होता है, यह बताना चाहता हूं। छोटी सी घटना है। वर्ष 1997 में टौंक में छात्राओं और जिला बारां में अटरू में छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों के अन्दर शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया था। प्रथम सत्र में ही छठी से आठवीं तक कुल 151 अध्ययनरत छात्र-छात्राएं थे उनका परिणाम 96 प्रतिशत रहा। एक प्रयोग है। अगर इस कमजोर वर्ग के लोगों की संभाल कर ली जाए उनके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो वो किस प्रकार के परिणाम लाकर दे सकते हैं, यह इसका उदाहरण है। सभापति महोदय, उन छात्रों में से मिडल बोर्ड के 39 छात्र हैं। कल मिडल बोर्ड की बात चल रही थी, 10 प्रतिशत से अधिक परिणाम नहीं आये, यह बात किसी माननीय सदस्य ने कही। मिडल बोर्ड में 39 छात्रों में से, यह जो प्रयोग हो रहा है, इनमें से 38 छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 35 छात्रों ने प्रथम श्रेणी अर्जित की।

श्री परसादीलाल मीणा : मिडल स्कूलों का रिजल्ट क्या रहा ?

श्री टीकमचन्द कान्त : मिडल स्कूल का ही बता रहा हूं।

श्री सभापति : प्लीज आपस में बात न करें। अब आप समाप्त करें, टीकमचन्द जी।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं बता रहा हूं। बात तो पूरी करूं।

छात्र और छात्राएं जिनको मैस भत्ता मिलता था समाज कल्याण के छात्रावासों में, वह जब हम शासन में आये तो 170 रुपये था और उसके बाद हमने 250 किया, 350 किया और इस बार के बजट में हमने 450 किया। संभाल लेने की बात है। 100 रुपये देते थे...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : पब्लिक स्कूलों के अन्दर भी हमारा, अनुसूचित जाति का बच्चा वंचित नहीं रह जाए इसलिए हमने कहा है ..(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं समाप्त तो करूंगा, मेरा समय तो मुझे दीजिए।

श्री सभापति : नहीं, अब तो समय बहुत ले लिया आपने। आपकी पार्टी के और भी सदस्य बोलने वाले हैं। There is a list of about 12 persons.

श्री टीकमचन्द कान्त : कुछ बातें और भी हैं, वह कहनी पड़ेगी।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे भी पब्लिक स्कूलों से, पब्लिक स्कूलों की शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए इसके लिए 55 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे को पब्लिक स्कूलों के अन्दर पढ़ाने हेतु विशेष छात्रवृत्ति हमने स्वीकृत की है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, स्कूलें हमने बहुत खोलीं प्राथमिक स्तर से लेकर के, मैं उसकी संख्या में नहीं जाऊंगा और माननीय सदस्य कहेंगे लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा। मैं भी बड़ा आलोचर रहा हूं हमारे शिक्षा मंत्रीजी का। कहां-कहां नीतियां बनाते हैं, क्या-क्या करते हैं, मास्टरों के ट्रांसफर्स नहीं करते बहुत सारी बातें हैं, बड़ा असंतोष है लेकिन एक पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो प्रतिवेदन आया है शिक्षा मंत्रीजी उसके अन्दर लिखा है और जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनको देखकर लगता है कि यह शिक्षा मंत्रीजी का जिद्दीपना हमें पसन्त जो नहीं है लेकिन जो वृद्धि हुई है और जिस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं वह ठीक लग रहे हैं...

श्री हरिसिंह (महुआ) : सारे मास्टर खुश है आपसे।

श्री टीकमचन्द कान्त : उत्तीर जो हुए हैं 1994 से लगाकर 1998 में, ज्यादा मैं नहीं कहता, 1994 के अन्दर जो संख्या 9.25 प्रतिशत थी उत्तीर्ण होने वालों की प्रथम श्रेणी में, वह 1998 में 19.99 हुई है। द्वितीय श्रेणी के अन्दर 38.61 प्रतिशत था वह 53.43 प्रतिशत हुआ है अब आर उसी 1994 के अन्दर तृतीय श्रेणी के अन्दर 48.75 प्रतिशत था। अब देखिये साहब, यह तृतीय श्रेणी बढ़ी नहीं है। तृतीय श्रेणी के परिणाम में अवनति हुई है, कमी आयी है वह है 25.74, कहां उस समय 48.75 प्रतिशत तृतीय श्रेणी में पास होते थे और कहां आज 25.74 हैं और श्रेणी रहित जो 3.39 थे वह अब 0.84 हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको विद्यार्थियों से मतलब नहीं है।

श्री टीकमचन्द कान्त : इस प्रगति का इस हमारे कार्य को किस रूप के अन्दर आप देखेंगे ? आप तो खैर आलोचना करेंगे लेकिन जनता तो मानेगी कि नहीं कि हमारे कार्य हुए हैं, वे उचित हुए हैं वे ठीक हुए हैं।

(14.12 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर सड़कों की बात नहीं की गयी तो बात अधूरी रह जाएगी। एक जीता जागता विकास, सामने दृष्टिगोचर होता विकास, गांवों को परिवहन से जोड़ता, गांवों की गति जोड़ता, गांवों को सड़कों से जोड़ने वाला यह जो विकास है वह आंखों के सामने दृष्टिगोचर होता है। उस विकास

(श्री टीकमचन्द कान्त)

के बारे में थोड़े से आंकड़े नहीं दूंगा तो उचित नहीं होगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 1990 तक राज्य में जहां लगभग 10 हजार 7 सौ गांव सड़कों से जुड़े हुए थे, वर्ष 1997 के अन्त तक 19 हजार 5 सौ गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसान की फसल ले आओ तत्काल।

श्री टीकमचन्द कान्त : बी. ओ. टी. के आधार पर पूर्ण की जाने वाली परियोजनाएं इससे पहले मध्य प्रदेश में हुई थीं लेकिन जिस आधार पर राजस्थान के अन्दर हुई हैं वह वैसा नहीं है.

श्री परसादीलाल मीणा : टौंक से कोटा तक की लाइन पूरी साफ है। गाड़ी झालावाड़ में जाकर रुकेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां देखने को कुछ नहीं मिलेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अपनी फोटो तो टंगवा दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, फोटो टंगी हुई है।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 28289 थी वह 1996 में जाकर 39044 हो गयी है। इतनी वृद्धि ग्रामीण सड़कों की।

राजस्थान के अन्दर भवनों पर जो खर्चा हुआ है वह इस बार 1991 से लगाकर 1995-96 तक 26,383.25 लाख इतने वर्षों में।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार राजस्थान का विकास जब हम इस बार आपको चेलेंज करते हैं, जब विकास के काम हमने अपने हाथ में ले लिये, प्रत्येक क्षेत्र के जब विकास के काम लेकर उनको छापकर के बता दिया तो लोग एक बार यह कहेंगे कि अब चूंकि यह विकास की गति, जिस प्रकार विकास का आधार भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अन्दर गांव-गांव तक कायम किया है उसको निरन्तर अगर बनाये रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही दुबारा शासन में रखना पड़ेगाद्य लोगों को मालूम है कि विकास के नाम पर जब कांग्रेस के हाथ में शासन आ गया तो विकास का पैसा और प्रजा का धन जेबों में जाएगा, वह गांवों में लगेगा या नहीं लगेगा यह आशंका है। आज कार्यकर्ता और लोग कह रहे हैं कि यह जो विकास की गंगा बह रही है उसमें कहीं विरोध पैदा नहीं हो जाए। अगर इस शासन के अन्दर परिवर्तन आ गया, भाजपा की जगह कांग्रेस आ गयी तो इस शासन के परिवर्तन के साथ विकास की गंगा कहेगी या नहीं इसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कहें कि यह तो आपरेशन लक्ष्मण खींची जारी रखें।

श्री परसादीलाल मीणा : टीकम चन्दजी, आप तो यह बता दें कि आप अबकी बार सिवाना से लड़ेंगे या रेवदर से लड़ेंगे ? कहाँ से लड़ना है आप बताओ ?

श्री टीकमचन्द कान्त : पार्टी तय कर देगी वहीं स लड़ लूंगा। पार्टी तय करेगी। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : ये लालसोट से लड़ेंगे आप तैयार हो जाओ।

श्री परसादीलाल मीणा : दोनों जगह जमानत जब्त हो जाएगी।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न, सबसे बड़ा भारत की जनता पूछ रही है..

श्री राजेन्द्र पारीक : रेवदर की जनता पूछ रही है कि आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया ? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : राजस्थान की जनता राजस्थान पर गर्व करने वाली जनता इस भारत माता के सपूत होने पर गर्व करने वाली जनता एक प्रश्न पूछेगी कि क्या यह देश अगर कांग्रेस को वोट देगा, यह प्रदेश अगर कांग्रेस को वोट देगा तो देश के ऊपर शासन कहीं इटली का तो नहीं हो जाएगा ? (व्यवधान) यह प्रश्न जनता पूछेगी और कहेगी। यह बहुत बड़ी बात है। मेरे दिल में छेद हो रहा है। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को भी बार-बार कहता हूं कि इस भारत भूमि पर एकाध राष्ट्र भक्त खड़ा कर दो, इस देश को अच्छे कांग्रेसी की भी आवश्यकता है, राष्ट्र भक्त कांग्रेसी की भी आवश्यकता है। इसमें से एक तो ऐसा नेता खड़ कर दो। यह सही बात है कि अगर हम भी इतने लम्बे वर्षों तक रहें तो सत्ता ज्यादा दिन तक आदमी को खराब कर सकती है। उस समय हमको एक विकल्प चाहिए लेकिन राष्ट्रवादी विकल्प होना चाहिए। कम से कम देश की धरती में से एक तो खड़ा कर दो। यह मेरा देश, बड़ी + + + आती है।

एक प्रश्न पूछा जाएगा की पोकरण के अन्दर जब विस्फोट किया, यह राष्ट्रीय गौरव की घटना थी, यह राष्ट्रीय सम्मान की घटना थी, यह राष्ट्र के स्वाभिमान की घटना थी और उस घटना पर कांग्रेस तीन दिनों तक चुप रही। उस घटना के विरोध के अन्दर कांग्रेस के प्रवक्ता बोले कि हम रोटी कहां से लाएंगे। सिर्फ रोटी के लिए जीना है तो आज अमेरिका को लिखकर दे दो तो वह रोटी दे देगा ? अगर सिर्फ रोटी के लिए जीना है तो अंग्रेजों को क्यों भेजा यहां से? उस समय अंग्रेज कहा करते थे कि बरबार हो जाओगे हमको मत भेजो, हमीं तुम्हारे ऊपर शासन कर सकते हैं। तब हमने कहा कि अम आधी खा लेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन हम विदेशियों का शासन स्वीकार नहीं करेंगे। देश के अन्दर स्वाभिमान की घटना घटी। आज विदेशियों के एजेंट बनकर के इस देश के अन्दर बातें करते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : भाजपा की नीति निर्धारण .. (व्यवधान) किसकी बात कर रहे हो ?

श्री टीकमचन्द कान्त : अमेरिका चाहता है कि इस देश का आदमी बोले कि पोकरण का विस्फोट ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : स्वतंत्रता के आन्दोलन में भारतीय जनता पार्टी का कोई

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार उपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आदमी था क्या ? जिसने सिर कटाया हो, जिसके परिवार के किसी ने खून दिया हो, खून बहाया है और किसी ने शहादत दी हो? है कोई आदमी आपकी पार्टी का ?

श्री मदन दिलावर : कुछ जानकारी करो, अध्ययन करो। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय जी-7 के देश चाहते हैं कि भारत का नागरिक इस गौरव ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बजट पर बोलने के लिए कुछ है नहीं। बजट पर बोलो, बजट कैसा दिया है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : आज जी-7 देशों के अन्दर...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको तो बोलने की आजादी ही कांग्रेस ने दी थी वरना सामन्तशाही में आपको अपनी जूतियों पर बैठाते थे। बोलने की आजादी दी तब आप मंत्री बन गये, राजस्थान विधान सभा में विराजमान होकर गूंज रहे हो। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ओ हो, ओ हो ।

श्री राजेन्द्र पारीक : और माननीय टीकमचन्द जी कान्त,...(व्यवधान) कांग्रेस ने आपको बोलने की आजादी दी। कांग्रेस ने आपके मुंह में जुबान डाली वरना सामन्तशाहों के पांवों की जूतियों में आप बैठते थे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सोनिया गांधी नने कितने अंग्रेजों को बाहर निकाला था ? कौनसी लड़ाई लड़ी थी सोनिया गांधी ने आजादी की जरा बताइये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी ही बिल्ली और हमसे ही म्याऊं।

एक माननीय सदस्य : पारीक साहब, सामन्तों के खिलाफ बोलने से पहले गुलाबसिंह जी से पूछ लिया क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + आप क्या बोलोगे ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : + + +

श्री किशन गोपाल कोगटा : गांधी जी + + + दिया है। गांधी जी के नाम का दुरुपयोग किया है और अगर दुरुपयोग नहीं करते जो आज यह स्थिति इस देश की नहीं होती। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, जी-7 के देशों के अन्दर इटली भी शामिल है यह मैं फिर बता देना चाहता हूं और यह देश नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। यह देश नहीं चाहते हैं कि एशिया के अन्दर भारत परमाणविक शक्ति बने, देश के साथ खड़ा होना चाहिए था इस राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था। तैयार बैठा था पाकिस्तान तो। एक बार गौर बना लिया, गजनी आ रहा है यह संसार के हालात की बात कर

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

रहा था और हमने समय पर अगर यह नहीं किया होता तो यह पाकिस्तान और चीन जिस प्रकार का पंजा फैलाकर बैठे हुए हैं, इस भारत देश को न मालूम कहां ले जाते। उपाध्यक्ष महोदय, यह घटनाएं कुछ इस देश को बनाने के लिए की जानी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं इन्दिरा गांधी को, आपकी आत्मा इतने वर्षों के बाद जब हमारे साथ में शासन आया तब जगी। इतने वर्षों में बीच के अन्दर कांग्रेस के जितने भी लोग आये उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाये। धन्यवाद दो इन्दिरा गांधी को। लेकिन अब बहुत ज्यादा धन्यवाद वाजपेयी को दो तब कहीं जाकर कल्याण है। राष्ट्र विरोधी ताकतें लेकर अगर समाज के अन्दर चले गये तो मतदाता आपको माफ नहीं करेंगे।

श्री मदन दिलावर : राष्ट्र से क्या लेना है इनको, इनको तो इनकी कुर्सी चाहिए। बांग्लादेश को तीन बीघा जमीन नहीं देंगे। आपकी तरह राष्ट्र को बिकने नहीं देंगे। (व्यवधान) हम राष्ट्र भक्त लोग हैं आपकी तरह + + + नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : न आप राष्ट्र को जानते हैं, न भक्ति को जानते हैं। दिलावर जी, आप अनुसूचित जनजाति के होते हुए भी इस मनुवादी व्यवस्था के समर्थक हो। यह + + + की बात है।

एक माननीय सदस्य : बहुत सुघड़ता से बात कही हैं।

श्री मदन दिलावर : आप मनु जी के बारे में जानते हो क्या ? क्या है, कौन है मनु जी, कोई अध्ययन है क्या ? कुछ जानते हो ? वह कौनसी किताब है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : में सब जानता हूं आपसे बहुत ज्यादा पता है आपकी तरह मैं मैट्रिक फेल नहीं हूं।

श्री मदन दिलावर : भेड़ें चराई होंगी, मनु जी को नहीं पढ़ा होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : खूब पढ़ा है। मदन दिलावर को टिकट क्यों मिला और मंत्री पद क्यों मिला ? ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आ जाओ, दोनों आश्वस्त कर लेते हैं। आप आश्वस्त हो जाइये...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह भी मैंने पढ़ा है कि अपराधियों को इनाम इसी पार्टी में दी जाती है। कांग्रेस में नहीं दी जाती।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इन बातों के अलावा एक दूसरा निदेवन थोड़ा करना चाहता हूं। एक तो मार्बल वाले पर जो टैक्स 16 से 12 प्रतिशत आपने किया है वह उस 12 प्रतिशत से पूरा होने वाला नहीं है। मार्बल के ऊपर एक्साइज जिस प्रकार से दो बार केन्द्र ने लगायी है उसके बाद मार्बल का

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री टीकम चन्द कान्त)

व्यापार इस राजस्थान के अन्दर घट गया है, हिन्दुस्तान के अन्दर 90 से 95 प्रतिशत मार्बल का उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके अन्दर आज तीन लाख से अधिक लोग कार्य करते हैं और मार्बल का कार्य करने वाले लोगों की, उन श्रमिकों की हालत खराब हो रही है। मार्बल की सारी की सारी फैक्ट्रियां अब बीमार होने जा रही हैं। ऐसी अवस्था के अन्दर मेहरबानी करके यह राजस्थान की सरकार केन्द्र के वित्त मंत्री को जोरदार शब्दों के अन्दर बात कहे। उसके साथ जैसे भी बैठक करनी हो, तो बैठक करें लेकिन राजस्थान के अन्दर से मार्बल के ऊपर लगा हुआ यह एक्साइज हटाइये। इसके साथ ही साथ राजस्थान भी 16 से 12 प्रतिशत सैल्स टैक्स पर आया है उस सैल्स टैक्स को चार प्रतिशत ले जाएं। मेरा यह निवेदन है मार्बल के बारे में।

उपाध्यक्ष महोदय, बजरी का जहां तक सवाल है कि उसके ऊपर किसान, गांवों का व्यक्ति अपना छोटा सा घर बनाने के लिए किसी नदी में से बजरी ले जाता है तो उसके लिए 25 और 50 रुपए उसको भरने पड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजरी के ऊपर से टैक्स को हटाया जाए। चौथाई कीजिए, दसवां भाग कीजिए लेकिन इस बजरी के ऊपर पचास रुपया प्रति ट्रैक्टर, साठ रुपया प्रति ट्रेक्टर गांव वाले देने के लिए राजी नहीं है। हर बार यही प्रोब्लम हमारे सामने आती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष जी, न केवल टैक्स वसूला जाता है, 12 प्रतिशत के बजाय दस रुपया प्रति टन लिया जाता है और वह भी एक ट्रक में 9 टन बजरी आती है उसके बजाय 15 टन का पैसा वसूलते हैं और केवल इसलिए वसूलते हैं ताकि वह सारे के सारे ठेकेदार बी.जे.पी. को आने वाले चुनावों में पैसा दें। इसलिये यह सारी की सारी गुंड़ागर्दी इन्होंने मचवा रखी है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति किसान और काश्तकार के प्रति और कोई नहीं हो सकती।

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह चुंगी के बारे में बता रहे हैं। चुंगी माफ की जा चुकी है। इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कांग्रेस के जमाने में न चेजा पत्थर का पैसा लिया ज़ाता था, कांग्रेस के जमाने में न बजरी का पैसा लिया जाता था। दस रुपये टन से पैसा वसूल करके ठेकेदारों को खुली मनमानी करने की छूट दे रखी है आप लोगों ने।

श्री मदन दिलावर : इनकी बुद्धि पर बजरी पड़ गयी है, ईट पत्थर पड़ गये हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। दुर्भाग्य है उस जिले के अन्दर रेगिस्तान के अन्दर लोग डोडे, पोस्त और अफीम का उपयोग करते हैं और बुरा लगता है। सामाजिक सुधारों की तरफ देखा जाए

(श्री टीकमचन्द कान्त)

तो न मालूम एक ऐसा कड़क कानून आ जाए जो इन सबको बंद कर दे लेकिन यह स्वाभाविक नहीं है। यह हो नहीं सकता। जवान पीढ़ी तो पीती हैं या नहीं लेकिन उस बूढ़े मां-बापों को वह पाल रहा है जो पोस्त और डोडे पर जिन्दा है। मैं पोस्त-डोडे की वकालत नहीं कर रहा, अगर कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए, लोगों को तैयार किया जाए, कोई कैम्प लगाएं उसमें पोस्त डोडे उनसे छुड़वा दो। यह आवश्यक भी है लेकिन जो लोग पोस्त डोडे के बिना खाट पर से खड़े नहीं हो सकते –

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष जी, बोर हो गये भाषण सुनते-सुनते एक घंटे से। बोर हो गये। एक घंटे से ज्यादा हो गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह भारतीय जनता पार्टी का प्रसारण कर रहे हैं। बजट के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको बैठा दिया जाए इसी समय। अगर कुछ बोलने के लिये नहीं है तो आप बैठ जाइये।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं इतना बुरा हूं क्या ?

श्री परसादीलाल मीणा : आपको मंत्री बनाने नहीं।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं मंत्री बनने के लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : सदन से बोन हो गये तो जनता निपटा देगी आपको।

श्री टीकमचन्द कान्त : पोस्त डोडे पर जो भी बढ़ा हुआ कर है उस पोस्त डोडे पर कर को वापस लिया जाए और जिन लोगों के आपने लाइसेंस बना दिये हैं उनको –

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। टीकमचन्दजी, पाइंट आफ आर्डर, आपको मंत्री नहीं बनाया इस बात का हमें दुःख है लेकिन –

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है, कोई विषय नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि ट्रेजरी बैंच के चीफ व्हिप से कि मेरे पहले ही उनको कैसे पता लग गया कि मैं कोनसा पाइंट आफ आर्डर रेज करूंगा, बोले नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार यदि चीफ व्हिप करें, अशोभनीय है। नहीं करना चाहिए, खेदजनक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से उनके भाषण को रोके यह उचित नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर उनके धारा प्रवाह को रोका जाए। यह ठीक नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपको मालूम है पाइंट आफ आर्डर कब रेज किया जाता है आपको मालू तो है नहीं। अज्ञानता के अन्धकार में डूबे हुए हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिलकुल, आपने किताबें रखना बंद कर दिया उस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अधंकार के कारण से। आप पहले बहुत किताबें लाते थे लेकिन आपको पता है कि आप अन्धकार में डूबे हुए हो इसलिए किताबें लाना भूल गये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कृपया आप बैठ जाये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपको मालूम भी है कि कब रेज किया जाता है, स्प्रिंग लगी हुई है नीचे, उठ जाते हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमको मालूम है। आपको मालूम तो है नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : विद्यार्थी के लिये कोई उम्र नहीं होती। अभी भी आपको ज्ञान नहीं है तो कम से कम ज्ञान लेना तो सीखो। विद्यार्थी के लिए उम्र का कोई प्रावधान थोड़े ही है पूरी उम्र पड़ी है आपके लिए, इधर आओ, शिक्षा लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पारीक साहब, आपके ज्ञान से तो बहुत...

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहकर के बंद करूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था दी गयी थी कि श्री महावीर जी जो मुख्य सचेतक हैं वह बोलेंगे वह रिकार्ड नहीं किया जाएगा, वह व्यवस्था लागू है या नहीं, माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं सदन को बोर नहीं करूंगा, आप निश्चिन्त रहें।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर सुनें। बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान चर्चा अत्यन्त गंभीर चर्चा है और यह अति आवश्यक है कि प्रभारी मंत्री उप मुख्य मंत्री यहां रहते।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यहीं थे।

श्री जगदीप धनखड़ : फिलहाल तो नहीं है। इस चर्चा को आप कितनी कम गंभीरता से ले रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता मुख्य मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था, अधिकारी भी नोट करते रहते थे, वह भी रहते थे। उप मुख्य मंत्री ने बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् अत्यन्त गंभीर चर्चा के दौरान उपस्थित न रहकर इस सदन का अनादर ...

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : तथ्यों पर तो बोलें।

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेरी बात तो सुन लें। अब आपको तो तीसरे नम्बर पर बैठा रखा है। तथ्य यह है कि इतनी गंभीर चर्चा में प्रभारी मंत्री का न होना ...

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : इसकी गंभीरता तो आप खतम कर रहे हो।

श्री जगदीप धनखड़ : इस बात का संकेत देता है कि यह सरकार इस सदन का आदर नहीं कर रही है और माननीय

(श्री जगदीप धनखड़)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि प्रभारी मंत्री के आने पर ही चर्चा चालू होनी चाहिए। इस पूरी चर्चा का अर्थ तब है जब सरकार की तरफ से कोई उपयुक्त उत्तर देने की स्थिति में हो, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है, इस विधान सभा की कार्यवाही के संदर्भ में कौनसा ऐसा अति आवश्यक कार्य हो गया, और मैं मानकर चलता हूं उप मुख्य मंत्री तो स्वस्थ हैं। मुख्य मंत्रीजी की अस्वस्थता का कारण हो सकता है...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए...

श्री मदन दिलावर : यहां भंवरलालजी शर्मा साहब बिराजें हैं और कैबिनेट मिनिस्टर गुलाब चन्दजी कटारिया साहब बिराजे हुए हैं। सब लाइनें भरी हुई हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : इन्होंने बजट प्रस्तुत नहीं किया है। वहां पर पूरी अव्यवस्था है। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सरकारी पक्ष कम से कम इस पूरी चर्चा के लिए गंभीर रवैया अपनाएं और प्रभारी मंत्री यहां उपस्थित रहे। उनका यहां उपस्थित न रहना इस सदन का अनादर है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अभी आए हो इसलिए आपको पता नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : आपको निर्देश तो होने चाहिए लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय बात का निर्णय कर देंगे कि चर्चा के अन्दर बिना उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत के प्रभारी मंत्री नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री टायलेट गये हुए हैं। अब यह काल आफ नेचर है साहब जाना ही पड़ेगा। टायलेट गये हुए हैं। यह तो काल आफ नेचर है जाना ही पड़ेगा उनको और उनकी जगह मैं बैठा हुआ हूं, सब नोट कर रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : निर्णय तो करने दीजिए। यदि यह निर्णय हो जाता है कि प्रभारी मंत्री के रहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री जगदीप धनखड़ ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। साल भर का बजट है। इस पर वाद-विवाद चल रहा है। सदन के सभी माननीय सदस्यों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जहां तक प्रभारी मंत्री का सवाल है, सारे मंत्रीगण बिराजमान हैं, वित्त राज्य मंत्री भी वहां बैठे हुए हैं इसलिए इनके पाइंट आफ आर्डर को मैं रिजेक्ट करता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री नहीं है।

श्री टीकम चन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात मैं कहना चाहूंगा जिस वर्ग से मैं आता हूं यह वर्ग अब सोच में और भय में आ गया है। जहां तक

(श्री टीकमचन्द कान्त)

राजस्थान सरकार का सवाल है उसने तो कई उदाहरण दिये काम करने के। उसने आर.ए.एस. और आई.ए.एस. के अन्दर रिजर्वेशन नहीं होता हे फिर भी आई.ए.एस. हमारे एस.टी. के लोग बने हैं। राज्य सभा के अन्दर की अलग-अलग जगहों से भाजपा ने एस.सी. और एस.टी. का रिजर्वेशन नहीं होते हुए भी राज्य सभा के अन्दर भेजा है। कुलपति के पर पर भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं। प्रदेश का पुलिस का मुखिया अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो सकता है। लेकिन अभी के दिनों के अन्दर कुछ आदेश जो निकले हैं और कुछ फैसल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आये हैं उन फैसलों के कारण, फैसले दो प्रकार के आये हैं। एक फैसला तो कि अनुसूचित जाति के प्रमोशन के विरोध में आया है, एक फैसला अनुसूचित जाति के प्रमोशन के हक में आ गया है। हिन्दुस्तान की लोक सभा के अन्दर संविधान के अन्दर 16-ए अनुच्छेद जुड़ गया और उससे स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद में भी उसमें कह दिया वरिष्ठता है, आखिर वरिष्ठता रहेगी। एक बार जिसको प्रमोशन दे दिया, प्रमोशन बना रहेगा। प्रमोशन पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया था लेकिन हिन्दुस्तान की लोक सभा ने यह कह दिया कि 16-ए के माध्यम से प्रमोशन दिया जा सकता है, प्रमोशन हो सकता है। उसके अन्दर आरक्षण हो सकता है लेकिन राजस्थान के अन्दर अभी के दिनों में मेरा ख्याल है मुख्य मंत्रीजी के या अन्य मंत्रीगण के ध्यान में रहा या नहीं रहा, जिस प्रकार के आदेश निकले हैं, हमारा रोस्टर का क्रम बदल गया। पदोन्नति पर प्रश्न चिन्ह लग गया। उपाध्यक्ष महोदय, जोन आफ कंसीडरेशन की कहीं आवश्यकता नहीं है, जोन आफ कंसीडरेशन डाल दिया। यह न्यायिक हक संवैधानिक हक जो इस वर्ग को मिलना चाहिए उसके अन्दर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रिमण्डल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति को दिया जाने वाला आरक्षण 1932 में गोलमेज के अन्दर जब डाक्टर अम्बेडकर ने भाग लिया था उसके बाद कम्युनल अवार्ड जारी होने की बात हो गयी थी। महात्मा गांधी ने उस समय अनशन किया था और डाक्टर अम्बेडकर से कहा था। डाक्टर अम्बेडकर लड़े थे, मैं हिन्दू हूं, यह वर्ग हिन्दू है, इसे हिन्दू मानो। मैं हिन्दू हूं, यह वर्ग हिन्दू है, इसे हिन्दू मानो, हिन्दू समाज के लोगों...

श्री हरिसिंह (महुआ) : अम्बेडकर ने जीते जी बौद्ध धर्म मान लिया। हिंदुओं से ही नफरत हो गयी थी उन्हें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह भी बताएं कि उन्होंने जब यह बात कही कि मैं हिन्दू हूं, हिन्दू वर्ग में पैदा हुआ हूं लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह तो मेरे काबू में नहीं था लेकिन मरना मरे काबू में हे कि मैं हिन्दू बनकर मरूं या न मरूं।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं वही बात

(श्री टीकमचन्द कान्त)

कहने जा रहा हूं। उनका संघर्ष पूर्णतः इसी रूप में था। इस देश के अन्दर एक दलिस्तान भी बन सकता था लेकिन डाक्टर अम्बेडकर इस राष्ट्र से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उन्होंने इस देश को एक बनाये रखने के लिये, इस हिन्दू समाज को मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली बनाये रखने के लिये इस देश के साथ जुड़े और उसके बाद कम्युनल अवार्ड 1932 के अन्दर नागपुर समझौता हुआ था 'पूना पैक्ट' जेल के अन्दर वह थे और पूना पैक्ट हुआ था। उस पूना पैक्ट में हिन्दू समाज के उस समय के जो अग्रणी लोग ये मदन मोहन मालवीय से लेकर, सप्रू साहब से लकर अन्य सारे लोगों के दस्तखत हुए हैं और सामने डाक्टर अम्बेडकर के दस्तखत हुए हें और उन दस्तखतों के आधार पर यह समझौता हुआ है कि हमें हमारा हिस्सा, हमारा हक जो है वह मिलेगा और यह समझौता ऐतिहासिक है। समझौते के गर्भ में जाने की जरूरत है। इसलिए आज कोई अगर इस शासन के अन्दर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों के ऊपर आघात करना चाहता है वह किसी न किसी अपने छद्म कार्यों से, अपनी चालों से इनके हकों को मारना चाहता है, तो यह अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ में अन्याय होगा और जब अन्याय होता है तो वर्ग फिर निर्णय पर पहुंचता है इसको हमको समझ लेना चाहिए (व्यवधान) हिन्दू होने का मुझे गर्व है। इस देश की संतान होने का मुझे गर्व हे। बनवारी लालजी, आपकी बात भी कह दूं, डाक्टर अम्बेडकर इस देश को बहुत प्यार करते थे, इस देश की संस्कृति से बहुत प्यार करते थे।

हिन्दू समाज को जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मैं जीया यानि जन्म तो मैं हिन्दू समाज में लिया है या हिन्दू धर्म में लिया है लेकिन मरना मेरे हाथ में है, मैं मरूं किस धर्म में। उस समय जब यह बात उन्होंने कही तो हैदराबाद के निजाम ने, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय आठ करोड़ रुपयों की ऑफर की थी और उनके कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म का विरोधी नहीं हूं। वेटिकन सिटी तक से समाचार आये कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ। पर उन्होंने कहा कि मैं इस भारत देश के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं उन मस्तिकों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहता जो हिन्दूस्तान के बाहर, वेटिकन सिटी और मक्का की तरफ नमते हों उन सरों की संख्या मैं नहीं बढ़ाना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं इस देश के अंदर पैदा हुआ हूं और इसी देश का धर्म स्वीकार करूंगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक बात और बता दें, यह बात ठीक है कि न तो उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, न उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया और उन्होंने वह धर्म स्वीकार किया जो एक फरवरी से भारत का धर्म था लेकिन उनको हिन्दू समाज हर साल क्या इनाम देता है, यह तो बता दो। कहीं हाथ तोड़ देता है, कहीं पैर तोड़ देता

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

है, कहीं दांत तोड़ देता हैं, कहीं जूतों की माला पहना देता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको मंत्री पद नहीं मिला उसको प्रताप है तो ये बी.जे.पी. कार्यालय में करें। विधान सभा का प्रांगण इसके लिए नहीं है.(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : डा. अम्बेडकर जी ने जिससे प्यार किया था उस देश के लोग क्या उसके साथ व्यवहार करते हैं यह तो बताओ आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : बनवारी लाल जी अपन चर्चा कर लेंगे। डा. अम्बेडकरजी समझने के लिये बहुत बड़ी बात है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये अम्बेडकर की जानकारी से आपको मंत्री पद प्राप्त नहीं होना है। अब मौका चूक गये।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं मंत्री पद के लिये नहीं कर रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब आप चाहे कितना ही प्रलाप कर लें, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, डा. अम्बेडकर ने जब यह कहा कि मैं इस देश के अंदर पैदा होने वाला धर्म से और इस धरती से अलग नहीं जा सकता, मेरी श्रद्धा का केन्द्र यह भारत भूमि रहेगी। इस भारत भूमि के अंदर पैदा हुआ हुआ धर्म यह बौद्ध धर्म है। इस बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। उस व्यक्ति न इस समाज से दुश्मनी नहीं की, इस राष्ट्र से विद्रोह नहीं किया। उस डा. अम्बेडकर को इस रूप में भी समझने की आवश्यकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को में सरकार के सामने अनुसूचित जाति के प्रति आरक्षण के अंदर, पदोन्नति के अंदर जिस प्रकार विरोध खड़े हुए हैं उनको भी आपके समक्ष रखते हुए, इस बजट की सम्पूर्ण सराहना करते हुए, इस बजट को भावी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट की घोषणा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने 1998-99 का बजट रखा है। पहले तो कभी यह घोषणाएं करते रहे हैं कि स्वास्थ्य को समर्पित बजट है, कभी पेयजल को समर्पित है और जो इस साल का बजट इन्होंने राजस्थान के उद्योगपति और बड़े व्यापारियों को समर्पित किया है। क्योंकि जो कुछ रियायतों का ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी और इनके वित्त मंत्री जी पीट रहे हैं कि चुंगी में 280 करोड़ की छूट है। यह टैक्स में छूट है यह छूट उन लोगों तक जाएगी। आम जनता तक इस छूट का एक पैसा भी नहीं जाएगा। यह इस बात का सबूत है कि आज तक जो भी टैक्स में छूट दी जाती है वह उन दुकानदारों, ब ड़े-बड़े व्यापारियों तक रहती

(श्री अमराराम)

है। आम जनता तक एक पैसा भी नहीं जाएगा और म्युनिसिपैलिटियों का विकास, जो उनमें रहने वाले गरीबों के हिस्से में जो कुछ भी आत था उससे इन्होंने छुटकारा दिलाया। अब जहां तक बाकी बजट की हालत है, जहां बिजली में विकास की और किसान हितैषी होन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है मगर भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने, जिन्होंने पिछले इन साढ़े चार सालों में जितनी घोषणाएं बिजली के सम्बन्ध में की हैं, इस राजस्थान के एक-एक जिले में जाकर, इस विधान सभा के फ्लोर पर उनमें एक भी सत्यता है ? एक भी सत्यस नहीं है। जहां 43 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की बात थी, घोषणाएं थीं, बजट के अंदर जरूर यह बताया गया है कि इतनी हमने बिजली ज्यादा दी, एक लाख पच्चीस हजार इस पंचवर्षीय योजना में हमने किसानों को बिजली के कनेक्शन दिये लेकिन यह बता दें कि उस एक लाख पच्चीस हजार में से नर्सरी कनेक्शन कितने हैं। जिस नर्सरी के नाम से राजस्थान के किसान को लूटा गया है, पूरे हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में उसका उदाहरण नहीं मिलता है। और जो रिकार्ड बिजली यूनिट सप्लाई करने के, कोई भी आंकड़े दे सकते हैं लेकिन वित्त मंत्री जी यह बता दें कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में और किसानों के लिये जो बिजली सप्लाई करने के ऑवर्स हैं वह सबसे कम ऑवर्स और सप्लाई करने और नहीं करने के ओदर्शों में राजस्थान ने रिकार्ड बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इस साल 24 घण्टे में से मात्र 4 घंटे गांव में बिजली सप्लाई करने के आदेश दिये और बिजली एक घंटा भी पूरे 24 घंटे में आयी नहीं ? बिजली आये या नहीं आये लेकिन इनका बिल आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे एक गरीब परिवार के घर का दो महीने का बिल, बिजली 24 घंटे में से एक घंटे आये उसका बिल कम्प्यूटर से बनाकर भेजने लगे हैं, जो प्रगति इन्होंने की है, आठ हजार रुपये का बिल तक आता है। केवल यही रिकार्ड नहीं तोड़ा है, अभी हमारे नये विद्युत मंत्री जी कह रहे थे कि आप सुझाव दे दीजिये। आज राजस्थान का किसान जो 14 साल से इंतजार में है, जिसने कुआं बनाया, ट्यूबवैल बनाया अगर वह बैंक में भी पैसा जमा कराते तो जितना पैसा जमा कराता वह चार साल के बाद में दुगुना हो जाता है। लेकिन कुआं बनाने के बाद 14 साल में अगर उनको कनेक्शन मिलने की उम्ममीद होगी तो जिस भी योजना में यह कनेक्शन देंगे, वे अपना सब कुछ बेचकर जमीन, जायदाद बेचकर, अपना गहना, जो कुछ भी है उनके पास वह बेचकर बिजली का साधन कराना चाहते हैं। उनकी मजबूरी है और उनकी मजबूरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उठाया है उसका पूरे देश में कहीं उदाहरण नहीं मिल सकता। आज जिस तरह से कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे, मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार से कि क्या किसान अपने खेत में

(श्री अमराराम)

बिजली लगाकर उत्पादन नहीं करता ? जिसके आंकड़े यह दे रहे हैं कि इतना तिलहन पैदा हुआ, खाद्यान्न पैदा हुआ। क्या किसान उसमें पैदा नहीं करता ? क्या उससे रोजगार नहीं मिलता ? आज राजस्थान में कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाये तो उसको मांगने से पहले कनेक्शन मिलेगा और राजस्थान का किसान जो 100 में से 85 हैं उनको 14 साल के बाद में कनेक्शन मिलेगा और जो जनरल प्रायोरिटी से मिलता है उसमें भी इन्होंने 1500 से लेकर के 2500 रुपये प्रति पोल के हिसाब से लगा दिये। केवल यही नहीं किया है जो पेनल्टी मात्र 5 प्रतिशत थी, जो राजस्थान का लघु सीमान्त और गरीब किसान जो समय पर, 6 महीने से जो फसल आती है, अगर फसल मारी गयी, अगर बिल नहीं चुका पाता, तो राजस्थान के किसान को 5 प्रतिशत पेनल्टी के रूप में देना पड़ता था चूंकि किसान की हमदर्द सरकार है अभी इन्होंने 36 प्रतिशत और उस पर पेनल्टी इंट्रेस्ट इम्पोज किया केवल इम्पोज ही नहीं किया है जो चक्रवर्ती ब्याज किसी भी बैंक और कॉमर्शियल बैंक में 6 महीने और 12 महीने के बाद होता है, क्योंकि किसान हितैषी सरकार है इसलिए 2 महीने के बाद में उस पर चक्रवर्ती ब्याज रहेगा और गरीब किसान के खेत पर कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं रह सके, गरीब की झोपड़ी में बिजली का लट्टू नहीं जल सके यह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चार, साढ़े चार साल के शासन में किया है।

आज जिस तरह की लूट चाहे वह विजिलेन्स के नाम स हो, एक तरफ बड़े-बड़े व्यापारियों को सेल्स टैक्स में छूट दी जा रही है। कह रहे हें कि इंस्पेक्टर राज हम खतम करेंगे। इंडस्ट्री में मजदूर के हक को देखने के लिये कोई भी लेबर इंस्पेक्टर फैक्ट्री में नहीं जाएगा, कोई भी सेल्स टेक्स वा इंस्पेक्टर बड़े दुकानदार के यहां चैक नहीं करेगा लेकिन किसान की मोटर चैक करने के लिये जितनी व्यवस्थाएं इन्होंने बनायी हैं, अब मान रहे हैं अब जब पिटाई हुई तब कह रहे हैं कि 20 प्रतिशत की जो विजिलेन्स करेगा उसको हम छूट देंगे। आज राजस्थान में जिस तरह से बिजली में किसान को लूटने को साजिश और जिस तरह से किसान को बरबाद करने की साजिश इस भारतीय जनता पार्टी ने की है मैं समझता हूं कि उसका कोई रिकार्ड नहीं है। फिर यह जो ढिंढ़ोरा पीट रहे हैं कि हमने बारानी भूमि का लगान माफ किया है। आज हालत यह है कि जिस भूमि के लिये किसान अपनी जमाबंदी की नकल और नक्शे की नकल लेने जाए। एक साल में अगर दो दफे उसको नकल लेनी पड़ जाए तो लगान से कई गुना फीस वसूल करने क इंतजाम कर लिये। आज हालत यह है कि जो मुलजिम है उसको फैसला करने का अधिकार दे दिया। आज तक, चालीस साल तक कोई किसान अगर बिजली का पैसा नहीं जमा करा पाया, अगर उसका कनेक्शन कट गया तो रिकवरी करने के, कुर्की करने के हक रेवेन्यू ऑफिसर को थे, उस बिजली क एई.एन. को जिसने गलत इम्पोज किया

(श्री अमराराम)

है, उसको नहीं थे लेकिन आज उनको यह पावर, उन अधिकारियों को जो गलत इम्पोज करते हैं, उनको यह अधिकार भी दे दिया कि वह किसान की कोई भी वस्तु कुर्क करके उसको वसूल कर सकता है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, यह बात सही है कि राजस्थान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। सही बात शिक्षा के बारे में कल खंगारसिंहजी ने कही, वह मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में जो हो रहा है, वह शत प्रतिशत सही है। आज जहां स्कूलों में जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए स्कूलों में एडमीशन नहीं, स्कूल नहीं, उनके लिए बिक्री के स्कूल बना दिए। आज मैं कहना चाहता हूं कि पांच लाख रुपये देकर सीकर जिले के अंदर जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोला गया, दो साल तक जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा, सिवाय प्रिंसिपल के शिक्षा विभाग ने एक स्कूल लैक्चरर नहीं लगाया। मैं समझता हूं कि जब सीकर में नहीं लगाया तो बाकी राजस्थान में लगाने का सवाल नहीं। जितने प्राईमरी स्कूल खोल गए, घोषणाएं तो ये करते हैं कि कोई भी ऐसा प्राथमिक शाला नहीं है जहां एकल अध्यापक हो लेकिन हालत क्या है ? कितने स्कूल खोले गये, आप रिकार्ड, मुझे तो उत्तर बता दें, जितने प्राथमिक विद्यालय इस पंचवर्षीय योजना में चार साल में खोले गये हैं, क्या उतने अध्यापकों को नियुक्तियां दी गयी हैं ? पदस्थापित नहीं किया जाता। स्कूल में मास्टर नहीं है और दूसरी तरफ केवल आंकड़ें प्राप्त किये जाते हैं।

सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, हमारे सीकर जिले का कलक्टर अभी राष्ट्रपति से अवार्ड लेकर आया है लेकिन केवल आंकड़ें हैं, यह मैं इस सदन के सामने कह सकता हूं कि जितनी भी सैंट्रल की स्कीमें हैं -

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सम्पूर्ण साक्षरता, मतलब शत प्रतिशत साक्षरता कभी कहा ही नहीं है और सीकर जिले को जो पारितोषिक मिला है वह केवल 21 प्रतिशत की साक्षरता पर मिला है, उनके जो आंकड़ें थे, वे बिलकुल करैक्ट थे, इसके आधार पर उसका सम्मान हुआ, हमने यह कभी नहीं कहा कि हमने शत प्रतिशत, केवल 21 प्रतिशत साक्षरता थी फिर भी उस पर उसको प्राइज मिला।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान कटारिया जी कह रहे हैं 21 प्रतिशत, मुझे तो वह लिस्ट बता दें। सीकर के आठ विधायक हैं, किसी भी गांव का जिसमें 21 प्रतिशत इनमें पास हुए हैं। उनकी परीक्षा की हालत यह थी कि इसमें इन्चार्ज जिन मास्टरों को बनाया, उन्होंने लड़कियां जो पढ़ने आती हैं उनको औरतें बनाकर परीक्षा दिलवाई। आपकी जितने स्कीम चल रही है सम्पूर्ण साक्षरता, लोक जुम्बिश, उत्तर साक्षरता, क्योंकि आपसे पहले भी इन्होंने भी कम नहीं चलाई, प्रौढ़ शिक्षा के नाम से और

(श्री अमराराम)

नाम से लेकिन केवल पैसे का, जो पढ़ने जाए उसके लिए स्कूल नहीं, स्कूल है तो मकान नहीं, मकान है तो पानी नहीं, पानी है तो दरी-पट्टी नहीं, मास्टर नहीं।

आप पढ़े हुए ट्रेण्ड टीचर, स्कूल में जाने के लिए, स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए लाठियाँ खा रहे हैं। अपनी लड़कियाँ यहां से जाकर बाड़मेर, चित्तौड़ में बेइज्जती करवा रही हैं कि उनको स्कूल चाहिए। आज राजस्थान की वह हालत नहीं जो 1952 में थी। जब पढ़े-लिखे मास्टर और ट्रेण्ड मास्टर नहीं थे। आज लाखों की संख्या में राजस्थान में शिक्षित, ट्रेण्ड टीचर हैं और दूसरी तरफ स्कूलों में टीचर नहीं हैं। आठ-आठ क्लासें हैं और तीन मास्टर मिलेंगे और मैं नहीं कहता राजस्थान में जितने भी शहरी इलाके हैं उनमें मास्टरों की कोई कमी नहीं होगी और गांव में मास्टर जाएगा नहीं। आज हालत यह हो गयी है कि आठवीं क्लास का बोर्ड बनाया। ऐसे स्कूल आपको मिल जाएंगे, अकेले सीकर में 10-12 स्कूल हैं जिनका जीरो प्रतिशत रिजल्ट रहा है। सैकण्डरी स्कूल है तो नवीं क्लास नहीं चल सकती। पहली बार देखा राजस्थान में कि बोर्ड बनाया, परीक्षा हुई रिजल्ट आने के बाद हमारे शिक्षा मंत्रीजी सेक्रेटरी साहब घोषणा करते हैं कि जो पन्द्रह प्रतिशत अंक लेकर आएं हैं उनको सप्लीमेंट्री का अधिकार होगा, वह सप्लीमेंट्री दे सकत हैं। अगर यह ध्यान था तो क्यों नहीं रिजल्ट के पहले, बोर्ड गठित करने के पहले क्यों नहीं कह दिया कि 15 प्रतिशत जो अंक लेकर आएगा उसको सप्लीमेंट्री का अधिकार होगा।

शिक्षा में सबसे बड़ी दयनीय स्थिति आज यह हो गयी है, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्राइमरी एजुकेशन को राजनीति के हवाले, इन पचास साल में, चाहे वह इधर बैठने वाले हो, चाहे वह उधर बैठने वाले हों, जिन्होंने पंचायत राज में जो मास्टर प्रधानजी और प्रमुखजी के हाजिरी देगा तो स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं। जिसका रिजल्ट इस बोर्ड में सामने आ गया। और केवल स्कूल में नहीं, हायर एजुकेशन की हालत यह हो रही है कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बड़े-बड़े पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं और मंत्रियों के बेटों से अगर सांठ-गांठ है, पैसा है तो चाहे वह अजमेर विश्वविद्यालय हो जहां फेल होने पर भी पास होने की, फर्स्ट डिवीजन की डिग्री मिल जाएगी। जहां प्री.पी.जी. में जो डाक्टर पास नहीं हो सकता उसको कापी देने के बाद, फिर भी वह टाप करेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज हालत यह है कि पिछले दो साल से पुस्तक विज्ञान के आठ टीचर हैं जो 10 हजार मंथली तनख्वाह लेते हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ हे लेकिन दो साल में एक भी विद्यार्थी पुस्तक विज्ञान में राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं है। बजट का जिस तरह से मिसयूज स्कूल से महाविद्यालय तक हो रहा है। आज विश्वविद्यालय में जिस तरह से रिजल्ट को लेकर चाहे वह अजमेर विश्विवद्यालय हो,

(श्री अमराराम)

चाहे वह राजस्थान विश्वविद्यालय हो। एक-एक विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताएं हैं। पुस्तक विज्ञान विभाग में दो साल से एक विद्यार्थी नहीं है, अगर आप एक भी टीचर शिक्षा मंत्रीजी बता दे कि पिछली साल दो वित्त वर्ष लाइब्रेरी साइंस में एक भी विद्यार्थी पढ़ा है राजस्थान विश्वविद्यालय में तो मैं आप जो भी कहेंगे, वह करने के लिए तैयार हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जब इसका जवाब दें तब उस दिन बैठना भी चाहिए ताकि हम बता सकें कि हमने क्या किया। आप सुनना भी उसे।

श्री अमराराम (धोद) : हां, बता देना। बिलकुल सुनेंगे। प्री.पी.जी., जितनी राजस्थान विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताएं और परीक्षाओं में अनियमितताओं की कमेटियां बैठीं, आज तक जो भी सिफारिशें सामने आई हैं, उन पर कार्यवाही एक पर भी नहीं हुई। अगर कार्यवाही होती है तो हमारे नेता फंसते हैं, हमारे बड़े-बड़े अधिकारी फंसते हैं, उन पर कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि बड़े-बड़े अधिकारी और राजनेताओं के लड़के-लड़कियों का एडमीशन नहीं होगा। एडमीशन लेकर, जो डिग्रियां ले लीं वे रिजेक्ट होंगी इसलिए उन पर कार्यवाही नहीं होती इसलिए जितने भी बड़े लोग हैं उनके लड़कों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वविद्यालय में धांधलियां करने की आवश्यकता है।

आज भी यह हालत है कि पचास साल के बाद भूमि सुधार कानून सीलिंग एक्ट बनने के बाद भी राजस्थान के उन राजा और महाराजाओं के किलों को हैरीटेज होटल बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रोविजन किया है। आज भी हजारों एकड़ जमीन, जिसके लिये सरकार कहती है वह कोर्ट में है, कोर्ट में केस चल रहे है। जो किसान हैं उनकी जममीन को जोतने वाले हैं, उनको हक पचास साल की आजादी क बाद में यह सरकार दिला पाई, न कांग्रेस सरकार दिला पाई क्योंकि उनके रखवाल हैं। क्यों पचास साल में भी जो कानून में, कोर्ट से हम नहीं हटा पाए ? गांव के खेत पर जो मजदूरी करने वाला है, जो बंटाईदार है, उसके लिए एक पैसा बजट में नहीं है, वह दिया नहीं आपने चालीस साल तक टेनेंसी एक्ट बनने के बाद जिसके पास है, आपके राज में भी बरकरार था, इनके राज में भी बरकरार था। ये तो तोहफा और दे रहे हैं, किसानों ने लड़कर जिन गढ़ों चमचेड़े बुलाई थी उनको हैरीटेज होटल बना रहे हैं। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि राजस्थान की जनता तो 80 प्रतिशत खेती पर निर्भर है, उस 80 प्रतिशत जनता में 30 प्रतिशत लोग जो सिंचित इलाके हैं, चाहे गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे कोटा और बारां हो, वहां 40 प्रतिशत तक वे लोग पहुंच गए हैं जो भूमिहीन हैं, जो केवल जमीन पर काम करते हैं, चाहे जमीन पर बंटाई का काम करते हैं लेकिन राजस्थान में उनके लिए

(श्री अमराराम)

कानून का कोई प्रोवीजन नहीं है। इसलिए यह बजट मजदूरों के लिए नहीं है। जहां तक कारखानों का सवाल है, कह रहे हैं कि हम कारखान बुला रहे हैं लेकिन राजस्थान के उन कारखानों में जहां हजारों लोग काम करते थे, चाहे वह सवाई माधोपुर का सीमेंट कारखाना हो, चाहे जे.के. कोटा का, जहां हजारों लोग काम करते थे, उनके लिए सरकार कहीं चिंतित नहीं है। सरकार एक बात के लिए चिंतित है कि उद्योग का विकास हो। विकास होना चाहिए, हम इस बात के विरोधी नहीं है लेकिन जिन मजदूरों के साथ जिस तरह का व्यवहार और उनके लिए जिन प्रोविजनों की आवश्यकता है। वह प्रोविजन इस बजट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आज यह हालत है जहां सहकारिता और किसान की कह रहे हैं, हम मण्डी बना रहे हैं, जो किसान पैदा कर रहा है उसके उचित भाव दिला रहे हैं।

(15.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि चाह कोई भी कृषि उपज मण्डी हो, सब्जी मण्डी में सुबह किसान अपनी फसल, सब्जी पैदा करके मण्डी में बेचता है उसी सब्जी को शाम को या दोपहर में आप बाजार में खरीदेंगे तो उससे डबल भाव में मिलेगी। जो किसान छह महीने तक सब्जी पैदा करता है यदि उसको सात रुपये किलों में भिण्डी सब्जी मण्डी में बेचता है तो वही भिण्डी की सब्जी बिचौलियों के कारण बाजार में उसी दिन चौदह रुपये किलो से कम नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस बात की छूट मिल गयी कि जिस किसान ने प्याज पैदा किया उसको एक रुपया या डेढ़ रुपया किलो का मिला, लेकिन आज जयपुर के बाजार में अगर सब्जी के लिए प्याज खरीदा जाए तो 12 रुपये किलो से कम नहीं है। जिस किसान ने छह महीने तक प्याज पैदा किया उसको डेढ़ रुपये किलो मिला और जो प्याज को दो महीने कोल्ड स्टोरेज में रखता है आज वह 10 रुपये किलो का खाता है। वह न किसान को मिलता है, न जनता को मिलता है जो बिचौलिये हैं, जिनको इस बजट में सबसे ज्यादा रिलीफ दी गयी है उनकी हालत यह बनती जा रही है कि किसान को भी लूटते हैं, जनता को भी लूटते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा इनको देते हैं। आज हालत यह है, हो सकता है आंकड़ों —

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी को पांच मिनट का समय दिया गया था।

श्री अमराराम : दो मिनट। यह किसान की हालत है। किसान की जो सब्सिडी थी, जो फव्वारे पर सब्सिडी है, सीकर, नागौर, झुंझुनूं में फव्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा है और फव्वारा व ड्रिप इर्रिगेशन के द्वारा कम पानी में बढ़िया सिंचाई काफी क्षेत्र में कर सकते हैं इसलिए इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हिन्दुस्तान में राजस्थान नम्बर एक है। राजस्थान में सीकर, झुंझुनूं और नागौर का है, लेकिन एक-एक, डेढ़-डेढ़, दो-दो साल तक सब्सिडी, जो सात हजार इन्होंने की है वह भी नहीं मिलती। अब तो और बुरी हालत कर दी कि केवल भूमि

(श्री अमराराम)

विकास बैंक से जो लोन लेगा उसी को फव्वारे पर सब्सिडी मिलेगी। बाकी किसी ने कामर्शियल बैंक से या दूसरे बैंक से ले रखा है उसको नहीं मिलेगी। वह भूमि विकास बैंक से लोन ले नहीं सकता इसलिए उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन्होंने लक्ष्य रखा है..

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : गलत बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : इसमें लिख रखा है आपने। इसमें हटा दो आप।

श्री सुजान सिंह यादव : यह किसने मना किया है। और बैंकों को मना नहीं कर रखा है। गलत है।

श्री अमराराम (धोद) : इसको हटवा देना आप। इसमें लिख रखा है।

श्री सुजानसिंह यादव : गलत बोल रहे हैं आप। अन्य बैंकों को मना नहीं कर रखा है। बल्कि यह व्यवस्था और सही की है कि जहां रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग में होता था अब सीधा भूमि विकास बैंक में होगा और वहीं सब्सिडी मिल जाएगी। 25 करोड़ रुपये फव्वारा सैट के लिए अभी अनुदान दिया है। आप गलत बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दो कि सीकर, नागौर और झुंझुनूं में क्या पिछली साल जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आज तक मिल गया ?

श्री सुजान सिंह यादव : किसी की सब्सिडी बकाया नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : किसी की बकाया नहीं है ?

श्री सुजान सिंह यादव : नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : सीकर की लिस्ट आप मुझे बता दीजिए।

श्री सुजान सिंह यादव : डिस्प्यूटेड केस होंगे, कोई ? कोई बाकी नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : पिछली साल के सब बकाया हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने 1100 का टार्गेट दिया था, 2600 एप्लिकेशन रजिस्टर्ड हुई। आप बता दीजिए कैसे क्या आपने किया ?

श्री सुजान सिंह यादव : आप मुझे लिस्ट दे दीजिए। आप पता कीजिए, लिस्ट दे दीजिए। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : लिस्ट आप मंगा लीजिए।

श्री सुजान सिंह यादव : गलत गुमराह क्यों कर रहे हैं सदन को। भाषण तो सही दो। ऐसे नहीं। सहकारिता में ऐसा कदम नहीं छोड़ा है जो आप गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : यह इसके अंदर लिखा है।

श्री सुजान सिंह यादव : आप मुझे लिस्ट दे देना।

श्री अमराराम (धोद) : सहकारी भूमि विकास बैंक से जो लेगा उसको मिलेगा।

श्री सुजान सिंह यादव : 25 करोड़ रुपया तो अभी दिया है मैंने।

श्री अमराराम (धोद) : इसमें लिखा हुआ है भूमि विकास बैंक से लेगा।

श्री सुजान सिंह यादव : 25 करोड़ तो अभी दिया है। बल्कि सुधार और किया है। पहले दो-दो साल तक सब्सिडी नहीं मिलती थी आज उसी वक्त फाइल तैयार कर सब्सिडी उसी खाते में जमा हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप ?

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं, मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्री जी कह रहे हैं वह बात भी ठीक है और आप कह रहे हैं वह भी ठीक है। मंत्री जी जो बता रहे हैं उसका अर्थ यह है कि सरकार उन्हीं किसानों को सब्सिडी दे रही है जो भूमि विकास बैंक से ऋण ले रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि भूमि विकास बैंक से जो ऋण ले रहे हैं उनको सब्सिडी दे रहे हैं। कामर्शियल बैंकों की जानकारी आपको क्या हैं ?

श्री सुजान सिंह यादव : और बैंकों को हम मना नहीं कर रहे हैं। हम भी दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लोन तो देंगे, लेकिन सब्सिडी कौन देगा ?

श्री सुजान सिंह यादव : हम भी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : लोन की मैं नहीं कह रहा हूं लोन का क्या है। मैं तो सब्सिडी की बात कह रहा हूं। आप बजट भाषण में "सहकारिता" पढ़ लीजिए। उसके अंदर...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री अमराराम (धोद) : मैं दो मिनट में कर देता हूं।

श्री सुजान सिंह यादव : सब्सिडी के मामले में तो हमने बहुत सुधार किया है। जो पहले लूट होती थी उसको बंद किया है। बाद में पढ़कर बता देना, अपना भाषण जारी रखे।

श्री अमराराम (धोद) : पेज नं. 27 पर है। "इस वर्ष भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 21 हजार नये फव्वारा सैट लगाने पर अनुदान देने का लक्ष्य रखा है।"

श्री सुजान सिंह यादव : फिर क्या गलत लिखा दिया इसमें ?

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह बता दे कि 21 हजार तो भूमि विकास बैंक के लिये लक्ष्य रखा है। तो बाकी बैंकों के लिए लक्ष्य कितना रखा है वह बता दें मंत्री जी। आपने लक्ष्य 21 हजार का रखा है और केवल भूमि विकास बैंक का रखा है, तो बाकी कामर्शियल बैंकों के लिए क्या लक्ष्य रखा है वह बता दें। अभी नहीं तो उत्तर दें तब बता दें। सब्सिडी केवल किसान के लिए है। लोन कहां से ले मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। उसकी मर्जी होगी वहां से लेगा, लेकिन लक्ष्य आपने भूमि विकास बैंक का घोषित किया है। केवल घोषणा ही नहीं की है, कृषि विभाग में

(श्री अमरा राम)

आर्डर भेज हैं कि केकवल भूमि विकास बैंक से जो रजिस्टर्ड होगा उसको सब्सिडी मिलेगी। आपने 25 हजार बिजली के कनेक्शन देने का टार्गेट इसमें घोषित किया है। जो नया कनेक्शन लेता है वही केवल फव्वारा सैट नहीं लगाता जिसने पहले ले रखा है, 10-20 साल पहले वह भी फव्वारा सैट लेगा। जब आपने केवल 21 हजार का टार्गेट रखा है, बिजली के कनेक्शन का टार्गेट 25 हजार रख दिया तो आप बताएं सबको सब्सिडी कैसे मिलेगी ? केवल यही नहीं, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में डिग्गी बनाकर फव्वारा लगाएंगे उनको सब्सिडी कितनी मिलती है मंत्री जी बता दें और बाकी राजस्थान में जो फव्वारा लगाएगा उसको सात हजार सब्सिडी मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की हालत के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी ने घोषणा कर दी, सरकार न सड़क नीति की घोषणा कर दी। आज हालात यह है कि सड़क बनी हुई है, दूसरी बरसात आ गयी, आज तक सड़कों के खड्डे नहीं बुरे गये। जब भी पी. डब्ल्यू. डी. के पास जाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि आप लिखकर दे दीजिए। आज तक खड्डे नहीं बुरे गये। खड्डे ही नहीं जितनी नाबार्ड से सड़कें सीकर जिले में स्वीकृत हुई हैं इनकी सड़क नीति से मंत्री जी बता दें कि एक भी सड़क, सड़क-नीति से स्वीकृत हुई हो। खाचरियावास को जीणमाता से जोड़ना, इसके लिए चार करोड़ की स्वीकृति नाबार्ड से निकलेगी। हमें इस बात से कोई हर्ज नहीं, लेकिन खाचरियावास को जीणमाता से जोड़ने में जो पैरेलल सड़क है चाहे वह चार किलोमीटर बनानी पड़ती, लेकिन मुख्य मंत्रीजी का गांव है इसलिए 4 किलोमीटर नहीं बनाकर 27 किलोमीटर की नाबार्ड से स्वीकृति दी गयी। आप जांच करा कर बता दो सड़क नीति में जितनी सीकर जिले में नाबार्ड से स्वीकृतियां निकली हैं, एक भी गांव की सड़क नीति के तहत नहीं आती है। और बाकी कोई कहता है गांव में सड़क बनाओ तो कहते हैं सड़क नीति के तहत नहीं आती।

श्री परसादीलाल मीणा : चतुर्वेदी नीति में आती है।

श्री अमराराम (धोद) : आज हालत यह है कि कह रहे हैं बजट इतना बढ़ गया है, इतनी संख्या बढ़ा दी। मंत्री जी बता दें कि आज एक किलोमीटर सड़क बनाने में कितना हजार रुपया लगता है। 11 लाख रुपया बता रहे हैं। यह भी बता दें कि 1952 में एक किलोमीटर सड़क बनाने में कितने रुपये लगते थे और आज 1998 में एक किलोमीटर सड़क बनाएंगे उसमें कितने रुपये लगेंगे। आज यह हालत है, केवल बजट बढ़ा होगा लेकिन जनता तक जो सुविधाएं पहुंचने का सवाल है -

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (सिंचाई मंत्री) : माननीय मुख्य मंत्रीजी जयपुर में रहते हैं या वहां रहते हैं ? जयपुर में कितने सालों से रहते हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : वी. पी. सिंहजी, मैं तो जयपुर में रहना नहीं क्योंकि आप

(श्री अमराराम)

जैसे बड़े लोग रहते हैं जयपुर में। मैं तो गांव में रहता हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसलिए मैं वहां से जीतकर आता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : अब आप कहां से जीतकर आते हैं यह मैं नहीं कहता। जहां पैसे का सवाल है, एक मिनट न्यूनतम मजदूरी के लिए, जितने भी मजदूर संगठन थे, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला वी.एम.एस. हो, उन्होंने राजस्थान का दैनिक वेतनभोगी मजदूर है उसके लिए सर्वसम्मत सिफारिश की थी, उसको राजस्थान की सरकार ने नहीं माना। उनके लिए सिर्फ 43 रुपये पर डे के हैं। जहां 40 रुपये किलो टमाटर मिले जिस प्रदेश में 15 रुपये किलो प्याज मिले, 60 रुपये किलो तिल्ली का तेल मिले वहां मजदूर की दिनभर की मजदूरी सिर्फ 43 रुपये होगी। जो सरकारी कर्मचारी संगठित हैं वे सरकार को निचोड़ कर वेतन आयोग भी लागू करवा लेंगे, बाकी कर्मचारी जो संगठित हैं वे निचोड़ करके, सरकार के घुटने टिका करके, गला दबा कर पैसा ले लेंगे लेकिन राजस्थान का जो सबसे गरीब मजदूर है वह 43 रुपये में मजदूरी करेगा और उसकी भी हालत यह है कि सरकार की किसी भी स्कीम पर करेगा तो तीन साल तक मजदूरी नहीं मिलेगी। जो सबसे कमजोर है, जो न्यूनतम मजदूरी पर राजस्थान में मजदूरी करता है। उसके लिए 43 रुपये है एवं जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए चुंगी में भी छूट होगी, उनको टैक्स में भी छूट होगी लेकिन जो गरीब अगर पत्थर और ईंट लाकर अपने कच्चे मकान को पक्का बनायें तो राजस्थान की सरकार झुन्झुनूं और सीकर में ठेके देगी और वह बजरी और पत्थर को खुद निकालकर लाकर अपना पक्का मकान बना ले तो वह नहीं बना सकता है। उनको खुली छूट है। ठेकेदारी का नमूना भी दूं। राजस्थान में ठेके पर चुंगी दी थी, उन अफसरों को भी उन ठेकेदारों ने नहीं बख्शा और आज चुंगी हटानी पड़ी। आज गांव का गरीब अपने कच्चे झोपड़े को 50 साल की आजादी में कहीं मर-पच कर पक्का करना चाहता हे तो वहीं ठेकेदार आज सैल्स टैक्स के नाम पर उनको बजरी और पत्थर नहीं ले जाने देंगे। आज यह हालत है। इसलिए आपने जो समय दिया, यह सरकार का जो बजट है यह राजस्थान के जो धनी लोग हैं चाहे वह पूंजीपति हो, बड़े व्यापारी हो, पूरा का पूरा उनके लिए है। न किसान के लिए है, न मजदूर के लिए है और न गरीब के लिए है। यह पूर्णतया उन धनी लोगों के लिए हैं, उनको समर्पित है कि वे इनके लिए काम कर सकें। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या पढ़े लिखे आदमी की...

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या फरमाया आपने ?

श्री परसादीलाल मीणा : पढ़े लिखे आदमी को तो...

श्रीमती मीना अग्रवाल : बोलने तो दो। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : सुनो तो। पहले ही बात हो गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि बजट की यह आलोचना हो कि किसी मद पर आवश्यक धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है तो समझ में आता है। यदि बजट में किसी वर्ग के साथ में, किसी स्थान के साथ में उपेक्षा की गयी हो, कहीं करों में ज्यादा हो गया हो, करों में कमी हो गयी हो तो उसकी आलोचना प्रतिपक्ष से आती है तो समझ में आता है। परन्तु कुछ राष्ट्रीय सूचकांकों को राज्य के बजट पर लागू करने की बात कही जाए तो आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक समझदारी की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

यहां पर कल कहा गया और समाचार पत्रों में पहले भी आया राजकोषीय घाटे के बारे में कि राज्य सरकार कुछ छिपाना चाहती है, बजट में उसमें कुछ कहा नहीं गया। राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पादन का जो अनुपात है वह बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए छिपाना चाहती है। मेरा नम्र निवेदन है कि सभी अर्थशास्त्रियों से कि राजकोषीय घाटा राज्य के बजट में अप्रासंगिक है। राजकोषीय घाटा नेशनल बजट में, राष्ट्रीय बजट में बहुत प्रासंगिक है। राजकोषीय घाटा जो होता है उसका राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पादन में सम्बन्ध रखना तो आवश्यक है कि यदि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन के किसी अनुपात से बढ़ जाता है तो फिर नोट छापने पड़ते हैं और जब नोट छापने पड़ते हैं। तो उससे मुद्रा प्रसार अधिक होता है। मुद्रा प्रसाद अधिक होता है और साथ में सकल घरेलू उत्पादन के अन्दर यदि उतनी वृद्धि नहीं हो तो मुद्रास्फीति हो जाती है। इस कारण से सारी की सारी हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए सकल घरेलू उत्पादन वहां पर मुख्य केन्द्र बिन्दु है सारे के सारे बजट के अन्दर कि किस प्रकार से किन-किन मामलों में कहां घाटा और कहां लाभ है। सकल घरेलू उत्पादन के अन्दर वहां पर यह भी आवश्यक है राष्ट्रीय बजट के अन्दर कि कहीं आवेश में आकर यह कह दिया जाए कि इस साल सारे हिन्दुस्तार को शिक्षित करने का और बजट का 50 प्रतिशत उसमें लगा दिया जाए, यदि 50 प्रतिशत उसमें लगा दिया जाए और आवश्यक उत्पादन, कृषि उत्पादन हो, औद्योगिक उत्पादन हो, उसका ध्यान नहीं रखा जाए तो हमारी सारी की सारी करैन्सी गड़बड़ा जाएगी, करैन्सी की वैल्यू गड़बड़ा जाएगी। वहां यह ध्यान रखना पड़ता है कि सकल घरेलू उत्पादन में जो हम आशा रखते हैं, हम आकांक्षा रखते हैं, जो हमने डिजाइन किया है उतनी आगे वाले काम में, अगले वर्ष के अन्दर वृद्धि होनी चाहिए और जितनी वृद्धि होती है उसी अनुपात में नोट छापने पड़ते हैं। उससे जरा सी भी अनुपात में गड़बड़ी हो जाती है तो फिर सब कुछ गड़बड़ा जाता है, सारी हमारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। वह राजकोषीय घाटा यहां कहा गया। राजकोषीय घाटा क्या

(श्री रमाकान्त शर्मा)

चीज है ? हमारा बजट घाटा है और शुद्ध देनदारियां है उनका जो परिणाम हे वह राजकोषीय घाटा है परन्तु यहां जो देनदारियां है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह ऋणा से सम्वन्धित है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसका सम्बन्ध क्या है पर मेरा यह निवेदन है कि जहां भारत सरकार के अन्दर बहुत आवश्यक है आधार भूत संरचना, इसी प्रकार से जो उत्पाद से सम्बन्धित मामला है और इसी प्रकार से जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उन सब के अन्दर सकल घरेलू उत्पाद का निश्चित प्रतिशत है जो कि आर्थिक आंकड़ों के अनुसार आर्थिक नीतियां हैं उनमें निश्चित है, उसके मुताबिक किया जाता है। परन्तु प्रांतीय बजट के अन्दर इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रांतीय बजट में जहां बात है, सकल घरेलू उत्पाद मेक्रो लेबल पर तो मायने रखता है कि सकल घरेलू उत्पाद राज्य का नहीं बढ़ेगा तो अगले वर्ष के अन्दर जो कर हम प्राप्त कर रहे हैं, अभी बात आयी कि हमने वहुत अच्छा आर्थिक सुप्रबन्ध किया है इसकी वजह से हम करों से आय प्राप्ति कर रहे हैं। दोनों बातें हैं। आर्थिक सुप्रबन्ध के कारण से भी हम कर ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं और सकल घरेलू उत्पाद के अन्दर जो प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है उसकी वजह से हम टैक्स ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं और उसका कारण है कि प्रतिवर्ष कर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तो जहां राज्य का बजट होता है वहां मायने रखती है। परन्तु उसका अनुपात कोई मायने नहीं रखता।

हमने तो यहां पर पिछले वर्षों के अन्दर एक बजट स्वास्थ्य को समर्पित किया, एक बजट पेयजल को समर्पित किया। उससे हमारा जो राजकोषीय घाटा या राजकोषीय घाटे से सकल घरेलू उतपाद का सम्बन्ध या उसकी वजह से कोई आर्थिक संकट या उसकी वजह से करैन्सी डिवैल्यूएशन या उसकी वजह से नेशनल जो ग्रोथ रेट है उसमें कोई अन्तर नहीं आता। इसलिए राजकोषीय घाटे के मामले में जब-जब भी इस प्रकार की बात कही जाती है तो वह लोगों को भ्रमित करती है। एक आंकड़ें दे दिये जाते हैं कि अब की बार राजकोषीय घाटा 5 हजार करोड़ का हो गया, 4 हजार करोड़ क हो गया क्योंकि जो बजट घाटा है वह तो बता दिया जात है, है नहीं और प्रतिवर्ष आर्थिक सुप्रबन्ध के कारण से यहां पर कभी होने नहीं दिया, शुरु के अन्दर हुआ है कभी 265 करोड़ का, कभी 365 करोड़ का और हुआ भी तो अंत में जाकर बराबर हो गया। इस बार भी 86 लाख अवशेष बचता है। तो उसकी बात तो करते नहीं है और एक ऋण है उस ऋणप को जोड़कर के राजकोषीय घाटे के नाम पर जो पब्लिक के अन्दर बताया जाता है आर पब्लिक को गुमराह किया जाता है क्योंकि पब्लिक का समझ नहीं है कि इस चीज का मतलब क्या है, अर्थ क्या है।

125

(श्री रमाकान्त शर्मा)

ऋण के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। बड़ा कहा गया कि ऋण इतना ज्यादा राजस्थान ने ले लिया है और वह कैलकुलेट कर लिया कि प्रति व्यक्ति इतना ज्यादा हमने ऋण ले लिया है। भारत सरकार यदि ऋण लेती है, खासतौर से विदेशी ऋण, तो वह बड़े मायने रखता है, उनकी मनी पॉलिसी से सम्बन्ध रखता है। वहां जब तक आर्थिक ग्राह्यता नहीं हो, तो अधिक ऋण नहीं लिया जा सकता है और सच बात यह है कि विदेशी ऋण ही मायने रखता है, विदेशी ऋण को काउंटर करने के लिए जो नेशनल ऋण लिया जाता है वह आर्थिक ग्रोथ को मदद करता है, वह मुद्रा स्फीति को कम करता है इसलिए नेशनल सोर्सेज से जो ऋण लिया जाता है या यह अल्प बचत का जो ऋण लिया जाता है वह तो आर्थिक स्थिति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु विदेशी ऋण वहां पर भयानक बात है, भयंकर मामला है। यदि विदेशी ऋण गलती से ज्यादा ले लिया जाए, तो फिर इण्डोनेशिया के और थाईलैण्ड के और उन देशों के जो हालात बन गये, वह हालात हमारे भी हो सकते हैं। परन्तु एक राज्य सरकार के लिए ऋण लेना, इससे कोई मतलब नहीं है, राज्य सरकार तो ऋण विशेष मदों पर लेती है और विशेष मदों की पूरी तरह से जांच होती है। ऋण देने वाला कौन, ऋण कौन देता है, चाहे तो वर्ल्ड बैंक देती है, चाहे कोई कंट्री देता है, चाहे भारत सरकार देती है जो कि खास विशेष मदों के लिए और यदि कोई भी सरकार ऋण लेने से घबरायेगी तो ठीक उसी प्रकार की बात होगी जैसे एक लिमिटेड कम्पनी है, कोई लिमिटेड कम्पनी संसार भर में नहीं जो कम से कम अपने नियोजन के ऊपर 90 प्रतिशत ऋण नहीं लेती है चाहे पूर्व नियोजन से लिए हो, चाहे कम्पनी बनाने के लिए, चाहे कम्पनी को चलाने के लिए हो। ऋण एक ऐसी चीज है आर्थिक प्रक्रिया के अन्दर जो विकास के अन्दर अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार से राज्य सरकार के लिए ऋण अत्यन्त आवश्यक है और यदि राज्य सरकार ने ऋण ज्यादा लिया है, तो इसका मतलब यह है कि उसका आर्थिक सुप्रबन्ध बहुत बढ़िया है। यदि आर्थिक सुप्रबन्ध बढ़िया नहीं है, तो ऋण नहीं मिल सकता। आज तक जितने भी ऋण मिले हैं उसके अन्दर पहले बात तो यह देखी जाती है कि आर्थिक सुप्रबन्ध है या नहीं है। हम जो इस तरह की बातें करते हैं ऋण के मामले के अन्दर, यह पुनः जो हमारे गांव के लोग हैं उन गांव के लोगों को भ्रमित करता ह।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात और कही गयी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, उसके अन्दर गांवों का, ग्रामीण क्षेत्रों का होता था उसमें 8 प्रतिशत की कमी हो गयी और सामुदायिक क्षेत्र में 4 प्रतिशत की कमी हो गयी और फलानां क्षेत्र के अन्दर 5 प्रतिशत की कमी हो गयी।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

ऐसी कुछ बातें फिर भ्रमित करने वाली हैं, फिर लोगों को एक तरह से गुमराह करने वाली बात है। आठवीं पंचवर्षीय योजना इस राज्य की 50 साल के अन्दर पहली योजना है जिसमें 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और 12,500 करोड़ रुपये खर्च हुए। इससे पहले कोई योजना ऐसी नहीं थी 1952 से लेकर आज तक, जिस योजना के अन्दर योजना में जितना पैसा दिया गया है और उससे ज्यादा खर्च किया गया हो। 7 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह स्थिति थी कि जितना प्रावधान किया गया था उससे 400 करोड़ रुपये कम पड़ गये थे तो जब हमने 500 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किये हैं, उस योजना के अन्दर तो किसी क्षेत्र के अन्दर कमी कैसे हो सकती हे। यह बात ही बिलकुल एक फालतू आंकड़ों की है और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जैसे पिछले सालों के अन्दर पूर्व जो सरकारें थीं, मुश्किल से 30-35 प्रतिशत व्यय हुआ करता था, आज हम ठोक-बजा करके हरेक वजट के अन्दर पिछले पांच सालों से यह कह रहे हैं कि अब की बार 58 प्रतिशत कर दिया है ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर अब की बार 60 प्रतिशत कर दिया गया है। अब की बार 62 प्रतिशत कर दिया गया है और परसेंटेज पता है तो जब ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर परसेंटेज 60-62 प्रतिशत तक पहुंच रहा है और फिर उसमें यह कह दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर, जो योजना के अन्दर बताया गया था, वह खर्च नहीं हुआ, वह पुनः ग्रामीण क्षेत्र को भ्रमित करने वाली बात है।

यह भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की बहुत उपेक्षा हुई है। यह बात पहले भी बता दी गयी परन्तु मैं भी इस सन्दर्भ में बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी उपेक्षा होते हुए 8 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर तो जैसे रासायनिक खाद 28 करोड़ रुपये की किसान लोग खरीदा करते थे, वह 28 करोड़ से 61 करोड़ रुपये कैसे हो गयी। वह 28 करोड़ से 61 करोड़ रुपये हो गया, यह कीमतें बढ़ी हैं क्या यूं ही कह देने से पार पड़ जाएगी। परसेंटेज बताइये तब तो मैं मान जाऊंगा कि कितनी कीमतें बढ़ी। कीमतें अवश्य बढ़ी हैं पर उसका फर्क एक करोड़, दो करोड़ का हो सकता है परन्तु 28 करोड़ से 61 करोड़ रुपये का जो फर्क है, वह नहीं होता। खाद्यान्नों के अन्दर वृद्धि हुई है, आशातीत वृद्धि हुई है। तिलहन के अन्दर सारे के सारे देश के अन्दर सबसे ज्यादा बढ़ा है राजस्थान में। यदि ग्रामीणा क्षेत्रों के अन्दर हमने निवेश किया है, ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के बारे में ध्यान दिया है तो किसानों ने उसका परिणाम दिया है। इस बात के लिए यह कह दिया कि हमने किसानों के प्रति या ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति उपेक्षा की है, यह एक इस तरह से थोथी बातें हैं। बहुत समझदार हैं, ग्रामीण क्षेत्र के आदमी इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी की इस मामले के अन्दर बहुत ज्यादा प्रशंसा

(श्री रमाकान्त शर्मा)

करूंगा कि 5 वें वेतन आयोग के अन्तर्गत 1995 करोड़ रुपये का अधिक व्यय आ गया। 1995 करोड़ रुपये हमारे जैसे स्टेट के लिए कोई मामूली बात नहीं, बहुत भारी संकट था, यह देना आवश्यक है क्योंकि सारे के सारे जितने भी कर्मचारी हैं, वे कर्मचरी एक आर्गेनाइज सेक्टर के आदमी हैं, उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती। अनआर्गेनाइज सेक्टर की तो उपेक्षा हो जए, आर्गेनाइज सेक्टर की तो उपेक्षा नहीं हो सकती, उनको तो देना था। जहां 1985 करोड़ रुपये का यह अतिरिक्त भाग आ जाए और उसके बाद में भी बजट में दोनों बातें, जो हमारी विकास की दर है उसमें कहीं पर भी कमी नहीं आ रही है, विकास के व्यय के अन्दर कहीं कमी नहीं आ रही है। 50 करोड़ रुपये के जो हमने करों के अन्दर कमी की है, वह देना आवश्यक है क्योंकि वह कर ऐसी राहत थी जिससे औद्योगिक क्षेत्रों के अन्दर प्रोत्साहन मिलने वाला है। वह कर राहत ऐसी थी जिससे कृषि क्षेत्र के अन्दर प्रोत्साहन मिलने वाला है। उसके कारण से एक नवीन राजस्थान का निर्माण होगा, वे ऐन मौके पर इसी वजह से सोचा गया। एक ओर तो सामने यह है कि 50 करोड़ रुपये कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सामने यह है कि हमको यह जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं चाहे वह सड़क की मरम्मत हो, चाहे स्कूल का मामला हो और चाहे और मामले हों, उसके अन्दर निवेश बराबर मेनटेन किया गया है 1985 करोड़ रुपये का भार भी वहन किया गया है और फिर उसके बाद में 86 लाख रुपये का अधिशेष बचता है, यह वित्त मंत्रीजी का बहुत बड़ा सोच है इसके लिए मैं अपने हृदय से प्रशंसा करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने और राजस्थान सरकार ने बहुत सोच समझकर इस बजट को बनाया है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा, बजट के अन्दर बात आई है कि 1991-92 के अन्दर योजना आयोग भारत सरकार केन्द्रीय योजना से 38.60 प्रतिशत देती थी हमारे योजना के लिए और वह घटकर 13.79 प्रतिशत हो गयी और माननीय, 13.79 प्रतिशत के अन्दर उस रुपये से अब कम खरीदा जाता है जैसे आपके हिसाब से रुपये की बात होगी तो यहां 13.79 प्रतिशत कम नहीं, इफेक्टिव 5 प्रतिशत ही रह गया और उसके बाद के अन्दर 4200 करोड़ रुपये की इस वर्ष की योजना वनाई जाए। यह बहुत बड़ी बात है और यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है, साधारण बात नहीं है। जो लोग आर्थिक चीज को समझते हैं जो लोग ग्रोथ की रेट जैसी चीजों को समझते हैं वे इस बात की तारीफ कर सकते हैं। साधारणतया इस तरह की बात कहकर और हम यह कह दें कि राजस्थान के बजट के अन्दर यह हो गया, वह हो गया, वह बात ठीक नहीं है। एक बात और आई है यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, हर साल आती है, हर बजट में आती है। 20 वर्षों से यह बात आ रही है, 50 वर्षों से यह बात आ रही है, हिन्दुस्तान जब से आजाद हुआ, तब से यह बात आ रही है,

(श्री रमाकान्त शर्मा)

पूंजीगत व्यय से पूंजीगत खाते से हम राजस्व खाते के अन्दर राजस्व खाते के घाटे को पूरित करते हैं। सच बात तो यह है कि दुनिया के किसी भी देश के अन्दर दो खाते हैं ही नहीं। पूंजीगत खाते और राजस्व खाते, दोनों एक ही हैं। दो नहीं है। किसी बड़ी कम्पनी में जिसका राजस्थान तो क्या भारत सरकार के बजट से भी बड़ा बजट है, वहां पर भी दो नहीं होते बैलेंस-शीट के अन्दर कि यह तो पूंजीगत खाते की बैलेंस-शीट है और यह राजस्व खाते की बैलेंस-शीट है और यह राजस्व खाते की बैलेंस-शीट है, यह किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से है और इस प्रकार की बात हिन्दुस्तान के अन्दर होने लग गयी है और बराबर इस तरह से -

श्री राजेन्द्र पारीक : दो नम्बर वाले खाते होते ही हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह दिमाग की बात है।

श्री राजेन्द्र पारीक : भारत सरकार ने दो नम्बर का बजट पेश कर दिया। पेट्रोल का एक रुपया बढ़कर बात की और यहां 5-5 रुपया लोगों से वसूल लिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : यहां के दो नम्बर के खाते का मुझे पता नहीं, आपको पता होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से है। (व्यवधान) आप नाराज क्यों हो रहे हैं ? मैंने तो बात ही नहीं की किसी कर दी, दो नम्बर के खाते की, आप ही जाने इसके बारे में मैंने तो यह कहा है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अंग्रेजों के राज के अन्दर, उस वक्त में स्थिति भिन्न थी, उस स्थिति के नाते उस वक्त इसी प्रकार से एकाउन्ट्स जनरली मेनेटेन किया करते थे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने यह कहा है कि यह बात गलत है, उन्होंने एक विशेष् समिति बनाई है, वह विशेष समिति इन बातों को देख रही है और चन्द वर्षों के अन्दर सारे के सारे बदलाव क्योंकि समय लगेगा, बहुत सारी बातों को बदलना पड़ेगा। पूंजीगत खाता और राजस्व खाता, दोनों एक ही खाते होंगे, दोनों का एक ही बजट होगा, अलग-अलग नहीं और राजस्व बजट की स्थिति आज यह है, अभी यह कहा गया कि हमारी जो परिसम्पत्तियां हैं उनकी देखभाल नहीं होती, सड़कों की मरम्मत नहीं होती। आज जिस चीज को कहते हैं, नहीं होती उसी हालत के अन्दर हमारा जो राजस्व व्यय है या टोटल व्यय है, उसका 50 प्रतिशत नोन-प्रोडक्टिव या 50 प्रतिशत मेंटिनेंस के अन्दर या 50 प्रतिशत दूसरा विषय जिसे कहते हैं राजस्व घाटा होता है, उसके अन्दर चला जाता है। 50 प्रतिशत हमारा जो व्यय है वह गैर आयोजना मद में खर्च हो रहा है। आज की स्थिति यह है। यदि हम इनके रख-रखाव के खर्चे में और वृद्धि कर दें तो हम खर्चों को बढ़ाने के अन्दर फिर 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत तो उसी के अन्दर चला जाएगा और एक बात हमको ध्यान में रखनी होगी कि आज का जो योजना व्यय है वह कल

(श्री रमाकान्त शर्मा)

का राजस्व व्यय हो जाएगा। आज जो हम योजना पर खर्च करते हैं, पांच वर्ष के बाद के अन्दर जो भी हम रख-रखाव का खर्च करते हैं वह गैर आयोजना में चला जाता है तो गैर आयोजना का खर्चा बढ़ता चला जाता है और वह यहां पर हमारे लिए एक तरीके से आलोचना का विषय बन जाता है कि यह कैसी सरकार है, यह तो डवलपमेंट में तो खर्च कर नहीं रही है और यह सारी जो धनराशि है यह गैर आयोजना में खर्च कर रही है। एक तरफ मांग करते हैं कि हमारे रख-रखाव में पैसा ज्यादा होना चाहिए, दूसरी ओर कहते हैं कि गैर आयोजना का खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। इन बातों को हमको बहुत अच्छी तरह से समझाना होगा। और यह बात सही है कि हमको रख-रखाव का भी ध्यान देना होगा। परन्तु रख-रखाव के ध्यान पर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमको प्रक्रिया में तब्दीली लानी पड़ेगी। गांव के लोग या शहर के लोग जो उन सम्पत्तियों को काम में लेते हैं उन पर कुछ न कुछ भार डालना होगा। जब तक हम अतिरिक्त भार उन लोगों पर नहीं डालेंगे, हम इतना बढ़ता हुआ, हमारा जिस गति से विकास हो रहा है और पिछले पांच वर्ष के अन्दर जो राजस्थान के बजट के माध्यम से जो गांव के अन्दर विकास हुआ है, जो परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ है यदि उनके बारे के अन्दर किसी न किसी प्रकार से वहां के लोगों को उसमें भागीदार नहीं बनाया गया तो मैं समझता हूं कि हम किसी भी प्रकार से उनका रख-रखाव ही नहीं कर सकेंगे और एक गति बन रही है आज विकास की, आगे आने वाले वर्षों के अन्दर वह गति रुक नहीं सकेगी, लोगों की मांग होगी कि आज हमने सारे के सारे गांवों को सड़कों से जोड़ दिया है, जगह-जगहह पर एनीकट बन गये हैं, जगह-जगह पर स्कूल क्रमोन्नत हो गये हैं, जगह-जगह पर अस्पताल बन गये हैं, हर क्षेत्र के अन्दर एक-एक गांव के अन्दर बीस-बीस लाख रुपये का काम हुआ है, आगे भी वह करना पड़ेगा और इस गति से जब इन परिसम्पत्तियों का निर्माण होग तो इनका रख-रखाव मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस रख-रखाव के लिए हमको कुछ विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी।

जो चुंगी की समाप्ति की गयी है मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। यह इतनी खराब चीज थी कि दूसरे देश के लोग आकर के हम पर हंसते थे। 16वीं शताब्दी की एक प्रक्रिया चल रही थी। एक ओर तो मुझे यह बड़ी खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा के अन्दर कहा था, चुनाव घोषणा के अन्दर बार-बार कहा था कि हम इसको आते ही समाप्त कर देंगे, इसमें जो देरी हुई है, परंतु अंत में आज जाकर के समाप्त कर दी गयी है, यह अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि इसके द्वारा 280 करोड़ रुपये की नगरपालिकाओं को जो आय होती थी वह कम हो जाएगी, उनका विकल्प ढूंढ़ना पड़ेगा परन्तु लोगों को जो परेशानी पैदा होती थी, बसों के अन्दर लोग घुस

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जाया करते थे, एक निजी आदमी है, कोई यहां सें अपने खाने के लिए बेर ले जा रहा है जयपुर से कि लाओ चुंगी, ठहर जाओ सारी की सारी बस, पूरी की पूरी ठहर गयी। इस प्रकार की चीजें बहुत हैं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, एक अनयूजअल। परन्तु यूजअल तरीके से ट्रक खड़े हुए हैं, लाइन की लाइन ट्रक खड़े हुए हैं, ट्रकों की वजह से कभी-कभी तो दो-दो घंट तक कारें भी खड़ी हुई हैं पीछे की तरफ, सारा यातायात बंद पड़ा हुआ है क्योंकि चुंगी वाले ने चुंगी रोक दी है वहां पर। एक इस तरह की यह जो खराब चीज थी, इस चीज को समाप्त क़िया गया है, मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। जहां तक 280 करोड़ के नुकसान की बात है, मैं समझता हूं कि यहीं पर विकल्प की बात है, जिस वक्त में विकल्पव की चर्चा होगी तो मैं भीप्रस्तुत करूंगा। विकल्प मुश्किल नहीं है और विकल्प ढूंढने का अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के अन्दर भी तो सारी म्युनिसिपैलटीज चल रही हैं, वह किस प्रकार के टैक्स ले रही है मैं बता दूंगा आपको, जब समय आएगा क्योंकि लम्बा विपय है। इस प्रकार के टैक्स लगाये जा सकते हैं और वह वसूल की जा सकती है। 280 करोड़ की बजाय 300 करोड़ रुपये ज्यादा लिये जा सकते हैं और हमारी म्युनिसिपैलिटीज की जो हालत खराब हो रही है और चुंगी पर आधारित थी, चुंगी के अन्दर तो आधी ही चुंगी आती थी, आधी तो चोरी चली जाती थी परन्तु यदि विकल्प हम ढूंढ़ेंगे तो इसके अन्दर वह चोरी भी बंद हो जाएगी। इसलिए जो चुंगी समाप्त करने का काम है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आपका बहुत सारा समय नहीं लेकर के ...

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी और कितना लोगे ?

श्री रमाकान्त शर्मा : एक व्यथा यहां पर अवश्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस सारे के सारे वजट में, इतना वोल्यूमिनस बजट है, इसके अन्दर प्रत्येक जिले के बारे में कुछ न कहा गया है, अलवर का नाम ही नहीं आया है। अलवर जिले की पूर्ण उपेक्षा। कहीं इंजीनियरिंग कालेज खोल रहे हैं, कहीं मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, कहीं पर क्या बड़ी-बड़ी संस्थाएं खोल रहे हैं, कहीं कुछ खोल रहे हैं, अलवर का बिल्कुल नाम नहीं आया है। मैं सभी मंत्रियों से ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : मैं सूचना दे दूं, अलवर में निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री रमाकान्त शर्मा : निजी कालेज खोलने से काम नहीं चलने वाला है। मैं यहां राज्य सरकार के बजट पर चर्चा कर रहा हूं। इसलिए राज्य सरकार के बजट की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका तो धन्यवाद दे दो, वोट आपके ही बढ़ेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कम से कम कालेज तो खोल दो।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भी ध्यान दिला देना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने चुनाव से पहले, चुनाव के बाद और पार्लियामेंट में अपने सभी भाषणों के अन्दर शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। कुछ एसो आभास होने लगा था कि अब तो कम से कम प्राथमिक शिक्षा सबके लिए उपलब्ध होगी, प्रत्येक बच्चे के लिए, लड़के-लड़की के लिए उपलब्ध होगी, परन्तु वह सपना इस बजट के माध्यम से साकार नहीं हुआ है। कहां कुल मिलाकर पचास स्कूल, प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करना चाहते हैं, पचास माध्यमिक को क्रमोन्नत करना चाहते हैं, पांच सौ पचास प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं, अभी तो थानागाजी क्षेत्र के अन्दर ही 21 राजस्व ग्राम हैं जहां पर प्राथमिक शालाएं नहीं हैं। करीब 69 इस तरह की जगह हैं, जिन ढाणियों की पांच सो के ऊपर आबादी है वहां प्राथमिक शाला नहीं है। माननीय पंचायती राज मंत्री मेरे साथ परसो गये थे, एक शाला भवन का शिलान्यास करके आये हैं। हम लोग 8 किलोमीटर चल करके, पानी-पानी के अन्दर नदियों को पार करते हुए वहां पर पहुंचे थे। तो इन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा कि क्या इतनी दूर बच्च आया करते थे, मालोदाना पढ़ते आते थे इस हनुमानगवाड़े के। यह वहां पढ़ने आया करते थे। मैंने कहा कि पढ़ने तो आया करते थे, परिणाम यह है कि एक भी पढ़ा-लिखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अन्दर आज हमारे बहुत सारे गांव हैं जहां पर चार-चार, पांच-पांच, छह-छह किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है और यदि हम इसके अन्दर पांच सौ पचास, इसका मतलब होगा एक पंचायत समिति के अन्दर तीन, एक पचांयत समिति में यदि तीन प्राथमिक खालाएं खुलेंगी तो कितने सालों तक इस हिन्दुस्तान को साक्षर होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और यह जो ऊपर योजनाएं हैं सम्पूर्ण...

श्री अमराराम (धोद) : पंचायत समिति 237 हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : 237 तो बोली ही हैं मैंने भी।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने कहा तीन-तीन स्कूल खुल जाएंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, तो पांच सौ पचास का करीब -करीब एवरेज तीन-तीन, ढाई तो खुलती ही हैं, कभी तीन खुलेगी या दो खुलेगी। तो दो का एवरेज भी नहीं बैठ रहा है। कोई बात नहीं, दो-चार ज्यादा बढ़ जाएगी। परन्तु मैं निवेदन कर रहा था कि जहां हम और प्रकार की योजनाओं पर व्यय कर रहे हैं, सम्पूर्ण साक्षरता पर व्यय कर रहे हैं, नॉन-फोरमल एजुकेशन पर व्यय कर रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं, एक अत्यन्त बिल्कुल नामाकूल योजना लोक जुम्बिश है उस पर खर्च कर रहे हैं, उस पर 600-700 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, समय आ गया है, हम यह बूढ़ों को और

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उनको पढ़ाने की बजाय जो आज के बच्चे बूढ़े होंगे, आगे बूढ़े हो जा रहे हैं पहले उनका ध्यान दें। हम इतने स्कूल खोल दें कि हमारा एक भी बच्चा, लड़का और लड़की, गांव के अन्दर जो स्कूल में जाने वाला है उसके लिए एक किलोमीटर के अन्दर स्कूल प्राप्त हो, हमें यह घोषणा करनी होगी और हमें सारे का सारा इस बात पर ध्यान देना होगा। यदि हमने यह प्राथमिक चीज नहीं करी तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले कई वर्षों तक हम अशिक्षित रहेंगे और अशिक्षित विकास के अन्दर हमारे जो विकास की गति है वह दूर नहीं हो सकेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य सचेतक जैसे लोग हैं, बुजुर्ग लोग, इनकी शिक्षा का क्या प्रावधान है ?

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी को ध्यान दिला देना चाहता हूं, थानागाजी के लोगों को (व्यवधान) माननीय, बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रौढ़ शिक्षा में आप संशोधन करें कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनकी शिक्षा के लिए कोई तो प्रावधान रखा गया है, फिर यह कहां सीखेंगे ? हाउस में सीखने की गुंजाइश (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय पारीक साहब, आपके (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके लिए मेंटल विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जा रही है, अब आपके अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद्यालय में भेज देंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय,+ + + दोनों ही चीज नहीं है महावीरजी के पास तो।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थानागाजी से पचास किलोमीटर दूर थानागाजी के बच्चों को कालेज में जाना पड़ता है। राजस्थान मर्मे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पचास किलोमीटर जाना पड़ता हो और थानागाजी क्षेत्र के 600 बच्चे, यदि मैं इसमें एक भी शब्द गलत बोल रहा हूं, तो जांच कर ली जाए। 600 बच्च गरीबों के, जो सबसे पिछली तहसील है वह गरीबों के बच्चे आज अलवर के अन्दर कालेज के अन्दर पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से उनके मां-बाप अपने पेट पर पत्थर बांध रहे हैं रोटी के बिना और बच्चों के लिए वहां उनको खर्च करना पड़ रहा है, उनके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि वहां पर इसी साल के अन्दर कालेज खोला जाए। यदि यह नहीं खोला गया तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा उस क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं लोक जुम्बिश के बार में निवेदन करना चाहता हूं, अभी नहीं करुंगा, शिक्षा के बजट पर मैं निवेदन करूंगा। आपने मुझे समय

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ इस बजट का मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का 1998-99 का जो बजट पेश किया गया है वह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि राज्य की गरीब जनता का इस बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा कि अभी थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी कुछ बातें यहां कहीं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ये मीणा होने का फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नुकसान होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : ये कह रहे थे ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र चौधरी : बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद लगातार इसका आकार तो बढ़ता गया पर वह कर्ज लेकर के बढ़ता गया। यह कर्ज कांग्रेस शासन में जहां करीब साढ़े 6 हजार करोड़ का था आज वह 20 हजार करोड़ के ऊपर राजस्थान के ऊपर हो गया है और राजस्थान के व्यक्ति की औसत कर्ज की जो स्थिति है। हिन्दुस्तान के मुकाबले वह दुगुने से भी ज्यादा, लगभग दुगुने के करीब है। अब यदि हम कर्ज और उधार लेकर के दूसरों से पैसा लेकर हमारे घर में हलुआ बनाने का प्रयास करें तो उस हलुआ का स्वाद कैसा होगा, यह समझने की जरूरत है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इस देश की पुरानी परम्पराएं हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : चावार्क ने भी कहा है कि "यावत् जीवेत सुखम् जीवेत् ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्" तो ऋण करके घी पी रहे हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अब, उपाध्यक्ष महोदय, जो अलग-अलग शिक्षा की बात है हमने स्कूल खोले हैं...

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई ब्राह्मण मुख्य मंत्री करें फिर तो ...(व्यवधान)... बात होगी ही होगी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आज, शिक्षा के मामले में, हम स्कूलों की संख्या बढ़ा रहे हैं पर चिन्ता की बात यह है कि हमारे अध्यापकों की ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बहुत कमी है। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज शहरों के अन्दर शिक्षा मंत्री महोदय जो विद्यालय हैं और मैंने पहले भी प्रश्न किये हैं आपने जांच भी करवाई है। यहां पर छात्रों की

(15.43 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

संख्या शून्य है। शिक्षा मंत्री महोदय, छात्रों की संख्या शून्य या 10 है या 15 है पर वहां पर अध्यापकों की संख्या आपके 7 और 8 है। शहरों के अन्दर छात्र नहीं है और जो विद्यालय भवन है उन विद्यालय भवनों का किराया शिक्षा विभाग दे रहा है। छात्र वहां है नहीं और दूसरी तरफ, सभापति महोदय, हालात यह है कि गांवों में छात्र इतनी संख्या में हैं, चार-चार सौ की संख्या में छात्र हैं और वहां पर उनकी उपस्थिति देखिये, वहां पर अध्यापक कितने हैं, दो या तीन अध्यापक

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मुश्किल से हैं। हमारी सरकार की जो नीति है, नये विद्यालय जब क्रमोन्नत होते हैं, तो उनके अन्दर यह होता है कि पंचायत समिति के टीचर्स को वहां रखा जाता है जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है वे टीचर्स वहां से विदड्रा हो जाते हैं और उसके कारण आप कल्पना कीजिए 8वीं की स्कूल जिसको हम क्रमोन्नत करते हैं वहां पर आज 6 सौ छात्र हैं या 5 सौ छात्र हैं वहां पर तीन या चार टीचर मुश्किल से रहते हैं। इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। पंचायती राज मंत्री जी यहां नहीं है, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्कूल जहां तीन सौ विद्यार्थी हैं उसके अन्दर एक टीचर काम कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि क्या वह एक टीचर उनको पढ़ाएगा ? शिक्षा मंत्री महोदय।

मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान में एकमात्र शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में है और उसकी इतनी दुर्गति हो चुकी है बहुत लम्बे अर्से से आज तक तीन साल या चार साल पहले मैंने विधान सभा में प्रश्न किया था और मैंने यह कहा था कि वहां पर प्रधानाचार्य नहीं है उप प्रधानाचार्य नहीं है, सारे पद खाली हैं और हालात यह है कि बहुत दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बी.पी.एड. की शिक्षा समाप्त कर दी गयी है, क्योंकि वहां पर हमारे जो केन्द्र के अन्दर मानदंड तय किये गये हैं उन मानदंडों के अनुसार हमारा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर उसमें खरा नहीं उतरा। उसके कारण से उसमें बी.पी.एड. की शिक्षा बंद कर दी गयी। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

सभापति महोदय, हमारी इतनी पुरानी संस्था है, हम क्या कह सकते हैं, हमारे बार-बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी अकर्मण्यता की वजह से ये हालात क्यों बने। क्यों आज एकमात्र शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की यह दुर्गति हुई ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? हम इस सदन में आपसे बार-बार आग्रह करते हैं, किसके लिए करते हैं शिक्षा मंत्री महोदय इस बात को आपको देखने की जरूरत है। आज सत्र खुला है और सत्र खुलने के साथ ही फीस की क्या स्थिति हो गयी है। तीन गुना, चाहे वह सरकारी विद्यालय है और चाहे वह एडेड स्कूल, उन्होंने तीन-तीन गुना फीस बढ़ा दी है शिक्षा मंत्री जी क्या उस फीस के ऊपर हम कोई नियंत्रण नहीं करना चाहेंगे?

क्या यह वेतन आयोग की सिफारिश हमने पूरी लागू की है या नहीं की है पर वहां पर फीस को हमने लागू कर दिया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और इसकी जांच भी करवाएंगे।

आज डेयरी की स्थिति क्या है जहां आप बात करते हैं मैंने इस सदन के अन्दर आज से चार साल पहले जब भाभड़ा जी स्पीकर थे और यहां पर बहुत ही लम्बी डिबेट हुई थी उस समय मैंने यह कहा था कि एनडीडीबी. के साथ राजस्थान डेयरी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

फैडरेशन का जो समझौता मुख्य मंत्री महोदय आपने करवाया है और जो आधार तय किए गये हैं उन आधारों पर हम इसका घाटा पूरा करेंगे इसके अन्दर नियुक्तियों को कम करेंगे और जो दुग्ध उत्पादक किसान है उनको हम भुगतान समय पर करेंगे, उनको कीमत ज्यादा देंगे, उनके पशुओं का रख रखाव ज्यादा ढंग से करेंगे जबकि उसके विपरीत काम हुआ है। डेयरी मंत्री जी, आप यहां पर विराजें हुए है। आज एन. डी. डी. बी. के बाद में घाटा कितना बढ़ गया है। और आज स्थिति यह है, रानीवाड़ा जहां से आप स्वयं पधारते हैं आपके पास में गुजरात के अन्दर है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : लाभ में चल रहो है रानीवाड़ा, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वह सुन लें आप। डेयरी मंत्रीजी आप रानीवाड़ा सोसाइटी में जो दूध की रेट दे रहे हैं आपके पास में गुजरात पड़ता है गुजरात में दूध की क्या रेट है आपसे कितने किलोमीटर दूर है, आपके पास में ही है, थोडा यह पता कर लें। आज हालात यह है कि पैसे का बहुत अन्तर है, कीमत का बहुत अंतर है, घाटा कितना बढ़ गया है आज हालात यह है कि पेमैंट नहीं हो रहा हैं, जोधपुर डेयरी का पेमैंट नहीं हो रहा है। मतलब आप किसान को पैसा नहीं देना चाहते हैं और एन. डी. डी. बी. संस्था केवल यहां के दूध उत्पादकों का खून चूसने के लिए बनाई है। यहां का फायदा लेकर के वह दिल्ली ले जाना चाहती है, राजस्थान के दूध उत्पादकों को उसका फायदा नहीं मिलता है। इस बात को मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया और मंत्री जी भी उस समय यहां बिराजे हुए थे और जो बातें तय की गयी थी उन बातों को उन्होंने नहीं माना और जो पेमैंट हुआ है...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय सदस्य, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, पहले वाली स्थिति अब नहीं है। अब संघ घाटे में नहीं है बल्कि लाभ में चल रहे हैं। पहले 4 सोसाइटियां लाभ में थीं अब 13 सोसाइटियां लाभ में चल रही हैं। पहले वाली स्थिति आज नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं जो बात कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, मेरी भावना आप समझ रहे हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो पेमैंट है वह उनको नहीं मिल रहा है, यह बात सही है या नहीं ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : सिर्फ जोधपुर की थोड़ी सी तकलीफ है, बाकी सब जगह मिल रहा है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, जोधपुर की बात कह रहा हूं जोधपुर की बात है, जोधपुर का नाम लिया है मैंने।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : घाटे का तो आज आपने जवाब दिया है उसमे एक सौ करोड़ का घाटा तो मायने रखता है। आपने खुद ने माना है कि 60 करोड़ का फैडरेशन

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

का था, 40 करोड़ का अभी इसने किया है तो एक सौ करोड़ का तो घाटा हो गया।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : हां, मैं वह स्वीकार कर रहा हूं। मैं उसके लिए मना कहां कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आज की तारीख में आप मान रहे हैं कि घाटा कम हुआ है, लाभ में है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : आज की तारीख में घाटा कम हुआ है, लाभ में है

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कम क्या एक - दो करोड़ हुआ होगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अच्छे मैनेजमेंट के नाम पर मंत्री महोदय, मेरा मतलब यह है कि जिस समय एन. डी. डी. बी. को दिया था उस समय हमारा घाटा 38 करोड़ का था, तो उस समय यह कहा गया था कि इस घाटे की पूर्ति एनडीडीबी. कर देगा और आगे अच्छा मैनेजमैंट करेगा जबकि मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ। घाटा बढ़ गया यह बात सही है न हम तो यह कह रहे हैं, हम तो यह बात कहना चाहते हैं।

इसके अलावा हालात यह है मेडिकल मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं, कल भी चर्चा हुई थी, जोधपुर में बहुत बड़ा मेडिकल कालेज भी है और मथुरादास माथुर हास्पिटल भी बना हुआ है और सारे हास्पिटल्स हैं, सारी फैसेलिटी भी दी गयी है, पर मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां हार्ट स्पेशलिस्ट का पद खाली पड़ा है, कैंसर स्पेशलिस्ट की पोस्ट है वह खाली पड़ी हुई है, स्किन डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हैं और डेंटिस्ट के सारे पद खाली पड़े हैं। एक डाक्टर, एक डेंटिस्ट क्या देखेगा इतने बड़े जोधपुर को ?

आज वहां हालात बहुत खराब है। मैंने पिछली बार प्रश्न भी किया था उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। शायद इसके ऊपर आज विचार कर रहे होंगे कि कैसे इसका जवाब दें। मेरा निवेदन यह है कि जब हमारे पास इतने उपलब्ध स्किल हैं तो हम या तो उनकी पदोन्निति नहीं कर रहे हैं जो उस पद के लायक है। मैं चाहता हूं कि उन पदों को आप जरूर भरें ताकि उसका लाभ जनता को मिल पाये।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों के मामले में चतुर्वेदी जी काफी सक्रिय भी हैं और उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। सड़कों की हालत इतनी खराब है, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यह कह दिया था कि यहां पर सड़क नीति से नहीं चतुर्वेदी नीति से सड़कें बनी है, सीकर जिले में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चतुर्वेदी जी, सड़कों के रिपेयर के प्रोग्राम जो आप देते हैं और जहां रिपेयर का काम दिखाया हुआ है, डिवीजन को आप चैक कीजिए, पिक एण्ड चूज कीजिए और जहां पर जिस डिवीजन के ऊपर रिपेयर पर 20 लाख रुपये खर्च हुआ है, 40 लाख रुपये खर्च हुआ है, वह कहां हुआ, आप इसको टैस्ट चैक के रूप में उस जगह एक

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

बार चले जाइए, देखिए कि वहां पर वास्तव में 40 लाख रुपये सड़क पर खर्च हुए है या नहीं हुए। यह तो आप कर ही सकते हैं, बाकी हम दूसरी कोई बात नहीं करते। हम तो यह कहते हैं कि जो पैसा आपका उठा है, जो रिपेयर के नाम पर उठा है, उस जगह जाकर देख लीजिए कि वास्तव में वहां कोई रिपेयर, पेचवर्क हुआ है कि नहीं हुआ, वहां काम हुआ कि नहीं हुआ, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। वहां पर इतनी हालत खराब है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चतुर्वेदी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि दो साल पहले मेरे क्षेत्र में एक सड़क नाबार्ड में स्वीकृत हुई, गोगुन्दा से पटेल नगर। वह सड़क ई.एस. में स्वीकृत हुई थी। 10 लाख रुपये उस समय खर्च हुए। उसके बाद में नाबार्ड में उस सड़क को मंजूर किया गया। दो साल से उस सड़क पर निर्माण नहीं हो रहा है। मैं बराबर आपसे व्यक्तिगत भी मिल रहा हूं, आपको चिट्ठियां भी लिख रहा हूं। आपने निर्देश भी दिये। निर्देश देकर तीन बार उसके टेण्डर पोस्टपोण्ड हो गये। राज्य सरकार की नीति यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। क्या राज्य सरकार यह चाहती है कि जनता को फायदा नहीं मिले या गांवों को इसका लाभ नहीं मिले ? दो साल से जो सड़क नीति के अन्तर्गत सेंक्शन हुई है वह काम क्यों नहीं हो रहा है ? मैं यह चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जरूर निर्देश प्रदान करेंगे। सड़क नीति के अन्तर्गत तो वह सड़क स्वीकृत हुई है, उसके ऊपर इसका लाभ और हानि का सवाल नहीं है। लाभ जो जनता को मिलना चाहिये और जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर से जो यह रुकी हुई सड़क है उसके बारे में निर्देश प्रदान करें ताकि वह सड़क का काम चालू हो।

सभापति महोदय, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी चरम सीमा पर है कि आज हरिजन दूल्हे की बारात को घोड़ी से उतार दिया जाता है, 50 साल बाद में भी। आज धौलपुर में एक हरिजन की नाक में नकेल डालकर उसको घुमाया जाता है, गृह मंत्री के होते हुए। आज नौगांवा में प्रतापगढ़ तहसील के कस्बे के पास में एक मौलवी को जिन्दा जलाया जाता है राजस्थान पुलिस के लोगों की उपस्थिति में। आज खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भरतसिंह जी के ऊपर हमला होता है। औसियां से आने वाले माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह भाटी के ऊपर हमला होता है। उनके अभी भी 15 टांके आये हुए हैं, सिर पर लगी हुई है। सभापति महोदय, दो साल पहले 15 अगस्त को मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव में झण्डारोहण के लिए गया था, मेरे ऊपर जान लेवा हमला हुआ। मोहन मोदी के साथ वारदात हुई, वह आपसे छुपी हुई नहीं है। आज जब हम यह बात करते हैं कि इस सदन के माननीय सदस्य तक सुरक्षित नहीं है_

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपसी झगड़ें हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : क्या फरमाया आपने ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपसी झगड़ें हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जब कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है, महिलाओं पर अत्याचार अपनी सीमाएं लांघ चुका हैं, आज जब इण्डियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसीडेंट सोनिया गांधी जी जयपुर में आकर यह कहती है कि केन्द्रीय अध्ययन दल यहां जांच के लिए भेजना चाहिये था कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए तो हमारे मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि सोनिया गांधी का यह बयान शरारतपूर्ण है, यहां तो कोई अत्याचार हुए ही नहीं। वह यह भी कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से केन्द्र के अध्ययन दल को भेजने के विरुद्ध हूं कि वह राज्य की कानून-व्यवस्था की जांच करें, यह भी उन्होंने कहा है। इसकी जब राजस्थान के लिए मांग आई तब तो मुख्य मंत्री जी ने यह बात कह दी कि मैं इसके व्यक्तिगत रूप से विरुद्ध हूं, केन्द्र सरकार जांच दल क्यों भेजे ? जब बिहार और वेस्ट बंगाल में जांच दल गया तब तो मुख्य मंत्री जी ने अपनी राय नहीं दी, राजस्थान के मामले में अपनी राय दे दी। (व्यवधान) मैंने कहा है कि मैं जो बोल रहा हूं, लिखा हुआ बोल रहा हूं, मैं मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। आप आंख और कान है मुख्य मंत्री जी के नेता महोदय के, आप वही बात करो। आज हालात यह है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी चौपट है कि जयपुर में शास्त्रीनगर में गोली चली और 6 आदमी की गोलियों से हत्या हो गयी...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उसमें तो स्टेटमैंट यह आया है मुख्य मंत्री जी की ओर से कि अगर कोई आता है तो हम उसका राजस्थान में सहयोग भी करेंगे और स्वागत भी करेंगे, यह है स्टेटमैंट तो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : स्टेटमैंट तो आप पूरा पढ़ लो, मैंने जो बोला है वह गलत है तो आप कह दो, मैं बैठ जाता हूं। मैंने जो बोला है, वह गलत हो तो कह दो।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने तो आपको जानकारी दी है कि स्टेटमैंट यही आया है मुख्य मंत्रीजी का।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसको पढ़ लेना, मैंने इसी में से बोला है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर में 6 लोगों की हत्याएं की गयी बिना पुलिस की वार्निग के। गृह मंत्री जी, एक पुलिस कांस्टेबल के खरोंच नहीं आई है। हम वहां मौके पर गये थे और सबने हमने बात की थी। किसी पुलिस कांस्टेबल को खरोंच नहीं आई है और 6 आदमियों को गोलियों से भून दिया गया बिना वार्निग के। आंसू गैस चलायी नहीं, लाठीचार्ज किया नहीं। राजस्थान में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि एक साथ 6

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

व्यक्ति पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। उसके बाद सरकार ने समझौते की बात की उनके परिजनों से कि दाह-संस्कार करवा लीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको मुआवजा देंगे । क्या किया आज तक आपने उनके लिये ? आपने झूठा आश्वासन दिया उनके परिवार के लोगों को। आज तक आपने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। आखिर इस बात को समझने की जरूरत है। हमारे यहां कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, इतनी ठप्प है और उसके बावजूद भी हम यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज मंत्रिमण्डल का विस्तार अच्छे वित्तीय प्रबंधन का सबूत है। सरकार का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। अभी आप वहां से जब भाषण दे रहे थे तो इसके बारे में भी बोलते, यह भी वित्तीय प्रबंधन का एक अच्छा सबूत है कि उन्होंने मंत्रिमण्डल का विस्तार किया। इससे फायदा होगा सरकार को। इससे सरकार की विश्वसनीयता और योग्यता बढ़ेगी, जनता की सेवा होगी, क्योंकि यह कहा गया है कि मंत्री लोग अपना सत्कार करवायें एक महीने तक। सभापति महोदय, मुझे बड़ी हंसी आई यह पढ़ कर कि भारतीय जनता पार्टी ने या मुख्य मंत्री जी ने किसी ने निर्देश दिया कि यह जो मंत्री बनाये गये हैं वह एक महीने तक अपना सत्कार करवायें सब जगह जाकर के। यह बात मुझे बड़ी अजीब लगी। इसका मतलब जो पहले मंत्रिमण्डल था, लोक सभा चुनाव का जो परिणाम सामने आया 123 सीटों से, जिसमें मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी जिन्होंने बजट पेश किया, वित्तीय प्रबंधन जिनका अच्छा है, वहां पर पीछे रहे हैं, उनकी पार्टी और प्रदेशाध्यक्ष जी तो पीछे कहां रहे, वे तो यहीं बैठ गये हमारे बीच में, कल भाषण दे रहे थे, कल वे यहीं से भाषण दे रहे थे इसके पक्ष में। इसी सरकार की नाकामियों की वजह से ही वे चुनाव हारे हैं वहां पर। यदि सरकार का वित्तीय प्रबंधन और सारे ये सब बढ़िया होते तो कौशल साहब लोक सभा में बिराजते, हमारे यहां खड़े होकर भाषण नहीं देते।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सुबह चित्तौड़ के एम.एल.ए. साहब फरमा रहे थे कि आप उधर ही बैठोगे और यह उस तरफ ही बैठेंगे, हां पक्ष में। उनको यह तो पूछो कि जसवंत सिंह जी को कहां भेजा इन्होंने लोकसभा चुनाव में ?

श्री परसादीलाल मीणा : राज्य सभा में जाना पड़ा।

(16.00 बजे)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आज जब हालात यह है, सभापति महोदय, कि जिस तरह से मंत्रिमण्डल का विस्तार करके अपने अच्छे वित्तीय प्रबन्धन को दिखाने की सरकार चेष्ट कर रही है और जिस तरह से...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह घरेलू झगड़े तो आपको पता लगेंगे जब उजागर होंगे कि

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

इसमें कौन-कौन कांस्पिरेसी में थे उसमें जसवंत सिंह जी का क्या रोल रहा, उसमें महाराजा, जोधपुर का क्या रोल था, और आपके राजस्थान के मुख्य मंत्री के जवांई साहब का क्या रोल था । जब यह सब सामने आएंगे। मैं तो खुश हूं कि चोटें आयी हैं दोनों तरफ से, आप इन्क्वायरी करवाइये लेकिन ऐसी हरकत होगी, हुजूर, तो आपके उन जवांई साहब को समझाना कि चित्तौड़ में वह भारद्वाज अकेला ही उनको सम्भाल लेगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब कन्क्लूड करें कृपया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं खुद आपकी भावना भी बोल रहा हूं। आप इस सदन के सदस्य भी हैं। मैं यह चाहूंगा कि जो यह चार महीने का समय है, सरकार ने जो छूट दी है, वह छूट दी है भैंसों और पाडों को बांधने वाली जो जंजीरें हैं उसके ऊपर टैक्स कम किया है, जूतों की कीलों पर भी उन्होंने टैक्स कम किया है तो आज जब इस तरह का बजट बिलकुल साफ दृष्टिगोचर है, भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चलती है कि जितना भी करना है कि हमारे को, इस सदन के अन्दर ही करना है। इसके बाद में तो जनता राजस्थान की जो फैसला कर चुकी है उस फैसले को हमको शिरोधार्य करना है और किसी भी रूप में इस सरकार का वित्तीय प्रबन्धन चाहे कितनी भी बात कर ली जाए। इसको कुशल नहीं कहा जा सकता और यह बजट कैसे भी स्वागत योग्य नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, पेयजल की योजनाओं को लेकर इसमें जो रिपोर्ट दी गयी, पेयजल मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं है, इसी सदन के अन्दर दो वर्ष पहले उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था और यह कहा था कि आपकी एक योजना का नाम लेता हूं, चाहे वह बंघड़ा से खेड़ी की 18 किलोमीटर दूरी की योजना हो उसमें गांव में पानी आज की तारीख तक नहीं पहुंचा। मंत्री जी ने यह कहा था और यहां तारीख बतायी थी कि इस तारीख को पानी चला जाएगा और दो साल हो गये। सभापति महोदय, पानी नहीं आया, आज के दिन भी पानी नहीं आया। इसी तरह से रतपुरिया-बासड़ी योजना के अन्दर पानी नहीं पहुंच रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : दो साल में ही आपके समझ में नहीं आया जो यही बात कह रहे हो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसके बावजूद भी, सभापति महोदय, पेयजल विभाग की अकर्मण्यता की क्या बात आपको कहूं, टंकियां बना दी हैं, चार साल से टंकियां बनी हुई हैं। मगर उन टंकियों को पाइपों से जोड़ा नहीं गया है, सरकार का पैसा लग गया है पर उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि टंकियां बन गयीं, अभी तक चार साल से उन्हें पाइप से

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जोड़ा नहीं गया, उन टंकियों का लाभ नहीं लिया जा रहा है। इससे ज्यादा अदूरदर्शितापूर्ण बात क्या हो सकती है कि बराबर यहां पर ऐसा, नहीं है कि मैं नहीं कहता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी मंत्री जी को कहता रहा हूं, चिट्ठियां लिखता रहा हूं, विधान सभा में हर माध्यम से इस बात को उठाता भी रहा हूं पर नतीजा, सभापति महादेय, वही है, जो 8 किलोमीटर आप पधारे थे पंचायती राज मंत्री जी को लेकर जब आप वहां से फरमा रहे थे, हालात वो के वो ही हैं। आज स्थिति यह है कि जिन गड़बड़ घोटालों की जांच होती है उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है। एक तरह से मुख्य मंत्री जी आजकल तो भूल गये यह कहना, पहले तो हमेशा कहते थे कि भ्रष्टाचार को नाक में से निकाल दूंगा।

श्री हरजीराम बुरडक : वह भ्रष्टाचार बड़ा हो गया, नाक में से आया ही नहीं, तो निकालें कहां से ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : जो भ्रष्टाचार की बात वह कहते थे वे भूल गये। आज जब इस तरह के राजस्थान के अन्दर हालात हैं, सभापति महोदय, तो मुझे इससे ज्यादा इस सरकार के वित्तीय प्रबन्धन के बारे में कहना नहीं है और यह किसी भी रूप में स्वागत योग्य नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री श्रवण कुमार जी- (अनुपस्थित)

माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1998-99 के बजट पर जब हम विचार कर रहे हैं तब पूरे राजस्थान की जनता का ध्यान जा रहा है कि हमने बजट में किस प्रकार के प्रावधान किये हैं। इस बजट पर जोर-शोर से यह कहा जा रहा है कि यह बजट जन कल्याण के क्षेत्र में, आम लोगों को राहत देने के क्षेत्र में बहुत अच्छा बजट है। सारे बजट के भाषण को पढ़ने के बाद आंकडों के अध्ययन करने के बाद जो सत्ता पक्ष, विपक्ष अपने-अपने कुछ भी अर्थ निकाल ले पर वस्तु स्थिति यह है कि सारे बजट में 80 प्रतिशत समाज का जो वर्ग है उसके प्रति जितना कुप्रहार हुआ है, उसके प्रति जितना अन्याय हुआ है उसकी सारे बजट पर साफ तस्वीर नजर आती है।

सभापति महोदय, यह बजट न गरीबों की गरीबी दूर करने वाला है और न नौजवान बेरोजगारो की बेरोजगारी को दूर करने वाला है। यह बजट एक यथास्थिति का बजट कहा जा सकता है और इसमें ऐसे लोगों को राहत दी गयी जो वास्तव में राहत के बहुत ज्यादा हकदार नहीं हैं। 70 प्रतिशत जनता को, सारे बजट में किसान मजदूर, गरीब और पिछड़े वर्ग को जितनी राहत दी जानी चाहिए थी उनको खास तौर से उपेक्षित रखा गया है। जिन 50 करोड़ की बजट में राहत की बात की जा रही है उन सब का भी आप अध्ययन करके देख लें, उसका लाभ भी आम गरीब को मिलने वाला नहीं है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जहां तक चुंगी समाप्ति का और बिक्री कर समाप्ति का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमैंट था, चुनाव घोषणा पत्र में वादा था, उन्होंने अपना एक वायदा पूरा किया जिसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इसके बजाय कैसे आय बढ़ाकर उन छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में जहां सैकड़ों तौर-तरीकों से गलत तरीको से भर्ती तो कर ली कर्मचारियों की और उनका कल क्या होने वाला है, आपने कहा हम राज्य के खजाने से पैसा दे देंगे। जब तक नई व्यवस्था नहीं होगी, माननीय सदस्य उसका सुझाव देंगे, कब व्यवस्था होगी, क्या होगी पर उसका बजट में कोई प्रावधान नहीं किया और इसमें इस बात को अधूरा छोड़ दिया गया।

आपने वित्तीय कुशल प्रबन्धन की बात भी बहुत जोर-शोर से कही, 1041 करोड़ रुपये आपके 283 लाख प्रकरणों में बकाया है, जो हर वर्ष बकाया रहते हैं। आप उसको वसूल नहीं कर पाते हैं। आपने यह भी कहा था राज्य की परिसम्पत्तियां हमारी 14,045 करोड़ की हैं और इसके साथ साथ देनदारियां 16,810 करोड़ की हैं। क्या कुशल वित्तीय प्रबन्धन की आप बात करते हैं, लगातार आपके घाटा है और घाटे को लेखानुदान में 413 करोड़ 10 लाख का आपने सम्भावित बताया था।

यह अलादीन का जादू कहें या क्या कहें कि अब आपने 86 लाख की बचत बता दी। पूंजीगत खाते से आपने इधर पैसा ट्रांसफर बता करके इस तरह की खानापूर्ति करके, आप राजस्थान की जनता को क्या सन्देश देना चाहते हैं ? उत्तम गर्वनमैंट का, आपका कुछ नमूना है। 1995-96 के मुकाबले राजस्व प्राप्ति में भी आपको 70 करोड़ रुपये कम मिला है। 7629 करोड़ रुपया 1995-96 में था, वहां 1996-97 में 7559 करोड़ रुपये, इसमें आपको पहले से भी कम रहना कुशल प्रबंधन का एक नमूना है। आपने 1325 करोड़ के घाटे को 86 लाख की बचत में बता दिया। पर यह गले उतरने वाली बात नहीं, जब समय आएगा कि तब मालूम पड़ेगा घाटा कितना आपका बढ़ जाएगा।

प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी राजस्थान की हालत पहले से खराब है। 1991-92 में भारत में जहां 2175 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी और राजस्थान की 1761 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, 414 रुपये का डिफरेंस था। सभापति महोदय, 1996-97 में जहां भारत में 2761 रुपये प्रति व्यक्ति आय हुई वहां राजस्थान में 2215 रुपये की आय होना और उस हिसाब से 545 रुपये प्रति व्यक्ति का जो डिफरेंस आया है वह आपका प्रति व्यक्ति आय में देश के, भारत के मुकाबले में क्या स्थिति रही, इस बात पर भी आपको गम्भीरता से समझना होगा। (व्यवधान)

प्रति व्यक्ति आय घटी है, विकास दर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कम हुई है और सकल उत्पाद भी आपका कम हुआ है। बजट रोजगार, रोटी के लिये नहीं है, मुद्रा प्रसार, महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। इसलिए हम सबको इसे गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। यह चुनावी बजट कहा जा सकता है। 1989 में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय बहुत लुभावनी घोषणाएं की गयी थीं। बहुत बड़ा मंत्रिमण्डल भी गठित किया गया था। यह सारा परिदृश्य मुझे वैसा ही लग रहा है। उस समय भी उस बड़े, जम्बो मंत्रिमण्डल के कारण बहुत बुरी हार हुई और लुभावनी घोषणाओं को लोगों ने इस रूप में माना कि साढ़े चार साल तक जो जनता पर करों का बोझ लादते गये, साढ़े चार साल तक जनता को परेशानी होती रही, तब तो इन राज करने वालों की नींद कहीं उड़ी नहीं और अब 3-4 महीने बाद चुनाव आए तो इस प्रकार ये घोषणाएं करके राजस्थान की जनता को, मैं समझता हूं, गुमराह नहीं किया जा सकता है। ये मुंगेरीलाल के सपने हो सकते हैं मगर राजस्थान की जनता ने इसी सरकार को फरवरी में लोक सभा के चुनाव हुए थे तब इस बात का आगाह करा दिया था कि राजस्थान की जनता द्वारा ऐसी नाकारा सरकार की थोथी घोषणाएं के आगे इस राजस्थान में बुनियादी ढांचा, पिछले 35 साल में पूर्व की सरकारों ने दिया, उस ढांचें को आपने क्या मजबूत बनाया, कैसा बनाया, यह सब बातें देखी जा रही हैं।

इसी के साथ मैं आगे जाकर चर्चा करूंगा। सात हजार करोड़ रुपये तक की राशि सातवीं पंचवर्षीय योजना तक खर्च हुई उसमें कितनी परिसम्पत्तियां राजस्थान में बनीं, कितनी सड़कें बनीं, कितने बड़े-बड़े बांध बने, बिजली के कारखाने लगे। वह सब कुछ होने के बाद आपकी आठवीं योजना 12 हजार करोड़ की और नवीं योजना 27 हजार 5 सौ करोड़ की है, ये सारी योजनाएं केवल दिखावे की हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि रुपये का अवमूल्यन हुआ है। आप कितनी बड़ी योजना बनाएं उस समय के रुपये की कीमत और आज के रुपये की कीमत क्या है। उस समय भ्रष्टाचार 5 प्रतिशत... आज, माननीय सभापति महोदय, गम्भीरता से देखिये, आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे। कितना सारा रुपया जा रहा है। टैक्स का काफी बड़ा भार बढ़ाकर के, वह रुपया कितना वास्तव में गांवों में लगता है, क्या हो रहा है ?

माननीय गृह मंत्री जी, हमारे शाहपुरा-भीलवाड़ा से विधायक हैं। मैं एक भ्रष्टाचार का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अभी रखूंगा आपके सामने । मैं अभी 10 दिन पहले बछेड़ा में गया था। इन्हीं की कांस्टीट्यूएंसी का गांव था। वहां, गांव में डामर की एक सड़क बनी है। ये मंत्रीजी तो नहीं गये पर मैं बता रहा हूं आपको, गांव में डामर की सड़क बनने के बाद आप नहीं गये, मैं जाकर आया हूं। उस सड़क में गांव वालों ने हाथों से उस डामर को लाकर यह

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पोटली मुझे दी है विधान सभा में पहुंचाने के लिये। यह डामर क्या, सागोल है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप दोनों को कि यह बात गलत निकल जाए तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यह ऐसे ही बात नहीं कहता हूं, प्रमाण के साथ बात कह रहा हूं।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : सड़क तो पेवर की बनेगी .... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : फर्क तो समय बताएगा। आप तो भ्रष्टाचार चाहते ही हो। भ्रष्टाचार उजागर नहीं होने देना चाहते हो। आपने धन्धा पकड़ रखा है भ्रष्टाचार छिपाने का, बचाने का।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : अब तो आप वैसे ही नहीं जीतोगे, इसलिए कह रहे हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत एक बात कहना चाहता हूं कि बछेड़ा गांव की डामर की सड़क जो बनी है, उसकी आप जांच करवाएं और भ्रष्टाचार जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। यह मैं आपको अलग से निवेदन करना चाहता हूं।

मैं इस मौके पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को कोई भी रखे इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। राजस्थान की जनता इस खजाने की मालिक है, न कि आप लोग हैं। राजस्थान की पांच करोड़ जनता इस खजाने की मालिक है। एक-एक व्यक्ति की उसको देखने और चौकसी करने की जिम्मेदारी है। आप इसको मजाक में डाल देते हैं और मैं कह रहा, प्रमाण के साथ मैं दे रहा हूं। अब इसको गम्भीरता से आपको लेना चाहिए। (व्यवधान) मेरे विचार है और मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित नहीं हो सकता। (व्यवधान)

निर्दलीय तो वे हैं, जो आज आप यहां बैठे हो। यह निर्दलीय नहीं होते तो आपका ठिकाना था क्या यहां ? इसलिए निर्दलीयों की पूजा करो।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भ्रष्टाचार का सवाल आता है, चाहे यह पक्ष हो या वह पक्ष हो। एक उदाहरण और देना चाहता हूं।

(16.17 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो न्यायालय का, हाई-कोर्ट का फैसला है, जिस पर स्टे है, आसींद तहसील, सरगमागढ़ पंचायत की सरपंच सत्ता-विरोधी है। वहां का उप सरपंच सत्तारूढ़ पार्टी का है। वहां के सचिव और उप सरपंच ने, जो प्रधान हैं वहां सत्तापक्ष के मिलकर 5 लाख 35 हजार रुपये का गबन किया है, घोटाला किया है। इसको कोर्ट ने सिद्ध किया है और उस पर कोई कार्यवाही आज तक ये नहीं करते हैं। अब उसके विपरीत वह विरोधी एक सरपंच थी जिसने यह चार्ज

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लगाया कि पंचायत की बैठक नियमित नहीं बुलाते हैं। वह सचिव वहां ताला खोले नहीं, उप सरपंच वहां ताला खोलने दे नहीं, प्रधान वहां उसका भतीजा है इसलिए वह काम करने दे नहीं। अब मीटिंग नहीं बुलाये। उसको सस्पेंड किया। वह तो हाई-कोर्ट से स्टे लायी। स्टे में हाई-कोर्ट ने आब्जर्वेशन दिये हैं कि इतने लाख का घोटाला इन्होंने किया। पुराने, बरसों पहले काम नया करके, सारी बातें, इसलिए मैं चाहता हूं, चाह ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो पर आपको इस बात की जिम्मेदारी तो लेकर चलनी पड़ेगी कि राज्य के खजाने की रखवाली के जिम्मेदार आप और हम सब हैं। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को उजागर करने में आपको, हमको, सबको सहयोग देना चाहिए, बजाय उसके आप पैरोकारी करते हैं। आप मंत्रियों की जीपें भर-भर कर आते हैं और उन भ्रष्टाचारियों को, जो कलेक्टर लिखता है कि अकाल राहत में इसने इतना घोटाला कर दिया, उस कलेक्टर ने एफ. आई. आर. के आदेश दिये, यहां से मंत्री टेलीफोन करते हैं कि एफ.आई.आर. नहीं होनी चाहिए इसकी डिपार्टमेंटल कार्यवाही करो। वह ढाई साल में डिपार्टमेंटल कार्यवाही कहीं हुई नहीं और यह भ्रष्टाचार पूरे जिले में द्रोपदी के चीर हरण के तरह बढ़ता चला जा रहा है। अकाल राहत कार्यों में लाखों रुपये का घोटाला, भ्रष्टाचार उस जिले में हुआ। अब आपके सामने कई मामले आ चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बजट पर सामान्य वाद-विवाद चल रहा है, किसी डिमाण्ड पर नहीं चल रहा है मामला।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह धन का सवाल है, धन जा रहा है उसकी बात है। विवाद में बीच में बोले हैं, इसलिए गड़बड़ है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीतिज्ञ अपने तौर-तरीके से काम करें, यह समझ में बैठता है। पर जितना नौकरशाही का राजनीतिकरण इस भारतीय जनता पार्टी ने 8 वर्ष में किया और उस कारण भ्रष्टाचार की जो सीमाएं लांघ कर स्थिति बनी, जैसी अभी कुछ सदस्य कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्रीजी पिछले 20 साल से कहते रहे हैं।

विधान सभा की कार्यवाही मौजूद है और वे नाकों में से निकालने की बात करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि वह नाकों में से नहीं निकल सकता है। नाकों में से निकालने के लिये डाक्टर, आपरेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है कहीं। इसलिए परिस्थिति बहुत गम्भीर हो गयी। इसलिए आप बजट कितना ही बना लें, विकास की बात कितनी ही कर लें पर राजस्थान की जनता ने जो लोकसभा में परिणाम दिया है वह आपकी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भ्रष्टाचार की सरकार के उदाहरणों को समझ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितना काम आप कहते हो, उतना होता नहीं। इस बात के लिये उन्होंने एक प्रमाण-पत्र दिया है इसको आप गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और आज भी वह ही स्थिति लेकर बैठे हैं। आने वाला समय आपको बताएगा कि आपकी स्थिति राजस्थान में क्या बनेगी। आपने कहा कि हमने विकास की गंगा गांव-गांव पहुंचा दी। 65 प्रतिशत रुपया गांवों में खर्च कर दिया। मैं कहता हूं कि गांवों में यह 65 प्रतिशत का पैसा 40 प्रतिशत नहीं लगा। 60 प्रतिशत वापस भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जन-प्रतिनिधि मिलकर खाते हैं। अब विकास होगा ? यह भौतिक सत्यापन करो। आपने सामाजिक अंकेक्षण करवाया। उस सामाजिक अंकेक्षण के रिकार्ड को आप सामने लाकर रख दो।

श्री महावीर भगोरा (राज्य मंत्री, मत्स्य) : आपके राज्य में तो 15 प्रतिशत ही हुआ। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : क्या जन - प्रतिनिधियों में आप भी शामिल हो ? (व्यवधान) जन-प्रतिनिधियों में तो आप भी शामिल हो न ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं एक्जीक्यूशन पावर नहीं रखता। एम.एल.ए. को पावर नहीं होती।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : मैं भीलवाड़ा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)...

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपके भारत सरकार के —

श्री रामरिछपाल नुवाल : (व्यवधान) प्रभुलाल मुण्दड़ा कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? जिनको यह सहयोग दे रहे हैं, उनको बचाने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : भारत सरकार के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी... (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : प्रभुलाल मुण्दड़ा पर भ्रष्टाचार का आरोप था, यह हाई कोर्ट ने मान लिया...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, आपके ताले लगा दिये। (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : भ्रष्टाचार के मामले में उनको निलम्बित किया गया। अब यह कहने जा रहे है। पक्का प्रमाण है। जो हम कह रहे हैं, खुले में कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कायम नहीं।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : यह आप अपने विधान सभा क्षेत्र की कह रहे हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं चुनौती चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी : अपने विधान सभा क्षेत्र की कह रहे हैं या पूरे राजस्थान की कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं चुनौती देना चाहता हूं। प्रभुलाल मुण्दड़ा पर एक भी आरोप नहीं...(व्यवधान)...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जन प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी : नहीं-नहीं, आप अपने विधान सभा क्षेत्र की कह रहे हैं, या पूरे राजस्थान की कह रहे हैं ? यह जन-प्रतिनिधियों वाली बात आप जो कह रहे हैं. . . . . (व्यवधान)...

श्री रतनलाल ताम्बी : भारतीय जनता पार्टी के चार एम.एल.ए. ने धरना देकर उसको सस्पैण्ड करवाया।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : यह जन-प्रतिनिधियों की जो बात कह रहे हैं, यह आप अपने क्षेत्र की बात कह रहे होंगे। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल तैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको . . . . (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी : यह आपने जो जन- प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया है, आपने अप विधान सभा क्षेत्र की बात कह रहे हैं या सम्पूर्ण राजस्थान की बात कर रहे हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : इन्होंने भ्रष्टाचारियों को वचाया, उनकी वकालात कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट करवाये कि जन-प्रतिनिधियों के ऊपर लगाये गये आरोप पूरे राजस्थान पर लगाये गये हैं या ये अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : मैं स्पष्ट कर सकता हूं। इनका सरपंच है। भ्रष्टाचार की बात करने का...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वरलाल भाटी : भ्रष्टाचार की बात करने का इनको अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, विराजिये। माननीय सदस्य, बोलने दीजिये, विराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। आप सब उसमें गलत साबित हो चुके हो। स्टे लेकर आया हूं, स्टे। स्टे मिला है। उसको आपने राजनीतिक कारणों से सस्पैण्ड करवाया था।

कानून व्यवस्था की स्थिति महिला उत्पीड़न के लिये लालकृष्णजी आडवाणी ने लोकसभा में जो आंकड़ें दिये हैं, राजस्थान के वे भी हमारे कान खड़े करने वाले हैं। 1995 में 3202 महिला उत्पीड़न के मामले राजस्थान में हुए। 1996 में 3920 और 1997 में 4762 महिला उत्पीड़न के मामले राजस्थान में हुए हैं। यह नाकारा सरकार जो

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थान में कानून-व्यवस्था की बात करती है, यह गृह मंत्री, भारत सरकार लालकृष्ण आडवाणीजी के आंकड़ें लोक सभा में है कि राजस्थान में कानून की स्थिति क्या है ? अपराधों की स्थिति के लिये निवेदन करना चाहता हूं, 1995 में जहां 1,48,266 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, वहां 1996 में 1,61,000 और 1997 में 1,65,469 डकैती में, बलात्कार में, लूट और हत्याओं के जो आंकड़ें आपके सामने राजस्थान के हैं, वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि राजस्थान की कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है ?

आप बात करना चाहते हैं, बहुत बढ़-चढ़कर भ्रष्टाचार के मामलों की। अनेक मामले विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर में हमको आपने दिये हैं। पंचायतों में कितने घोटाले, कितने मामले वहां पर पेंडिंग हैं ? वे सबकी सब फाइलें राजनीतिक कारणों से दबी रहती हैं।

श्री कालूलाल गूजर : कांग्रेसी सरपंचों के मुकदमे ही ज्यादा चल रहे हैं और उन्होंने ही भ्रष्टाचार किया भीलवाड़ा जिले में। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : ज्यादातर बी.जे.पी. के ही लोग हैं। यह पंचायत...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : मुकदमे चल रहे हैं, वे सब कांग्रेसियों के ही हैं। (व्यवधान) आपके कोटड़ी तहसील के दो-चार कांग्रेसी, वे सब भ्रष्ट हैं। उनके खिलाफ करवाओ इन्क्वायरी। (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : कांग्रेस के प्रधान। (व्यवधान) पंचायत समिति का प्रधान...(व्यवधान)...

श्री परसादीलाल मीणा : भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं... (व्यवधान) चार महीने बाद बताएंगे बी.जे.पी. के कितने सरपंच ग्रस्त हैं। अभी आप दो-तीन महीने और रुको। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप लोग यह नहीं सुनते हो, गलत बातों पर पर्दा डालते हो। इसी का जवाब आपको विधान सभा के चुनाव में मिलेगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : ढकनी-ढप में ही पड़े रहने दो, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन नहीं है, इसको ढकना ही अच्छा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : और यह जो बढ़-चढ़ कर बातें कर रहे हैं। इन आठों विधायकों का क्षेत्र जो भीलवाड़ा जिले का है, यह भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वे बुरी तरह से हारे हैं, वहां कांग्रेस के सांसद के पक्ष में मत मिले हैं। और जहां पूरे भीलवाड़ा जिले में आठों सीटों पर...(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ताम्बीजी ने अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक सरपंच के बारे में भ्रष्टाचार की बात की है। आप अपने विधान सभा के किसी भी सदस्यों की समिति बना लें, यदि उस सरपंच के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

कर दें तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। नहीं कर सकें, तो यह त्याग पत्र दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : बिलकुल तैयार हूं। हम तैयार हैं, तैयार हैं, बनकाखेड़ा सरपंच, तैयार हैं हम भारतीय जनता पार्टी के बनकाखेड़ा सरपंच के खिलाफ। यह आपके आंकड़ें सरकार ने दिये हैं । (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : राखेड़ पंचायत का सरपंच प्रभुलाल मुण्दड़ा, जिसका खुला रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सरपंच आपका। (व्यवधान) राज्य सरकार ने सस्पैण्ड किया है। उसने कितना भ्रष्टाचार किया है? (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : एक नहीं, पांच सरपंच है, पांच। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह एक बात कहना चाहता हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि कोई सरपंच, चाहे कांग्रेस का हो, या भारतीय जनता पार्टी का हो, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उन सरपंचों को लेकर या मंत्रीगण बचाने को क्यों फिरते हैं ? (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : वे वहां आये थे। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : कलक्टर लिख रहा है, एफ.आई.आर. दर्ज करो। अपराध, इसने इतना भ्रष्टाचार किया। उसको बचाने के लिये क्यों फिरते हो आप ? (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, वह महिला सरपंच है, बिना पढ़ी-लिखी है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार कह रहे हैं, ये — (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करे, कोई भी करे, उसकी कार्यवाही करो। चाहे कांग्रेसी, चाहे बी.जे.पी. आप कर लें। पर आप दुर्भावना से कार्यवाही करते हैं। जिस प्रभुलाल मुण्दड़ा की बात करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं आपके सामने आरोप पत्र लाकर दूंगा। भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगाया। उस पर छोटी-मोटी अनियमितताओं का आरोप लगाया।

श्री रामरिछपाल नुवाल : मैं भी फाइल दूंगा सदन के अन्दर। पंचायती राज मंत्री श्री नाथूसिंहजी को मैंने पूरी फाइल दी है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हाई कोर्ट ने उन सबको निरस्त मान लिया। हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : वहां के कलक्टर के द्वारा उस पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गये हैं। (व्यवधान) प्रमाण है।

श्री परसादीलाल मीणा : उसको सस्पैण करो। प्रमाण है, तो सस्पैण्ड करो न। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : सस्पैण्ड किया है, हाई कोर्ट ने स्टे किया है। हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, उस सस्पैण्ड का। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सस्पैण्ड करो उसको। (व्यवधान) करिये सस्पैण्ड अगर ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करिये।

श्री परसादीलाल मीणा : गवर्नमैंट आपकी है, सस्पैण्ड करिये न । (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि . . . . (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं. . . . (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा तो नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : जो विपक्ष के सरपंच होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। (व्यवधान) जो सत्ता पक्ष वाले सरपंच होंगे, उनके सारे मामले दबाये जाते हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, + + +

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा समय बरबाद किया जा रहा है। ये मंत्री लोग खड़े हो जाते हैं। + + + एम.एल.ए. के साथ ...(व्यवधान) आप एम.एल.ए. को इतनी बात बताते हैं, इन मंत्रियों को समझाओ। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान की जनता पर बिजली की दरें बढ़ा दीं, पानी की दरें बढ़ा दीं और रोडवेज की दरें बढ़ा दीं। राजस्थान की जनता कमर-तोड़ दरें बढ़ाने का भार सहन नहीं कर सकती।

आपने इसमें बजट में छूट दी है पर राजस्थान का किसान जो आज कमर-तोड़ बिजली की दरों से प्रभावित है, उसके लिए आपने कोई कार्यवाही नहीं की। कोई बात नहीं की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य प्रदेशों के मुकाबले बिजली की दरें बहुत ज्यादा है और कभी आठ घंटे बिजली नहीं दी जाती है इसलिए उन किसानों को बिजली की दरें कम करके राहत देने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।

यही स्थिति पानी की दरों की है। आपने पानी की दरें इतनी बढ़ा दी, पानी की व्यवस्था आपकी ठीक नहीं, इतना भ्रष्टाचार है कि पानी कभी समय पर मिलता ही नहीं। उस पर कार्यवाही नहीं होती है, जगह-जगह पर मोटरें खराब पड़ी है। पाइप लाइन टूटी पड़ी है, उसके बाद बिल आते हैं भयंकर, मैं समझता हूं कि इस बारे में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, यह मेरा सुझाव है। राजस्थान की आपने जो वित्त की स्थिति प्रस्तुत की, वह चिन्ताजनक

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है। मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि अफसरों को आपने इतनी गाड़ियां दे रखी है। उन गाड़ियों का बहुत दुरुपयोग होता है। उसके बजाए, मेरा सुझाव है कि आप इन सारे आफिसर्स को वाहन भत्ता दें। केवल मात्र 75 करोड़ में आपके सारे अफसरों का वाहन भत्ते की व्यवस्था हो सकती है।

इसलिए मितव्ययता का हजारों-करोड़ों रुपये आपकी गाड़ियों पर खर्च होते हैं। अच्छे ढंग से बजट प्रस्तुत करना चाहिए और कुशल वित्तीय प्रबन्ध के नाम पर आपने इस बात को गंभीरता से नहीं देखा कि कहां-कहां पर इस धन का सदुपयोग हो रहा है ? यही स्थिति डी. आर. डी. ए. के विकास के कामों की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मन में सब जानते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार काम हो रहे हैं? कहां क्या होता है कोई देखने-सुनने वाला नहीं । कोई दरख्वास्त की जाएगी, वहीं एजेन्सी इन्वेस्टीगेशन करेगी जो उसमें कहीं-कहीं लिप्त है इसलिए सही नतीजे सामने नहीं आ पाते और सही ढंग से अगर भौतिक सत्यापन गांवों में जाकर किया जाए, कामों की गुणवत्ता देखी जाए, जिन कामों को पूरा बताया जा चुका है रिकार्ड में, उन कामों को आप अधूरा पाएंगे। स्कूलों की पट्टियां टूटने वाली हैं, कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। इतनी गुणवत्ता इस तरह हमारे कामों की गिर चुकी है। सारे राजस्थान में आज धन का जितना खर्चा बताया जाता है। उसके अनुसार भौतिक रूप से काम नहीं होता है, यह एक गंभीर चिन्ता का विषय है। इसको राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि इसको आप मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर और गरीब जनता का पैसा सहीं ढंग से लगे उस आधार पर व्यवस्था करेंगे। आने वाले समय में सारी बातों की ठीक से व्यवस्था हो इस बात के लिए आग्रह है।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी जिन स्कूलों की पट्टियां टूटने की आप चर्चा कर रहे हैं, कृपा करके उनके नाम वगैरह दे दें तो हम उन्हें दिखवा लें।

श्री रतनलाल ताम्बी : दे देंगे। आप इस वर्ष बजट को बड़ा अच्छा बता रहे हैं। आपने 50 प्राथमिक विद्यालय इस साल दिए हैं। 100 मिडल स्कूल आप इस साल खोलेंगे, 50 सैकण्डरी स्कूल आप खोलेंगे और 50 हायर सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे। 25 आयुर्वेदिक औषधालय और 25 पशु चिकित्सालय। उपाध्यक्ष महोदय, आप इसकी समीक्षा करवा कर देख लें। अभी साढ़े चार साल के शासन में ऐसे अनेक निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खुला और जो आपने यहां पर आंकड़ें दिए हैं, यह जो जम्बू मंत्रिमण्डल है, 40 का तो यह और दो-चार जो आपके चीफ व्हिप,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

डिप्टी चीफ व्हिप और दूसरे जो होंगे, शायद यह एक-एक बांट लें इसके अलावा राजस्थान पूरा, मैं समझता हूं, इससे प्रभावित नहीं हो सकता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह किस बात का बजट है ? 1989-90 में... (व्यवधान)।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री): अपन सब जम्बू द्वीप और भारत खण्ड में रहते हैं। "जम्बू द्वीपे भारत खण्डे"। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सियार हो। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऊंट के मुहं में जीरा है उससे पूरे राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। यह राजस्थान इतना पिछड़ा हुआ है उसके मुकाबले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1989-90 में ... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : कान्त जी जानते हैं जम्बू कौन था।

श्री रामस्वरूप मीणा : जम्बू का मतलब तुम सियार हो... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : कान्त जी जानते हैं जम्बू ऋषि कौन था, वह अनुसूचित जाति का था। उसने भक्ति की और राम ने उसका सिर कलम कर दिया। जय हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : 1980-90 में जहां पर तीन हजार प्राइमरी स्कूलें खोलने का प्रावधान था वहां इस बार 550, वहां 600 प्राथमिक शालाओं को मिडल स्कूलों में बदलने का प्रावधान था वहां पर अब के 100 .... (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : तीन हजार में से कितने खुले ?

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी बता रहा हूं, वह मैं बता रहा हूं। फिर आपने बन्द किए थे। 600 प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक विद्यालयों में बदलने का था... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कांई को खोले थे, सारी बन्द कर दीं आपने।

श्री रतनलाल ताम्बी : 640 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल थे उस समय के हालात को देखते हुए उसके बाद आवश्यकताएं बढ़ी हैं, जनसंख्या बढ़ी है, तो संसाधन बढ़ने चाहिए। इतने से खुलने से राजस्थान की पूर्ति नहीं हो सकती। उस समय राजस्थान में, मुझे याद है 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रावधान था, 50 ग्रामीण चिकित्सालय और 50 सी.एच.सी. व 80 ग्रामीण चिकित्सालय मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र वगैरह थे। राजस्थान की जो आज आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार वर्तमान बजट में यह प्रावधान अपर्याप्त है।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप राजस्थान में घूमते हैं। हम भी घूमते हैं। विद्यालय के भवनों की स्थिति बहुत खराब

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है। विद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गयी। वर्तमान में जो स्थान है, वह बहुत कम है। उनके बारे में आपने कोई निश्चित नीति इसमें घोषित नहीं की, न प्रावधान किया लगता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भवन की आवश्यकता है, जहां पर हालात बहुत खराब हैं उनके लिए आप प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण करवाकर उसकी व्यवस्था को ठीक करेंगे।

इसी के साथ में, राजस्थान में खनिज सम्पदा, औद्योगिक विकास की बहुत लम्बी-चौड़ी बातें होती हैं। अभी भी राजस्थान में विपुल सम्पदा धरती में है यदि उसका सही ढंग से सर्वेक्षण करके वैज्ञानिक तौर-तरीके से उनको सुविधाएं दी जाएं तो सही होगा। जब चाहे जैसी नीति बदल लेते हैं। कभी क्या नीति, कभी क्या नीति और इस नीति के अन्तर्गत राजस्थान में न तो पूरा औद्योगिक विकास हो पा रहा है और न खनिज का सही ढंग से सर्वेक्षण हो रहा है।

अब मैं सड़कों और तालाबों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं सोच रहा था जब सड़क की बात करूंगा तब मंत्री महोदय होंगे और मंत्री महोदय के कान तो आज पक ही गए होंगे सुनते-सुनते।

श्री उपाध्यक्ष : काफी मंत्री विराजमान हैं, आप कहिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : इनके हाथ में कुछ नहीं है जी। यह तो नाम के हैं। कई तो यूं ही हैं। डण्डे देकर और लालीपाप देकर रवाना कर दिया और क्या है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वास्तव में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे क्षेत्र की आज सुबह चर्चा की थी। वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। कहीं फीट, कहीं दो फीट के गहरे गड्ढे हैं। इतनी हालत खराब है। पिछले तीन-चार साल से उन पर न कभी बारामासी जाता है, न कोई ठीक करने वाला जाता है। गत साल मंत्री महोदय ने सब विधायकों को एक पत्र लिखा था कि सितम्बर, 1997 तक सब सड़कों के संधारण के आदेश जारी किये गये हैं, विधायक महोदय सड़कें ठीक नहीं हों तो मंत्री महोदय को सूचित करें। हमने सूचित किया मंत्री महोदय, कोई सड़क ठीक नहीं हुई है, आप स्वयं आकर देख लें। मंत्री महोदय नहीं आये और उसके बाद तो सड़कों की हालत और खराब हो गयी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह बजट कितना ही बनाओ, उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। राजस्थान भर में आप भी घूमते हैं, सड़कों की हालत कैसी क्या है ? मगर मैं तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर बहुत घूमता हूं। इतनी बुरी सड़कें जिन्दगी में कभी नहीं देखी, जैसी आज हैं। जो सड़के कांग्रेस के राज में पिछले 20-30 सालों में बनी यह भारतीय जनता पार्टी के राज में संकल्प ले रखा दिखता है कि उनके गड्ढे भी नहीं भरना। नई भी नहीं बनाना। यही काम कर रखा है। इसको ठीक मानते हो आप।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसलिए तो जनता ने आपको कहा है कि आपकी सरकार +++ है। आपकी सरकार के प्रति लोगों ने आक्रोश जाहिर किया है उसको आप सहजता से अनुभव नहीं कर रहे हैं और अभी भी जोर-जबरदस्ती करना चाहते हो। यह समय बताएगा आप कितनी ही कोशिश कर लें राजस्थान की जनता का जो मन बन गया हो, उन्होंने फैसला कर लिया है, उस संकेत को उन्होंने फरवरी में दे दिया। अब वह बदला नहीं जा सकेगा आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें।

इसके साथ ही तालाबों की हालत बहुत खराब है। अभी पहली बरसात हुई है। मेरे क्षेत्र का एक बड़ा तालाब था, टेलीफोन आया कि टूट गया। चार दिन पहले मैं गया था। तो ऐसे तालाब..... (व्यवधान) यह धन्धा मैं नहीं करता हूं ठेकेदारी का और न मेरे परिवार का कोई आदमी ठेकेदारी करता है। इसलिए ठेकेदारी अगर किसी भी व्यक्ति के पास थी तो साझीदारी इस राज में बैठे हुए लोगों की हो सकती है, हमारी कैसी होगी ? इसलिए यह ठेकेदारी में साझेदारी वाली जो बात आप करते हैं, यह खट्टा-मीठा अनुभव तो पिछले आठ-दस साल का वह तो आपको ही है। हमको तो नहीं पता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : चालीस साल का आपका पुराना अनुभव बता रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह बांध तो आज बने हैं। जो चम्बल का बांध, खारी कोठारी का बांध, मेजा का बांध, ये चालीस साल पहले बने हुए आज सुरक्षित हैं ज्यों के त्यों। कोई हिले हों तो बता दो आप। इसलिए उन तालाबों की नहरों, बांधों का संधारण इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस बजट में अच्छी व्यवस्था करके सारे जिले के मास्टर प्लान बनाकर चाहे सड़क हो, चाहे तालाब हो, चाहे किसी पार्टी का एम.एल.ए. हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, यह परिसम्पत्तियां राजस्थान सरकार की हैं, इन परिसम्पत्तियों का आप विकास करके, संधारण करके ठीक किया जाना चाहिए, यही मेरा आग्रह है।

इसके साथ में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वस्थ परम्परा यह है कि स्वस्थ तौर से विरोध को भी ग्रहण करो आप। हम कोई बात करते हैं तो हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है। आपको भी जनता ने चुना है, हमको भी जनता ने चुनकर भेजा है और आप में से कई लोगों से अधिक वोटों से चुनकर भेजा होगा। वहां की जनता कुछ अपेक्षाएं रखती होगी। जन कल्याणकारी सरकार अगर यह सोच ले कि पक्ष-विपक्ष में ही काम करना है वह जनता की सरकार नहीं हो सकती। वह एक पार्टी की नाममात्र की सरकार होगी। इसलिए जनता की सरकार बनाओ और राजस्थान में जितना विकास सही ढंग से हो सके और जो बजट में प्रावधान आपने रखे हैं, उनका

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सही ढंग से उपयोग हो, उसका सही जगह पर खर्चा हो, उस पर नियन्त्रण करें, पर्यवेक्षण करें। भ्रष्ट कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, चाहे जन नेता हो, चाहे प्रतिनिधि हो, कोई भी हो। अगर इसमें कहीं साझेदारी-भागीदारी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने में क्यों हिचकिचाहट हो रही है। जितना आप उसको शील्ड करोगे, जितना आप उसे संरक्षण देंगे उतना ही भ्रष्टाचार का नासूर बढ़ता चला जाएगा और राजस्थान के विकास की इस गंगा को भ्रष्टाचार की गंगा बनाने का जो श्रेय आपने प्राप्त किया उसको मिटाने के लिए इस बजट में आप संकल्प लेकर चलते।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : मांडल के कांग्रेसी सरपंच ने भ्रष्टाचार किया और वह डेढ़ महीने तक जेल में रहा। कितना अच्छा काम कर रही है सरकार, बोलो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आप कहते हो कार्यवाही नहीं होती, कार्यवाही हो रही है औरवह एक महीने से जेल में है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार की गंगा में खो गए वह तो_ (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : और उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई, उसका जवाब चाहता हूं मैं तो। वह क्यों नहीं बयान कर रहे हो आप? (व्यवधान) उसमें तो थे आरोपित, कार्यवाही हो गयी और लाखों के घोटाले में कार्यवाही नहीं करते इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हाई कोर्ट को यह सरकार चुनौती नहीं दे सकती। राजस्थान के हाई कोर्ट ने फैसला दिया हैं (व्यवधान) सरपंच के खिलाफ, उस पर सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती है। राजस्थान के हाई कोर्ट ने जिस प्रभूलाल मूंदड़ा का जिक्र किया, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप कहीं नहीं माना, सरकार ने भी नहीं माना हाई कोर्ट ने भी नहीं माना और राजस्थान सरकार की दुर्भावना मानकर जो स्टे आर्डर दिया उसके बाद यहां चर्चा करने की हैसियत भी नहीं है आप लोगों की।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है और मैं कल से देख रहा हूं कि विरोध करने के लिए अच्छी बातों का भी विरोध करना हमारा धर्म है, इस नाते इस जन कल्याणकारी बजट का क्रांगेस के सदस्यों ने विरोध किया है। घाणी का बैल, अब इसमें मैं क्या कहूं, घाणी के बैल को क्या दिखाई देगा। इस बजट में जो जन कल्याणकारी प्रावधान किये गये, पिछले पांच वर्षों से लगातार राजस्थान के विकास के लिए जिस प्रकार के प्रयास किये गये और जनता को राहत देने के लिए जो प्रयास किये गये वह इनको दिखाई नहीं देते, क्योंकि रातींधा जिनको आता है उनको क्या दिखाई देगा।

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी ताम्बी जी कह रहे थे कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जन-जन के कल्याण की कामना करे, उनका कल्याण हो उनका उद्‌भव हो इस नाते प्रयास करे न कि किसी अन्य दृष्टि से देखे। बात भी सही है और भाजपा के श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के शासन ने इसको सिद्ध किया।

अभी सड़कों की बात चल रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपने घर में खाना बनाया और हजार आदमियों को बुलाया लेकिन दो हजार आदमी आ गये तो कैसे जिमाओगे उनको आप ?

श्री उपाध्यक्ष : कोशिश करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : तो रसद में जितना सामान होगा उतना ही हम परोस सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो जनता का पैसा आता है वह पैसा सद्‌उपयोग में लगे, अच्छे काम में लगे और अधिक से अधिक उसका उपयोग हो, यह सरकार के देखने का काम है।

सड़कों की बात चल रही थी। मुझे याद है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कांग्रेस के शासन में भी सड़कें बनती थी। मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस के राज में कुछ नहीं था, परन्तु कैसी बनती थी। एक कांग्रेस का नेता अपने फार्म पर जाकर रहने लग गया और वहां कोई आबादी नहीं है परन्तु उसके फार्म पर जाने की सुविधा के लिए डामर की सड़क बन गयी और एक हजार की आबादी का गांव है 1971 का, 1981 का, 1991 का और जो कांग्रेस के शासन के समय से,जब से पंचायती राज का गठन हुआ वह पंचायतहैडक्वार्टर किसी भी सड़क से महरूम रहे। भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं सोचा कि वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह नहीं सोचा कि वोट दिया कि नहीं दिया तब किया कि यदि हमें विकास करना है तो कुछ महान बिंदु तय करने पड़ेंगे। और उन महान बिंदुओं के तहत भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमारा विकास का क्रम यह होगा न कोई वोटों की कल्पना थी और न कोई वोटों की बात थी। यह है जनता के विकास की बात।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की बात कर रहे है, कितने विद्यालय खोले। यह सही है, जैसा कि अभी बात चल रही थी, कुछ कमियां भी हो सकती हैं लेकिन आखिर में कांग्रेस का सोच यह था कि आदमी पढ़-लिख जाए तो फिर हमको वोट नहीं देगा इसीलिए इस राजस्थान की जनता को अशिक्षित रखो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार स्कूल खोले हैं उससे आज भूख जाग्रत हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान का हर प्राइमरी स्कूल यह चाहता है कि मुझे मिडल स्कूल किया जाए, हर मिडल स्कूल यह चाहता है कि मुझे सैकण्डरी स्कूल किया जाए, हर सैकण्डरी

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

स्कूल यह चाहता है कि हमारा स्कूल हायर सैकण्डरी हो और हायर सैकण्डरी स्कूल यह चाहता है कि हमारा स्कूल कालेज हो। यह शिक्षा की भूख राजस्थान की सरकार ने जाग्रत की है। अभी बात कर रहे थे कि विद्यालय कम खुले। कैसे विद्यालय खुलते थे ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस मांडलगढ़ क्षेत्र से आता हूं वहां से माननीय शिवचरणजी कई वर्षों तक प्रतिनिधित्व करते रहे हैं राजस्थान के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। अभी मेरे सामने एक संकट खड़ा हो गया। मेरे यहां एक गांव है जिसमें एक कन्या मिडल स्कूल भी है और बालक मिडल स्कूल भी है और उस गांव की आबादी है 300...

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप तो यह कह रहे थे स्कूल खोले ही नहीं।

श्री मदन दिलावर : पूरी बात सुनो, दिमाग लगाओं फिर जवाब दो। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : उस गांव की आबादी है 300 परन्तु वहां के जो सरपंच साहब थे वे उनके राखी डोरे के भाईबंद बन गये। अभी मेरे को जिला शिक्षा अधकारी ने कहा कि हम स्कूल तोड़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों ? कि मिडल स्कूल का लड़कों और लड़कियों का एक ही रजिस्टर चल रहा है, लड़कियों के स्कूल में कोई पढ़ने ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा, भैया, चुनाव सिर पर है। कांग्रेस के शासन में खुला , कोई पढ़ने ही नहीं आ रहा है, मास्टर की तनख्वाह लग रही है। चुनाव सिर पर है, यह बुराई का ठीकरा मेरे पर मत फोड़ो। उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह तय किया कि एक-एक स्कूल में साल के 15 लाख रुपये गरीब जनता का पैसा लगता है, हमने इतना ही किया कि जिस स्कूल की छात्र संख्या इतनी होगी, छात्र संख्या के आधार पर मैरिट बना कर हमने स्कूल को क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया तो क्या, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ ? क्या गलत हुआ ? मुझे तो याद है कि शुरू में जब बजट पर चर्चा हुई तो मदेरणाजी ने, सब कांग्रेस के सदस्यों ने यह प्रशंसा की थी माननीय शिक्षा मंत्री जी की कि स्कूल क्रमोन्नत करने में कोई भेदभाव नहीं रखा और हमारा दुर्भाग्य रहा कि नीति के कारण हम तो रह गये पीछे और वह बढ़ गये आगे। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी शासन को चलाने के लिए तब तक हमारे मन में गरीब, गांव में बैठा व्यक्ति, निम्न जगह पर बैठा व्यक्ति नहीं होगा तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के शासन में आदमी भूखा उठा है पर भूखा सोया नहीं है। कांग्रेस के शासन में तो भूखे सोते थे और भूखे उठते थे। पेट पिचक जाता था, हाथों को काम नहीं मिलता था। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विकास योजनाएं चलायी गयीं इनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है। अभी तो बता रहे थे, प्रति व्यक्ति आय सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1716 रूपये की वह

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

बढ़ कर 2274 रुपये हुई है। वह विकास का द्योतक नहीं है ? एक व्यक्तिगत जीवन स्तर उठा है तो विकास हुआ है, प्रति व्यक्ति विनियोजन बढ़ा है, उत्पादन बढ़े हैं, कई गुना बढ़े हैं। हमने प्रगति की है। (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में कैसा काम होता है मैं बताता हूं। मोहनलालजी सुखाड़िया मुख्य मंत्री थे। मेरे यहां सन् 1964 में उन्होंने मण्डोल बांध का शिलान्यास किया । 1977 आ गया। जनता पार्टी की सरकार बन गयी और उस बांध की नींवें नहीं भरी गयीं। लागत बढ़ती जाती थी। उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार में कोई योजना बनेगी और यदि समय पर पूरी नही होगी तो लागत बढ़ेगी। 1977 में माननीय ललितकिशोरजी चतुर्वेदी जब सिंचाई मंत्री थे तब ये बिजौलिया पधारे । मैंने उनको शिलान्यास को दिखाया। मैंने कहा ललितजी भाई साहब, देखिये यह 1964 में सैंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था । गणपत लालजी वर्मा एम.एल.ए. थे। उनके समय में हुआ। अभी तक नींव नहीं भरी गयीं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में उन दो सालों में बांध पूरा बना, नहरें पूरी बनीं और जनता को पानी भी मिला।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उदाहरण दिया है। गुरूजी, जरा सुन लीजिये । मेरे यहां आठ साल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास माननीय ललितकिशोर चतुर्वेदी कर आये और शिलान्यास का पट आज तक ज्यों की त्यों ही रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय हरिसिंहजी, मेरे साथ आप चलिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिवचरणजी माथुर के शिलान्यास किये हुए ऐसे ही पट बता दूंगा जहां चीज नजर ही नहीं आ रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : यही हाल चतुर्वेदी जी का है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध कब सैंक्शन हुआ था? कितने सालों तक अधूरा पड़ा रहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गयी। तेजी से काम हुआ और आज काम हो गया है। अब ये कहते हैं कि बैराज बनाया, हमने महाराणा प्रताप सागर बनाया। छोड़ जाते हम बना देते। अब जो नदियां थीं जिन पर बांध बनने वाले थे, बन गये अब नये सिरे से कहां से बनेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई में काफी काम हुआ है परन्तु मैं सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नहरों के रख-रखाव का कोई प्रावधान नहीं है। जो पुराने बांध हैं उनकी नहरें बनी हुई हैं,बांधों की मरम्मत के लिए बांध के डैमेज के लिए जो बजट उपलब्ध हो जाता है पर नहरों के डैमेज के लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं होता है। तो उसमें थोड़ा प्रावधान रखें। मैं एक और निवेदन करना चाहता था कि आज वाटर सोर्स बहुत नीचे जा रहा है। जमीन में पानी बहुत नीचे जाता जा रहा है। इसकी

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

यदि हमने चिन्ता नहीं की तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयावह होगा। मैंने पहले भी सुझाव दिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बनास नदी है या दूसरी मुख्य नदियां हैं यदि उनकी नींव खोदकर 15-20 फुट की और उसमें मिट्टी का बांध बना दिया जाए, दुरमुट से उसको पक्का करवा दिया जाए तो निश्चित रूप से ग्राउण्ड वाटर लेवल बढ़ेगा और निश्चित रूप से पीने के पानी की और सिंचाई की सुविधा हमें मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व के क्षेत्र में उप खण्ड कार्यालय, तहसीलें और उप तहसीलों को क्रमोन्नत करने की बात एवं नयी उप तहसीलें खोलने की बात की गयी है उसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटी इकाई होगी तो विकास का भी ज्यादा फायदा होगा, विकास करने में ज्यादा सुविधा रहेगी। जैसे पंचायतें बड़ी-बड़ी थी और बड़ी-बड़ी पंचायतें और एक-एक पंचायत में 16-16 गांव थे, पैसे देते थे जिस गांव का सरपंच होता था, उसी गांव में लग जाते थे। छोटी पंचायतें हुई तो आज विकास ज्यादा होने लगा है। इस प्रकार इससे निश्चित रूप से विकास का क्रम बढ़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बिजोलिया आज अतिरिक्त तहसील है। स्टेट टाइम पर वह तहसील थी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजोलिया को तहसील में क्रमोन्नत कराया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री अभी यहां नहीं हैं। काफी काम हुआ है और मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में पीने- पानी की समस्या हल करने की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हुआ है। जगह-जगह रीजनल स्कीम्स बनीं हैं, स्थानीय स्कीम्स बनीं हैं और हैण्ड पम्प्स लगे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज कोई भी प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें हैण्डपम्प नहीं है।विकास की बात करते हैं_

श्री रामस्वरूप मीणा : गलत बोल रहे हैं आप। मेरे यहां नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सूची मेरे को भिजवा देना। मैं लगवा दूंगा, नहीं हैं जहां। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जितनी पंचायतें हैं, पंचायत भवन नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सब पंचायत भवन बने, उप स्वास्थ्य भवन बने। और तो और मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस की सरकारें भी देखीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी और सौभाग्य से विधायक भी हूं, परन्तु सरकारी अस्पतालों में सरकार का पैसा लगते हुए मैंने नहीं देखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र बनाये हैं। भीलवाड़ा जिले में बारह बने और जिनमें से आठ तो मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र में बने हैं। मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

मानता हूं। (व्यवधान) और मैं चाहूंगा कि इस बारे में और चिन्तन करें और ये जो अस्पताल भवन हैं, जो कमियां हैं, सरकार अपने बजट में इनके लिए और प्रावधान करे तो निश्चित रूप से फायदा होगा.

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप किन-किन का हक मार ले गये पहले तो यह बताओ? आप किन-किन के हाथ मार ले गये और कितना आप नाजायज खनन कर रहे हैं, यह और बता दो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ऐसा है कि हम तो खनन करते हैं। नाजायज करते हैं या जायज करते हैं, पर करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका भी खनन कर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि समाज को एक दिशा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। विवाहों में बहुत खर्चा होता है। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, बद्रीप्रसाद गुरुजी का भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी के भाषण समाप्ति तक बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक, 1998-99 पर वाद-विवाद

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले बोल लिये जो बोल लिये और दूसरे का तो एक मिनट का भी नम्बर नहीं आता है। यह +++ आने की बात है। इस सदन के अन्दर आपने एक-एक घंटे का टाइम दिया है एक-एक आदमी को और हमारा नम्बर आता है तो आप समय समाप्त कर देते हो और फिर कहते हो कि साहब, हल्ला मचाते हो और अनुशासन को नहीं मानते हो। क्या मतलब है शालीनता का, जब आप हमको नम्बर ही नहीं देते हो तो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय रामस्वरूपजी, विराज जाओ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, समय बढ़ाना ही है तो फिर एक घंटा बढ़ाओ।

श्री उपाध्यक्ष : कल समय देंगे आपका। ये +++ आने वाली बात विलोपित की जाए।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग का बहुत खर्चा होता है। सरकार ने सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए , लोगों पर भार नहीं पड़े, उनको कर्जा नहीं लेना पड़े, सामूहिक विवाहों पर 25 जोड़ों पर प्रत्येक जोड़ा हजार रुपया देने की घोषणा पहले बजट में की थी।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आज नाम लिखे गये हैं उनको कल समय दिया जाएंगा कि नहीं ? आप बता दीजिये, आप रूलिंग दे दीजिये इस बात की।

श्री रामस्वरूप मीणा : ...(व्यवधान) + + +

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये माननीय सदस्य। बिराजिये। आसन के प्रति ऐसे नहीं बोलते हैं माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + तो हम क्या करें ? हमारे प्रति + + + हमारे प्रति। इससे बड़ी और क्या बात होगी हमारे लिए।

(17.00 बजे)

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपके सचेतक महोदय को कहिये...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आसन के बारे में जो शब्द आये हैं उनको निकलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह विलोपित कर दिये गये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 25 हजार रुपये, एक हजार रुपये पर जोड़ा...

श्री दलजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह निर्णय भी नहीं दिया कि कल समय दिया जाएगा कि आज का समय बढ़ाया जाएगा। (व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। हर रोज वाद-विवाद जब शुरू होता है तो मुख्य सचेतकगण लिस्ट देते हैं उसके अनुसार बुलाया जाता है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष जी, आज जो लिस्ट दी हुई है और आज जो बाकी रह गये बोलने वाले, उनको पहले प्राथमिकता दी जाए।... (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : अब जो बकाया रह गये हैं, जवाब तो दिया ही नहीं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : + + +

श्री किशनाराम नाई : आसन की व्यवस्था को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि विवाह के जोड़ों पर प्रति जोड़ा एक हजार रुपए सरकार ने देने की पच्चीस जोड़ों पर की थी। आज सरकार ने इसको और प्रोत्साहन देने के लिए जो इसका प्रावधान दस जोड़े तक किया है यह बहुत ही स्वागत योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.03 बजे बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

राज्य में बिजली चोरी प्रकरण

119. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

क्या यह सही है कि जिन कृषकों के एक पोल दो पोल के पास कुएं हैं, उनके द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अवैध रूप से बिजली ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कृषकों को कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। जिन कृषकों के कुएं 1-2 पोल के आस-पास हैं एवं उनके द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों की साठ-गांठ से अवैध रूप से बिजली ली जा रही है, ऐसे कोई मामले प्रकाश में नहीं आये हैं ऐसे मामले प्रकाश में आने पर सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दण्डित किया जावेगा। अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करने वाले कृषकों को यदि वे कनेक्शन लेना चाहे तो उसके लिये विद्युत मण्डल ने नियमों में अलग से प्रावधान कर रखा है।

श्री गंगानगर में आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत चयनित परिवार

120. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्री गंगानगर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत पांच वर्षों में श्री गंगानगर जिले में आई. आर. डी. पी. अभियान के तहत कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है पंचायत वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिले की जनता को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है ? क्या सरकार में इसके लिये कोई निगरानी समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन होंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चयनित परिवारों को सरकार क्या-क्या सहायता प्रदान करती है और किस-किस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों के लिए वर्ष 1992 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के चयन हेतु सर्वेक्षण कराया गया था। तत्कालीन पंचायतवार चयनित परिवारों का संख्या विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) चयनित पात्र परिवारों को

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

व्यवसायिक प्रशिक्षण, उन्नत औजार, इंदिरा आवास, कुएं एवं आय वृद्धि हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं ।

निम्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाता है : -

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसम)

3. ग्रामीण कारीगारों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति

4. ड्वाकरा योजना

5. दस लाख कुओं की योजना (जीवनधारा)

6. इन्दिरा आवास योजना

7. जवाहर रोजगार एवं सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत श्रम रोजगार हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

8. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित एग्राविका लाभार्थियों के लिए बीमा सहायता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आयुर्वेद चिकित्सकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन

121. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) राज्य में गत दो वर्षों में आयुर्वेद चिकित्सकों के कितने स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये तथा उनमें से कितने आदेश किन-किन कारणों से निरस्त किये गये ?

(2) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(3) उक्त रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापन कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों, वर्ष 1996-97 में 456 एवं 1997-98 में 582 आयुर्वेद चिकित्सकों के स्थानान्तरण किये गये हैं, जिनमें से 90 आयुर्वेद चिकित्सकों के स्थानान्तरण निम्न कारणों से निरस्त किये गये हैं : -

1. प्रशासनिक दृष्टि से,

2. न्यायालय निर्णय की पालना में,

3. दोहरा पदस्थापन होने से।

(2) वर्तमान में 182 ग्रामीण आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक का पद निम्न अवधि से रिक्त हैं : -

वर्ष जब से पद रिक्त है	रिक्त पदों की संख्या
1993-94 एवं पूर्व से	3
1994-95	3
1995-96	6
1996-97	21
1997-98	114
1998-99	35
योग	182

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(3) नवीन नियुक्ति उपरान्त ही इन रिक्त पदों को भरना संभव हो सकेगा।

ग्राम देवनगर (भोपालगढ़) में आम रास्ते पर अतिक्रमण

122. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम देवनगर, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर में ग्राम के सार्वजनिक रास्ते (कटाण का रास्ता) पर अतिक्रमण को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच की गई? जांच के क्या परिणाम रहे ?

(2) अब कब तक रास्ते पर से अतिक्रमण हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम देवनगर के सार्वजनिक रास्ते (कटाण) पर अतिक्रमण को लेकर शिकायत प्राप्त हुई।

सम्बन्धित अतिक्रमियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच जिला कलक्टर द्वारा कराई जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

(2) अब शीघ्र की जिला कलक्टर द्वारा पुलिस इमदाद प्राप्त की जाकर रास्ते की सही स्थिति कायम कर अतिक्रमण शीघ्र हटा दिया जावेगा।

तहसील राजसमंद व रेलमगरा में सांसद कोटे से विकास कार्य

123. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की तहसील राजसमंद एवं रेलमगरा में सांसद विकास मद एवं विधायक द्वारा 32 जिला 32 काम एवं अनटाइट मद से अनुशंसा किये कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? प्रत्येक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि खर्च की जा चुकी है एवं राशि शेष रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजसमंद विधान सभा क्षेत्र की तहसील राजसमंद एवं रेलमगरा में सांसद विकास मद से सांसद की अनुशंसा पर एवं बत्तीस जिला बत्तीस काम तथा निर्बन्ध राशि योजनाओं में विधायक की अनुशंसा पर गत तीन वर्षों में दी गयी स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट- "अ" में अंकित हैं। स्वीकृतियों का कार्यवार विवरण परिशिष्ट - "ब" सदन की मेज पर रखा गया है।

(2) उक्त कार्यों पर खर्च की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट - "स" पर अंकितानुसार है, तो निर्माण कार्य अपूर्ण है,

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

उनके शेष निमार्ण कार्य की लागत के अनुरूप राशि शेष रह जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

निजी शिक्षण संस्थाओं का शुल्क प्रकरण

124. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाएं छात्रों से मनमाने तरीके से भारी फीस वसूल कर रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है? क्या इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इनको मान्यता के अलावा भी कई तरह की रियायतें दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेने वाली संस्था के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) ऐसी कुछ शिकायतें विभाग के ध्यान में आई हैं कि कतिपय संस्थाएं प्रवेश शुल्क, भवन निर्माण शुल्क, अतिरिक्त पुस्तक आदि के नाम पर शोषणात्मक ढंग से राशियां एकत्रित करती हैं। वर्तमान में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 1993 सपठित परिशिष्ट 2 (7) के तहत राज्य सरकार मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए अभी फीस हेतु कोई दिशा निर्देश जारी किए हुए नहीं हैं।

(2) जी, हां। मान्यता के अलावा अन्य नियमों के तहत रियायती/निःशुल्क भूमि आबंटित हेतु सिफारिश की जाती हैं। वर्तमान में फीस निर्धारित नहीं है। जी, नहीं। ऐसी कोई जानकारी विभाग में नहीं है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं की शोषणात्मक प्रवृत्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के अन्तर्गत-नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है।

डेयरी महासंघ द्वारा दूध का मूल्य निर्धारण

125. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) राजस्थान में डेयरी महासंघ द्वारा संकलन किये जा रहे दूध में औसतन कितना प्रतिशत गाय व भैंस का दूध होता है ? जिलेवार सूची सदन की मेजपर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मरूस्थल क्षेत्र में भैंस की अपेक्षा गाय अधिक संख्या में पाई जाती हैं ?

(3) क्या यह भी सही है के अन्य

(श्री पूनमचन्द विश्नोई) राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में गाय के दूध का क्रय मूल्य कम दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला दुग्ध संघों द्वारा संकलित दुग्ध का विवरण परिशिष्ट "क" पर सलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) अन्य राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट 'क'

जिला दुग्ध संघों द्वारा संकलित दुग्ध का विवरण

(लगभग प्रतिशत)

संघ	अन्तर्गत जिले	गाय दूध	भैंस दूध	मिश्रित दूध
अजमेर	अजमेर	-	-	100%
अलवर	अलवर	-	-	100%
बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	-	-	100%
	डूंगरपुर	-	-	-
भरतपुर	भरतपुर	-	-	100%
	धौलपुर	-	-	-
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	-	-	100%
	चित्तौड़गढ़	-	-	-
बीकानेर	बीकानेर	100%	-	-
चूरू	चूरू	100%	-	-
श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	-	-	100%
	हनुमानगढ़	-	-	-
जालौर-सिरोही	जालौर	-	-	100%
	सिरोही	-	-	-
जयपुर	जयपुर	-	-	-
	दौसा	-	-	100%
जोधपुर	जोधपुर	-	-	100%
	जैसलमेर	-	-	-
	नागौर	-	-	-
	बाड़मेर	-	-	-

1	2	3	4	5
कोटा	कोटा	-	-	100%
	बूंदी	-	-	-
	झालावाड़, बारां	-	-	-
पाली	पाली	-	-	100%
सीकर/झुंझुनूं	सीकर	-	-	100%
	झुंझुनूं	-	-	-
टौंक-सवाई माधोपुर	टौंक, करौली	-	-	100%
	स. माधोपुर	-	-	-
उदयपुर	उदयपुर	8%	-	92%
	राजसमन्द	-	-	-

नोट : उपरोक्त आंकड़ें जिला दुग्ध संघों से भेजी गयी मासिक रिपोर्ट (एम-I) 97-98 के आधार पर।

जिला जालौर में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क निर्माण

126. **श्री भगराज चौधरी** (आहौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी के माध्यम से जालौर जिले के पंचायत मुख्यालय ग्राम उण को डामर सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृति दी गयी थी?

(2) उक्त सड़क के निर्माण हेतु क्या-क्या कार्य करने की स्वीकृति, कुल कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त सड़क कार्य अपूर्ण है यदि हां, तो क्या सरकार इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) इस सड़क के निर्माण हेतु वर्ष 1995-96 में 3.10 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गयी जिसमें से रुपये 1.77 लाख का कार्य हुआ। तत्पश्चात शेष कार्य के लिये वर्ष 1997 में 5.13 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। जिसके अनुसार 500 मीटर पूर्व में बनी सड़क का डामरीकरण तथा शेष 400 मीटर सड़क का निर्माण किया जाना था।

(3) 745 मीटर डामर की सड़क पूर्ण कराकर गांव उण (स्थानीय स्कूल तक) जुड़ चुका है। शेष 155 मीटर लम्बाई में डामर की सड़क पानी के बहाव के कारण बनना उपयुक्त नहीं है। इस लम्बाई में

(कृषि मंत्री)

खरंजा/सीमेंट कंक्रीट का कार्य कराने हेतु संशोधित प्रस्ताव तैयार कराये जा रहे हैं। यथा सम्भव इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण पूर्ण कराया जा सकेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-127 (स्थगित)

कस्बा नापासर में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन का निर्माण

128. श्री **भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नापासर में 132 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में करीब एक हजार नये कृषि कनेक्शन हुए हैं ? यदि हां, तो बिना विद्युत तंत्र को मजबूत किये वोल्टेज की समस्या का समाधान कैसे होगा ?

(3) सरकार इस समस्या के निदान हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। नापासर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का निर्णय ले लिया गया है। तथा इसके निर्माण कार्य को वर्ष 1998-99 के वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया है।

(2) इस क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1997-98 में बेलासर, बादनूं को नापासर से हटाकर 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बीकानेर से चालू कर दिया गया है। इससे नापासर क्षेत्र में विद्युत वोल्टेज की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है।

(3) नापासर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 1998-99 में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। इससे इस क्षेत्र की विद्युत वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा।

आदिवासियों को सुविधाएं

129. श्री **शंकरलाल अहारी** (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार जनजाति विकास निगम के माध्यम से इन्दिरा आवास योजना की तरह आदिवासियों को मकान बनवाकर उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो अब उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ?

(3) क्या जनजाति कल्याण विभाग जनजाति के लोगों को मिलने वाली अनुदान राशि से कण्ट्रोल के गेहूं में राशि जमा कराकर सस्ता गेहूं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस योजना को कब से प्रभावी किया जा सकेगा और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

आयुर्वेद औषधालय, कोट (झुन्झुनूं) में अव्यवस्था

130. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला झुंझुनूं, तहसील उदयपुरवाटी के गांव कोट में आयुर्वेदिक औषधालय कब से स्थापित हैं तथा इसमें वर्तमान में कौन-कौन कर्मचारी कितने-कितने समय से कार्यरत हैं ?

(2) क्या इस औषधालय का वर्ष 1996 से 1998 तक की अवधि में किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो कब-कब तथा निरीक्षक की क्या रिपोर्ट है ?

(3) क्या यह सही है कि इस औषधालय के अधिकारी/कर्मचारी के उपस्थित नहीं रहने की बार-बार शिकायतें प्राप्त होने पर भी जिला आयुर्वेद अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

(4) क्या यह भी सही है कि औषधालय की स्थिति खराब होने के कारण मरीजों की संख्या नगण्य हो गई ? तथा भवन का दुरूपयोग किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कोट तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं दिनांक 25.2.87 से संचालित है। वर्तमान में इस औषधालय में निम्न अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित है : -

क्र.सं. नाम	पद	पदस्थापन दिनांक
1. श्री ओंकारदास	चिकि.	5.4.91 से
2. श्री मदनमोहन पाण्डेय	कम्पा.	23.7.96 से
3. श्री बाबूराम	परिचारक	.1.8.94 से

(2) जी, हां। वर्ष 1996 से 1998 तक की अवधि में जिला आयुर्वेद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा इस औषधालय का निरीक्षण दिनांक 28.11.96 व 11.4.98 को किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क' एवं "ख" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) माननीय विधायक महोदय की एक शिकायत जिला कलेक्टर, झुंझुनूं के माध्यम से जिला आयुर्वेद अधिकारी से प्राप्त हुई है, जिसकी जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर, झुंझुनूं को दिनांक 15.4.98 को प्रस्तुत की जा चुकी है।

(4) जी, नहीं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अनधिकृत कब्जों की बेदखली के आदेशों का क्रियान्वयन

131. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि राजस्व न्यायालयों द्वारा अनधिकृत कब्जों को हटाएं जाने के फैसलों को क्रियान्विति करने के लिए मामलेवार अलग से पत्रावलियां खोलकर मौलिक रूप से हटाए जाने की कार्यवाही की जावे ? यदि हां, तो कब ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों की पालना तहसील कार्यालयों द्वारा की जानी थी ? यदि, हां तो किस-किस तहसील में इसकी पालना की गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आदेशों की पालना करवाने के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल और सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा अब तक की प्रगति क्या रही ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 30.4.96 को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय की पालना हेतु इजराय की पत्रावली खोलकर कार्यवाही करने बाबत आदेश जारी किये गये हैं। आदेश दिनांक 30.4.96 की प्रति परिशिष्ट-1 पर है।

(2) जी हां। उपलब्ध तीस जिलों की तहसीलवार सूचना परिशिष्ट-2 पर है। इन जिलों में आदेश की पालना की गयी है।

(3) इस आदेश की पालना हेतु विस्तृत प्रक्रिया आदेश में अंकित की गयी है। परिशिष्ट -1 में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रगति अच्छी है।

(प्रति एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नीमकाथाना में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण

132. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) उपखण्ड नीमकाथाना में आश्वासित रोजगार योजना में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अब तक कुल कितने सड़कें स्वीकृत की गयीं ? प्रत्येक सड़क की लम्बाई व स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से अब तक कितने सड़कें पूर्ण हो चुकी है और कितनी अपूर्ण है ? इन सड़कों पर रोड़ी ढुलाई व रोलर से कुटाई का काम किस-किस ठेकेदार को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कें किन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हैं ? क्या इनकी

(श्री मोहनलाल मोदी)
स्वीकृति में नियमों को पालन किया गया है ?

(4) अब तक अपूर्ण सड़कों पर काम शुरू नहीं होने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आश्वासित रोजगार योजना में उप खण्ड नीमकाथाना में अब तक कुल 52 सड़कें स्वीकृत की गयी है, प्रत्येक सड़क की लम्बाई व स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से अब तक 30 सड़कें पूर्ण हो चुकी है ओर 19 सड़कें अधूरी हैं, एवं 3 सड़कों की स्वीकृति निरस्त की गयी। इन सड़कों पर रोड़ी ढुलाई व रोलर से कुटाई का काम जिन ठेकेदारों को आबंटित किया गया है उसकी सूची परिशिष्ट -2 पर संलग्न है।

(3) उक्त सड़कें सुनिश्चित रोजगार योजना की मार्ग दर्शिका एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत की गयी है। एवं इन सड़कों की स्वीकृत में नियमों का पालन किया गया है।

(4) 7 अपूर्ण सड़कों में से 4 सड़कों के काम रास्ता विवाद के कारण शुरू नहीं किये गये हैं तथा 3 सड़कों के लिए खान विवाद होने पर पत्थर व रोड़ी उपलब्ध न होने के कारण कार्य शुरू नहीं किये गये।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विभागीय मन्दिरों के उपयोगार्थ स्वीकृत राशि प्रकरण

133. **श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य सरकार द्वारा विभागीय मन्दिरों में कार्यरत पुजारियों को न्यूनतम भत्ता राशि कितनी-कितनी दी जा रही है ?

(2) उक्त मन्दिरों के सेवा पूजा व भोग प्रसाद इत्यादि के लिये कितनी राशि प्रति माह व्यय की जाती है ?

(3) क्या उक्त भत्ता भोग प्रसाद राशि आज के समय में अपर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों में कार्यरत पुजारियों को निम्नानुसार वेतन व भत्ते का भुगतान किया जाता है : -

1. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर

(अ) पूर्णकालीन पुजारी - राज्य सरकार

(देवस्थान मंत्री)
की वेतन श्रृंखला 2550-3200 व उस पर मिलने वाले अन्य भत्ते।

(ब) अंशकालीन पुजारी - न्यूनतम 05/- रुपये से 600/- रुपये तक प्रतिमाह

2. राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर

(अ) पूर्णकालीन पुजारी - देवस्थान निधि सेवा की वेतन श्रृंखला 750-940 में वेतन तथा उस पर 40% प्रतिशत महंगाई भत्ता।

(ब) अंशकालीन पुजारी 300/- रुपये प्रतिमाह फिक्स वेतन।

उक्त दोनों श्रेणी के मंदिरों के वंशानुगत पुजारियों को विभाग द्वारा भोग सामग्री दी जाती है, मंदिर निर्माण पश्चात् तत्कालीन निर्माणकर्ता द्वारा पुजारियों को जहां-जहां आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसका उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है।

(2) प्रश्न के भाग -1 में वर्णित मन्दिरों की श्रेणी अनुसार विभाग द्वारा प्रतिमाह निम्नानुसार सेवा-पूजा व भोग-प्रसाद आदि पर व्यय किया जाता है :-

(अ) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी - 7.00 लाख प्रतिमाह

(ब) राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी - 3.36 लाख प्रतिमाह।

(3) पूर्व में राशि पर्याप्त नहीं होने पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 1996-97 में की गई घोषणानुसार राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों को मिल रही भोग राशि में मन्दिर की प्रतिष्ठा के अनुसार वृद्धि की गयी है। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरों में मंदिर की आय में से सेवा-पूजा भोग पर निधि बजट नियम अनुसार 40% प्रतिशत राशि खर्च की जाती है।

टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था प्रकरण

134. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार ने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या टेल पर पानी समय पर पहुंचाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि कर्मचारियों द्वारा रेगुलेशन न करवाकर ठेकेदारों द्वारा रेगुलेशन करवाये गये हैं ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में प्रत्येक खण्ड/उपखण्ड द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ?

(3) ठेकेदारों द्वारा किस-किस एरिया में किस अवधि में रेगुलेशन करवाये गये। जिससे किस-किस एरिया को समय पर पानी पहुंचाया गया ?

उत्तर

(1) जी, हां। चम्बल परियोजना क्षेत्र में कुछ टेल क्षेत्रों को छोड़कर पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में टेल पर पानी समय पर पहुंचाया गया।

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) जी, हां। गत तीन वर्षों में खण्डों/उपखण्डों द्वारा किये गये खर्चे का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट -1)

(3) ठेकेदारों द्वारा रबी फसल के लिए माह नवम्बर से मार्च तक (अधिकतम 100 कार्य दिवस) के लिए 5 क्यूसेक्स से बड़ी नहरों पर रेगुलेशन करवाया गया। संलग्न विवरण (परिशिष्ट -2) के अनुसार प्रभागों के कमाण्ड क्षेत्र के टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाया गया।

परिशिष्ट -1

गत तीन वर्ष में प्रत्येक खण्ड/उपखण्ड द्वारा रेगुलेशन कार्यों पर किये गये खर्च का विवरण : -

(रुपये लाखों में)

नाम खण्ड/उपखण्ड		वर्ष	
	95-96	96-97	97-98
दायी मुख्य नहर खण्ड - प्रथम			
कोटा उपखण्ड	1.58	1.46	-
कैथून उपखण्ड	2.06	0.68	-
दीगोद उपखण्ड	2.84	1.27	-
सुलतानपुर उपखण्ड	3.33	3.21	-
योग	9.81	6.62	-
दायी मुख्य नहर खण्ड द्वितीय			
अन्ता उपखण्ड	0.07	0.04	0.04
अन्ता डिस्ट्री. उपखण्ड	0.38	0.55	0.15
इटावा उपखण्ड	0.17	0.66	0.83
मांगरोल उपखण्ड	0.18	0.47	0.67
योग	0.80	1.72	1.69
बायी मुख्य नहर उपखण्ड बूंदी			
कोटा उपखण्ड	0.43	0.99	0.10
केपाटन उपखण्ड	1.11	1.37	0.09
कापरेन उपखण्ड	0.86	1.03	0.12
बूंदी उपखण्ड	0.95	0.94	0.12
लबान उपखण्ड	-	-	0.12
योग	3.35	4.33	0.55

परिशिष्ट-2

ठेकेदारों द्वारा कराये गये खण्डों/उपखण्डों में कार्यों का विवरण

1. दाईं मुख्य नहर खण्ड, प्रथम कोटा
   (अ) कोटा दाई मुख्य नहर किशनपुरा हैड किशनपुरा टेल सैक्शन
   (ब) कैथून-मानस गांव कैथून झालीपुरा, उम्मेदगंज
   (स) दीगोद- भौरा, सीमलियां कल्याणपुरा, दीगोद
   (द) सुल्तानपुर - सुल्तानपुर उम्मैदपुरा डाबर सुल्तानपुर
2. दांई मुख्य नहर खण्ड, द्वितीय अन्ता
   (अ) अन्ता- अन्ता, परवन
   (ब) अन्ता डिस्ट्री. अन्ता-पलायथा सीसवाली महुआ
   (स) इटावा- इटावा गैंता खातौली श्रीपुरा
   (द) मांगरोल -मउ, अयाना, लक्ष्मीपुरा, अयाना ब्रांच
3. बाईं नहर खण्ड, बून्दी
   (अ) कोटा - चान्ता बाजड़ तालड़ा अल्फानगर
   (ब) के. पाटन- क. पाटन प्रथम/द्वितीय, सुवांसा अनन्तपुरा
   (स) कापरेन - चितावा ईश्वर नगर बलकाया कापरैन
   (द) बून्दी - कालपुरिया दौलाड़ा औंकारपुरा खटियाड़ी
   (य) लबान- दहीखेड़ा, घाट का बराना लबान प्रथम/द्वितीय

पर्यटन विकास निगम में स्थानान्तरण नीति

135. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में पर्यटन विकास निगम में कितने कर्मचारी/अधिकारी कहां-कहां कब-कब से कार्यरत हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम में कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति के क्या-क्या मानदण्ड रखे गये हैं ? क्या यह सही है कि अधिकारी/कर्मचारी तीन-तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में अब सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की वांछित सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता/ उपयोगिता, पारिस्थितिक मांग तथा पर्यटक व निगम के हित को दृष्टिगत रखते हुए उनकी कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता के आधार पर किया जाता है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

जी, हां। तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थान परिवर्तन के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति भीण्डर के ग्रामों का विद्युतीकरण

136. **श्री गुलाब सिंह शक्तावत** (बल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति भीण्डर जिला उदयपुर में कितने राजस्व गांव है और उनमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति भीण्डर के शेष रहे गांवों के विद्युतीकरण करने की क्या योजना है और गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

(3) उक्त क्षेत्र के जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, उन गांवों के मजरे, ढाणियों (हेमलेट) को विद्युतीकरण करने की क्या योजना है ? इस योजना के अन्तर्गत ऐसी बस्तियां जो ढाणी/मजरे की है का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति भीण्डर जिला उदयपुर में कुल 269 ग्राम है जिनमें से माह मार्च, 1998 के अन्त तक 254 गांव विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। विद्युतीकृत ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) पंचायत समिति भीण्डर के शेष रहे 15 ग्रामों में से 5 ग्राम वर्ष 1998-99 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित है। शेष अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण निर्धारित नीति, आबंटित वित्त एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) साध्य पायी जाने वाली विद्युतीकृत घोषित ग्राम की ढाणियों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में स्वीकृत कराकर विद्युतीकरण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी (चित्तौड़गढ़) में उप तहसील का सृजन

137. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बस्सी (चित्तौड़गढ़) को उप तहसील बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

(2) उक्त क्षेत्र में अब कब तक उप तहसील बना दी जाएगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जिला बांसवाड़ा के एनीकट प्रकरण

138. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1996-97 व 1997-98 में बांसवाड़ा जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने एनीकट स्वीकृत किये गये ?

(2) वर्तमान में स्वीकृत एनीकटों से कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है ?

(3) क्या यह सही है कि एनीकटों के निर्माण कार्यों में धन का दुरूपयोग हुआ है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत 117 एनीकट्स (वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) स्वीकृत किये गये थे।

(2) इसका सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(3) जी, नहीं। निर्मित एवं निर्माणाधीन एनीकटों (वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) के निर्माण में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं बाबत माननीय सदस्य द्वारा शिकायत की गयी थी। इसकी जांच हेतु तकनीकी समिति का गठन किया गया था। तकनीकी समिति द्वारा दिये गये जांच निष्कर्षों में कुछ प्रकरणों में स्थान, कार्य की गुणवत्ता आदि सम्बन्धी आक्षेप दिये गये हैं एवं कुछ सुझावात्मक टिप्पणियां भी दी गयी है। परन्तु तकनीकी समिति द्वारा किसी को स्पष्ट रूप से दोषी होना निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/पंचायत समिति को स्थिति स्पष्ट किये जाने का अवसर देते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को निर्देशित कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी का परीक्षा परिणाम

139. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का परीक्षा परिणाम औसत से भी कम रहा है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी।

उत्तर

जी, हां। क्षेत्र थानागाजी, अलवर के 03 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कक्षा 8 वीं का परीक्षा परिणाम शून्य तथा 06 विद्यालयों का 20% तक परीक्षा परिणाम रहा है। जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम कम रहा उन विद्यालयों के संस्था प्रधानों तथा सम्बन्धित अध्यापकों के विरुद्ध पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या - 140

(पुनरावृत्ति के कारण रद्द किया गया)

विधान सभा क्षेत्र मकराना में विद्युत समस्या

141. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में 11 के.वी. और 33 के.वी. की कितनी लाइनें ऐसी है जिन पर क्षमता से अधिक भार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त लाइनों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कौन -कौन ?

(3) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मकराना में नये सब स्टेशन बनाने की भी योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो यह कब तक क्रियान्वित कर दी जाएगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में 33 के.वी. की 10 लाइनों व 11 के.वी. की 48 लाइनों पर वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा से अधिक है, विवरण परिशिष्ट "अ" तथा "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त लाइनों के वोल्टेज रेगुलेशन को निर्धारित सीमा में लाने के लिये कई योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं तथा नये प्रस्ताव भी तैयार किये जा रहे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना में 33 के.वी. के चार नये सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव तैयार किये हैं, जिनमें से ग्राम मिण्डकिया में 33 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत किया जा चुका है। बेसरोली, राधलिया व बुल्लू में सब-स्टेशनों के प्रस्ताव की तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है। तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने वाले सब-स्टेशनों की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार निर्माण किया जाना संभव हो सकेगा। फिलहाल समय अवधि बताना संभव नहीं है।

नागौर जिले के 33 के.वी. लाइन, जिनके वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा से अधिक है व उनके वी.आर. सुधार की योजना का विवरण

परिशिष्ट - "अ"

क्र.सं.	फीडर का नाम	क्षमता बढ़ाने हेतु बनाई गयी योजना का विवरण
1	2	3
1.	मकराना-गच्छीपुरा हरनावा लाइन	बागौत/पर्वतसर में 132/33 के.वी.जी.एस.एस. के प्रस्ताव विचाराधीन है।
2.	कुचामन-चितावा लाइन	ग्राम चितावा में 132 के.वी.जी.एस.एस. स्वीकृत किया गया है।
3.	मकराना पर्वतसर बागौत लाइन	बागोत/पर्वतसर में 132/33 के.वी.जी/एस.एस. के प्रस्ताव विचाराधीन है।
4.	मेड़ता गुगुडा लाइन	गोटन से नोखा चांदवता अलग से 33 के.वी. लाइन खींचने की स्वीकृति दे दी गयी है।
5.	मेडता जसनगर	मेड़ता के करयास्तनी तक 33 के.वी. लाइन खींचने की स्वीकृति दी गई है।
6.	डीडवाना-नावा-तनकोली	मोलासर में 132/33 के.वी.जी.एस.एस. स्वीकृत कर दिया गया है।
7.	डीडवाना-खाखौली मोलासर-लादेरिया	मोलासर में 132/33 के.वी.जी.एस.एस. स्वीकृत कर दिया गया है।
8.	कुचेरा-खजवाना-दुनारावता गाजू	खजवाना में 132 के.वी.जी.एस.एस. के प्रस्ताव विचाराधीन है।
9.	मुण्डवा-कुण्डडा खन्खयावास	खजवाना में 132 के.वी.जी.एस.एस. के प्रस्ताव विचाराधीन है।
10.	सुजानगढ़-लेडी लाडनूं जैली	लाडनूं में 132 के.वी.जी/एस.एस. बनाने की स्वीकृति दे दी गयी है। 33 के.वी. सुजानगढ़ लाडनूं खींचने की स्वीकृति दे दी गयी है।

परिशिष्ट - "ब"

नागौर जिले की 11 के.वी. लाइन जिनके वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा से अधिक है व उनके सुधार की योजना का विवरण

क्र.सं.	फीडर का नाम	क्षमता बढ़ने / भार कम करने हेतु बनाई गयी योजना का विवरण
1	2	3
1.	बोरावड़-सबलपुर	33 के.वी. नेसरोली सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी जांच हेतु विचाराधीन है।
2.	भींचावा-राथलिया	33 के.वी. राथलिया सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी जांच हेतु विचाराधीन है।
3.	जिलिया-करकेड़ी	33 के.वी. जिलिया सब-स्टेशन से 11 के.वी. के नये फीडर के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
4.	भावता-मोतीपुरा	इण्डाली में 33 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत कर दिया गया है।
5.	खारेण्डी से जिजोट	ग्राम लाम्बा में 33 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
6.	खारेण्डी से लालस	लालस में 33 के.वी. सब स्टेशन स्वीकृत है।
7.	चीतावा से अड़कसर	अड़कसर में 33 के.वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
8.	राजास से गुडसाल्ट	ग्राम चौसला में 33 के.वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
9.	मारोठ-भूणी	132 के.वी. जी. एस.एस. नावां के अलग फीडर खींचना स्वीकृत है।
10.	मीण्डा -देवली	देवली में 33 के.वी. सब स्टेशन स्वीकृत है।
11.	गुल्लर से कुराड़ा	33 के.वी. सब-स्टेशन गुलर से उक्त फीडर को दो भागों में विभक्त करना स्वीकृत है।
12.	बागोद से हुडिया	बागोद 33 के.वी. सब-स्टेशन से डडियां लाइन को टी-ऑफ कर अलग किया जाना स्वीकृत है।
13.	पीलवा से मडोवरी	ग्राम बरूण/मायापुर में 33 के.वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी जांच हेतु विचाराधीन है।

(180)

1	2	3
14.	गच्छीपुरा-जसवंतपुरा	बेसरोली 33 के. वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
15.	कुचामन नारायण पुरा	नारायणपुरा के 33 के.वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
16.	पांचवा से मोहनपुरा	पांचवा से 1.5 कि.मी. लाइन खेंचना स्वीकृत है।
17.	भावता से इण्डाली	इण्डाली में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
18.	खारेण्डी से चावण्डिया	ग्राम लाम्बा में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृति है।
19.	चितावा से चावडिया	चावंडिया में 33 के. वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
20.	मीठड़ी से पदमपुरा	33 के. वी. सब-स्टेशन मीठडी से 11 के. वी. अलग लाइन खेंचना स्वीकृति है।
21.	नांवा से पांचाते	132 के. वी. जी. एस. एस. नांवा से अलग लाइन खींचना स्वीकृत है।
22.	मारोठ से पिपराली	देवली में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
23.	मण्डा से देंपुर	राजलिया में 33 के. वी. स्वीकृति है।
24.	बागोठ से भकरी	उक्त फीडर का कुछ भाग गुलर 33 के. वी. सब-स्टेशन पर शिफ्ट करने की योजना स्वीकृति है।
25.	परबतसर से किनसारिया	बिढ़ियाद गांव का भार 33 के.वी. बिढ़ियाद सब-स्टेशन पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव है।
26.	रिंया-बड़ायली	बड़ायली में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
27.	दुगोर-बरणा	ग्राम बरणा में 33 के. वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
28.	डेगाना-आन्तरोली	आन्तरोली में 33 के. वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी जांच हेतु विचाराधीन है।

1	2	3
29.	पादु-बगड़	ग्राम इडवा में 33 के. वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी जांच हेतु विचाराधीन है।
30.	मेड़ुता-जारोड़ा	जारोड़ा में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
31.	कुम-पड़ास-रोल	रोल में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
32.	गोटन-टालनपुर	टालनपुर में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है।
33.	गोटन-हरसोलाव	हरसोलाव में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
34.	गोटन-धन्नापा	टालनपुर सब-स्टेशन से तीन फीडर बनाये जावेंगे।
35.	गोटन-शिव	शिव में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत हैं।
36.	गोगेलाव-भुण्डेल	ग्राम देऊ में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृति हैं।
37.	गोगेलाव-अलाय	ग्राम अलाय में 33 के. वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
38.	जोधोयासी-कंवलीसर	उक्त लाइन को 33 के. वी. सब-स्टेशन जोड़ेली से जोड़ने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
39.	डेह-भड़ाना	ग्राम भड़ाना में 33 के. वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
40.	खुन्खुना-कोलिया	ग्राम कोलिया में 33 के. वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव तैयार किये जाते है ।
41.	खुन्खुना-खारेश	ग्राम जवलियावास में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत हैं।
42.	खुन्खुना-आगून्ता	ग्राम कोलिया में 33 के. वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
43.	नागौर-बड़ोली फीडर	विश्व बैंक के सहयोग से बड़ली में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है। औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य शुरू किया जा सकेगा।
44.	सेखवास-मुन्दियाड	ग्राम कडलू में 33 के. वी. सब-स्टेशन का कार्य पूरा हो गया है। मुन्डियाड़ के कडलू से बोड़ा जाना स्वीकृत है।

1	2	3
45.	संखवास-कंकड़ाय	माणकपुर में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
46.	मकराना-मिडकिया लाइन	मिडकिया में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
47.	बालिया-बैरागना	जबलियावास में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
48.	बालिया-निम्बी फीडर	उपरोक्त
49.	धनकोली-पीडवा फीडर	महापुरा में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
50.	धनकोली-बावड़ी फीडर	धनकोली 33 के. वी. सब-स्टेशन से अलग फीडर खींचना स्वीकृत है।
51.	जायल-तरनाऊ फीडर	ग्राम टहेरी में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
52.	जायल-साडीला फीडर	उपरोक्त
53.	अडबड-बसूणा फीडर	उपरोक्त
54.	खुनखुना -मावड़ी फीडर	3.5 कि. मी. 11 के. वी. फीडर खींचने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
55.	पावला सिद्धा-कुडछी	कुड़छी में 33 के. वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।
56.	पावला सिद्धा-बिरलोका	विरलोका में 33 के. वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
57.	मेड़-माण्डपुरा	देऊ में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
58.	मेड़-बैराथल	बैराथल में 33 के. वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
59.	खिंवसर-चारणावास	नागडड़ी में 33 के. वी. सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
60.	लालाप-माणकपुरा	माणकपुरा में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
61.	मुण्डवा-खारड़ा लाइन	खारड़ा में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।

1	2	3
62.	मुण्डवा-तोलियाणा	उपरोक्त
63.	गाजू-पालड़ी-जोधा	पालड़ी जोधा में 33 के. वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है।
64.	रताऊ-लाइन	इस फीडर को दो फीडरों में विभक्त किया जाना प्रस्तावित है।
65.	रताऊ-भरनावा	उपरोक्त
66.	लेड़ी-मीठड़ी	उपरोक्त

परिशिष्ट - 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-158 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

राज्य में वन विकास हेतु संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण

1. राज्य योजना :

1. वन सुरक्षा
2. वानिकी विकास परियोजना
3. अरावली वृक्षारोपण परियोजना
4. परिभ्राषित वनों का पुनरोपण
5. विश्व खाद्य कार्यक्रम
6. ईधन एवं चारागाह योजना
7. पर्यावरण वृक्षारोपण
8. वन्य जीव संरक्षण
9. आर्थिक वृक्षारोपण
10. फार्म फोरेस्ट्री
11. संचार एवं भवन
12. संघनन सीमा निर्धारण एवं वन बन्दोबस्त
13. शहरी वनीकरण योजना

(ब) भू-संरक्षण

1. पहाड़ी एवं कन्दरा क्षेत्रों में भू-संरक्षण
2. स्ट्रीम बैंक प्लान्टेशन
3. कारपस फंड

2. केन्द्र प्रवर्तित योजना : -

I. वानिकी सेक्टर : -

(अ) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित योजनाएं : -

1. ईंधन एवं चारा योजना

2. लघु वन उपज व विकास

3. एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास परियोजनाएं

(ब) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं : -

1. बाघ परियोजना रणथम्भौर

2. बाघ परियोजना, सरिस्का

3. घना पक्षी अभ्यारण का विकास

4. अन्य अभ्यारणों का विकास

5. राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास

6. चिड़ियाघरों का विकास

II भू-संरक्षण सेक्टर : -

1. सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम : -

1. नदी घाटी परियोजना चम्बल माही एवं दातीवाड़ा के जलग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण।

2. बाड़ संभाव्य साहिबी नदी परियोजना।

III. क्षेत्र विकास योजनाएं : -

1. सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम : -

(अ) सी.ए.डी. स्टेज प्रथम

(ब) सी.ए.डी. स्टेज द्वितीय

(स) ओ.ई.सी.एफ. परियोजना

2. जनजाति क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम : -

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय की परियोजनाएं : -

1. ढूंढ नदी परियोजना

2. बाड़ी बेसिन परियोजना

3. कुकस क्षेत्र परियोजना

4. महाराजपुरा परियोजना

5. बालेश्वर परियोजना

6. नाना बंजर भूमि विकास परियोजना।

7. पिछोला झील परियोजना।

4. विशिष्ठ ग्रामीण विकास योजना : -

1. मरू विकास कार्यक्रम ।
2. सूखा संधारण कार्यक्रम ।
3. आश्वासित रोजगार योजना ।
4. समन्वित जलग्रहण विकास योजना ।
5. राष्ट्रीय बजड़ भूमि विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना ।

परिशिष्ट "ख"

टोंक जिले में गत तीन वर्षों में (1995-96 से 1997-98) विभिन्न योजना के अन्तर्गत कार्यों पर हुये व्यय का विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	कार्य का विवरण	किया गया व्यय (लाख रूपये में)
1	2	3	4
1.	वानिकी विकास परियोजना	1. वृक्षारोपण हेतु पौध तैयारी, बाड़बन्दी, भू एवं जल संरक्षण कार्य, मृदा कार्य तथा वृक्षारोपण एवं फालो अप कार्य	240.14
		2. भवन निर्माण	12.67
		3. एनीकट निर्माण	54.70
		4. उन्नत शवदाह गृह निर्माण	0.98
		5. पूर्व के कार्यों का संधारण	73.22
			381.71
2.	बंजर भूमि विकास योजना	1. वृक्षारोपण हेतु पौध तैयारी, बाड़बन्दी, भू एवं जल संरक्षण कार्य, मृदा कार्य, वृक्षारोपण तथा फालोअप कार्य	111.82
		2. पूर्व के कार्यों का संधारण	54.58
			166.40

1	2	3	4
3.	सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम	1. वृक्षारोपण हेतु पौध तैयारी, बाड़बन्दी, भू एवं जल संरक्षण, मृदा कार्य, वृक्षारोपण तथा फालोअप कार्य	25.24
		2. पूर्व के वर्षों के कार्यों का संधारण	9.25
		3. जलग्रहण क्षेत्रों का सर्वेक्षण	2.16
			36.65
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	1. बाड़बन्दी, मृदा कार्य, बीजारोपण	15.06
		2. एनीकट निर्माण	88.20
		3. जलग्रहण क्षेत्रों का सर्वेक्षण	2.90
			106.16
5.	शहरी वृक्षारोपण एवं पर्यावरण वृक्षारोपण योजना	पौध तैयारी, बाड़बन्दी, मृदा कार्य, जल एवं भू संरक्षण कार्य एवं सौन्दर्यीकरण वृक्षारोपण	

परिशिष्ट - 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 166 का विवरण)

(अ) वर्ष 1994-95 से दिसम्बर, 1997 तक अजमेर बालिका विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण।

वर्ष	स्वीकृत पद		कार्यरत पद	
	II	III	II	III
1994-95	97	317	102	356
1995-96	97	315	101	372
1996-97	97	315	101	359
1997-98	97	315	95	3[illegible]

(ब) वर्ष 1994-95 से दिसम्बर, 97 तक अजमेर शहर में एवं अजमेर शहर से बाहर स्थानान्तरित शिक्षकों का विवरण : -

वर्ष	अजमेर शहर में स्थानान्तरित शिक्षकों की संख्या		अजमेर शहर से बाहर स्थानान्तरित शिक्षकों की संख्या	
	II	III	II	III
1994-95	15	26	16	18
1995-96	12	34	11	13
1996-97	9	11	1	4
1997-87	4	4	9	37

परिशिष्ट - 4
(अतारांकित प्रश्न संख्या 168 की सूची)
अब तक क्रमोन्नत/संचालित विद्यालयों की सूची (कामां क्षेत्र)

क्र. सं.	उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	क्र. सं.	उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम
1	2	1	2
1.	राज. उच्च प्रा. विद्यालय, सिटी कांमा	16.	" छिछरबाड़ी
2.	" सुनहरा	17.	" कनवाड़ा
3.	" नन्दौला	18.	" पाई
4.	" कठौल	19.	" सोनोखर
5.	" बरौलीधाऊ	20.	" नौगावां
6.	" धिलावटी	21.	" नौगावां
7.	" बिलौंद	22.	" वामनी
8.	" उदाका	23.	" जीतरूहल्ला
9.	" सांवलेर	24.	" पल्ला
10.	" तिलकपुरी	25.	" भूसेपुर
11.	" लुहेसर	26.	" नन्देरा
12.	" दादेड़ा	27.	" पापड़ा
13.	"सतवाड़ी	28.	" घोसिंगा
14.	" विलंग	29.	" वमनवाड़ी
15.	" गांवड़ी	30.	" भैसेंडा

1	2	1	2
31.	" जोतरीपीपल	**सी. मा. विद्यालय**	
32.	" घाटमीका	1.	कामां
33.	" सौमका	2.	बा. कामां
34.	" ऐंचबाड़ा	3.	जुरहरा
35.	" जसौती	**माध्यमिक विद्यालय**	
36.	" गढ़ीझीलमपट्टी	1.	गोपीनाथ, कामां
37.	" ऊचैड़ा	2.	नोमेरा
38.	" राउप्रावि., लेवडा	3.	बोलखेड़ा
39.	" घौलेट	4.	गोपालगढ़
40.	" वादीपुर	5.	सतवास
41.	"लाडलाका	6.	सहसम
42.	" घड़ीजाण	7.	भौंरी
43.	" फतहपुर (लोकजुम्बिश)	8.	अकारा
44.	" औलिन्दा	9.	सहसा
45.	" बालिया सतवाड़	10.	सबलाना
46.	" बालिका, कामां	11.	बालिका, जुरहर

189

परिशिष्ट - 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची)

वर्ष 1997-98 के दौरान वृतवार जले पावर व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफारमर्स का विवरण

क्र. सं.	वृत का नाम	1997-98 के दौरान जले ट्रांसफार्मर्स की संख्या पावर	डिस्ट्रीब्यूशन
1.	अजमेर	7	503
2.	भीलवाड़ा	6	366
3.	नागौर	16	2222
4.	अलवर	6	1510
5.	भरतपुर	3	988
6.	बीकानेर	4	165
7.	श्रीगंगानगर	6	301
8.	हनुमानगढ़	1	385
9.	कोटा	1	899
10.	झालाव[illegible]	3	425
11.	सवाईमाधोपुर	7	1015
12.	जोधपुर शहर वृत	0	50
13.	जोधपुर जिला वृत	7	2123
14.	बाड़मेर	6	42[illegible]
15.	पाली	8	1044
16.	जयपुर नगर वृत	0	158
17.	जयपुर जिला वृत	17	2175
18.	दौसा	(6)	600
19.	सीकर	9	2165
[illegible]	झुन्झुनूं	13	1564
[illegible]	चूरू	[illegible]	575
[illegible]2.	चित्तौड़गढ़	[illegible]	57[illegible]
[illegible]	उदयपुर	[illegible]	[illegible]
[illegible]4.	बांसवाड़ा	[illegible]	30[illegible]
	योग :-	154	21055